



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042020-219035
CG-DL-E-11042020-219035

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1071]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2020/चैत्र 3, 1942

No. 1071]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2020/CHAITRA 3, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च 2020

का.आ. 1199(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के किसी भी भाग में कुछ परियोजनाओं को आरंभ करने या क्षमता परिवर्धन को अन्तर्वलित करने ऐसी विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना का. आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006 और इसके पश्चातवर्ती संशोधनों को अधिकांत करते हुए निम्नलिखित अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनता की जानकारी के लिए, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिस तारीख को इस अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 60 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट प्रस्ताव पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इन्हें इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप से केंद्रीय सरकार के विचारार्थ, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110 003 को भेज सकता है या इसे ईमेल पता eia2020-moefcc@gov.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार ने, भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईएए अधिसूचना 2006 कहा गया है) द्वारा ईआईएए अधिसूचना 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध भारत के किसी भी भाग में कुछ परियोजनाओं के आरंभ करने या क्षमता परिवर्धन को अन्तर्वलित करने ऐसी विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण पर तब तक कतिपय शर्तें और पाबंदियों को अधिरोपित किया जा सकता था जब तक ईआईएए अधिसूचना, 2006 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, मंत्रालय, या राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी या जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकारी द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान नहीं कर दिया गया था;

अब न्यायालयों और राष्ट्रीय हरित अधिकरणों की प्रक्रिया, विकेंद्रीकरण और कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए समय-समय पर ईआईए अधिसूचना, 2006 के लिए अनेक संशोधन जारी किए गए हैं। यद्यपि ईआईएए अधिसूचना, 2006 प्रस्तावित परियोजनाओं के कारण पर्यावरण संघातों को निर्धारण करके ऐसे आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षापायों को साकार करने में सहायक हुई है जिनमें नियोजन प्रक्रम पर ही पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित है, अतः केन्द्रीय सरकार ऑनलाइन प्रणाली के कार्यान्वयन, प्रक्रिया के और प्रत्यायोजन, सुव्यवस्थिकरण, मानकीकरण, आदि के माध्यम से इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा समीचीन बनाने की वांछा करती है;

और मंत्रालय ने छह मास की समय सीमा सहित मामलों के उल्लंघन के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने वाली अधिसूचना सं.का.आ. 804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 जारी की थी। उक्त अधिसूचना ने ऐसी परियोजनाओं के उल्लंघन को परिभाषित किया जिन्होंने संनिर्माण कार्य आरंभ किया है या पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के बिना उत्पाद-मिश्रण में विस्तार या आधुनिकीकरण या परिवर्तन किया है;

तथापि, इस प्रकार के होने वाले उल्लंघन विनियामक प्राधिकरणों द्वारा मूल्यांकन या मानीटरी या निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान भविष्य में सामने आ सकते हैं। अतः मंत्रालय, शीघ्रातिशीघ्र पर्यावरण के हित में परियोजनाओं के ऐसे उल्लंघन को विनियमों के अन्तर्गत लाने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना आवश्यक समझती है न कि उन्हें अनियंत्रित और निर्बाध छोड़ना, जो पर्यावरण के लिए अधिक खतरनाक होगा

और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में उनकी रिट याचिका (सिविल) सं. 2364 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तारीख 28 नवम्बर, 2014 में, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि पर्यावरण अनापत्ति के प्रस्ताव के लिए विचार की उसके गुणागुण के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए जो पर्यावरण संबंधी विधियों के अधिकथित उल्लंघन के लिए प्रस्तावित किसी कार्रवाई से स्वतंत्र हो;

और मूल आवेदन संख्या 837/2018 संदीप मित्तल बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य के मामले में मूल आवेदन सं. 837/2018 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया था कि मंत्रालय पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों के अनुपालन के लिए मानीटरी तंत्र को सुदृढ़ करेगा;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1956 के उप-नियम (3) के खंड (घ) या नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पश्चातवर्ती संशोधनों के साथ पठित अधिसूचना सं. का.आ.1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006, अधिसूचना सं.का.आ.190 (अ) तारीख 20 जनवरी, 2016 का.आ. 4307 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 2019 का.आ.750 (अ) तारीख 17 फरवरी, 2020 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है इस प्रारूप अधिसूचना को प्रकाशित करती है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- इस अधिसूचना का संक्षिप्त नाम पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात "ई ए आई" अधिसूचना 2020 कहा गया है) है।
- यह अधिसूचना राजपत्र में इसके अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. अधिसूचना का लागू होना: यह अधिसूचना सम्पूर्ण भारत जिसके अन्तर्गत राज्य क्षेत्रीय सागर खंड भी हैं, को लागू होगी।

3. परिभाषाएं: इस अधिसूचना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पदों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

- (1) “प्रत्यायित पर्यावरणीय संघात निर्धारण परामर्शी संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘एसीओ’ कहा गया है)” एक ऐसा संगठन है जो भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी ई टी) या किसी अन्य अभिकरण, जो मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, से प्रत्यायित है;
- (2) “अधिनियम” से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम सं. 29) अभिप्रेत है
- (3) “मूल्यांकन” से विहित प्ररूप(पों) में आवेदन और सभी दस्तावेजों जिनमें ईआईएए रिपोर्ट भी है, पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा लोक परामर्शों के परिणाम की विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत है
- (4) “मूल्यांकन समिति” से यथा-स्थिति, केन्द्रीय स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या संघ राज्य क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अभिप्रेत है।
- (5) “आधार रेखा आकंड़े” (जिसे इसमें इसके पश्चात बीएलडी कहा गया है) से पूर्व- परियोजना या पूर्व विस्तार पर्यावरणीय परिदृश्य को चित्रित करने वाले आकंड़े अभिप्रेत हैं जिनमें स्थल (लों) पर और अध्ययन क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना की वायु, जल, भूमि, वनस्पति, प्राणिजात, सामाजिक आर्थिक आदि से संबंधित आकंड़े भी हैं
- (6) “सीमा क्षेत्र” से भारत के सीमावर्ती देशों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 कि.मी. आकाशीय दूरी के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है
- (7) “निर्मित क्षेत्र” से एक साथ इकट्ठे तलों जिनके अन्तर्गत का तहखाना और अन्य सेवा क्षेत्र भी हैं निर्मित या आच्छादित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका भवनों या संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्ताव किया गया है;
- (8) “उत्कृष्ट तलकर्षण” से विशाल पोतों की सहायता करने के उद्देश्य से पोत परिवहन मार्ग सृजित करने या गहरे बनाने के लिए समुद्र तल से अदूषित सामग्री को हटाने की एकवारगी प्रक्रिया अभिप्रेत है। इसके अन्तर्गत पत्तनों या बन्दरगाहों और चैनलों के भीतर बाहर तलकर्षण क्रिया-कलाप भी है;
- (9) प्रवर्ग ‘क’ से इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा-सूचीबद्ध परियोजनाएं या क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;
- (10) प्रवर्ग ‘ख’ से इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (4) में यथा-सूचीबद्ध परियोजनाएं या क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;
- (11) प्रवर्ग ‘ख2’ से इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तंभ (5) में यथा-सूचीबद्ध परियोजनाएं या क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;
- (12) “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” (जिसे इसमें इसके पश्चात “सीपीसीबी” कहा गया है) एक ऐसा बोर्ड है जिसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित किया गया है;
- (13) “हरित भवन निर्माण प्रमाणपत्र” से एकीकृत प्राकृतिक वास निर्धारण (जीआरआईएचए) के लिए हरित रेटिंग के रेटिंग कार्यक्रम, भारतीय ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व (एलईईडी) वृहत्तर दक्षताओं के डिजाइन में उत्कृष्टता या समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी किसी तृतीय पक्षकार हरित भवन निर्माण रेटिंग प्रणाली के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (14) “कलस्टर” से इस अधिसूचना के पैरा 24 के उप-पैरा (3) में दिए गए मानदंड के अनुसार खानों या पट्टों के समूह द्वारा बनाया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (15) “कलस्टर प्रमाणपत्र” निदेशक खान और भूविज्ञान या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए खानों या पट्टों के कलस्टर के लिए प्रमाणपत्र है;
- (16) “कॉरपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व” (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘सीईआर’ कहा गया है) ईएमपी का भाग है जिसके परियोजना प्रस्तावक को लोक परामर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर और/या ईआईएए अध्ययन के

- दौरान किए गए निर्धारण आधारित सामाजिक आवश्यकता पर आधारित परियोजना की निकटस्थ परिस्थितियों में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कतिपय क्रियाकलाप करने के लिए आदेश दिया जाता है;
- (17) **“तटीय विनियामक जोन”** (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘सीआरजेड’ कहा गया है) वह जोन है जिसे तटीय विनियामक जोन अधिसूचनाएं 2019 और समय-समय पर किए गए पश्चातवर्ती संशोधनों के अधीन अधिसूचित किया गया है;
- (18) **“संकटमय प्रदूषित क्षेत्र”** से समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहचान किए गए औद्योगिक कलस्टर या क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (19) **“जिला या प्रभागीय स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति”** (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘डीईएसी’ कहा गया है) अधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एसईआईएए या यूटीआईएए द्वारा जिला स्तर या प्रभागीय स्तर पर इसे निर्दिष्ट परियोजनाओं के पर्यावरण मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सिफारिश पर इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए और समुचित सिफारिशों करने के लिए गठित विशेषज्ञों की एक समिति हैं;
- (20) **“जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट”** से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो अधिवृद्धि या भण्डारों के क्षेत्रों की जिसमें खनन किया जाता है पहचान के लिए और कटाव के क्षेत्रों की पहचान तथा अवसंरचनात्मक संरचनाओं और संस्थापनों की समीपस्थता जहां खनन को प्रतिषिद्ध किया जाए तथा पुनः पूर्ति की वार्षिक दर की संगणना और उस क्षेत्र में खनन के पश्चात् पुनः पूर्ति के लिए समय अनुज्ञात करने के लिए जिले में भूविज्ञान या सिंचाई विभाग या वन विभाग या लोक निर्माण विभाग या भूमिजल बोर्ड या सुदूर संवेदनशील विभाग या खनन विभागों आदि द्वारा तैयार की जाती है;
- (21) **“पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र** (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘ईएसए’ कहा गया है)” ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) और समय-समय पर पश्चातवर्ती संशोधनों के अधीन अधिसूचित किए गए हैं;
- (22) **“पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र** (जिसे इसमें इसको पश्चात् ‘ई एस ए’ कहा गया है)” ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) और समय-समय पर पश्चातवर्ती संशोधनों के अधीन अधिसूचित किए गए हैं
- (23) **“पर्यावरण संघात निर्धारण** (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘ईआईएए’ कहा गया है) **रिपोर्ट”** ऐसा दस्तावेज है जो विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित सौंपे गए कृत्यों पर आधारित तथा इसे अधिसूचना के परिशिष्ट-10 में दी गई साधारण संरचना के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के लिए एसीओ के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार किया जाता है
- क. **“प्रारूप ईआईएए रिपोर्ट”** लोक परामर्श के प्रयोजन के लिए विनियामक प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार तैयार की गई ईआईएए रिपोर्ट है;
- ख. **“अन्तिम ईआईएए रिपोर्ट”** लोक परामर्श जिसमें मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए जनता द्वारा उठाए गए विषयों का सम्यक्तः समाधान करने वाले न्यूनीकरण उपाय, समयबद्ध कार्य योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसमें की गई प्रतिबद्धताओं के लिए बजटीय उपबंध भी है, के पश्चात् तैयार की गई ईआईएए रिपोर्ट है;
- (24) **“ईआईएए समन्वयक”** एक सेक्टरीय विशेषज्ञ और कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञों का समन्वयक है और जो एसीओ द्वारा प्रत्यायित है।
- (25) **“पर्यावरण प्रबंधन क्षेत्र योजना** (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘ईएमपी’ कहा गया है) **रिपोर्ट”** इस अधिसूचना के परिशिष्ट - XI में दी गई साधारण संरचना के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के लिए एसीओ के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है;
- (26) **“विस्तार”** से अनुसूची या यथास्थिति अभिप्राप्त पूर्व ईसी या पूर्व ईपी में संबंधित परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट सीमाओं से परे क्षमता परिवर्धन वाला परियोजना को यथा लागू खान पट्टा क्षेत्र या परियोजना

क्षेत्र संवर्धनीय कमान क्षेत्र या निर्मित क्षेत्र या लंबाई या संख्या या जनन क्षमता या उत्पादन क्षमता या आद्योपान्त या प्रबंध क्षमता आदि में बोर्ड वृद्धि अभिप्रेत है। खनन परियोजनाओं या क्रियाकलाप की दशा में खान पट्टे के क्षेत्र या उत्पादन क्षमता में किसी वृद्धि को विस्तार के रूप में समझा जाए;

- (27) “विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति” (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘ईएसी’ कहा गया है) मंत्रालय द्वारा इसे निर्दिष्ट की गई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए और समुचित सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर गठित विशेषज्ञों की समिति है;
- (28) “प्ररूप” से इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप (प्ररूप) अभिप्रेत है (हैं);
- (29) “कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ” (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘एफएई’ कहा गया है) एसीओ द्वारा प्रत्यायित विशेषज्ञ है और जो एसीओ के साथ कार्य करता है या इसके साथ पैनलित है;
- (30) “साधारण शर्त” (जिसे इसमें इसके पश्चात जीसी कहा गया है) से यह अभिप्रेत है कि समूह ‘ख1’ में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप नीचे (क) या (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों में यदि पूर्णतः या भागतः अवस्थित हो, प्रवर्ग में परिवर्तन के बिना केन्द्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा:-

क. निम्नलिखित की सीमा से अनुसूची की मद सं. 3, 5, 32, 33 की बाबत 10 कि.मी. के अन्दर और अन्य मदों के मामले में 5 कि. मी. के अंदर -

- (i) संरक्षित क्षेत्र; या
- (ii) सकंठमय प्रदूषित क्षेत्र; या
- (iii) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र; या
- (iv) अन्तर राज्यीय या संघ राज्य क्षेत्र

ख. निम्नलिखित की सीमा के अन्दर

- (i) अत्यन्त प्रदूषित क्षेत्र या
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र

- (31) “द्वीप तटीय विनियामक जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात ‘आईसीआरजेड’ कहा गया है)” ऐसा जोन है जिसे द्वीप तटीय विनियामक जोन अधिसूचना, 2019 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अधीन अधिसूचित किया गया है।
- (32) “अनुरक्षण तलकर्षण” से नौवहन, संनिर्माण या संक्रियात्मक प्रयोजनों के लिए (जल के) समुचित सुरक्षित गहराई को बनाए रखने के लिए विद्यमान नौवहन चैनलों, घाटों, झूलने वाले बांध घाट से झुण्डों या तल छटों के आवधिक रूप से हटाया जाना अभिप्रेत है;
- (33) “सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम” से सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 27) और इसके पश्चातवर्ती संशोधन के अधीन परिभाषित परियोजना अभिप्रेत है;
- (34) “खनिज सज्जीकरण” से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा भौतिक या भौतिक-रासायनिक पृथक्करण प्रक्रिया के माध्यम से अयस्क के मूल्यवान घटक सान्द्रित किए जाते हैं;
- (35) “मंत्रालय” से भारत सरकार का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभिप्रेत है;
- (36) “आधुनिकीकरण” प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन या कच्ची सामग्री मिश्रण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन या मार्गावरोध निवारण या कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि या विद्यमान खान पट्टा क्षेत्र जिनके लिए विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा-स्थिति पूर्व ईसी या पूर्व ईपी मंजूर किए जाते हैं में उत्खनन की दर में वृद्धि सहित परियोजना में सयंत्र और मशीनरी की उपयोग क्षमता में वृद्धि;
- (37) “अननुपालन” से परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति या पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा में विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन अभिप्रेत है;

- (38) “अधिसूचित औद्योगिक संपदा” से ऐसे औद्योगिक संपदा अभिप्रेत हैं जिनमें पार्क; प्रक्षेत्र; क्षेत्र; निर्यात प्रसंस्करण जोन (ईपीजेड) विशेष आर्थिक जोन (सेज); जैव प्रौद्योगिकी पार्क, चमड़ा प्रक्षेत्र तटीय आर्थिक जोन (सीईजेड); विशेष विनिधान क्षेत्र (एसआईआर); राष्ट्रीय विनिधान और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड); औद्योगिक कलस्टर पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन विनिधान क्षेत्र (पीसीपीआईआर); भी है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 14 सितम्बर, 2006 से पहले अधिसूचित किए गए हैं या जिन्होंने ईआईएए अधिसूचना 2006 या इस अधिसूचना के अधीन यथा आदिष्ट पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ली है;
- (39) “संरक्षित क्षेत्र” से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) और, समय-समय पर इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अधीन यथा-अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (40) “पूर्व पर्यावरण अनापत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात पूर्व-ईसी कहा गया है) से प्रवर्ग ‘क’ प्रवर्ग ‘ख1’ और प्रवर्ग ‘ख2’ परियोजनाओं, जिन्हें अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है, के लिए मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर विनियामक प्राधिकरण की अनापत्ति या सहमति अभिप्रेत है;
- (41) “पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा (जिसे इसमें इसके पश्चात पूर्व-ईपी कहा गया है)” से प्रवर्ग ‘ख2’ की बाबत अनुसूची में ‘क’ सूचीबद्ध प्रस्तावित परियोजना जिसे अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष नहीं रखा जाना अपेक्षित है, को कार्यान्वित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण की अनुज्ञा या सहमति अभिप्रेत है;
- (42) “पूर्व पर्यावरण अनापत्ति शर्त” से ऐसी परियोजना के लिए विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित शर्त अभिप्रेत है जिनके लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति या पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा की वांछा की गई है
- क. “विनिर्दिष्ट शर्तों” से मूल्यांकन समिति द्वारा विहित मामला दर मामला आधार पर, यदि कोई हो विनिर्दिष्ट परियोजना या अवस्थान संबंधी शर्त अभिप्रेत है और
- ख. “मानक शर्तों” से यथास्थिति पूर्व-ईसी या पूर्व-ईपी प्रदान करते समय नियत करने के लिए समय-समय पर मंत्रालय द्वारा विहित शर्त अभिप्रेत हैं। तथापि, ऐसी शर्तें मूल्यांकन समिति द्वारा (पूर्व ईसी के मामले में और विनियामक प्राधिकरण द्वारा (पूर्व-ईपी के मामले में) मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकन के दौरान सम्यक तत्परता पर उपांतरित की जा सकेंगी।
- (43) “परियोजना” से परियोजना या कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है;
- (44) “परियोजना अवधि” से परियोजना की कालावधि अभिप्रेत है जिसमें (i) संनिर्माण या संस्थापन या स्थापन या प्रतिष्ठापन (ii) प्रचालन और (iii) व्यतिरिक्तता या परियोजना संपन्न होने के बाद बन्द करना या विखंडित करना शामिल है;
- (45) “परियोजना प्रस्तावक” से ऐसा व्यक्ति या लोक या प्राइवेट अस्तित्व या प्राइवेट अस्तित्व अभिप्रेत है जो परियोजना के कार्यकलापों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और कंपनी के बोर्ड निदेशक या ऐसे अस्तित्व या फर्म या न्यास या सीमित दायित्व या भागीदारी या संयुक्त उद्यम या विशेष प्रयोजन माध्यम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा परियोजना के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए समयक्तः प्राधिकृत है या नियुक्ति की गई है और इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विनियामक प्राधिकारी के समक्ष पत्राचार करने तथा दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सम्यकतः प्राधिकृत या नियुक्त गया है;
- (46) “लोक परामर्श” से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा ऐसे स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों जिनका परियोजना के पर्यावरणीय संघात में युक्तियुक्त पण है परियोजना डिजाइन करते समय ऐसे सभी तात्विक चिन्ताओं को समुचित रूप से ध्यान में रखने की दृष्टि से अभिनिश्चय किए जाते हैं;
- (47) “विनियामक प्राधिकरण” से मंत्रालय या राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (48) “अनुसूची” से इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

- (49) "विस्तारण" से पूर्व-ईसी की बांछा करने वाली परियोजना के लिए ईआईएए रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विनियामक प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कृत्य अवधारण करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (50) "गौण धातु विज्ञानी" से उत्पादन प्रक्रिया अभिप्रेत है जो अयस्क कटौती प्रक्रिया, स्क्रेप, उद्धरण और उद्योग के लिए विनिवेश के रूप में शिलिका के उत्पादन के साथ आरंभ होती है और इसके उत्पाद अर्द्ध तैयार उत्पाद या तैयार उत्पाद होते हैं;
- (51) "अत्यन्त प्रदूषित क्षेत्र" से औद्योगिक क्लस्टर या क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिसकी पहचान समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यन्त प्रदूषित क्षेत्र के रूप में होती है;
- (52) "राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'एसईएसी' कहा गया है)" से इस अधिसूचना के प्रयोजन राज्य स्तर पर मंत्रालय द्वारा इसको निर्दिष्ट परियोजनाओं के पर्यावरण मूल्यांकन के लिए और समुचित सिफारिशें करने के लिए इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति अभिप्रेत है;
- (53) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात 'एसपीसीबी' कहा गया है)" जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित बोर्ड है;
- (54) "राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात 'एसईआईएए' कहा गया है)" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (55) "अध्ययन क्षेत्र" से यथा स्थिति प्रवर्ग 'क' के अन्तर्गत आने वाली परियोजना की सीमा के इर्द-गिर्द 10 कि.मी. या प्रवर्ग 'ख' के अन्तर्गत आने वाली परियोजना की सीमा के इर्द-गिर्द 5 कि.मी. की आकाशीय दूरी के भीतर निकट आसपास का क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (56) "सौंपे गए कृत्य" (जिसे इसमें इसके पश्चात 'टीओआर' कहा गया है)" से 'ईआईएए' रिपोर्ट तैयार करने के प्रयोजन के लिए परियोजना हेतु विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित विस्तृत कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है;
- क. "निर्दिष्ट सौंपे गए कृत्य" से ईआईएए रिपोर्ट के तैयार किए जाने के लिए आवश्यक समझे गए, मूल्यांकन समिति द्वारा विहित विनिर्दिष्ट परियोजना या अवस्थान विनिर्दिष्ट सौंपे गए कृत्य अभिप्रेत है; और
- ख. "मानक सौंपे गए कृत्य" से अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं की बाबत ईआईएए रिपोर्ट के तैयार किए जाने के लिए समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी मानक सौंपे गए कृत्य अभिप्रेत है;
- (57) "संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'यूटीईएसी' कहा गया है)" से इसे निर्दिष्ट परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए और समुचित सिफारिशें करने के लिए मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति अभिप्रेत है;
- (58) "संघ राज्य क्षेत्र स्तर की पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात 'यूटीईआईएए' कहा गया है)" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन मंत्रालय द्वारा गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (59) "संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'यूटीपीसीसी' कहा गया है)" से जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है; और
- (60) "उल्लंघन" से ऐसे मामले अभिप्रेत हैं जिनमें परियोजनाओं ने यथा स्थिति पूर्व-ईसी या पूर्व-ईपी अभिप्राप्त किए बिना पूर्व-ईसी में विनिर्दिष्ट सीमा से परे स्थल पर या तो संनिर्माण कार्य या संस्थापन या उत्खनन जो भी पहले हो, आरंभ कर दिया है या उत्पादन और/या परियोजन, क्षेत्र का विस्तार किया है।

4. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति या पूर्व पर्यावरणीय अनुज्ञा की अपेक्षा :

- (1) प्रवर्ग 'क' प्रवर्ग 'ख1' और 'ख2' के अधीन अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण सहित नई परियोजनाएं या क्रियाकलापों में जिन्हें अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन

समिति के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है, स्थल पर किसी संनिर्माण कार्य या संस्थापना या स्थापना या उत्खनन, जो भी पहले हो, के प्रारंभ से पूर्व, या पूर्व में स्वीकृत, यथास्थिति, पूर्व ईसी या पूर्व ईपी में विनिर्दिष्ट सीमा से परे उत्पादन और / या परियोजना क्षेत्र विस्तार करने से पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी।

- (2) ख2 प्रवर्ग के अधीन अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण सहित नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों में जिन्हें अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है, स्थल पर किसी संनिर्माण कार्य या संस्थापन या स्थापना या उत्खनन, जो भी पहले हो, के आरंभ से पूर्व, या पूर्व में स्वीकृत, यथास्थिति पूर्व-ईसी या पूर्व ईपी में विनिर्दिष्ट सीमा से परे उत्पादन और / या परियोजना क्षेत्र का विस्तार करने से पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा अपेक्षित होगी।
- (3) तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना में प्रयोजन के लिए 'संनिर्माण कार्य' में बाड़ लगाकर भूमि सुरक्षित करना या घेरा दीवार, सुरक्षा गारद(दों) के लिए अस्थायी शेड, किसी वृक्ष की कटाई किए बिना भूमि समतल किया जाना, भूमि के लिए अपेक्षित भू-तकनीकी अन्वेषण, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं है।

5. परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :-

- (1) अनुसूची में सूचीबद्ध सभी परियोजनाएं तीन प्रवर्गों अर्थात् प्रवर्ग 'क', प्रवर्ग 'ख1' और प्रवर्ग 'ख2' में विभाजित है जो संभाव्य सामाजिक और पर्यावरणीय संघात तथा इन संघातों के स्थानिक विस्तार पर आधारित है।
- (2) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के अधीन सभी परियोजनाओं में, जिनमें विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण भी शामिल है, मंत्रालय से पूर्व ईसी अपेक्षित होगा।
3. अनुसूची में प्रवर्ग 'ख1' के अधीन सभी परियोजनाओं में, जिनमें विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण भी शामिल है, किन्तु इनके अन्तर्गत वे परियोजनाएं नहीं है जो इस अधिसूचना के खंड 3 के उपखंड (30) के अधीन परिभाषित साधारण शर्तों को पूरा करती है, यथास्थिति, एसईआईए या यूटीईआईए से पूर्व ईसी अपेक्षित होगा।
- (4) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख1' के अधीन सभी परियोजनाओं में, जिनमें विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण भी शामिल हैं, और जो इस अधिसूचना के खंड (30) के अधीन परिभाषित साधारण शर्तों को पूरा करती हैं, परियोजना के प्रवर्ग में कोई परिवर्तन किए बिना मंत्रालय से पूर्व - ईसी अपेक्षित होगा।
- (5) प्रवर्ग 'ख2' के अधीन सभी परियोजनाओं में, जिन्हें अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है, यथास्थिति एसईआईए या यूटीईआईए से पूर्व ईसी अपेक्षित होगा।
- (6) प्रवर्ग 'ख2' के अधीन सभी अन्य परियोजनाओं (उपरोक्त उपखंड (5) के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाएं) में, यथास्थिति, एसईआईए या यूटीईआईए से पूर्व ईपी अपेक्षित होगा। ये परियोजनाएं मूल्यांकन समिति के समक्ष रखी जाएंगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-अवधारित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंध रखने वाली या अन्य रणनीतिक महत्वों को अन्तर्वलित करने वाली परियोजनाओं में, परियोजना के प्रवर्ग में किसी परिवर्तन के बिना मंत्रालय से, यथास्थिति, पूर्व ईसी या पूर्व ईपी अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाओं से संबंधित कोई जानकारी सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं रखी जाएगी।

6. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी)

- (1) ईएसी निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले विशेषज्ञों से ही मिलकर बनेगी :-

(क) **अर्हता:** व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या वाणिज्य या कला या विधि या कारोबार प्रशासन या कृषि या उद्यान कृषि या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या

प्रौद्योगिकी या इंजीनियरी या वास्तुविद में स्नातक डिग्री या वृतिक प्रमाणन (सी.ए., सी.एस. और सी.एम.ए.) होनी चाहिए।

- (ख) **आयु:** मूल्यांकन समिति के लिए नाम निर्देशन की तारीख को 70 वर्ष से कम आयु का हो।
- (ग) **अनुभव:** नीचे दिए सुसंगत क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव रखता हो।
- (i) **पर्यावरण गुणवत्ता :** पर्यावरण गुणवत्ता से संबंधित डाटा के मापन, मानीटरी, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ;
 - (ii) **सेक्टरीय परियोजना प्रबंधन :** सेक्टरों अर्थात् खनन, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परमाणु उर्जा, प्राथमिक प्रसंस्करण, सामग्री उत्पादन, सामग्री प्रसंस्करण विनिर्माण, फेब्रीकेशन, भौतिक अवसरचना जिसमें पर्यावरण सेवाएं भी हैं, में परियोजना प्रबंध या प्रसंस्करण या संक्रियाओं या सुविधाओं के प्रबंध में विशेषज्ञ;
 - (iii) **पर्यावरण संघात निर्धारण प्रक्रिया:** ईआईए को संचालित करने तथा क्रियान्वित करने और ईएमपी तैयार करने और अन्य प्रबंध योजनाओं में विशेषज्ञ तथा जो ईआईए प्रक्रिया में प्रयुक्त भविष्य सूचक तकनीकों और यन्त्रों की विशेषज्ञता तथा जानकारी रखते हैं;
 - (iv) जोखिम निर्धारण या व्यावसायिक स्वस्थ्य;
 - (v) जीव विज्ञान (वनस्पति और जीव जन्तु संबंधी प्रबंधन) या वानिकी या वन्य जीव या समुद्रीय विज्ञान;
 - (vi) पर्यावरण अर्थशास्त्र जिसके साथ परियोजना मूल्यांकन का अनुभव रखता हो;
 - (vii) प्रदूषण निवारण या न्यूनीकरण या पर्यावरणीय विज्ञान;
 - (viii) लोक प्रशासन या प्रबंध जिसके अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक सेक्टर और पर्यावरण विषय भी हैं;
 - (ix) पर्यावरण विधि, और
 - (x) सामाजिक संघात निर्धारण या पुनर्वास और पुनर्स्थापन
- (2) ईएसी की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) ईएसी की संख्या पन्द्रह नियमित सदस्यों जिनमें अध्यक्ष और सचिव भी हैं, से अधिक नहीं होगी। तथापि, अध्यक्ष समिति की विशिष्ट बैठक के लिए सुसंगत क्षेत्र में सदस्य (यों) के रूप में विशेषज्ञ (जों) को सहयोजित कर सकेगा।
- (4) अध्यक्ष या सभापति ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो पर्यावरण नीति संबंधी विषयों में, प्रबंधन में या विभिन्न विकासात्मक सेक्टरों से संबंधित लोक प्रशासन में अनुभव रखता हो।
- (5) अध्यक्ष या सभापति सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष या उप सभापति नाम निर्देशित करेगा जो अध्यक्ष या सभापति की अनुपस्थिति में ईएसी की अध्यक्षता करेगा।
- (6) सदस्य जिसमें अध्यक्ष या सभापति भी है, की अधिकतम पदावधि मूल्यांकन समिति या प्राधिकरण में से किसी एक समिति या प्राधिकरण में तीन वर्ष या उसके भाग की दो पदावधियों के लिए होगा; अध्यक्ष या सभापति और सदस्य इस अधिसूचना के अधीन गठित एक से अधिक प्राधिकरण या समिति में साथ-साथ कार्य नहीं करेंगे।
- (7) अध्यक्ष या सभापति और सदस्यों के कार्यकाल को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कारण के बिना और मंत्रालय द्वारा संचालित उचित जांच के बिना मनमाने ढंग से कम नहीं किया जा सकेगा।
- (8) एक से अधिक विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों का जैसा मंत्रालय द्वारा ठीक समझा जाए, गठन किया सकेगा।
- (9) संबंधित ईएसी के प्रधिकृत सदस्य ऐसी परियोजना से संबंधित किसी स्थल का निरीक्षण कर सकेंगे जिसके संबंध में विस्तारण या मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पूर्व पर्यावरणी अनापत्ति मांगी गई हो और परियोजना

प्रस्तावक को कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना दी गई हो, जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सहयोग की व्यवस्था करेगा।

- (10) ईएसी सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धान्त पर कार्य करेगी। अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति बनाने का भरसक प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा। परन्तु यदि विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है, पक्ष और विपक्ष में, अभिमतों के व्यौरों कार्यवृत्त में अभिलिखित किए जाएंगे
 - (11) निदेशक या वैज्ञानिक 'ई' या समतुल्य की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का मंत्रालय का प्रतिनिधि समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।
 - (12) ईएसी प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
 - (13) मंत्रालय, समय समय पर ईएसी के गठन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जारी करेगा।
7. **राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण**
- (1) एसईआईए या यूटीईआईए तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसमें अध्यक्ष या सभापति और सदस्य सचिव होंगे। सदस्य सचिव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन का ऐसा सेवारत अधिकारी होगा जो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति का नहीं होगा। सदस्य सचिव से प्रत्याशा की जाती है कि वह पर्यावरण विधियों से सुपरिचित हो।
 - (2) एसईआईए या यूटीईआईए का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा। तथापि, और जब कभी आवश्यक और समीचीन समझे, मंत्रालय विद्यमान प्राधिकरण के कार्यकाल को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।
 - (3) अध्यक्ष या सभापति ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो पर्यावरण नीति संबद्ध विषयों में, प्रबंध में, विभिन्न विकासात्मक सेक्टरों से संबंधित लोक प्रशासन में अनुभव रखता हो। अर्हता; आयु और अनुभव इस अधिसूचना के खंड 6 के उपखंड (1) में दिए गए मानदंड के अनुसार होगा।
 - (4) गैर सरकारी सदस्य जिसमें अध्यक्ष या सभापति भी है, का अधिकतम कार्यकाल मूल्यांकन समिति या प्राधिकरण में किसी एक समिति या प्राधिकरण में तीन वर्ष या उसके भाग की दो पदावधियों के लिए होगा, अध्यक्ष या सभापति और सदस्य इस सूचना के अधीन एक से अधिक गठित प्राधिकरण या समिति में साथ-साथ कार्य नहीं करेगा।
 - (5) अध्यक्ष या सभापति और सदस्यों के कार्यकाल को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कारण के बिना और संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संचालित उचित जांच के बिना मनमाने ढंग से कम नहीं किया जा सकेगा।
 - (6) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सदस्यों और अध्यक्ष के नाम विद्यमान प्राधिकरण के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम पैंतालीस दिन पूर्व मंत्रालय को भेजेगा और मंत्रालय विद्यमान प्राधिकरण के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईए या यूटीईआईए का एक प्राधिकरण के रूप में गठन करेगा।
 - (7) यदि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विद्यमान प्राधिकरण के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पैंतालीस दिन पहले मंत्रालय को सदस्यों तथा अध्यक्ष के नाम भेजने में असफल रहता है, तो मंत्रालय, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईए या यूटीईआईए का राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्दिष्ट किए बिना, एक प्राधिकरण के रूप में गठन करेगा।
 - (8) एसईआईए या यूटीईआईए के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और सामान्य रूप से सर्वसम्मत होंगे। परन्तु यदि विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है, पक्ष और विपक्ष में अभिमतों के व्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति मंत्रालय को भेजी जाएगी।
 - (9) एसईआईए या यूटीईआईए प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

8. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

- (1) एसईएसी या यूटीईएसी या डीईएसी के अध्यक्ष या सभापति या सदस्यों की अर्हता, आयु और अनुभव इस अधिसूचना के खंड 6 के उपखंड (1) में दिए गए मानदंड के अनुसार होगी।
- (2) एसईएसी या यूटीईएसी या डीईएसी के अन्य मानदंड और कृत्य इस अधिसूचना के खंड 6 के उपखंड (2) से उपखंड (10) तक में दिए गए मानदंड के अनुसार होंगे।
- (3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का एक प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति का न हो, एसईएसी या यूटीईएसी के मामले में, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का कोई अधिकारी डीईएसी के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (5) डीईएसी का पुनर्गठन जिला प्रशासन या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भेजे गए नामों के आधार पर एसईआईएए या यूटीईआईएए द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात किया जाएगा।
- (6) एसईएसी या यूटीईएसी का पुनर्गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात किया जाएगा। जब कभी आवश्यक और समीचीन समझा जाए, मंत्रालय तीन मास से अधिक की अवधि के लिए विद्यमान समिति के कार्यकाल को बढ़ा सकेगा।
- (7) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विद्यमान एसईएसी या यूटीईएसी के कार्यकाल के समाप्ति से कम से कम 45 दिन पहले सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम मंत्रालय को भेजेगा और मंत्रालय, विद्यमान समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईएसी या यूटीईएसी का गठन करेगा।
- (8) यदि राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विद्यमान एसईएसी या यूटीईएसी के कार्यकाल के समाप्ति से कम से कम 45 दिन पूर्व सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम मंत्रालय को नहीं भेजता है तो मंत्रालय, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्दिष्ट किए बिना, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन समिति के रूप में एसईएसी या यूटीईएसी का गठन करेगा।
- (9) यदि जिला प्रशासन या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, विद्यमान डीईएसी के कार्यकाल के समाप्ति से 45 दिन पूर्व डीईएसी के सदस्यों और अध्यक्ष के नाम यथास्थिति एसईआईएए या यूटीईआईएए को नहीं भेजता है तो यथास्थिति, एसईआईएए या यूटीईआईएए, जिला प्रशासन या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निर्दिष्ट किए बिना, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन समिति के रूप में डीईएसी का गठन करेगा।
- (10) इसके अतिरिक्त, यदि यथास्थिति, संबंधित एसईआईएए या यूटीईआईएए, समय-समय पर मंत्रालय द्वारा अधिसूचित समयावधि के भीतर डीईएसी का गठन करने में असफल रहता है तो मंत्रालय ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी सुसंगत डीईएसी जो वह ठीक समझे का गठन उतनी अवधि (कम से कम छह मास) के लिए करेगा। जब तक यथास्थिति, संबंधित एसईआईएए या यूटीईआईएए संबंधित एसईईसी का गठन नहीं कर देता है।
- (11) मंत्रालय, प्रशासनिक सुविधा के कारणों और प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक से अधिक एसईएसी या यूटीईएसी का गठन कर सकेगा।
- (12) एसईएसी या यूटीईएसी प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

9. तकनीकी विशेषज्ञ समिति :-

- (1) तकनीकी विशेषज्ञ समिति, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाएगी जो अधिकतम 10 सदस्यों, जिनमें अध्यक्ष सभापति और सदस्य सचिव भी हैं, से मिलकर बनेगी।

- (2) तकनीकी विशेषज्ञ समिति वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर परियोजना का प्रवर्गीकरण या पुनःप्रवर्गीकरण, जिसमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण, समय-समय पर मंत्रालय द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजनों समिति को समनुदेशित अन्य कार्य भी हैं, आरंभ करेगी।
- (3) समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
- (4) तकनीकी विशेषज्ञ समिति के प्राधिकृत सदस्य, मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्तावक को कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देकर, परियोजना में अन्तर्वलित पर्यावरण संघात का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए किसी परियोजना या क्रियाकलाप से संबंधित किसी स्थल का दौरा कर सकेंगे।

10. पूर्व पर्यावरण अनापत्ति या पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा प्रक्रिया में प्रक्रम:-

- (1) प्रवर्ग 'क' या प्रवर्ग 'ख1' की पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया अधिकतम छह प्रक्रमों से मिलकर बनेगी। तथापि, विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए ऐसी प्रक्रमों की अनुप्रयोज्यता इस अधिसूचना में दी गई है। आनुक्रमिक क्रम में छह प्रक्रम निम्नलिखित है :-

- प्रक्रम (1): विस्तारण;
- प्रक्रम (2): प्रारूप ईआईए रिपोर्ट तैयार करना;
- प्रक्रम (3): लोक परामर्श;
- प्रक्रम (4): अन्तिम ईआईए तैयार करना;
- प्रक्रम (5): मूल्यांकन; और
- प्रक्रम (6): पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति;

- (2) प्रवर्ग 'ख2' के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया जिसे अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाना है, अधिकतम तीन प्रक्रमों से मिलकर बनेगी। ये तीन प्रक्रम आनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित हैं:-

- प्रक्रम (1): ईएमपी रिपोर्ट तैयार करना;
- प्रक्रम (2): मूल्यांकन;
- प्रक्रम (3): पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति

- (3) प्रवर्ग 'ख2' के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया जिसे अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाना है, अधिकतम दो प्रक्रमों से मिलकर बनेगी। दो प्रक्रम आनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित हैं:

- प्रक्रम (1): ईएमपी रिपोर्ट तैयार करना;
- प्रक्रम (2): विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की संपूर्णता का सत्यापन; और
- प्रक्रम (3): पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा की स्वीकृति या अस्वीकृति

परन्तु ईएमपी तैयार करने वाला एसीओ और परियोजना प्रस्तावक ईएमपी की पर्याप्ता के लिए जिम्मेदार होंगे:

परन्तु यह और कि ईएमपी रिपोर्ट अभिलेख पर रख दी गई है और विनियामक प्राधिकरण के पास परियोजना के लिए अतिरिक्त उपाय विहित करने का अधिकार आरक्षित है।

11. यथा-स्थिति, पूर्व पर्यावरण अनापत्ति या पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा के लिए आवेदन की प्रक्रिया :-

- (1) अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना के लिए यथास्थिति, पूर्व - इसी या पूर्व ईपी की वांछा करने वाला परियोजना प्रस्तावक, प्रत्येक प्रक्रम के सामने उल्लिखित संबंधित प्ररूप (पों) में अधिसूचित आनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेगा। आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रक्रम/	प्ररूप	से अनूपरित	अनुप्रयोज्यता	विनियामक प्राधिकरण
----------	--------	------------	---------------	--------------------

प्रयोजन				
विस्तारण	प्ररूप 1	पूर्व साध्यता रिपोर्ट	प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख1' के अधीन सभी परियोजनाएं	मंत्रालय प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख1' (जिनको साधारण शर्तें लागू होती हैं) के अधीन परियोजनाओं के लिए और यथास्थिति एसईआईएए या यूटीईआईएए प्रवर्ग 'ख1' के अधीन परियोजनाओं के लिए जिनको साधारण शर्तें लागू नहीं होती हैं) और प्रवर्ग 'ख2'
लोक परामर्श	प्रेषित साधारण पत्र	(i) अंग्रेजी में तैयार की गयी प्रारूप ईआईए रिपोर्ट की कम से कम दस प्रतियां और एक साफ्ट (इलैक्ट्रॉनिक) प्रति (ii) अंग्रेजी में तथा राज्य या संघ की राजभाषा या प्रादेशिक भाषा में ईआईए रिपोर्ट के सार की कम से कम 10 हार्ड प्रतियां	इस अधिसूचना के खंड 14 के उपखंड (1) में दी गई सभी परियोजनाएं	संबंधित एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी का सदस्य सचिव
मूल्यांकन	प्ररूप 1	(i) प्ररूप-1 क और (ii) वैचारिक योजना	अनुसूची की मद 42 और मद 43 के अधीन स्तंभ (5) में उल्लिखित सभी परियोजनाएं	यथास्थिति, एस ईआईएए या यूटीईआईएए
	प्ररूप 1	(i) प्ररूप-1 ख2 (ii) ईएमपी (iii) अन्तिम अभिन्यास योजना (iv) खनन परियोजनाओं की दशा में साध्यता रिपोर्ट या खनन योजना (v) लघु खनिजों के खनन की दशा में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट; और (vi) क्लस्टर स्थिति की दशा में क्लस्टर प्रमाणपत्र	प्रवर्ग 'ख2' के अन्तर्गत आने वाली सभी परियोजनाएं	यथास्थिति एसईआईएए या यूटीईआईएए
	प्ररूप 2	(i) अन्तिम ईआईए रिपोर्ट; (ii) खनन परियोजनाओं की दशा में साध्यता रिपोर्ट या अनुमोदित खनन योजना की प्रति (iii) अन्तिम अभिन्यास योजना की	प्रवर्ग 'क' या प्रवर्ग 'ख2' के अंतर्गत आने वाली सभी परियोजनाएं	मंत्रालय : प्रवर्ग 'क' और 'ख1' (जिनको साधारण शर्तें लागू होती हैं) के अधीन परियोजनाओं के लिए; यथास्थिति,

	<p>प्रति</p> <p>(iv) लोक परामर्श कार्यवाहियां</p> <p>(v) लघु खनिजों के खनन की दशा में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट और</p> <p>(vi) कलस्टर स्थिति की दशा में कलस्टर प्रमाणपत्र, और</p> <p>(vii) विस्तारण या आधुनिकीकरण की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी यथास्थिति, पूर्वतर पूर्व ईसी या पूर्व - ईपी शर्तों का अनुपालन प्रमाणपत्र, और</p> <p>(viii) इस अधिसूचना के पैरा 17 के उप-पैरा (5) में यथा विनिर्दिष्ट अन्य पूर्व अपेक्षाएं</p>	<p>एसईआईएए या यूटीआईएए प्रवर्ग 'ख1' के लिए (जिनको साधारण शर्तें लागू नहीं होती हैं) और प्रवर्ग 'ख2' के अधीन परियोजनाओं के लिए।</p>
--	--	--

(2) यथास्थिति, पूर्व ईसी या पूर्व ईपी की बाबत प्रक्रिया का स्कीम संबंधी निरूपण परिशिष्ट - 14 में दिया गया है।

12. विस्तारण

- (1) अनुसूची के प्रवर्ग "ख2" के अधीन सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं में विस्तारण अपेक्षित नहीं होगा।
- (2) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक तत्परता को सुकर बनाना जिसमें यथास्थिति, प्राथमिक या गौण आकड़ा संग्रहण भी हैं, टीओआर या पूर्व ईसी या पूर्व ईपी की मंजूरी के लिए आवेदन फाइल करने से पूर्व भी, मंत्रालय द्वारा समय - समय पर विकसित सेक्टरवार मानक टीओआर मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) मानक टीओआर, विनियामक प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन समिति को निर्दिष्ट किए बिना 7 कार्य दिवसों के अन्दर आवेदन की स्वीकृति पर आनलाइन पद्धति के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाओं को जारी किया जाएगा:
- (क) अनुसूची की मद 38 के सामने स्तंभ (3) और (4) की प्रविष्टि (i) और प्रविष्टि (ii) के अन्तर्गत आने वाले सीमा क्षेत्रों की सभी राजमार्ग परियोजनाएं;
- (ख) ऐसी सभी परियोजनाएं जिन्हें अधिसूचित औद्योगिक सम्पदाओं में अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है और जो ऐसी अधिसूचना में अनुज्ञात नहीं हैं;
- (ग) उन विद्यमान परियोजनाओं के सभी विस्तार संबंधी प्रस्ताव जिनको पूर्व में पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त हो गई है;
- (घ) अनुसूची की मद 42 एवं मद 43 के स्तंभ (4) की प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाली सभी भवन संनिर्माण और क्षेत्र विकास परियोजनाएं :

परन्तु मूल्यांकन समिति को परियोजना के लिए मानक टीओआर के जारी किए जाने के संबंध में सूचित किया जाएगा। मूल्यांकन समिति, मानक टीओआर के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट टीओआर की सिफारिश, यदि वह मानक टीओआर की जारी किए जाने से तीन दिन के भीतर इस परियोजना के लिए आवश्यक पाया जाए।

- (4) ऊपर उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट से भिन्न नई परियोजनाएं मानक टीओआर के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट टीओआर की सिफारिश करने के लिए, यदि आवश्यक पाया जाए, आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर विनियामक प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन समिति को निर्दिष्ट किए जाएंगे। यदि, विनियामक प्राधिकरण मामले को प्ररूप-1 में आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर मूल्यांकन समिति को निर्दिष्ट नहीं करता है तो सेक्टर विनिर्दिष्ट मानक टीओआर, विनियामक प्राधिकरण द्वारा तीसवें दिन आनलाइन जारी किया जाएगा।

- (5) टीओआर के लिए आवेदन मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किए जा सकेंगे। ऐसी अस्वीकृति की दशा में, ऐसी अस्वीकृति के कारणों सहित विनिश्चय आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर सम्यक वैयक्तिक सुनवाई के पश्चात लिखित में परियोजना प्रस्तावक को संसूचित किया जाएगा।
- (6) परियोजना प्रस्तावक, मूल्यांकन समिति द्वारा नियत किए गए सेक्टर विनिर्दिष्ट मानक टीओआर और विनिर्दिष्ट टी ओर आर, यदि कोई हो, पर आधारित ईआईए रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (7) संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी नदी घाटी परियोजनाओं के सिवाय परियोजनाओं के लिए सौंपे गए कृत्यों की विधिमान्यता इसके जारी किए जाने की तारीख से चार वर्ष के लिए होगी। नदी घाटी परियोजनाओं के मामले में, यह विधिमान्यता पांच वर्ष के लिए होगी।
- (8) ऐसी परियोजना के विस्तार में किसी परिवर्तन की दशा में, जिसके लिए विनियामक प्राधिकारी द्वारा टीओआर विहित किया गया है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा टीओआर की विधिमान्यता के भीतर और लोक परामर्श से पूर्व टीओआर में संशोधन के लिए आवेदन प्ररूप-3 में आनलाइन किया जाएगा। ऐसे सभी प्रस्ताव, यदि अपेक्षित हो, आवेदन की तारीख से तीन दिन के भीतर मूल्यांकन समिति को निर्दिष्ट किए जा सकेंगे। तथापि, संशोधित टीओआर की विधिमान्यता पूर्वतर टीओआर के जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी।
- (9) यदि, उसी भूमि या भागतः या पूर्णतः अन्य परियोजना (ओं) सहित अतिव्यापी भूमि के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होता है जिसके टीओआर या पूर्व ईसी या पूर्व ईपी किसी अन्य परियोजना को पहले ही जारी कर दिए गए हैं, ऐसी सभी मामलो को लंबित रखा जाएगा। विनियामक प्राधिकरण संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव को लिखित संसूचना भेजेगा और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सलाह के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

13. पर्यावरण संघात निधारण रिपोर्ट तैयार करना

- (1) आधार रेखा आकड़े समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी या सी पी सी वी द्वारा विहित सेक्टर विनिर्दिष्ट ईआईए मार्गदर्शी मैनुअलों में विनिर्दिष्ट नयाचारों के अनुसार संग्रहीत किए जाएंगे।
- (2) आधार रेखा आंकड़े, नदी घाटी परियोजनाओं से भिन्न सभी परियोजनाओं की बाबत ईआईए रिपोर्ट के लिए मानसून से भिन्न एक सीजन के लिए संग्रहीत किए जाएंगे। तथापि, मानसून सीजन के आधार रेखा आकड़े भी संग्रहीत किए जाने होंगे यदि टीओआर मंजूर करते समय मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसी अपेक्षा विहित की जाए।
- (3) आधार रेखा आंकड़े एक वर्ष के लिए संग्रहीत किए जाएंगे जिसके अन्तर्गत नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में ईआईए के लिए मानसून भी है।
- (4) आधार रेखा आंकड़ा के संग्रहण और विश्लेषण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सम्यकतः अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला के माध्यम से किया जाएगा।
- (5) उपलब्ध गौण आंकड़ों पर भी 12 समुद्री मील से परे प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आधार रेखा के रूप में विचार किया जाएगा।
- (6) ऊपर उपखंड (1) से उपखंड (5) में निर्दिष्ट आधार रेखा आंकड़े, विस्तारण के लिए आवेदन को ध्यान में न रखते हुए किसी भी प्रक्रम पर संग्रहीत किए जा सकते हैं। तथापि, लोक परामर्श के लिए एसपीसीबी या यूटीपीसीसी को प्ररूप ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय ऐसे आधार रेखा आंकड़े तीन वर्ष से ज्यादा पुराने न हों।
- (7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सम्यकतः अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला के माध्यम से संग्रहीत पश्च परियोजना मानीटरी आंकड़ो पर भी परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

- (8) ईआईए रिपोर्ट, ऐसे ए सी ओ के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिशिष्ट 10 में दी गई सामान्य संरचना के अनुसार तैयार की जाएगी जो विशिष्ट सेक्टर और उस सेक्टर के लिए परियोजना के प्रवर्ग के लिए प्रत्यायित है।
- (9) प्रारूप ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्श के प्रयोजन के लिए तथा मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए अन्तिम ईआईए रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- (10) पर्यावरण संघात निर्धारण में अन्तर्वलित ईआईए समन्वयक और कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ (ज्ञों) के साथ प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन का प्रकटन परिशिष्ट - 13 पर विनिर्दिष्ट रूप विधान में ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और वे परियोजना प्रस्तावक के अतिरिक्त उसमें दिए गए अंतर्वस्तुओं या आंकड़ों के लिए जवाबदेह होंगे।
- (11) कोई ईआईए रिपोर्ट प्रवर्ग 'ख2' के अधीन सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए अपेक्षित होगी। तथापि, परिशिष्ट - 11 पर दी गई सामान्य संरचना के अनुसार ईएमपी रिपोर्ट ए सी ओ के माध्यम से तैयार की जाएगी और आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

14. लोक परामर्श

- (1) लोक परामर्श के सामान्यतया निम्नलिखित से मिलकर बने दो संघटक होंगे:

- क. स्थल पर या इसके निकट सामीप्य में या एक से अधिक जिले में अवस्थित परियोजना क्षेत्र की दशा में जिलावार लोक सुनवाई स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों के मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए अधिसूचना में विहित रीति में की जाए ;
- ख. ऐसे अन्य संबंधित व्यक्तियों से, जो परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं में युक्तियुक्त पण रखते हैं, लिखित में प्रत्युत्तर आमंत्रित करना;
- ग. इसके अतिरिक्त, यदि अपेक्षित हो, परियोजना के आधार पर, मामला दर मामला आधार पर किसी अन्य समुचित ढंग के माध्यम से लोक परामर्श की सिफारिश मूल्यांकन समिति या विनियामक समिति द्वारा की जाए। तथापि, विनियामक प्राधिकरण इस अधिसूचना के खंड 5 के उपखंड (7) के अधीन विचार की जा रही रक्षा परियोजनाओं के मामले में लोक सुनवाई और/या परामर्श की साध्यता और अपेक्षा पर विनिश्चय कर सकेगा।

- (2) नई या विस्तार प्रस्तावों या आधुनिकीकरण की सभी प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता में वृद्धि है, लोक परामर्श करेगी:

परन्तु निम्नलिखित के लिए लोक परामर्श से छूट प्राप्त है:

- क. अनुसूची की मद 4 के अन्तर्गत आने वाली सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण ;
- ख. अधिसूचित औद्योगिक सम्पदाओं के भीतर अवस्थित अनुसूची की मद 10(च), 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40 के अन्तर्गत आने वाली सभी परियोजनाएं ;
- ग. अनुसूची की मद 42 और मद 43 के अन्तर्गत आने वाली सभी परियोजनाएं ;
- घ. सभी प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाएं और क्रियाकलाप ;
- ड. राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंध रखने वाली और अन्य रणनीतिक महत्व को अन्तर्वलित करने वाली परियोजनाएं जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करें ;
- च. सीमा क्षेत्रों में मद 31 और मद 38 के अधीन सभी रेखीय परियोजनाएं ;
- छ. 12 समुद्री मील से परे अवस्थित सभी अपतट परियोजनाएं ;

परन्तु यह और कि अनुसूची की मद 31 के अधीन सभी परियोजनाओं में, लोक परामर्श जिला (लों) तक सीमित होगा, जहां राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य या प्रवालभित्ति या पारिस्थिति की संवेदन क्षेत्र अवस्थित है

- (3) जहां लोक सुनवाई के माध्यम से लोक परामर्श अपेक्षित है, वहां परियोजना प्रस्तावक यथास्थिति, एस पी सी पी या यूटीपीसीसी के संबंधित सदस्य सचिव को जिसके अधिकार क्षेत्र में परियोजना अवस्थित है परिशिष्ट - 1 में दिए गए अनुसार विनिर्दिष्ट रूप विधान में अनुरोध पत्र के साथ अंग्रेजी में तैयार की गई प्रारूप ईआईए रिपोर्ट की कम से कम 10 हार्ड प्रतियां और एक साफ्ट (इलैक्ट्रॉनिक) प्रति और अंग्रेजी तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा या प्रादेशिक भाषा में ईआईए रिपोर्ट के सार की कम से कम 10 हार्ड प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (4) यदि परियोजना स्थल के अन्तर्गत एक जिले या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से अधिक जिले, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र आते हैं तो परियोजना प्रस्तावक, प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई आयोजित करने के लिए प्रत्येक संबंधित एस पी सी या यूटीपीसीसी को पृथक अनुरोध करेगा।
- (5) लोक परामर्श परिशिष्ट 1 पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार परियोजना को विनिर्दिष्ट करेगा।
- (6) लोक सुनवाई जिसके अन्तर्गत संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों का प्रस्तुत किया जाना भी है, परियोजना प्रस्तावक से अनुरोध पत्र के प्राप्ति की तारीख से चालीस कार्य दिवस की अवधि के भीतर संबंधित एस पी सी या यूटीपीसीसी द्वारा पूरा किया जाएगा।
- (7) यदि संबंधित एसपीसीबी या यूटीपीसीसी पूर्वोक्तानुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लोक सुनवाई आरंभ और पूरा नहीं करता है तो विनियामक प्राधिकरण, किसी अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण जो विनियामक प्राधिकरण के अधीनस्थ है, इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चालीस कार्य दिवसों की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, विनियोजित करेगा।
- (8) यदि उपरोक्त उपखंड (7) के अधीन नाम निर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है कि स्थानीय परिस्थिति के कारण, ऐसी रीति में लोक सुनवाई करना संभव नहीं है जो संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में समर्थ बनाएगा, यह संबंधित विनियामक प्राधिकरण को विस्तार से उन तथ्यों को रिपोर्ट करेगा जो रिपोर्ट और ऐसी अन्य विश्वसनीय जानकारी जो इसके पास हो के सम्यक विचारण के पश्चात् विनिश्चय कर सकेगा कि मामले में लोक परामर्श में लोक सुनवाई सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है।
- (9) परियोजना के पर्यावरण पहलुओं में युक्ति-युक्त पण रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए, संबंधित एसपीसीबी या यूटीपीसीसी, लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए लिखित अनुरोध की प्राप्ति के दस दिन के भीतर अपनी वेबसाइट पर विहित प्रारूप में आवेदन की प्रति के साथ आवेदक द्वारा तैयार सार ईआईए रिपोर्ट डालकर ऐसे संबंधित व्यक्तियों से प्रत्युत्तर आमंत्रित करेगा। गोपनीय सूचना जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार वाली गैर प्रकटनीय या विधिकतः विशेषाधिकार सूचना भी है, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्रोत वेबसाइट पर नहीं डाला जाएगा। संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का भी उपयोग कर सकेगा। तथापि, विनियामक प्राधिकरण, लोक सुनवाई की तारीख तक सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधिसूचित स्थान पर निरीक्षण के लिए प्रारूप ईआईए रिपोर्ट किसी भी संबंधित व्यक्ति से लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा। इस लोक परामर्श प्रक्रिया के भाग रूप में प्राप्त सभी प्रत्युत्तर शीघ्रतम उपलब्ध साधनों के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को अग्रेषित किए जाएंगे।
- (10) लोक परामर्श के पूरा हो जाने के पश्चात् लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की एक प्रति परियोजना प्रस्तावक को भी उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना प्रस्तावक इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त तात्विक सभी पर्यावरण समस्याओं का समाधान करेगा और प्रारूप ईआईए रिपोर्ट तथा ईएमपी में न्यूनीकरण योजना सहित समुचित परिवर्तन करेगा। इस प्रकार तैयार की गई अन्तिम ईआईए रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

15. मूल्यांकन :-

- (1) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की, इसके प्राप्त हो जाने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के अन्दर संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा परियोजना के लिए विहित सौंपे गए कृत्यों के प्रति निर्देश से कडाई से,

संवीक्षा की जाएगी। आवेदन में अपर्याप्त/ऑनलाइन संसूचित की जाएगी या संपूरित आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।

- (2) प्रवर्ग 'ख2' के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सिवाय, जब तक अनुसूची में मद के सामने विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित न हो, विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया प्रत्येक आवेदन मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा और इसका मूल्यांकन आवेदन स्वीकार करने के पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा। मूल्यांकन समिति की सिफारिशों, बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से, संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (3) प्रवर्ग 'ख2' के अन्तर्गत आने वाले विषयों के लिए प्रत्येक आवेदन जब तक जब अनुसूची में मद के सामने विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित न हो, विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन के स्वीकार किए जाने पर, आवेदन की तारीख से पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर उन परियोजनाओं को लागू मानक शर्तों को संलग्न करके ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पूर्व - ईपी जारी किया जाएगा।
- (4) मामलों का मूल्यांकन इस अधिसूचना के खंड 15 के उपखंड (2) के अनुसार किसी ऐसी कार्यवाही में पारदर्शी रीति में मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि (जो निदेशक बोर्ड में अधिकारी के स्तर से नीचे का न हो) के माध्यम से या वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक, समिति के समक्ष, मूल्यांकन के दौरान ईआईए रिपोर्ट को तैयार करने में अन्तर्वलित ईआईए समन्वयक और कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ(जों) की सहायता ले सकेगा। इस कार्यवाही के समाप्त हो जाने पर, मूल्यांकन समिति, विनियामक प्राधिकरण को, या तो नियत निबंधनों और शर्तों पर पूर्व - ईसी मंजूर करने के लिए या इसके लिए कारणों सहित पूर्व - ईसी के लिए आवेदन की नामंजूरी के लिए, प्रवर्गीय सिफारिशें करेगी।
- (5) यदि, पूर्व - ईसी की मंजूरी के लिए परियोजना की सिफारिश की जाती है, तब कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरण सुरक्षोपायों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करेगा। यदि सिफारिशें अस्वीकृत के लिए हैं तो उसके लिए कारणों को भी उल्लिखित किया जायेगा।
- (6) परियोजना प्रस्तावक को, प्रस्ताव पर विचार करने तथा बैठक की कार्यसूची के बारे में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन समिति की बैठक की नियत तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।
- (7) मूल्यांकन के समय, मूल्यांकन समिति के द्वारा नए अध्ययन की मांग तब तक नहीं की जाएगी जब तक मूल्यांकन समिति के ध्यान में नए तथ्य नहीं आते हैं और परियोजना प्रस्तावक से अतिरिक्त अध्ययन करने की मांग अपरिहार्य नहीं हो जाती है और इसे बैठक के कार्यवृत्त में स्पष्टतः दर्शाया जाएगा।
- (8) अनुसूची की मद 42 के स्तंभ (4) के अधीन ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जिनके पास हरित भवन निर्माण का अंतिम प्रमाण पत्र है, प्रस्ताव पर पूर्वता पर विचार किया जाएगा।
- (9) मंत्रालय समय-समय पर निर्गमित पर्यावरण उत्तरदायित्व के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करेगा जिनमें महत्वपूर्ण रूप से प्रदूषित क्षेत्रों, आदि में अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं, विस्तार परियोजनाओं, आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए स्लैब परिकल्पित हैं।
- (10) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव अन्तिम विनिश्चय के लिए मूल्यांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के प्रदर्शित किए जाने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर रखा जाएगा।
- (11) सक्षम प्राधिकारी, अन्य पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम विनिश्चय करेगा।

16. आधुनिकीकरण के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया:-

- (1) अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं की बाबत विद्यमान परिसरों या खान पट्टा क्षेत्रों के भीतर आधुनिकीकरण के लिए पूर्व - ईसी की मांग करने वाले सभी आवेदन इसमें नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार अपेक्षाओं के अध्यधीन होंगे।

स्लैब	आधुनिकीकरण के माध्यम से	ऑनलाइन पोर्टल के	विस्तारण की अपेक्षा	पुनरीक्षित ईआईए	पुनरीक्षित ईएमपी की	क्या मूल्यांकन	लोकपरामर्श की अपेक्षा
-------	-------------------------	------------------	---------------------	-----------------	---------------------	----------------	-----------------------

	उत्पादन क्षमता में आशयित वृद्धि	माध्यम से प्ररूप में आवेदन		रिपोर्ट की अपेक्षा	अपेक्षा	समिति को निर्दिष्ट किया गया	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बिना आधुनिकीकरण	प्ररूप-2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
II	10 प्रतिशत तक	प्ररूप-2	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं
III	10 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक	प्ररूप-2	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
IV	25 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक	प्ररूप-2	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
V	50 प्रतिशत से अधिक	प्ररूप-1	हां	हां	हां	हां	हां (खंड 14 के अनुसार)

(2) मैट्रिक्स के अनुसार, अपेक्षा इस खंड के अधीन छूट को अन्तर्वलित किए बिना परियोजना को जारी नवीनतम ईसी (जिसके 'विस्तार' प्रवर्ग के अधीन पूर्व - ईसी भी है) के प्रति निर्देश से उत्पादन क्षमता में संचयी वृद्धि को लागू होगी।

उदाहरणार्थ:- यदि पूर्व - ईसी 'x' यूनिटों की उत्पादन क्षमता के लिए जारी किया गया है तो आधुनिकीकरण के लिए पूर्व - ईसी की स्वीकृति के लिए आवेदन पर निम्नलिखित के अनुसार भिन्न - भिन्न स्लैबों के अधीन विचार किया जा सकता है।

पूर्व - ईसी (मान लीजिए 1/1/2016 को स्वीकृत किया गया)

उत्पादन क्षमता: x

क्रम.सं.	संचयी उत्पादन	तारीख	लागू स्लैब	प्रक्रम	कारण
1	x		1	--	क्षमता में वृद्धि के बिना आधुनिकीकरण
2	1.1X	1.12.2020	II	प्रथम आधुनिकीकरण	नया उत्पादन 1.1X है (X : उत्पादन स्तर जिसके लिए पूर्व - ईसी प्रदान किया गया है)
3	1.2X तक	1/06/2021	III	दूसरा आधुनिकीकरण	नया उत्पादन उस उत्पादन का 1.2 गुणा है जिसके लिए पूर्व - ईसी प्रदान किया गया था (X)। यह इस तथ्य के होते हुए भी है कि प्रस्तावित उत्पादन 1.1X का 10% से कम है (जो प्रथम आधुनिकीकरण में पूर्व में अनुमोदित किया गया था)

4	1.4X तक	1/06/2022	IV	तीसरा आधुनिकीकरण	नया उत्पादन उस उत्पादन का 1.4 गुणा है जिसके लिए पूर्व - ईसी प्रदान किया गया था (x)। यह इस तथ्य के होते हुए भी है कि प्रस्तावित उत्पादन 1.2x का 25% से कम है (जो दूसरे आधुनिकीकरण में पूर्व में अनुमोदित किया गया था)
---	---------	-----------	----	---------------------	--

- (3) तथापि, स्लैब (v) के निबन्धानुसार जारी पूर्व - ईसी 'विस्तार' प्रवर्ग के अधीन अनुदत्त किया गया समझा जाएगा।
- (4) उपरोक्त उपखंड (2) के उपबंध परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होंगे-
- (क) जो प्रवर्ग 'ख2' के अन्तर्गत आते हैं और आधुनिकीकरण के आधार पर प्रवर्ग 'ख1' या प्रवर्ग 'क' में संपरिवर्तित होते हैं; और
- (ख) उस परियोजना, जिनके लिए लोक सुनवाई ईआईए अधिसूचना(ओं) के अनुसार लागू थी, के आजीवन के दौरान लोक सुनवाई संचालित नहीं की गई थी;
- (5) उत्पादन क्षमता में वृद्धि या पूर्व में अनुदत्त पूर्व - ईसी के संबंध में 10 प्रतिशत तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बिना आशयित प्रस्तावों के लिए, पूर्व - ईसी के लिए सभी आवेदन, विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की स्वीकृति पर जारी किए जाएंगे।
- (6) पूर्वतर स्वीकृत पूर्वक-ईसी के संबंध में 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए आशयित प्रस्तावों के लिए पूर्व - ईसी के लिए सभी आवेदनों पर आवेदन की तारीख से पैतालीस कार्य दिवसों, के भीतर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और तदनुसार पूर्व - ईसी को स्वीकृत करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।
- (7) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 या जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित तकनीकी समिति की सिफारिश पर एसपीसीबी या यूटीपीसीसी द्वारा जारी "प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं" प्रमाण पत्र पर भी ऊपर उपखंड (1) में दी गई सारणी के स्तंभ (5) और स्तंभ (6) के अधीन अपेक्षित ईआईएए वं ईएमपी के स्थान पर विचार किया जाएगा।

17. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति:-

- (1) विनियामक प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और नीचे दिए गए के सिवाय मूल्यांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के बारे में तीस कार्य दिवसों के अन्दर या अपेक्षित दस्तावेजों सहित संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति के नब्बे कार्य दिवसों के अन्दर परियोजना प्रस्तावक को अपने विनिश्चय को सूचित करेगा।
- (2) विनियामक प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार करेगा। उन मामलों में, जहां प्राधिकरण मूल्यांकन समिति की सिफारिशों से असहमत होता है वहां विनियामक प्राधिकरण, असहमति के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए मूल्यांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के पैतालीस कार्य दिवसों के अन्दर मूल्यांकन समिति द्वारा पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करेगा। इस विनिश्चय का सूचना ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदक को साथ-साथ सूचित की जाएगी। मूल्यांकन समिति, बाद में, विनियामक प्राधिकारी के संप्रेक्षणों पर विचार करेगी और पैतालीस कार्य दिवसों की अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकन समिति के विचारों पर विचार करने के पश्चात् विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा। यह विनिश्चय संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अगले तीस दिन कार्य दिवसों के अन्दर संबंधित प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाएगा।
- (3) उस दशा में जब विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय उपरोक्त उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को संसूचित नहीं किया जाता है। तब आवेदक ऐसे अग्रसर होगा मानो मांगा गया पूर्व - ईसी मूल्यांकन समिति

- की अन्तिम सिफारिशों के निबंधानुसार विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो गया हो या अस्वीकृत किया गया हो।
- (4) उपरोक्त उपखंड (2) के अधीन विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त हो जाने पर, विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय तथा मूल्यांकन समिति की सिफारिशें लोक दस्तावेज होंगे।
- (5) अन्य विनियामक निकायों या प्राधिकरणों से अनापत्तियों यथास्थिति पूर्व - ईसी या विस्तारण या मूल्यांकन या संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए विनियामक से पहले अपेक्षित नहीं होगी, सिवाय निम्नलिखित के :-
- (क) खनन परियोजनाओं की दशा में सक्षम प्राधिकारी से खनन योजना का अनुमोदन।
- (ख) परियोजना में अन्तर्वलित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम सं.6) के अधीन वनभूमि के विपथन का सिद्धान्त रूप से अनुमोदन।
- (ग) सीआरजेड या आईसीआरजेड क्षेत्र में अवस्थित परियोजना की दशा में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र तटीय प्रबंध प्राधिकरण की सिफारिशें; और
- (घ) जब पूर्व - ईसी के लिए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भूमिका का पूर्ण अर्जन पूर्व अपेक्षा नहीं हो सकेगी। सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना स्थल(लों) के संबंध में भूमि की दशा समय-समय पर यथा-संशोधित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 30) के उपबंधों के अनुसार भूमि के अर्जन के बारे में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी आरंभिक अधिसूचना की प्रति अपेक्षित होगी। भू-स्वामियों के साथ निजी बातचीत के माध्यम से अर्जित की जा रही भूमि की दशा में प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि का विक्रय करने के लिए भू स्वामी का आशय दर्शाने वाला विश्वसनीय दस्तावेज अपेक्षित होगा। खनन परियोजनाओं की दशा में, 'आशय पत्र' को विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में माना जायेगा।
- (6) परियोजना प्रस्तावक या एसीओ या ईआईए समन्वयक का कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ, जो ईआईए रिपोर्ट तैयार करने में अन्तर्वलित हैं, द्वारा ऐसा मिथ्या या गलत या भ्रामक सूचना या डाटा को छिपाना और या उसे पेश किया जाना, विस्तारण या मूल्यांकन या आवेदन जिसमें ईआईए या ईएमपी रिपोर्ट भी है, पर विनिश्चय के लिए सारवान है, आवेदन को रद्द किए जाने का दायी होगा और यथा-स्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी का रद्दकरण उस आधार पर स्वीकृत किया जायेगा ऐसे आधार पर, यथा-स्थिति पहले ही आवेदन को नामंजूरी या पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी का रद्दकरण पर, परियोजना प्रस्तावक को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करके; विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।
- (7) ईआईए रिपोर्ट को तैयार करने में अन्तर्वलित परियोजना प्रस्तावक या एसीओ या ईआईए समन्वयक या कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा दी गई मिथ्या या गलत या भ्रामक सूचना या डाटा के संज्ञान पर, मंत्रालय समुचित कार्रवाई करेगा जिसमें संगठन को या जिम्मेदार व्यक्ति को काली सूची में डालना भी है।
- (8) जहां परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत सरकार द्वारा मंजूर किया कोई पट्टा या अनुज्ञापित या अधिकार या अनुज्ञा या प्राधिकार या तो किसी विधिक कार्यवाहियों में या विधि के अनुसार सरकार द्वारा रद्द कर दिया जाता है और उस परियोजना के संबंध में उक्त पट्टा या अनुज्ञप्ति या अधिकार या अनुज्ञा या प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति या सफल बोली दाता को मंजूर किया जाता है तब निम्नलिखित की दशा में:-
- (क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्वोक्त विषय पर विनिर्दिष्ट अधिनियमित ऐसी विधि के उपबंध लागू होंगे; और
- (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पूर्वोक्त विषय पर कोई विनिर्दिष्ट अधिनियम नहीं; परियोजना आरंभ करने के लिए हकदार विधिक व्यक्ति या विधि के अनुसार सरकार द्वारा चयनित सफल बोलीदाता पूर्व - ईसी की मंजूरी के लिए, इस अधिसूचना के परिशिष्ट-6 में दी गई प्ररूप-6 में आवेदन करेगा। ऐसे सभी आवेदन विद्यमान ईआईए रिपोर्ट और पूर्व में मंजूर किए गए पूर्व - ईसी पर विचार करते हुए मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। मूल्यांकन समिति, उसी वैधता अवधि के अधीन रहते हुए पूर्व - ईसी की मंजूरी के लिए उन्ही

निबंधनो और शर्तों की सिफारिश कर सकेगी जिन्हे शुरू में मंजूर किया गया था। तथापि, मूल्यांकन समिति, ऐसी परियोजनाओं के लिए मामला विनिर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों को, जो वह आवश्यक समझे, नियत कर सकेगी।

18. पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी में संशोधन :-

- (1) परियोजना प्रस्तावक, यथा-स्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी के निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बारे में अभिहित पोर्टल पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्ररूप-4 में ऑनलाइन आवेदन करेगा।
- (2) पूर्व - ईसी में संशोधन के लिए सभी आवेदनों पर आवेदन की तारीख से पैतालीस कार्य दिवसों के भीतर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और पूर्व - ईसी में संशोधन की सिफारिश के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।
- (3) पूर्व - ईपी में संशोधन के लिए सभी आवेदनों पर आवेदन की तारीख से बीस कार्य दिवसों के भीतर विनियामक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और तदनुसार पूर्व - ईपी में अनुमोदित संशोधन जारी किये जाएंगे।
- (4) लोक परामर्श करने के या पूर्व - ईसी की मंजूरी के पश्चात् परियोजना स्थल अवस्थान में कोई बदलाव नया प्रस्ताव समझा जाएगा और उसका विहित प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से, तब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जब तक मूल्यांकन समिति का यह समाधान नहीं हो जाता कि बदलाव इतना छोटा है कि ईआईए रिपोर्ट में कोई अन्तर नहीं पडता। मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर, विनियामक प्राधिकरण, पूर्व - ईसी में संशोधन जारी करेगा।
- (5) जब तक उच्चतम उत्पादन क्षमता, खनन पट्टा क्षेत्र, खान बंद करने की शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं, और परियोजना प्रस्तावक द्वारा लागू की गई है, तब तक न्यूनीकरण उपायों की प्रकृति और विस्तार, मंजूर किए गए पूर्व - ईसी में प्रतिबद्ध किए गए अनुसार, उस समय बिन्दु पर किए जा रहे उत्खनन की मात्रा के तदनुसार लागू है, परियोजना प्रस्तावक पूर्व - ईसी में अनुज्ञात उच्चतम उत्पादन के अधिकतम तक उत्पादन कर सकता है और खनन की संक्रियाओं के अनुक्रम में परिवर्तन भी अनुज्ञात किया जाता है। तथापि, परियोजना प्रस्तावक, अनुसूचित उत्पादन और/या आवधिक रिपोर्ट में तदनुसार न्यूनीकरण उपायों सहित संक्रियाओं के अनुक्रम में ऐसे परिवर्तन की रिपोर्ट करेगा। इसके अतिरिक्त असफलता उत्पादन की मात्रा के तदनुसार आंशिक न्यूनीकरण उपाय है या जो संक्रिया के अनुक्रम में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित है, जिस पर परियोजना प्रस्तावक की ओर से "अनुपालन" के रूप में विचार किया जाएगा जो अपेक्षित कार्रवाई के लिए दायी होगा।
- (6) अन्य परियोजनाओं के मामले में, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी में कोई संशोधन उस समग्र स्वीकृत क्षमता में, जिसके लिए यथास्थिति पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी मंजूर किया गया है, परिवर्तन के बिना यूनिटों या उपस्कर या मशीनरी की समाकृति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित है।
- (7) सिंचाई प्रौद्योगिकी में ऐसा परिवर्तन जिसका परिणाम पर्यावरण फायदे (उदाहरणार्थ. फव्वारे से सिंचाई आदि के लिए बाढ़ सिंचाई) के कारण संवर्धनीय कमान क्षेत्र में वृद्धि होती है किन्तु बांध की उंचाई और जलमग्न में वृद्धि के बिना यथा-स्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

19. पूर्व पर्यावरण अनापत्ति या पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा की विधिमान्यता :-

- (1) यथा-स्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की अवधि की विधिमान्यता में परियोजना के तीन चरण अन्तर्वलित होंगे:-
 - (क) संनिर्माण या संस्थापन चरण;
 - (ख) संक्रियात्मक चरण; और
 - (ग) व्यतिरिक्तता या समापन या विखंडन चरण
- I. **संनिर्माण या संस्थापन चरण:** संनिर्माण या संस्थापन चरण से विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित के लिए, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की मंजूरी की तारीख से अवधि अभिप्रेत है;
 - (क) संनिर्माण परियोजना (अनुसूची की मद 42 और मद 43) संनिर्माण परियोजनाओं की दशा में उन सभी संनिर्माण क्रियाकलापों का समापन जिनका, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी के लिए आवेदन से संबंध है, और/या

(ख) संयंत्र और मशीनरी के संस्थापन का समापन जिसमें सभी अन्य मामलों (अनुसूची की मद 1, मद 42 और मद 43 से भिन्न) में उत्पादन संक्रियाएं का प्रारंभ भी है जिनको, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी के लिए आवेदन से संबंध है;

(ग) मूल्यांकन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना अवधि अधिकतम पचास वर्ष या खनन पट्टे की विधिमान्यता की अवधि तक, इनमें से जो भी पहले हो, के अध्यक्षीन है।

संनिर्माण और / या संस्थापन चरण के लिए पूर्व - ईसी की विधिमान्यता की अवधि निम्नलिखित होगी:-

(घ) **खनन परियोजनाएं** : मूल्यांकन समिति द्वारा यथा-प्राक्कलित परियोजना अवधि अधिकतम पचास वर्ष के अध्यक्षीन या खनन पट्टे की विधिमान्यता की अवधि तक, जो भी पहले हो यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की मंजूरी की तारीख से दस वर्ष के भीतर खनन क्रियाकलापों के प्रारंभ के अध्यक्षीन;

(ङ) **नदी घाटी परियोजनाएं (अनुसूची की मद 3) या सिंचाई परियोजनाएं (अनुसूची की मद 4) या परमाणु शक्ति परियोजनाएं और परमाणु ईंधन का प्रसंस्करण (अनुसूची की मद 6) ; पन्द्रह वर्ष;**

(च) **सभी अन्य परियोजनाएं** : 10 वर्ष परंतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष कंपनियों की दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि या किसी अन्य अधिकरण या न्यायालय द्वारा परियोजना के संनिर्माण और/या संस्थापन पर प्रतिषेध है या पाबंदी की अवधि या किसी अन्य प्राधिकरण के अधिरोपित विलंबन काल, तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन ऊपर विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की विधिमान्यता की अवधि को संगणना के लिए अपवर्जित की जाएगी।

II. **संक्रियात्मक चरण** :- संक्रियात्मक चरण की विधिमान्यता व्यपगत हो जाएगी यदि, यथास्थिति, संनिर्माण और/या संस्थापन इस अधिसूचना के खंड (19) के उपखंड (2) और उपखंड (3) के अनुसार तत्स्थानी विधिमान्यता के भीतर पूरा नहीं किया जाता है। इस अधिसूचना के खंड (19) के उपखंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खनन के सिवाय, परियोजनाओं के संक्रियात्मक चरण के लिए, यथास्थिति पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की विधिमान्यता -

(क) परियोजना की शेष अवधि के लिए शाश्वत होगी

(ख) संपूरित परियोजना तक सीमित होगी या स्पष्ट किया जाता है कि केवल परियोजना का संपूरित भाग परियोजना की शेष अवधि के लिए शाश्वत के रूप में वहां माना जाएगा जहां परियोजना उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर आंशिक रूप से कार्यान्वित की जाती है

(2) क्षेत्र विकास परियोजनाओं के मामले में यथास्थिति पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की विधिमान्यता ऐसे क्रियाकलापों तक ही सीमित होगी, जो विकासकर्ता के रूप में परियोजना प्रस्तावक की जिम्मेदारी हो सकेगी।

(3) ऐसी खनन परियोजनाओं के मामले में, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी में मंजूर की गई क्षमता से कम कार्य किया है और मूल्यांकन समिति द्वारा यथा-स्थिति प्राक्कलित परियोजना अवधि के अंदर आरक्षितियां समाप्त नहीं हुई हैं, पूर्व - ईसी की विधिमान्यता अवधि उसी उत्पादन क्षमता और खनन पट्टा क्षेत्र के लिए मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर बढ़ाई जा सकेगी जिसके लिए यथा स्थिति पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी मंजूर किया गया था। तथापि, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की विधिमान्यता खनन पट्टे की अवधि से अधिक की नहीं होगी

20. **परियोजना पञ्च पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की मानीटरी:**

(1) परियोजना प्रस्तावक कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, अपने ही खर्चे पर इस तथ्य को मुख्यतः विज्ञापित करवाएगा कि परियोजना को विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट के ब्यौरे के साथ, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी प्रदान कर दिया गया है, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की प्रति संप्रदर्शित की जाएगी। यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की प्रति भी कंपनी और सुसंगत परियोजना की वेबसाइट पर स्थायी रूप से संप्रदर्शित की जाएगी।

(2) विनियामक प्राधिकरण, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी अपने अभिहित पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में डालेगा

- (3) पूर्व - ईसी की प्रतियां अनापत्ति की मंजूरी के तीस दिन के भीतर निम्नलिखित प्राधिकारियों को परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो उसको बाद में प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर उसे संप्रदर्शित करनी है :
- (क) जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर/उपायुक्त(तों);
- (ख) जिला परिषद या नगर निगम या पंचायत संघ;
- (ग) जिला उद्योग कार्यालय;
- (घ) शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) / संबंधित पंचायती राज संस्थाएं/विकास प्राधिकरण;
- (ङ) मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय; और
- (च) एसपीसीबी या यूटीपीसीसी का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय।
- (4) परियोजना प्रस्तावक के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पूर्व वित्तीय वर्ष से संबंधित यथास्थिति पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी में नियत शर्तों की बाबत अनुपालन रिपोर्ट अभिहित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन 30 जून तक प्रस्तुत करें। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकारी को पूर्व - ईसी की मंजूरी की तारीख से परियोजना अवधि तक प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी तथापि, विनियामक प्राधिकरण, यदि आवश्यक समझे अधिक बारंबार अंतरालों पर ऐसी अनुपालन रिपोर्टों की मांग कर सकेगा।
- (5) सुसंगत वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष संबंधित यथास्थिति पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी में उल्लिखित शर्तों की बाबत वार्षिक अनुपालन रिपोर्टों को 30 जून तक प्रस्तुत करने में असफलता की दशा में, प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के मामले में 500/- रु. प्रतिदिन विलंब शुल्क; प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं के मामले में 1000/- रु. प्रतिदिन और प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के मामले में 2500/- रु. प्रतिदिन विलंब शुल्क उद्दाहित किया जाएगा। यदि यथा-स्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी में उल्लिखित शर्तों की बाबत अनुपालन रिपोर्टों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो निरंतर तीन वर्षों की अवधि के लिए शर्तें लागू रहेंगी, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी को इस संबंध में किसी सूचना के बिना वापस लिया गया समझा जाएगा
- (6) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सभी अनुपालन रिपोर्टों को संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (7) नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट, परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट पर भी संप्रदर्शित की जाएगी।
- (8) प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए पूर्व - ईसी की बाबत विहित शर्तों की अनुपालन मानटरी मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय या सीपीसीबी के प्रादेशिक निदेशालय द्वारा की जाएगी। मानीटरी रिपोर्ट, निरीक्षण को तारीख से पंद्रह दिन के भीतर अभिहित वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- (9) प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं के लिए पूर्व - ईसी और प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के लिए पूर्व - ईपी को बाबत विहित शर्तों के अनुपालन मानीटरी एसपीसीबी या यूटीपीसीसी द्वारा की जाएगी। मानीटरी रिपोर्ट निरीक्षण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- (10) उपरोक्त उपबंधों के होते हुए भी मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय, सीपीसीबी, एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के प्रादेशिक निदेशालय के माध्यम से मानीटरी के लिए मंत्रालय के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए, मंत्रालय, यादृच्छिक रीति में परियोजनाओं की यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की शर्तों की अनुपालन मानीटरी करने के लिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरकारी संस्थाओं को पैनलीकृत कर सकेगा
- (11) अनुपालन मानीटरी, अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन समिति द्वारा यथा मूल्यांकित ईआई रिपोर्ट में उपलब्ध आधार रेखा सूचना, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी के निबंधनों और शर्तों और साथ ही अन्य उपबंधों जो समय-समय पर मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए की जाएगी।
21. **पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी की स्थानांतरणीयता:**
- (1) किसी परियोजना प्रस्तावक को विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए मंजूरी किए गए यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी, अंतरण की तारीख एक वर्ष के भीतर प्ररूप 5 में अंतरक द्वारा या अंतरिति द्वारा आवेदन पर

परियोजना को आरंभ करने के लिए हकदार एक अन्य विधिक व्यक्ति को इसकी विधिमान्यता के दौरान अंतरक द्वारा लिखित अनापत्ति जो विनियामक प्राधिकरण के समक्ष फाइल किया जाए, के साथ अंतरित किया जा सकेगा। विनियामक प्राधिकरण, उन्हीं शर्तों और निबंधनों के आधार पर, यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी को अंतरित कर सकेगा जिनके अधीन यथास्थिति, पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी शुरू में मंजूर किया गया था तथा उसी विधिमान्यता अवधि के लिए ऐसे मामलों में मूल्यांकन समिति को कोई निर्देश नहीं किया जाएगा।

- (2) किसी विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए मंजूर किया गया पूर्व - ईसी दो या अधिक ऐसे विधिक व्यक्तियों में विभाजित किया जा सकता है जो परियोजना को आरंभ करने के हकदार हैं और अंतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनियामक प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए जाने वाले प्ररूप में अंतरण द्वारा आवेदन पर किसी अन्य विधिक व्यक्ति (यों) को इसकी विधिमान्यता के दौरान अंतरित किया जा सकता है। विनियामक प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति को सिफारिश पर पूर्व - ईसी का अंतरण करेगा, जो दो या अधिक विधिक व्यक्ति (यों) में विभाजित सभी परियोजनाओं के लिए शर्त विहित करेगा।
- (3) परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए हकदार दो या अधिक विधिक व्यक्तियों को मंजूर की गई पूर्व - ईसी और ये योजनाएं संलग्न भूमि अवस्थित होने के कारण परियोजनाओं को आरंभ करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति को उनकी विधिमान्यता के दौरान समामेलित और अंतरित की जा सकेंगी। आवेदन, अंतरक द्वारा लिखित अनापत्ति जो अंतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर, समामेलित क्रियाकलाप के लिए लागू विनियामक प्राधिकरण के समक्ष फाइल की जानी है, के साथ प्ररूप 5 में अंतरित द्वारा फाइल किया जाएगा। संबंधित विनियामक प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर पूर्व - ईसी को अंतरित करेगा, जो समामेलित पूर्व - ईसी के लिए शर्तों विहित करेगा।

22. अतिक्रमण मामलों पर कार्रवाई :

- (1) अतिक्रमण पर संज्ञान निम्नलिखित पर किया जाएगा :-
 - (क) परियोजना प्रस्तावक का स्वप्रेरणा से किया गया आवेदन; या
 - (ख) किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट करना; या
 - (ग) मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के दौरान पाया जाना; या
 - (घ) विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए आवेदन, यदि कोई हो, की प्रक्रिया करने के दौरान पाया जाना।
- (2) अतिक्रमण के मामलों का मूल्यांकन यह निर्धारण करने की दृष्टि से मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा कि परियोजना का स्थल पर संनिर्माण किया गया है और उसे ले जाया गया है, जो विद्यमान विधियों के अधीन अनुज्ञेय या विस्तार किया गया है, जिसे पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपायों सहित पर्यावरण सन्नियमों के अनुपालन के अधीन कायम रखा जा सकता है। यदि मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक है तो परियोजना के समापन की सिफारिश पुनः उपचार के लिए निदेशों सहित विधि के अधीन अन्य कार्रवाइयों के साथ की जाएगी।
- (3) यदि, जहां मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष सकारात्मक है, वहां इस प्रवर्ग के अधीन परियोजना परिस्थितिकीय नुकसान के निर्धारण, पुनः उपचार योजना और परियोजना को लागू मानक सौंपे गए कृत्य के अतिरिक्त प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन वृद्धि पर समुचित विनिर्दिष्ट सौंपे गए कृत्य के साथ विहित की जाएगी।
- (4) सीपीसीबी समय-समय पर परिस्थितिकीय नुकसान के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा।
- (5) परियोजना प्रस्तावक, समय - समय पर इस बारे में सीपीसीबी द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार परिस्थितिकीय नुकसान के निर्धारण की रिपोर्ट, एसीओ के माध्यम से ईआईए रिपोर्ट में

स्वतंत्र अध्याय के रूप में पुनः उपचार योजना तथा प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना के साथ तैयार करेगा।

- (6) परिस्थितिकीय नुकसान के निर्धारण के लिए डाटा संग्रहण और विश्लेषण पुनः उपचार योजना तथा प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना का तैयार किया जाना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सम्यक्तः अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला परीक्षण तथा अंश शोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित पर्यावरण प्रयोगशाला या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा।
- (7) मूल्यांकन समिति, ईएमपी के कार्यान्वयन को नियत करेगी जिसमें निर्धारित परिस्थितिकीय नुकसान स्वप्रेरणा के लिए गए आवेदन के मामले में अतिक्रमण के कारण व्युत्पन्न आर्थिक फायदा के 1.5 गुणा के या पर्यावरण अनापत्ति की शर्त के रूप में सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए या मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के दौरान पाए गए या विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन, यदि कोई हो, की प्रक्रिया के दौरान पाए गए मामलों में अतिक्रमण के कारण निर्धारित परिस्थितिकीय नुकसान और व्युत्पन्न आर्थिक फायदे का दो गुणा के तत्समान पुनः उपचार योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन योजना सम्मिलित है। परंतु मंत्रालय उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत या तंत्र विहित कर सकेगी जिसके माध्यम से परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त बाध्यता का निर्वहन करेगा
- (8) स्वप्रेरणा किए गए आवेदन के माध्यम से अतिक्रमण का संज्ञान लेने पर प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के मामले में 1000/- रु. प्रतिदिन; प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं के मामले में 2000/- प्रतिदिन; और प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के मामले में 5000/- रु. प्रतिदिन का विलंब शुल्क का संदाय आवेदन की तारीख तक आवेदन के समय अतिक्रमण की तारीख की अवधि के लिए संगणित किए गए अनुसार परियोजना प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा;
- (9) किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट करके या मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के दौरान पाए गए या विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन, यदि कोई हो, की प्रक्रिया करने में पाए गए अतिक्रमण को संज्ञान लेने पर प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के मामले में 2000/- रु. प्रतिदिन; प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं के मामले में 4000/- रु. प्रतिदिन; और प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के मामले में 10000/- रु. प्रतिदिन विलंब शुल्क का संदाय आवेदन की तारीख तक अतिक्रमण की तारीख की अवधि के लिए आवेदन के समय संगणित किए गए अनुसार परियोजना समन्वयक द्वारा किया जाएगा।
- उपरोक्त उपखंड (8) और उपखंड (9) के प्रयोजन के लिए अतिक्रमण की तारीख 14 अप्रैल, 2018 समझी जाएगी (अधिसूचना सं. का. आ. 804 (अ) तारीख 14 मार्च, 2017, 2018 की डब्ल्यू एमपी सं. 3361 और 3362 और 2017 की रिट याचिका सं. 11189 में डब्ल्यू एमपी सं. 3721 में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के आदेश तारीख 14 मार्च, 2018 द्वारा पश्चातवर्ती आदेश) या अतिक्रमण के मामलों के लिए उपबंधित समय-सीमा को बंद होने की तारीख उस वर्ष की 1 अप्रैल, जिसमें अतिक्रमण हुआ है।
- (10) परियोजना प्रस्तावक से पुनः उपचार योजना और प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना की रकम से समतुल्य पांच वर्ष के लिए वैध यथास्थिति/ बैंक गारंटी/एसपीसीबी या यूटीपीसीसी को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और अर्हता की सिफारिश मूल्यांकन द्वारा की जाएगी और तीन वर्ष की अवधि के भीतर कार्यान्वयन की शर्त सहित विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
- (11) परियोजना प्रस्तावक इस अधिसूचना के खंड 13 में दिए गए उपबंधों के अनुसार ईआई रिपोर्ट तैयार करेगा और लोक परामर्श इस अधिसूचना के खंड 14 में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

- (12) प्रस्तावों का मूल्यांकन इस अधिसूचना के खंड 15 में दिए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) बैंक गारंटी पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी से पूर्व जमा की जाएगी और पुनः उपचार योजना तथा प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना के सफल कार्यान्वयन तथा प्रवर्ग 'क' परियोजना की दशा में मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा सिफारिशों या यथास्थिति, एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के क्रियाकलापों तथा विनियामक प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जारी की जाएगी।
- (14) इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या एसपीसीबी या यूटीपीसीसी द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- (15) इसके अतिरिक्त प्रचालन के लिए कोई सहमति या परियोजना के अतिक्रमण संघटक के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब परियोजना को पर्यावरण अनापत्ति मंजूर नहीं हो जाती है। यदि यथास्थिति पूर्व - ईसी या पूर्व - ईपी के बिना परियोजना को प्रचालन करने की सहमति या अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो इसे अनंतिम समझा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं के लिए अतिक्रमण को रिपोर्ट करने के छह मास के भीतर समाप्त हो जाएगा जिनसे इस अधिसूचना के खंड 14 के उपखंड (2) के अनुसार लोक परामर्श करने की अपेक्षा नहीं की जाती है; और परियोजनाओं के लिए एक वर्ष तक लोक परामर्श करना तब तक अपेक्षित नहीं है जब तक ऐसी अवधि के भीतर, यथास्थिति, ई आई रिपोर्ट या ईएमपी के साथ पूर्व ईसी किसी के लिए आवेदन फाइल न कर दिया गया हो

23. अनुपालन पर कार्रवाई :-

- (1) यथास्थिति, पूर्व ईसी या पूर्व ईपी की शर्तों का अनुपालन का संज्ञान परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वप्रेरणा से रिपोर्ट करने या सरकारी प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट करने के आधार पर या मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के दौरान पाए गए या विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन, यदि कोई हो, की प्रक्रिया के दौरान पाए गए आधार पर लिया जाएगा।
- (2) प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के संबंध में पूर्व - ईसी की शर्तों का अनुपालन केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय द्वारा प्रयोजन के लिए गठित विशेष समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं में पूर्व - ईसी की शर्तों का रिपोर्ट किया गया अनुपालन राज्य स्तर पर, मंत्रालय द्वारा प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) सम्यक्तः गठित विशेषज्ञ समिति की अनुपस्थिति में, संबंधित मूल्यांकन समिति, विशेषज्ञ समिति के रूप में कार्य करेगी।
- (5) विशेषज्ञ समिति, ऐसी किसी कार्यवाही में पारदर्शी रीति में रिपोर्ट किए गए अनुपालनों पर विचार विमर्श करेगी जिनके लिए परियोजना प्रस्तावक को वैयक्तिक रूप से, या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाएगा। जिनका विनिश्चय विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (6) कार्यवाही की समाप्ति पर, विशेषज्ञ समिति पूर्व - ईसी की शर्तों के लिए समयबद्ध कार्रवाई योजना के लिए परियोजना प्रस्तावक को तथा यथास्थिति एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के पास अनुपालन के प्रयोजन के लिए प्रत्याभूति के रूप में जमा बैंक गारंटी की रकम के लिए निर्णयात्मक सिफारिशें करेगी।
- (7) बैंक गारंटी, कार्रवाई योजना के सफल कार्यान्वयन के पश्चात तथा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय या प्रवर्ग "क" परियोजनाओं के मामले में सीपीसीबी प्रवर्ग "ख" परियोजनाओं के मामले में एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के क्षेत्रीय निदेशालय की सिफारिशें जारी की जाएगी।

24. रेत खनन या नदी तल खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन, क्लस्टर विरचना के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट करना तथा इसके लिए मानीटरी प्रक्रिया:-

- (1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, समय-समय पर 'लघु खनिजों' के खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विहित प्रक्रिया जारी करेगा।
- (2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रवर्तन, 'लघु खनिजों' के खनन की मानीटरी जिसमें समय-समय पर पर्यावरणीय संपरीक्षा भी है, के लिए प्रक्रिया जारी करेगा।
- (3) क्लस्टर परिस्थिति की बाबत प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(क) क्लस्टर तब बनाया जाएगा जब एक पट्टे के परिधियों के बीच की दूरी किसी समरूप खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे की परिधि से 500 मीटर से कम है जो 9 सितंबर, 2013 को अनुदत्त खान पट्टे या खदान अनुज्ञप्तियों को लागू होंगे। परंतु संलग्न क्षेत्र में, राज्य सरकार का खान एवं भूविज्ञान-

- (i) खान योजना को प्रभावी रूप से तैयार करने और उसके कार्यान्वयन तथा यथास्थिति, ई आई ए या ईएमपी के लिए स्थानीय परिस्थिति के अनुसार क्लस्टर के आकार को परिभाषित करेगा;
- (ii) क्लस्टर के लिए खान योजना और यथास्थिति ई आई ए या ईएमपी तैयार करेगा;
- (iii) क्षेत्रीय खान योजना और यथास्थिति क्षेत्रीय ई आई ए या ईएमपी, जिसमें उस सामीप्य में सभी क्लस्टर भी हैं, तैयार करेगा; और
- (iv) क्लस्टर और यथास्थिति, क्षेत्रीय ई आई ए या ईएमपी के कार्यान्वयन के लिए पूर्व निर्धारित अनुपात में परियोजना प्रस्तावकों से निधियां जुटाने का उपबंध करेगा:

परंतु यह और कि ऐसे पट्टे जो तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए क्रियाशील नहीं हैं और वे पट्टे जिनको 15 जनवरी, 2016 तक पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त हो गई है, क्लस्टर के क्षेत्र को संगणना करने के लिए नहीं गिने जाएंगे किंतु यथास्थिति, ई आई ए या ईएमपी में सम्मिलित किए जाएंगे।

- (ख) जिला खनिज निधि का यथास्थिति, ई आई ए या ईएमपी, कार्यान्वयन के लिए निधि में वृद्धि करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है;
- (ग) यथास्थिति, 'क्लस्टर ई आई ए' या 'क्लस्टर ईएमपी' सभी संभव बाहताओं को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण क्लस्टर के लिए तैयार की जानी अपेक्षित है। इन रिपोर्टों में क्लस्टर की वहन क्षमता, क्लस्टर क्षेत्र के परिवहन और संबद्ध विषयों, पुनः पूर्ति तथा पुनर्भरण विषयों, भू-जल विज्ञान अध्ययन का उल्लेख होगा। यथा-स्थिति, 'क्लस्टर ईआईए' या 'क्लस्टर ईएमपी', यथा-स्थिति राज्य या राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण या क्लस्टर में परियोजना प्रस्तावकों के समूह या क्लस्टर में परियोजना प्रस्तावकों के समूह या क्लस्टर में परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार किया जाएगा;
- (घ) संपूर्ण क्लस्टर के लिए एक लोक परामर्श होगा जिसके पश्चात् क्लस्टर के लिए यथा स्थिति, अन्तिम 'क्लस्टर ईआईए' या 'क्लस्टर ईएमपी' तैयार किया जाएगा;
- (ङ) व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावक के लिए यथा स्थिति पूर्व ईसी या पूर्व ईपी के लिए आवेदन किया जाएगा और इसे उसको जारी किया जाएगा। व्यष्टिक पट्टेधारक, क्लस्टर में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन के प्रयोजन के लिए, यथा स्थिति, उसी क्लस्टर 'ईआईए' या 'क्लस्टर ईएमपी' का उपयोग कर सकते हैं। यथा स्थिति, 'क्लस्टर ईआईए' या 'क्लस्टर ईएमपी' फाइल किए गए स्तर पर किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाएगा;
- (च) यथा-स्थिति, 'क्लस्टर ईआईए' या 'क्लस्टर ईएमपी' उस क्लस्टर में प्रत्येक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में परिलक्षित किया जाएगा। मूल्यांकन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि, यथा स्थिति, 'क्लस्टर ईआईए' या 'क्लस्टर ईएमपी' से उत्पन्न होने वाले न्यूनीकरण उपाय, अध्ययन उस

क्लस्टर में व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावकों को यथा स्थिति, पूर्व ईसी या पूर्व ईपी की शर्तों के रूप में पूर्णतया परिलक्षित हैं।

25. विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति या पूर्व पर्यावरणीय अनुज्ञा के विरुद्ध अपील

(1) विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त यथा स्थिति, पूर्व ईसी या पूर्व ईपी के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2010 की धारा 16 के अधीन यथा विहित तीस दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में, यदि चाहे, की जाएगी:

परंतु, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यदि संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के दौरान अपील दाखिल करने में पर्याप्त हेतुक द्वारा रोका गया था, वह साठ दिनों से अनधिक अतिरिक्त अवधि के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिनियम, 2010 की धारा 16 के अधीन दाखिल करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

26. परियोजनाओं की छूट

निम्नलिखित मामलों पूर्व ईसी या पूर्व ईपी अपेक्षित नहीं होगा, अर्थात् :-

- (1) कुम्हारों द्वारा उनके रीति-रिवाजों के अनुसार मिट्टी के बर्तन, लैंप, खिलौने आदि तैयार करने के लिए शारीरिक खनन द्वारा सामान्य मिट्टी या रेत का निष्कर्षण;
- (2) मिट्टी की टाइल निर्माताओं द्वारा, जो मिट्टी की टाइलें तैयार करते हैं, शारीरिक खनन द्वारा सामान्य मिट्टी या रेत का निष्कर्षण;
- (3) किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि क्षेत्र पर रेत के भंडारों को हटाना;
- (4) निजी उपयोग या ग्राम में सामुदायिक कार्य के लिए ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों से रेत तथा सामान्य मिट्टी या पारम्परिक निष्कर्षण;
- (5) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारन्टी स्कीमों, अन्य सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों में आरंभ किए गए सामुदायिक कार्य जैसे ग्राम तालाबों या जोहड़ों की सफाई, गाँवों की सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण और सामुदायिक प्रयास;
- (6) अनुरेख परियोजनाओं जैसे सड़कों, पाइपलाइनों आदि के लिए साधारण मिट्टी का निष्कर्षण या स्रोतीकरण या उधार लेना;
- (7) बांधों, जलाशयों, मेड़ों, बैराजों, नदियों और नहरों का उनके रखरखाव, बनाए रखने तथा आपदा प्रबंध के प्रयोजन के लिए उनका तल निष्कर्षण और सफाई;
- (8) गुजरात राज्य की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16) / एमसीआर - 2189 (68) / 5 - सीएचएच, तारीख 14 फरवरी 1990 द्वारा गुजरात में बंजारा और ओडों द्वारा रेत के पारंपरिक व्यावसायिक कार्य;
- (9) पारंपरिक समुदाय द्वारा अन्तर ज्वारीय जोन के भीतर चूना शंखों (मृत शंखों), पवित्र द्रव्यों आदि का हाथ से निष्कर्षण;
- (10) सिंचाई या पेयजल प्रयोजन के लिए कुओं की खुदाई;
- (11) भवनों की बुनियाद के लिए खुदाई, जिसके लिए यथा स्थिति पूर्व ईसी या पूर्व ईपी आवश्यक नहीं है;
- (12) जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेशों पर किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए नहर, नाला, नाली, तालाब आदि में उत्पन्न किसी दरार को रोकने के लिए सामान्य मिट्टी या मृत्तिका का उत्खनन;
- (13) ऐसे क्रियाकलाप जो गैर खनन के रूप में राज्य सरकार द्वारा विधानों या नियमों के अधीन घोषित किया गया है;
- (14) सौर फोटो वोल्टीय (पीवी) विद्युत परियोजनाएं, सौर तापीय विद्युत संयंत्र तथा सौर पार्कों का विकास, आदि;

- (15) जहाँ कोई वाणिज्यिक उत्पादन अंतर्वलित नहीं है वहाँ प्रयोगशाला स्केल संक्रियाओं के अधीन रहते हुए अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप;
- (16) ऐसी परियोजनाएं जो अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, तथा जिन्हें ऐसी परियोजनाओं के परिसरों में कार्यान्वित करने या स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनके लिए यथा-स्थिति, पूर्व ईसी या पूर्व ईपी पहले ही मंजूर कर दिया गया था;
- (17) व्यष्टिक उद्योग जिनमें 16,18, 24, 25 जैसी उद्योगों की समरूप प्रकार वाली ऐसी अधिसूचित औद्योगिक सम्पदा के भीतर प्रस्तावित औद्योगिक आवास या ऐसी औद्योगिक सम्पदाएं जिनमें क्रियाकलापों का पूर्व परिभाषित सेट (जो आवश्यक रूप से समरूप नहीं है) भी है, जब तक औद्योगिक सम्पदा के लिए निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जाता है (ऐसी सम्पदाओं / परिसरों में पूर्व ईसी की निबंधन और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व वाले स्पष्टतः पहचान किए गए प्रबंध होने चाहिए और जो औद्योगिक सम्पदा के सम्पूर्ण जीवन में ऐसे निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकें।)
- (18) ऐसी औद्योगिक सम्पदा जिनका परियोजना क्षेत्र 500 हैक्टेयर से कम है और जिनमें अनुसूची में सूचीबद्ध प्रवर्ग 'क' या 'ख1' या 'ख2' परियोजना का कोई उद्योग नहीं लगा है;
- (19) कोयला और गैर-कोयला खनिज पूर्वेक्षण;
- (20) भूकंपी सर्वेक्षण, जो अपतट और अभितट पर तेल और गैस, जिसमें कोयला तल में मिथेन और शेल गैस भी शामिल है, के लिए खोज सर्वेक्षणों का भाग है बशर्ते छूट प्राप्त क्षेत्रों ने भौतिक सर्वेक्षण के लिए पूर्व ईसी या पूर्वईपी की पूर्व शर्तों को मान लिया है;
- (21) लघु सिंचाई परियोजनाएं जिनमें 2000 हैक्टेयर तक संवर्धनीय कमान क्षेत्र सम्मिलित है;
- (22) तापीय विद्युत संयंत्र जो किसी सहायक ईंधन के बिना अपशिष्ट उष्मा प्रति प्राप्ति क्वथनित्रों (डब्ल्यू एच आर बी) का प्रयोग करते हैं;
- (23) अयस्क की उन्नयन प्रक्रिया के बिना पिसाई और स्क्रीनिंग (अयस्क का आकार);
- (24) गौण धातुकर्मीय संधानशाला इकाईयां :-
- (क) गैर विषैला जिनमें अधिष्ठापन भट्टी या वैद्युत चाप भट्टी या सबमर्ज आर्क भट्टी या अन्य गैस आधारित भट्टियां जिनकी वार्षिक क्षमता 1,00,000 टन है।
- (ख) गैर विषैला जिसमें कुपोला जैसी भट्टियां जो 60,000 टन की वार्षिक क्षमता वाले कोयला या इष्टिकों का उपयोग करती है, सम्मिलित हैं;
- (ग) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रण इकाईयां।
- (25) एकल रि-रोलिंग मिलें :
- (क) जिनमें 1,00,000 टन तक की वार्षिक क्षमता वाले अम्ल मार्जन संक्रिया सम्मिलित है;
- (ख) जिनमें 2,00,000 टन तक की वार्षिक क्षमता वाले मार्जन संक्रिया सम्मिलित नहीं है;
- (ग) जिनमें पुनः तापन के लिए अम्ल मार्जन तथा ईंधन की कोई आवश्यकता सम्मिलित नहीं है;
- (26) पूर्व ईसी की शर्तों की स्वीकृत क्षमता के भीतर साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी), पोर्टलैंड पोच्चोलाना सीमेंट (पीपीसी), पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (पीएससी), मैसनरी सीमेंट या अन्य किस्म की सिमेंट।
- (27) "कोलतार पिच" को पिघलाने के लिए एकल परियोजनाएं;
- (28) इकाई सुपर फास्फेट पाउडर के एकल कणिकायन;
- (29) उर्वरकों पर नीम का लेप करना या उर्वरकों को पुष्ट बनाना परंतु कुल उत्पादन पूर्व ईसी की स्वीकृत क्षमता जमा लेपन या उपयोग की गयी पुष्टीकरण सामग्री से अधिक न हो;
- (30) पैराफिन मोम का प्रसंस्करण;

- (31) अफीम से एल्कलायड का निष्कर्षण;
- (32) पालीमर कणिकाओं से या कणिकाओं से उत्पादों या गालाओं या चिपों से मानव निर्मित फाइबरों का विनिर्माण;
- (33) एलएवी से रेखीय अल्कायल बैंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल (एलएवीएसए) का विनिर्माण;
- (34) देशी शराब (जैसे महुआ पुष्प, काजू आदि पर आधारित) इकाईयां जिनकी क्षमता 10 किलो लीटर दैनिक है;
- (35) रंजन, विरंजन या रंगाई के बिना अपशिष्ट कागज या कागज बोर्ड विनिर्माण;
- (36) विस्फोटकों, डेटोनेटरो, फ्यूजों के लिए रक्षा मंत्रालय या रणनीतिक यूनितों जिनमें रक्षा मंत्रालय के अधीन यूनितों का प्रबंधन और संचालन भी है;
- (37) ऐसी हवाई पट्टियां जिनमें गैर वाणिज्यिक हवाई पट्टियों सहित बंकरिंग या पुनः ईंधन भरण सुविधा और / या वायु यातायात नियंत्रण अन्तर्वलित नहीं है;
- (38) उन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित सामान्य बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) जिनको स्वयं पूर्व ईसी की आवश्यकता नहीं है। उक्त सीईटीपी उत्पादों की विद्यमान या प्रस्तावित सदस्य यूनितों में से कोई प्रस्तावित सदस्य यूनित पूर्व ईसी की शर्तों की अपेक्षा करते हुए किसी उत्पाद का उत्पादन करने का प्रस्ताव करती है, तब सीईटीसीका पूर्व ईसी की आवश्यकता नहीं होगी;
- (39) तलकषण का अनुरक्षण;
- (40) मद सं. 8(क), 8(ख), 9, 10(च), 11(क), 11(ख), 20, 24, 25(घ) और 27 के सामने परियोजना की बाबत सूक्ष्म उद्यमों और मद सं 10(च), 24 और 27 के सामने परियोजनाओं की बाबत लघु उद्यम।

27. लंबित मामलों के निपटान तक ईआईए अधिसूचना, 2006 का प्रवर्तन :-

- (1) इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ईआईए अधिसूचना, 2006 और पश्चातवर्ती संशोधनों को पूर्व इसी के लिए किए गए तथा इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख को लंबित सभी आवेदनों के मामले में उस विस्तार तक उन बातों के सिवाय अधिक्रांत किया जाता है जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के किसी भी एक या सभी उपबंधों को शिथिल कर सकेगी या इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से चौबीस मास से अनधिक की अवधि के लिए 2006 की अधिसूचना को कुछ या सभी उपबंधों के प्रवर्तन को बनाए रख सकेगी।
- (2) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् जारी सभी पूर्व ईसी पर इस अधिसूचना के अधीन यहाँ तक पूर्वतर ईआईए अधिसूचनाओं में से किसी अधिसूचना के अधीन प्राप्त और प्रक्रिया किए गए या आंशिक रूप से प्रक्रिया किए गए आवेदन की बाबत भी जारी किए जाने वाले पूर्व ईसी पर विचार किया जाएगा।
- (3) विनियामक प्राधिकरण, उपलब्ध जानकारी या पूर्व ईसी के जारी किए जाने के पश्चात् लाए गए पर्यावरणीय मुद्दों के आधार पर ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

[फा. सं. 22-50/2018-ए - III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति या पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, जैसा भी मामला हो, की अपेक्षा वाली परियोजनाओं की सूची

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(क) गौण खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का >100 है.	खनन पट्टा क्षेत्र का >5 है. और ≤ 100 है.	खनन पट्टा क्षेत्र का ≤ 5 है.	टिप्पण : (1) 2 हेक्टेयर से अधिक और 5 हेक्टेयर तक की गौण खनिज खनन परियोजनाओं को जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति को निर्देशित किया जाएगा (2) खनन पट्टा क्षेत्र में क्लस्टर स्थिति शामिल होगा।
	(ख) कोयला सहित मुख्य खनिजों का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का >100 है.	खनन पट्टा क्षेत्र का ≤ 100 है.	डंप खनन (निष्कर्षण या डंप प्रहस्तन या अति भार या अपशिष्ट सामग्री)	
2	सीबीएम और शेल गैस सहित अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की,				
	क) खोज	--	--	सभी परियोजनाएं	
	ख) विकास और उत्पादन (अवसंरचना सुविधाएं जैसे, गैस संग्रहण या एकत्रीकरण स्टेशन, पूर्व उत्पादन प्रणालियां, पाइपलाइन इत्यादि)।	सभी परियोजनाएं	--	--	
3	नदी घाटी	> 75 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन;	≤ 75 मेगावाट >25 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन;	25 मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन	टिप्पण : प्रवर्ग 'ख1' नदी घाटी परियोजनाएं जो एक से अधिक राज्य या संघ क्षेत्र में अवस्थित हैं, का केंद्रीय सरकार के स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा।
4	सिंचाई	खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र का $\geq 50,000$ हेक्टेयर।	खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र का $\geq 10,000$ हेक्टेयर और <50,000 हेक्टेयर।	खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र का > 2000 हेक्टेयर और < 10,000 हेक्टेयर।	
5	तापीय विद्युत	≥ 500 मेगावाट (कोयला / लिग्नाइट / नेपथा गैस आधारित); ≥ 100 मेगावाट	≥ 5 मेगावाट और < 500 मेगावाट (कोयला / लिग्नाइट / नेपथा गैस आधारित); ≥ 5 मेगावाट और		

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(सभी अन्य ईंधन)।	<100 मेगावाट (जैव भार और नगरपालिका ठोस गैर परिसंकटमय अपशिष्ट को छोड़कर सभी अन्य ईंधन); >15 मेगावाट और <100 मेगावाट (नगरपालिका ठोस गैर परिसंकटमय अपशिष्ट / जैव भार का ईंधन का उपयोग करते हुए)।	≥ 5 मेगावाट और ≤ 15 मेगावाट, 15% तक कोयला, लिग्नाइट / पेट्रोलियम जैसे सहायक ईंधनों का उपयोग करते हुए जैव भार या गैर परिसंकटमय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित	
6	आणविक विद्युत या आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं	--	--	
7	कोयला धोवनशालाएं	≥ 1 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उत्पादन	< 1 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उत्पादन	--	टिप्पण : यदि कोयला धोवनशाला खनन पट्टा क्षेत्र में अवस्थित है, प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए।
8	(क) खनिज परिष्करण जिसमें भौतिक प्रसंस्करण और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं	--	सभी परियोजनाएं	लघु और मध्यम उद्यम।	टिप्पण : यदि खनिज परिष्करण संयंत्र खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए।
	(ख) अयस्क / सांद्र का रासायनिक प्रसंस्करण	≥ 1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन	<1.0 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन		
9	डलिया संयंत्र या संकुलन संयंत्र	--	सभी परियोजनाएं	लघु और मध्यम उद्यम	
10	धातुकर्म उद्योग (फेरस या गैर फेरस)				
	(क) एकीकृत स्टील संयंत्र	> 1 मिलियन टन वार्षिक कच्चा	≤ 1 मिलियन टन वार्षिक कच्चा	--	

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		इस्पात	इस्पात		
	(ख) स्पंज लौह संयंत्र	> 0.5 मिलियन टन वार्षिक	<0.5 मिलियन टन वार्षिक	--	
	(ग) गैर फेरस प्रगलन और परिष्करण	सभी परियोजनाएं	--	--	
	(घ) लौह मिश्र धातु संयंत्र	> 1.5 लाख टन वार्षिक	≤ 1.5 लाख टन वार्षिक	--	
	(ङ) द्वितीयक धातुकर्म उद्योग (विषैला धातु)	≥ 20,000 टन वार्षिक	< 20,000 टन वार्षिक	--	
	(च) द्वितीयक धातुकर्म उद्योग (गैर विषैला धातु)	--	(i) संधानशाला जिसमें भट्टी जैसी प्रेरण भट्टी या विद्युत आर्क भट्टी या सबमर्ज आर्क भट्टी या अन्य गैस आधारित भट्टियां जिसकी क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो (ii) संधानशाला जिसमें क्यूपोला और अन्य भट्टी शामिल हो जिसकी क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो।	(i) संधानशाला जिसमें भट्टी जैसी प्रेरण भट्टी या विद्युत आर्क भट्टी या सबमर्ज आर्क भट्टी या अन्य गैस आधारित भट्टियां जिसकी क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक 1,50,000 टन प्रतिवर्ष तक हो (ii) संधानशाला जिसमें क्यूपोला और अन्य भट्टी शामिल हो जिसकी क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष से 1,00,000 टन प्रतिवर्ष के बीच हो। (iii) एकल पुनर्वेलन मिल जिसमें 1,00,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक क्षमता वाला पिकलिंग शामिल हो। (iv) एकल पुनर्वेलन मिल जिसमें 2,00,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक क्षमता वाला पिकलिंग शामिल न	

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				हो। (v) मध्यम उद्यम	
11	(क) सीमेंट संयंत्र	उर्ध्वाधर शाफ्ट भट्टा संयंत्र को छोड़कर अन्य संयंत्र जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन हो	(i) वार्षिक उत्पादन क्षमता < 1.0 मिलियन टन (ii) उर्ध्वाधर शाफ्ट भट्टा वाले सीमेंट संयंत्र।	लघु और मध्यम उद्यम	टिप्पण : सीमेंट उद्योग के लिए ईंधन कोयला, पेटकोक, कोयले और पेटकोक का मिश्रण और अपशिष्ट सह-प्रसंस्करण हो सकता है परंतु यह कि इसे उत्सर्जन मानकों को पूरा करना चाहिए।
	(ख) एकल धातुमल घर्षण इकाईयां	--	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन	(i) 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की एकल ग्राइंडिंग इकाई (ii) रेल / समुद्र मार्ग के माध्यम से प्रस्तावित धातुमल और तैयार माल के परिवहन के मामले में सभी एकल ग्राइंडिंग इकाई। (iii) लघु और मध्यम उद्यम।	
12	सीसा अम्ल बैटरी विनिर्माण (सीसा अम्ल बैटरी की एसेंबलिंग और चार्जिंग को छोड़कर)	--	सभी परियोजनाएं	--	
13	पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं	--	--	
14	(क) कोक भट्टी संयंत्र	वार्षिक क्षमता ≥ 0.8 मिलियन टन	वार्षिक क्षमता < 0.8 मिलियन टन	--	
	(ख) डामर प्रसंस्करण इकाईयां या भष्मीकरण संयंत्र	--	सभी परियोजनाएं	--	
15	एस्वेस्टास मिलिंग और एस्वेस्टास आधारित उत्पाद	सभी परियोजनाएं	--	--	
16	क्लोर क्षार उद्योग या हैलोजन का उत्पादन	यदि कोई इकाई अधिसूचित	(i) यदि कोई इकाई अधिसूचित	यदि कोई इकाई अधिसूचित	टिप्पण : किसी नए पारा प्रकोष्ठ

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित है तो दैनिक उत्पादन क्षमता ≥ 300 टन।	औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित है तो दैनिक उत्पादन क्षमता ≥ 300 टन। (ii) यदि कोई इकाई अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित है तो दैनिक उत्पादन क्षमता < 300 टन।	औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित है तो दैनिक उत्पादन क्षमता < 300 टन।	आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा झिल्लीमय प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है, बशर्ते कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं है।
17	सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	--	--	--
18	चर्मशोधन उद्योग सहित त्वचा / खाल प्रसंस्करण	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	चमड़ा शोधन के बिना और अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	
19	रासायनिक उर्वरक और एकल अमोनिया संयंत्र।	(i) सल्फ्यूरिक अम्ल सहित एकल सुपर फॉस्फेट को छोड़कर सभी परियोजनाएं। (ii) एकल अमोनियम संयंत्र	सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन सहित एकल सुपर फॉस्फेट की सभी परियोजनाएं।	--	
20	अम्लों का विनिर्माण	एकल फास्फोरिक अम्ल या अमोनिया।	एकल सल्फ्यूरिक अम्ल।	अन्य सभी अम्ल	
21	कीटनाशी सहित कीटनाशक; तृणनाशक; जंगली घास नाशक; कीट नियंत्रण इत्यादि और उनके विशिष्ट मध्यक जीवमार (विनिर्मिती को छोड़कर)	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	--	
22	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश, प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग, कार्बन ब्लैक का	सभी परियोजनाएं	--	--	

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	उत्पादन)				
23	मानव निर्मित फाइबर का उत्पादन	विस्काँज स्टेपल फाइबर (वीएसएफ); विस्काँज फिलामेंट सूत (वीएफवाय); और रेयन	नाइलोन और अन्य	--	
24	कार्बन श्याम और इलेक्ट्रोग्रेड श्रेणी ग्रेफाइट के उत्पादन सहित पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोरसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन तथा सुधार से भिन्न अन्य प्रसंस्करण और परिसर के अंदर समाविष्ट नहीं हैं)	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	मध्यम उद्यम	
25	संक्षिप्त कार्बनिक रसायन				
	क) रंजक और रंजक मध्यक	--	कॉलम (5) को छोड़कर सभी परियोजनाएं	(i) शून्य स्त्राव वाली प्रस्तावित परियोजनाएं और जो अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित हो। (ii) सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।	
	ख) औषध विनिर्मितियों को छोड़कर थोक औषधियां और मध्यक	--	कॉलम (5) को छोड़कर सभी परियोजनाएं	(i) शून्य स्त्राव वाली प्रस्तावित परियोजनाएं और जो अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित हो। (ii) सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।	
	ग) संक्षिप्त रबर	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।	

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	घ) मूल कार्बनिक रसायनों, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक, रसायनिक मध्यम, संश्लिष्ट रेसिन और संश्लिष्ट आसंजक	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	(i) सभी लघु और मध्यम उद्यम। (ii) वार्षिक 1000 टन तक संश्लिष्ट रेसिनों / आसंजकों का विनिर्माण।	
26	आसवनी और शीरा आधारित विनिर्माण इकाईयां (जैसे खमीर)	(i) शीरा आधारित आसवनी ≥ 100 किलो लीटर प्रति दिवस; (ii) शीरा आधारित विनिर्माण इकाईयां (जैसे खमीर) ≥ 100 टन प्रति दिवस; (iii) गैर शीरा आधारित आसवनी ≥ 200 किलो लीटर प्रति दिवस।	(i) शीरा आधारित आसवनी < 100 किलो लीटर प्रति दिवस। (ii) शीरा आधारित खमीर विनिर्माण इकाईयां < 100 टन प्रति दिवस; (iii) गैर शीरा आधारित आसवनी < 200 किलो लीटर प्रति दिवस।	(i) प्रति दिन 10 लीटर से अधिक की क्षमता की वाली देशी मद्य (अर्थात् महुआ फूल, काजू, इत्यादि पर आधारित) इकाईयां। (ii) पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त, परिसर के अंदर अवस्थित आसवनी के क्षमता विस्तार और केवल मिश्रण हेतु ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले इथेनॉल के उत्पादन के लिए।	
27	पेंट, वार्निश, रंग द्रव्य, मध्यक (सम्मिश्रण मिश्रण को छोड़कर) का विनिर्माण	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के बाहर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं के अंदर अवस्थित सभी परियोजनाएं।	मध्यम उद्यम	
28	लुग्दी और कागज उद्योग	लुग्दी विनिर्माण और लुग्दी और कागज उद्योग, अपशिष्ट कागज को छोड़कर	--	रंजन, विरंजन और रंगाई के बगैर अपशिष्ट कागज लुग्दी और तैयार लुग्दी से कागज विनिर्माण।	
29	चीनी उद्योग	--	गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टन दैनिक	--	
30	प्रबंध और प्रहस्तन कार्यकलापों सहित विस्फोटकों, विस्फोट प्रेरकों, पलीतों का		सभी परियोजनाएं		

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	निर्माण।				
31	पाइपलाइन				
	(क) राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों या प्रवाल भित्तियों या एल एन जी टर्मिनल सहित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाइप लाइनें (अपरिष्कृत और परिष्करणी / पेट्रो रसायन उत्पादें)	सभी परियोजनाएं	--	--	
	(ख) राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों या प्रवाल भित्तियों या पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली द्रव पाइप लाइनें (कोयला, लिग्नाइट और अन्य अयस्क)	सभी परियोजनाएं	--	--	--
32	स्थलीय और जल पत्तन सहित वायु पत्तन और हैलि पत्तन।	स्थलीय वायु पट्टियों सहित सभी परियोजनाएं, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं।	--	(i) जल - हवाई अड्डे, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं।	
33	सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी शामिल हैं	सभी परियोजनाएं	--	--	
34	पार्को; परिसरों; क्षेत्रों; निर्यात प्रसंस्करण जोन (नि. प्र. जो.); विशेष आर्थिक जोन (वि. आ. जो.); जैव प्रौद्योगिकी पार्को; चमड़ा परिसरों; तटवर्ती आर्थिक जोन (त. आ. जो.); विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर), राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड)	(i) यदि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 हैक्टेयर से ज्यादा हो और उसमें कम से कम एक अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'क' या श्रेणी 'ख1' का उद्योग स्थित हो। (ii) यदि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 हैक्टेयर से कम हो	यदि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 हैक्टेयर से कम हो और उसमें कम से कम एक अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'ख1' का उद्योग स्थित हो।	(i) यदि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 हैक्टेयर से ज्यादा हो और उसमें एक भी अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'क' या श्रेणी 'ख1' का उद्योग स्थित न हो। (ii) प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रफल के अल्पेक्ष और उसमें कम से	

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	औद्योगिक समूह क्षेत्रों; पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्रों (पे.र.पे.र.नि.क्षे.) सहित औद्योगिक सम्पदा	और उसमें कम से कम एक अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'क' का उद्योग स्थित हो।		कम एक अनुसूची में सूचीबद्ध श्रेणी 'ख2' का उद्योग स्थित हो।	
35	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (उ. भं. नि. सु.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है।	सभी सुविधाएं जिनमें केवल भूमिभरण शामिल हैं।	--	
36	सामान्य जैव चिकित्सीय उपचार सुविधाएं	--	सभी परियोजनाएं		
37	पत्तन, बंदरगाह, तरंगरोध, और पूंजीगत झमाई (पत्तन या बंदरगाह और चैनल के अंदर और बाहर)	≥ 5 मिलियन टन माल की वार्षिक उठाई - धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)।	(i) < 5 मिलियन टन माल की वार्षिक उठाई - धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)। (ii) ≥ 30000 टन प्रतिवर्ष की मछली पकड़ने की क्षमता।	अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित सभी परियोजनाएं	
38	राजमार्ग या एक्सप्रेस मार्ग या बहु-मोडल गलियारा या चक्रीय सड़कें।	i) नये राजमार्ग या एक्सप्रेस मार्ग या बहु-मोडल गलियारा या चक्रीय सड़कें। ii) राजमार्ग या एक्सप्रेस मार्ग या बहु-मोडल गलियारा या चक्रीय सड़कों की लंबाई में 100 किलो मीटर से ज्यादा का विस्तार जिसमें मौजूदा संरेखन या पुनः संरेखन या बायपास पर 70 मीटर से अधिक का चौड़ीकरण या मार्ग अधिकार शामिल हो।	(i) सभी नयी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं (ii) पर्वतीय क्षेत्रों में राज्यीय राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं (औसत समुद्र तल से 1,000 मीटर से ज्यादा ऊपर)।	(i) राजमार्ग या एक्सप्रेस मार्ग या बहु-मोडल गलियारा या चक्रीय सड़कों की लंबाई में 25 से 100 किलो मीटर के बीच का विस्तार जिसमें मौजूदा संरेखन या पुनः संरेखन या बायपास पर 70 मीटर से अधिक का चौड़ीकरण या मार्ग अधिकार शामिल हो। (ii) मौजूदा राज्य राजमार्गों का विस्तार या चौड़ीकरण (औसत	टिप्पण : टोल प्लाजा चोड़ाई और अन्य सड़कों के साथ चौराहा पर जंक्शन सुधार जो मार्ग अधिकार से भिन्न हो।

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				समुद्र तल से 500 मीटर से 1000 मीटर तक ऊपर)	
39	आकाशी यात्री रज्जुमार्ग	--	--	अधिसूचित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में अवस्थित सभी परियोजनाएं	--
40	साझा बहिष्ताव शोधन संयंत्र (सा. ब. शो. सं.)	--	सभी परियोजनाएं	--	
41	साझा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सा. न. ठो. अ. प्र. स.) जिसमें भूमिभरण और / या भष्मीकरण क्रिया शामिल है।	--	सभी परियोजनाएं	--	
42	भवन संनिर्माण और क्षेत्र विकास परियोजनाएं।	--	>1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और या ≥ 50 हैक्टेयर कुल क्षेत्र	(i) $\geq 20,000$ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और $\leq 50,000$ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	टिप्पण : 1. कॉलम (5) के (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को मूल्यांकन समिति को निर्देशित नहीं किया जाएगा। 2. आशयित उपयोग में किसी परिवर्तन के लिए, पूर्व ईपी में संशोधन के लिए विनियामक प्राधिकरण से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। ऐसे सभी मामले मूल्यांकन समिति को निर्देशित किए जाएंगे।
				(ii) $> 50,000$ वर्ग मीटर और $\leq 1,50,000$ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाएं, जिन्हें अनंतिम 'हरित भवन का प्रमाण पत्र' प्राप्त है या औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों का छात्रावास से संबंधित क्षेत्र	
43	उत्थित सड़कें या	--	--	$>1,50,000$ वर्ग	

मद	परियोजना	अवसीमा सहित श्रेणी			शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख1	ख2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	एकल फ्लाईओवर या पुल			मीटर निर्मित क्षेत्र	
टिप्पण :					
1. साधारण शर्तें निम्नलिखित पर प्रयोज्य नहीं होंगी : -					
i. मद 9, 10(च), 11(ख), 25, 38, 40, 41, 42, और 43					
ii. अंतर राज्यीय सीमा के कारण नदी तल खनन परियोजनाएं; और					
iii. सभी प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाएं।					
2. प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं को मूल्यांकन समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा सिवाय उन परियोजनाओं के जो उस मद के सामने उल्लिखित हैं					

परिशिष्ट - 1

(खंड 14 देखें)

लोक परामर्श आयोजित करने की प्रक्रिया

(1) लोक सुनवाई :

लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति (यूटीपीसीसी) द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध समयबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रक्रिया :

2.1 परियोजना प्रस्तावक संक्षिप्त पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा:

(क) जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर / उप आयुक्त;

(ख) जिला परिषद या नगर निगम या पंचायत संघ;

(ग) जिला उद्योग कार्यालय;

(घ) शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) / संबंधित पीआरआई / विकास प्राधिकारी;

(ङ) मंत्रालय का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय;

(च) एसपीसीबी या यूटीपीसीसी का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय;

परंतु यह कि इस अधिसूचना के खंड 14 के उप-खंड (5) के अनुसार वह अवधि जिसके अंदर लोक सुनवाई आयोजित किया जाना आवश्यक है, उस अंतिम तिथि से शुरू होगी जब परियोजना प्रस्तावक उपर्युक्त सभी प्राधिकारियों को अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करता है।

2.2 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय संघात रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।

2.3 एसपीसीबी या यूटीपीसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि ईआईए रिपोर्ट विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित टीओआर के अनुसार तैयार किया गया है। एसपीसीबी या यूटीपीसीसी द्वारा विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित टीओआर के परे किसी अतिरिक्त अध्ययन की मांग नहीं करेगा।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या किसी अन्य उपयुक्त स्थान आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी। वे जैसा पैरा 2.2 में वर्णित है, उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों / कार्यालयों, को प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे।

2.5 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, दस्तावेजों से या अन्यथा, यह निर्णय करेगी कि लोक सुनवाई किसी अतिरिक्त या अनुकल्पिक स्थानों पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता है या नहीं। परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर परियोजना प्रस्तावक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा।

2.6 ऊपर उप-खंड 2.5 के अनुसार निर्णय के परिणामस्वरूप, चालीस दिनों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को परियोजना प्रस्तावक ऊपर उप-खंड 2;2 के अनुसार, अतिरिक्त या अनुकल्पिक स्थानों के प्रासंगिक प्राधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध कराता है।

(3) लोक सुनवाई की सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर लोक सुनवाई के पीठासीन अधिकारी की सहमति से सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा। वह उसको पीठासीन अधिकारी की सहमति की तिथि से पाँच दिनों के अंदर मुख्य राष्ट्रीय दैनिक और एक प्रादेशिक भाषा या राज्य की आधिकारिक भाषा के दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापित करेगा। जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम बीस दिनों की सूचना अवधि उपलब्ध कराई जाएगी;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहाँ प्रारूप पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय संघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुँच हो सके। ऐसे स्थानों पर जहाँ समाचारपत्र नहीं पहुँचते हैं, वहाँ सक्षम प्राधिकारी को ढोल बजाकर और साथ ही साथ रेडियो या टेलिविजन पर विज्ञापन या घोषणा द्वारा जैसे अन्य माध्यमों से जनता को आम जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उप आयुक्त की सिफारिश पर किया गया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा।

3.5 ऐसे आपवादिक परिस्थितियों में (ऊपर उप-खंड 3.3 में यथा वर्णित), केवल जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य - सचिव द्वारा लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा।

(4) पर्यवेक्षण और सुनवाई का पीठासीन अधिकारी

श्रेणी 'क' के मामले में जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उप आयुक्त या अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक तक का उसका प्रतिनिधि, तथा श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।

(5) वीडियोग्राफी

5.1 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी। संबंधित विनियामक प्राधिकारी को रिकॉर्ड भेजते समय लोक सुनवाई विवरण के साथ वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी या डीवीडी या यूएसबी या अन्य स्टोरेज डिवाइज को संलग्न किया जाएगा।

(6) कार्यवाहियां

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो अंतिम कार्रवाई के स्थल पर विद्यमान हैं, को नोट किया जाएगा।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा।

6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा। लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को प्रदर्शित करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर सुनाया जाएगा। करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन, प्रवर्ग "क" के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उप आयुक्त या अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून उप-मंडल मजिस्ट्रेट और प्रवर्ग "ख" के मामले में उप मंडल मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, जिसने कार्यवाहियों की अध्यक्षता की है, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और परियोजना प्रस्तावक की टीका - टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में या राज्य की आधिकारिक भाषा, जैसा भी मामला हो, और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को पंचायतों के कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में परियोजना स्थित है, संबंधित जिला परिषद जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त और एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीबी के कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा। एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीबी आम सूचना के लिए कार्यवाहियों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे। कार्यवाहियों पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, सीधे संबंधित विनियामक प्राधिकरण या विहित परियोजना प्रस्तावक को भेजी जाएगी।

(7) लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि :

7.1 लोक सुनवाई के आयोजन से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए कालावधि निम्नवत होगी :

(i) लोक सुनवाई आयोजित करने के लिए तारीख, समय और सटीक स्थान को आवेदन की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अंतिम रूप दिया जाएगा;

(ii) पीठासीन अधिकारी की सहमति की तारीख से अन्य पाँच दिनों के अंदर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और एक प्रादेशिक भाषा या राज्य की आधिकारिक भाषा के समाचार पत्र में लोक सुनवाई का विवरण विज्ञापित किया जाएगा।

(iii) जनता को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बीस दिनों का नोटिस कालावधि दी जाएगी;

(iv) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के पाँच दिनों के अंदर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियां प्रेषित करेगी।

(8) लोक सुनवाई हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति,

..... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

विषय : में अवस्थित मैसर्स की प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय संघात आकलन अधिसूचना के उपबंधों के तहत लोक सुनवाई का अनुरोध - के संबंध में।

ईआईए अधिसूचना, 2020 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्वारा प्रस्तावित परियोजना का विवरण और लोक परामर्श के आयोजन के लिए अपेक्षित दस्तावेज एतद्वारा प्रस्तुत है :

1. परियोजना का विवरण : परियोजना का नाम; कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम यदि कोई हो; इत्यादि।
2. पत्राचार का पता : परियोजना प्रस्तावक का नाम / पदनाम (स्वामी / साझीदार / सीईओ); पता : डाक सूचकांक कोड; ई-मेल पता; दूरभाष सं.; फैक्स सं., इत्यादि।
3. परियोजना का प्रवर्ग : अनुसूची में मद सं.; प्रवर्ग (क या ख1)
4. परियोजना का अवस्थान : प्लॉट / सर्वे / खसरा सं.; ग्राम; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परिवद्ध अक्षांश; परिवद्ध देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण टोपो शीट सं.; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम हवाई अड्डा; निकटतम शहर / शहर / जिला मुख्यालय (निर्दिष्ट करें); ग्राम पंचायतें, जिला परिषद, नगर निगम, स्थानीय निकाय (पिन कोड और दूरभाष सं. के साथ पूरा डाक पता)।
5. यदि परियोजना एक से अधिक राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है, तो तत्संबंधी ब्यौरा : राज्यों की संख्या जिनमें परियोजना क्रियान्वित की जाएगी; परियोजना का मुख्य राज्य; उन सभी राज्यों का विवरण जहाँ परियोजना अवस्थित है।
6. सौंपे गए कृत्यों (टीओआर) : टीओआर निर्गम की तिथि / मानक टीओआर; एमओईएफएंडसीसी / एसईआईएए मिसिल सं.; टीओआर पत्र की प्रति।
7. परियोजना के अभिविन्यास और उत्पाद का विवरण।
8. परियोजना लागत (लाख रुपए में): वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत; ईएमपी के लिए आवंटित निधि (पूंजी); सीईआर के लिए आवंटित निधियां; ईएमपी के लिए आवंटित निधियां (प्रतिवर्ष आवर्ती)
9. विभिन्न कार्यकलापों के लिए भूमि की आवश्यकता।
10. भूमि अधिग्रहण स्थिति : भूमि अधिग्रहित; भूमि अभी अधिग्रहित किया जाना है; यदि भूमि अधिग्रहित नहीं है तो अधिग्रहण की स्थिति।
11. पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आर एंड आर), यदि कोई हो : ग्रामों की संख्या; घर परिवारों की संख्या; पीडीएफ (परियोजना विस्थापित परिवार) की संख्या; पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) की संख्या; आर एंड आर के लिए आवंटित निधियां; आर एंड आर की स्थिति (पूरा हो गया / प्रगतिधीन / अभी शुरू किया जाना है)।
12. जनबल आवश्यकता : संनिर्माण / प्रचालन के दौरान स्थायी / अस्थायी नियोजन; कुल जनबल।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम / वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम / जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत जारी किए गए न्यायालय मामलों में निदेशन का विवरण, यदि कोई हो।
14. ईआईए परामर्शदाता का विवरण : प्रत्यायन सं.; ईआईए परामर्शदाता का नाम; पता; दूरभाष सं.; ई-मेल पता; प्रत्यायन की कोटि (कोटि 'क' के लिए पात्र / कोटि 'ख' के लिए पात्र); प्रत्यायन का क्षेत्र; प्रत्यायन की विधिमान्यता।
15. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज : अंग्रेजी भाषा में तैयार की गयी प्रारूप ईआईए रिपोर्ट की कम से कम 10 हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट (इलेक्ट्रॉनिक) प्रति; और अंग्रेजी और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की आधिकारिक भाषा या प्रादेशिक भाषा में ईआईए रिपोर्ट के सार की कम से कम 10 हार्ड प्रति।

हस्ताक्षर और तिथि

नाम; पदनाम; कंपनी; पता

(9) लोक सुनवाई की सूचना के लिए प्रारूप

लोक सुनवाई सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :-

1. परियोजना का विवरण : परियोजना का नाम; कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता।
2. परियोजना का अवस्थान : प्लॉट / सर्वे / खसरा सं.; ग्राम; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परिवर्द्ध अक्षांश; परिवर्द्ध देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण टोपो शीट सं.; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम हवाई अड्डा; निकटतम शहर / शहर / जिला मुख्यालय (निर्दिष्ट करें)।
3. यदि परियोजना एक से अधिक राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है, तो तत्संबंधी ब्यौरा।
4. परियोजना के अभिविन्यास और उत्पाद का विवरण।
5. परियोजना लागत (लाख रुपए में): वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत; ईएमपी के लिए आवंटित निधि (पूँजी); सीईआर के लिए आवंटित निधियां; ईएमपी के लिए आवंटित निधियां (प्रतिवर्ष आवर्ती)
6. भूमि आवश्यकता : आवश्यक कुल भूमि हैक्टेयर में। भूमि अधिग्रहण स्थिति [भूमि अधिग्रहित; भूमि अभी अधिग्रहित किया जाना है]
7. पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आर एंड आर), यदि कोई हो : ग्रामों की संख्या; घर परिवारों की संख्या; पीडीएफ (परियोजना विस्थापित परिवार) की संख्या; पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) की संख्या; आर एंड आर के लिए आवंटित निधियां; आर एंड आर की स्थिति (पूरा हो गया / प्रगतिधीन / अभी शुरू किया जाना है)।
8. जनबल आवश्यकता : संनिर्माण / प्रचालन के दौरान स्थायी / अस्थायी नियोजन; कुल जनबल।
9. पूर्ण डाक पता, जहाँ प्रारूप ईआईए रिपोर्टों की प्रतियां उपलब्ध कराई गयी है।

परिशिष्ट - II

(खंड 11 देखें)

प्रारूप - 1

1	परियोजना विवरण : परियोजना का नाम; कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम, यदि कोई हो; आदि
2	पत्राचार का पता : परियोजना प्रस्तावक का नाम; पदनाम; पता; डाक सूचकांक; ई-मेल पता; मोबाइल नं.; फैक्स नं., इत्यादि।
3	अनुसूची के अनुसार परियोजना का प्रवर्ग : अनुसूची में मद सं.; प्रवर्ग (क/ख ₁ /ख ₂); प्रस्ताव का प्रकार (नया / विस्तार / आधुनिकीकरण); इत्यादि।
4	परियोजना की अवस्थिति : भू-खंड / सर्वे / खसरा संख्या; ग्राम; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परियोजना का आक्षांश और देशांतर / कार्यकलाप स्थल; भारतीय सर्वेक्षण स्थलाकृति पत्र; औसत समुद्र तल से अधिकतम उत्कर्ष; केएमएल मिसिल; अध्ययन क्षेत्र के अंदर परियोजना सीमा से निकटतम उच्चतम बाढ़ स्तर (नि.बा.स्त.) की दूरी; भू-कंपी जोन; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम रेलवे स्टेशन से दूरी (किलोमीटर में); निकटतम हवाई अड्डा से दूरी (किलोमीटर में); निकटतम नगर / शहर / जिला मुख्यालय (निर्दिष्ट करें); ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, स्थानीय निकाय (पूरा पता पिन कोड और दूरभाष संख्या के साथ); इत्यादि।
5	क्या परियोजना अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित करने का प्रस्ताव है (हाँ / नहीं)
6	क्या परियोजना सीमावर्ती राज्यों में अवस्थित करने का प्रस्ताव है (हाँ / नहीं)
7	यदि परियोजना को कई राज्यों / संघ क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना है तो तत्संबंधी विवरण : राज्यों / संघ क्षेत्रों की संख्या जिनमें परियोजना क्रियान्वित की जाएगी; परियोजना का मुख्य राज्य / संघ क्षेत्र , जहाँ

परियोजना अवस्थित है								
8	अनुकल्पिक स्थलों का विवरण							
	क			पड़ताल किए गए अनुकल्पिक स्थलों का विवरण				
	अनुकल्पिक स्थल	ग्राम	जिला	राज्य	सीमाबद्ध अक्षांश (उत्तर)		सीमाबद्ध देशांतर (पूर्व)	
					से	तक	से	तक
ख			अनुकल्पिक अवस्थानों को दर्शाने वाले स्थलाकृति पत्र की प्रति					
9	उत्पादों एवं सह-उत्पादों का विवरण; और परियोजना अभिविन्यास							
	क. नयी परियोजनाओं के मामले में					:		
	क. उत्पादों एवं सह-उत्पादों का विवरण					:		
	उत्पाद / कार्यकलाप (क्षमता / क्षेत्र)		परिमाण	इकाई	उत्पाद / सह-उत्पाद के परिवहन / संप्रेषण का माध्यम			
	<ul style="list-style-type: none"> - इकाई :- टन प्रतिवर्ष (ट.प्र.व.), संख्या ; मेगा वाट (मे.वा.), हेक्टेयर (है.), किलो लीटर दैनिक (कि.ली.दै.), टन पेराई दैनिक (ट.पे.दै.), घन मीटर दैनिक, किलोमीटर (किमी), मिलियन लीटर दैनिक (मि.लि.दै.), चर्म प्रति माह, वर्ग मीटर, अन्य) - उत्पाद के परिवहन / संप्रेषण का माध्यम (सड़क, रेल, वाहक पट्टा, पाइप वाहक, आकाशीय रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्र का दो या तीन प्रकार का संयोजन, अन्य) 							
	ख. परियोजना अभिविन्यास का विवरण							
	संयंत्र / उपस्कर / सुविधा का विवरण			अभिविन्यास	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो			
ख. विस्तार या आधुनिकीकरण के मामले में								
क. उत्पादों और सह-उत्पादों का विवरण								
उत्पाद / कार्यकलाप (क्षमता / क्षेत्रफल)		परिमाण	परिमाण	इकाई	उत्पादों और सह-उत्पादों के परिवहन / संप्रेषण का माध्यम			

		से	तक				
	<p>- इकाई :- टन प्रतिवर्ष (ट.प्र.व.), संख्या ; मेगा वाट (मे.वा.), हैक्टेयर (है.), किलो लीटर दैनिक (कि.ली.दै.), टन पेराई दैनिक (ट.पे.दै.), घन मीटर दैनिक, किलोमीटर (किमी), मिलियन लीटर दैनिक (मि.लि.दै.), चर्म प्रति माह, वर्ग मीटर, अन्य)</p> <p>- उत्पाद के परिवहन / संप्रेषण का माध्यम (सड़क, रेल, वाहक पट्टा, पाइप वाहक, आकाशीय रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्र दो या तीन प्रकार का संयोजन, अन्य)</p>						
	ख.	परियोजना अभिविन्यास का विवरण					
	संयंत्र / उपस्कर / सुविधा का विवरण	मौजूदा अभिविन्यास	प्रस्तावित अभिविन्यास	विस्तार पश्चात् अंतिम अभिविन्यास	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो		
ग.	<p>पहले से प्राप्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति का विवरण : पहले से प्राप्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति का विवरण : पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की तिथि; मंत्रालय / एसईआईए / डीईआईए मिसिल संख्या; पहले से प्राप्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति(यों) की प्रति, संशोधन यदि कोई हो; इत्यादि [पहले से प्राप्त किए गए कई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति(यों) के मामलों में सभी पहले से प्राप्त सभी पूर्व प.नि. का विवरण, पूर्व प.नि. में संशोधन, यदि कोई हो का विवरण]</p>						
10	कच्ची सामग्री / ईंधन आवश्यकता :						
	कच्ची सामग्री / ईंधन	मात्रा प्रतिवर्ष	इकाई	स्रोत (आयात के मामले में, कृपया देश और पत्तन जहाँ से कच्ची सामग्री / ईंधन प्राप्त किया जाएगा, का नाम विनिर्दिष्ट करें)	परिवहन की रीति	परियोजना स्थल से स्रोत की दूरी (किलो मीटर में) (आयात के मामले में, उस पत्तन से दूरी, जहाँ से कच्ची सामग्री / ईंधन प्राप्त किया जाएगा)	कटि-संहति का प्रकार (कटि-संहति / ईंधन आपूर्ति करार / ई-नीलामी / स.ज्ञा./ एलओए / आवद्ध / खुला बाजार / अन्य)
	विस्तार प्रस्तावों के मामले में, कच्ची सामग्री / ईंधन की कुल आवश्यकता दी जानी चाहिए						
	- इकाई :- टन प्रतिवर्ष (ट.प्र.व.), मेगा वाट (मे.वा.), हैक्टेयर (है.), किलो लीटर दैनिक (कि.ली.दै.), टन						

	पेराई दैनिक (ट.पे.द.), घन मीटर दैनिक, किलोमीटर (किमी), मिलियन लीटर दैनिक (मि.लि.द.), अन्य) - उत्पाद के परिवहन / संप्रेषण का माध्यम (सड़क, रेल, वाहक पट्टा, पाइप वाहक, आकाशीय रज्जुमार्ग, दो या तीन प्रकार का संयोजन, अन्य)		
11	विद्युत अपेक्षा : परिमाण (किलो वोल्ट अंपीयर (कि.वो.अं.)); स्रोत; आपाती व्यवस्था (डीजन जनित्र समुच्चयों का विवरण); स्टैक उँचाई (मी. में); इत्यादि .		
12	परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता		
	क. भूमि स्वामित्व स्वरूप (परियोजना प्रस्ताव के पूर्व) हैक्टेयर में [वन भूमि; निजी भूमि; सरकारी भूमि; राजस्व भूमि; अन्य भूमि; कुल भूमि]		
	ख. वर्तमान भूमि उपयोग अलग अलग हैक्टेयर में [कृषि क्षेत्र; बंजर / उसर क्षेत्र, चारागाह / सामूदायिक क्षेत्र; सतह जल निकाय; आबादी; औद्योगिक; वन. मैनग्रोव; समुद्री क्षेत्र; अन्य (विनिर्दिष्ट करें); और कुल]		
13	वर्तमान मूल्य पर परियोजना की कुल लागत (लाख में)		
14	क्या परियोजना पर ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें लागू होती हैं (हाँ / नहीं)? यदि हाँ, विवरण प्रदान करें (नाम और परियोजना से दूरी)	:	
	क. संरक्षित क्षेत्र	:	
	ख. गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र	:	
	ग. पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र	:	
	घ. अंतर राज्य / संघ क्षेत्र सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं	:	
	ड. अति प्रदूषित क्षेत्र	:	
	च. पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन	:	
15	क्या प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसी के भी अंतर्गत अनुमोदन / अनापत्ति शामिल है : यदि हाँ, तो विवरण / उनकी स्थिति बताएं		
	क वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980? (हाँ / नहीं)		
	ख वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972? (हाँ / नहीं)		
	ग सीआरजेड अधिसूचना 2019? [हाँ / नहीं] यदि हाँ, सीआरजेड वर्गीकरण के साथ : (सीआरजेड I (क), सीआरजेड I(ख), सीआरजेड II, सीआरजेड III, सीआरजेड IV (क), सीआरजेड IV(ख)]		
	घ सीआरजेड. अधिसूचना 2019? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, सीआरजेड वर्गीकरण के साथ		
16	क्या पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) अंतर्ग्रस्त है (हाँ / नहीं)?		

17	पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संवेदनशीलता (10 किमी के अंदर) :			
क.	पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का विवरण			
	पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का विवरण	नाम	परियोजना से दूरी (किमी)	अभ्युक्तियां
	- पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता का विवरण : - (गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन, वन्यजीव कॉरिडोर, इत्यादि)			
ख.	क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें अपेक्षित हैं (हाँ / नहीं)?			
ग.	पर्यावरणीय संवेदनशीलता का विवरण			
i	पर्यावरणीय संवेदनशीलता का विवरण	नाम / पहचान	परियोजना से आकाशीय दूरी (किमी)	अभ्युक्तियां
ii	उनके पारिस्थितिक, भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन संरक्षित क्षेत्र			
iii	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं - बेट लैंड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन, बायोस्फीयर, पहाड़ियां, वन			
iv	क्षेत्र जो प्रजनन, घोंसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए, फ्लोरा और फोना के संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं			
v	अंतरदेशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं			
vi	मनोरंजन की या अन्य पर्यटक / यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं			
vii	रक्षा प्रतिष्ठान			
viii	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र			

	ix	संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगाधीन क्षेत्र अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं			
	x	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज)			
	xi	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन हैं (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं)			
	xii	क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (धंसना, भू-स्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल मौसमी स्थितियां)			
	घ.	क्या उपर्युक्त के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनुज्ञा अपेक्षित हैं (हाँ / नहीं)?			
18	परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि)				
	क्र.सं.	जानकारी / जांच सूची पुष्टिकरण	हां/ नहीं	उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा / दरों, सहित, जो संभव हो, सहित) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित।	
	i.	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा में वृद्धि शामिल है (स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है)?			
	ii.	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति?			
	iii.	नई भूमि उपयोगों का सृजन?			
	iv.	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात् बोर, गृह, मिट्टी का परिक्षण करना?			
	v.	संनिर्माण कार्य ?			
	vi.	विध्वंस कार्य?			
	vii.	संनिर्माण कार्य या संनिर्माण कर्मकारों के घर के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल ?			
	viii.	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या जमीनी कार्य जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटना और भरना या खुदाई भी सम्मिलित है।			

ix.	भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी सम्मिलित है?		
x.	भूमि सुधार कार्य ?		
xi.	तलकषक?		
xii.	अपतट संरचनाएं ?		
xiii.	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं ?		
xiv.	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं?		
xv.	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिस्त्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं ?		
xvi.	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक घर का प्रबंध के लिए सुविधाएं?		
xvii.	संनिर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात?		
xviii.	नई सड़क, रेल, वायु जलवाहिक या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्गों और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित हैं?		
xix.	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद करना या अपवर्तन या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रमुख अवसंरचना ?		
xx.	नई या अपवर्तित प्रेषण लाइनें या पाइपलाइनें ?		
xxi.	अवरुद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना, पुनः रेखांकन या जलमार्गों या एक्वीफरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन ?		
xxii.	प्रवाह पार?		
xxiii.	भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण ?		
xxiv.	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन ?		
xxv.	संनिर्माण, परिचालन या न निकालने के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन ?		
xxvi.	दीर्घकालिक रूप से तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य पुनः प्रारंभ करना?		
xxvii.	डिकमिशनिंग के दौरान जारी ऐसे कार्यकलाप जो		

		पर्यावरण पर समाघात कर सकेंगे ?		
	xviii.	जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आना?		
	xxix.	अन्य देशीय प्रजातियों का आना?		
	xxx.	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवांशिक विविधता की हानि?		
	xxxi.	अन्य कोई कार्रवाईयां?		
19	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग, भंडारण, परिवहन, उठाई धराई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिनके मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तविकता के बारे में चिंताएं उठती हैं।			
	क्र.सं.	सूचना / जांच सूची पुष्टिकरण	हाँ / नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके व्यौरे (लगभग मात्राओं / दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
	i.	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा, फोना और जल प्रदाय) के लिए परिसंकटमय (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) है?		
	ii.	रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उदाहरणार्थ कीट या जल - जन्य रोग) ?		
	iii.	लोगों के कल्याण पर प्रभाव, उदाहरणार्थ जीवन दशाओं में परिवर्तन करके ?		
	iv.	लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं?		
	v.	कोई अन्य कारण ?		
20	वायु में संपदूषकों या किसी परिसंकटमय विषैले या जहरीले पदार्थों का विसर्जन (किग्रा / घंटा)			
	क्र.सं.	सूचना / जांच सूची पुष्टिकरण	हाँ / नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके व्यौरे (लगभग मात्राओं / दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
	i.	स्थायी या चल संसाधनों से जीवाष्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जन?		
	ii.	उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन?		
	iii.	सामग्रियों की उठाई धराई से, जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन?		

	iv.	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी है, उत्सर्जन?		
	v.	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल जल और अपशिष्ट, धूल या गंध भी शामिल हैं?		
	vi.	अपशिष्ट के भस्मीकरण से उत्सर्जन?		
	vii.	खुली वायु में अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ, स्लैश सामग्री, निर्माण सामग्री का ढेर)?		
	viii.	किन्हीं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन?		
21	शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन			
	क्र.सं.	सूचना / जांच सूची पुष्टिकरण	हाँ / नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं / दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
	i.	उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र?		
	ii.	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से?		
	iii.	निर्माण या ढहाने से?		
	iv.	विस्फोटन या पाइलिंग से ?		
	v.	निर्माण या परिचालन संबंधी यातायात से?		
	vi.	प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से?		
	vii.	किन्हीं अन्य स्रोतों से?		
22	भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम			
	क्र.सं.	सूचना / जांच सूची पुष्टिकरण	हाँ / नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं / दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
	i.	परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से?		
	ii.	जल या भूमि में (अनुमानित ढंग और विसर्जन का स्थान) मल जल या अन्य बहिस्त्रावों के विसर्जन से?		
	iii.	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने		

		से?		
	iv.	किन्हीं अन्य स्रोतों से?		
	v.	क्या इन स्रोतों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से दीर्घकालिक जोखिम है?		
23	परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं			
	क्र.सं.	सूचना / जांच सूची पुष्टिकरण	हाँ / नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके व्यौरे (लगभग मात्राओं / दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
	i.	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई धराई या उत्पादन से?		
	ii.	किन्हीं अन्य कारणों से?		
	iii.	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-स्खलन, वृष्टिफोट आदि)?		
24	बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास), जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए समर्थवान हैं			
	क्र.सं.	सूचना / जांच सूची पुष्टिकरण	हाँ / नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके व्यौरे (लगभग मात्राओं / दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
	i.	जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या परियोजना द्वारा विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है, उदाहरणार्थ : आधारीक अवसंरचना (सड़कें, बिजली प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि); आवासन विकास; निष्कर्षित उद्योग; पूर्ति उद्योग; कोई अन्य?		
	ii.	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है?		
	iii.	पश्चात्कर्ती विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करना?		
	iv.	सामिप्य के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित परियोजनाएं?		

25	क्या परियोजना पर कोई वाद लंबित है (हाँ / नहीं); यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें		
26	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम / वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम / जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) के अंतर्गत कोई निदेश जारी किए गए हैं (हाँ / नहीं); यदि हाँ, विवरण प्रस्तुत करें		
27	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज		
क	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रति अपलोड करें (केवल पीडीएफ ही अपलोड करें)		
ख	खाका योजना की एक प्रति अपलोड करें (केवल पीडीएफ ही अपलोड करें)		
ग	परियोजना प्रस्तावक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र अपलोड करें (केवल पीडीएफ ही अपलोड करें)		
घ	प्रयोक्त अभिकरण के निमित्त इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र की एक प्रति अपलोड करें (केवल पीडीएफ ही अपलोड करें)		
28	परिवचन		
	मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गयी अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी। उपर्युक्त के अलावा, मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि उसके बाद से कोई कार्यकलाप / संनिर्माण / विस्तार शुरू नहीं किए गए हैं।		
	नाम; पदनाम; कंपनी; पता		
	टिप्पण :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2018 के अधीन अनापत्ति वाली परियोजनाएं आवेदन के साथ परियोजना क्रिया कलाप, डब्ल्यू आर टी, सी आर जैड (टी. ओ. आर्. की अवस्था में) दर्शाते हुए एक प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से रेखांकित सी आर जैड नक्शा और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (ई. सी . की अवस्था में) की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। सी आर जैड में किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए सी आर जैड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए भी साथ - साथ कार्रवाई की जाएगी। 2. राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य पशुओं के प्रवासी कारीडोर के 10 कि. मी. के भीतर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक इन लक्षणों के साथ साथ परियोजना अवस्थिति दर्शाते हुए मुख्य वन प्राणी वार्डन द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नक्शा और उस पर मुख्य वन प्राणी वार्डन की सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा (पूर्व ई. सी . की अवस्था में)। 3. स्कोपिंग / पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति, पश्चात् स्पष्टीकरण के प्रस्तुति करने सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सभी पत्राचार, जो समय - समय पर अपेक्षित हैं, परियोजना प्रस्तावक के निमित्त ईएसी में भागीदारी केवल प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। प्राधिकृत हस्ताक्षरी, विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए परियोजना प्राधिकृत हस्ताक्षरी के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। 		

परिशिष्ट - III

(खंड 11 देखें)

प्ररूप - 1 क

(केवल अनुसूची की मद 42 और 43 में प्रवर्ग 'ख2' के अधीन सूचीबद्ध भवन और निर्माण परियोजनाओं के लिए)

पर्यावरणीय प्रभावों की जाँच सूची

(परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंध तंत्र योजना और मानिटरि कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत करें)

क्र.	मद	विवरण
1	भूमि पर्यावरण	
1.1	क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सारवान रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातावरण आसपास से संगत नहीं है? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्लान / विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सक्षम प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए)।	
1.2	भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विद्युत अपेक्षा, संयोजकता, सामुदायिक सुविधाएं, पार्किंग की आवश्यकता आदि के अनुसार सभी बड़ी परियोजना की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें।	
1.3	प्रस्तावित स्थल से संलग्न विद्यमान सुविधाओं पर प्रस्तावित क्रियाकलापों का क्या प्रभाव होने की संभावना है? (जैसे खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाएं, विद्यमान भूमि उपयोग के ब्यौरे, स्थानीय परिस्थितिकी को विघ्न)	
1.4	क्या किसी महत्वपूर्ण भूमि विघ्न के परिणामस्वरूप भूस्खलन, भूमि कटाव एवं अस्थिरता होगी ? (मृदा किस्म, ढाल विश्लेषण, भूमि कटाव की संवेदनशीलता, भूकंपन आदि के ब्यौरे दिए जाएं)	
1.5	क्या प्राकृतिक मल निकास प्रणाली के परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव है? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मल निकासी को दर्शित करते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यौरे दें)	
1.6	निर्माण कार्यकलाप – कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं? (अंतर्वलित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यौरे दें)	
1.7	निर्माण अवधि के दौरान जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यौरे दें।	
1.8	क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंडस में परिवर्तन होंगे? (वह ब्यौरे दें कि किस प्रकार निचले क्षेत्र और वेट लैंडस प्रस्तावित क्रियाकलापों से उपांतरित हो रहे हैं)	
1.9	क्या निर्माण के दौरान निर्माण के कूड़ा करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा? (निर्माण के दौरान जिसके अंतर्गत निर्माण, श्रम और व्ययन की युक्तियां भी हैं, जनित अपशिष्टों की विभिन्न किस्मों की मात्राएं दें)	
2	जल पर्यावरण	
2.1	विभिन्न उपयोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें। जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी। स्रोतों और मात्राओं का कथन करें तथा एक जल अतिशेष विवरण दें।	
2.2	जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)	
2.3	अपेक्षित जल की गुणवत्ता क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिका स्रोत से नहीं है? (जल की गुणवत्ता के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक, जैविक लक्षणों लक्षणों को दर्शित करें)	

2.4	कितनी जल अपेक्षा की उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः चक्रण से पूर्ति हो सकती है? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्यौरे दें।)	
2.5	क्या अन्य उपयोक्ताओं से जल का उपयोग होगा? (कृपया अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)	
2.6	प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त अपशिष्ट जल से प्रदूषण के भार में क्या वृद्धि है? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त अपशिष्ट जल की मात्राओं और संघटन के ब्यौरे दें)	
2.7	जल अपेक्षाओं की जल संचयन से हुई पूर्ति के ब्यौरे दें। सृजित सुविधाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करें।	
2.8	दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के पश्चात् क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्षणों (मात्रात्मकता के साथ – साथ गुणवत्ता भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा? क्या इसे बाढ़ या जल के जमा होने की किसी रूप में समस्या में वृद्धि होगी?	
2.9	भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे? (क्या भूमिगत जल में नल लगाया जाएगा; भूमिगत जल की सारणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमोदित, यदि कोई हो, के ब्यौरे दें)	
2.10	भूमि और पनिलों को प्रदूषित करने वाले निर्माण क्रियाकलापों को बंद करने के लिए क्या सावधानियां / कदम उठाए जाने हैं? (प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए मात्राओं और अपनाए जाने वाले उपायों के ब्यौरे दें)	
2.11	स्थल के भीतर किस प्रकार तेल जल की व्यवस्था की जाएगी? (क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए किए गए उपबंध, समोच्च स्तरों के उपदर्शन के स्थल सहित उपलब्ध कराई गई जल निकासी सुविधाओं के ब्यौरे का कथन करें)	
2.12	क्या आवश्यक अवधि में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लगाए जाने से परियोजना स्थल के आस-पास अस्वच्छता की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं? (उचित स्पष्टीकरण से न्यायोचित ठहराएं)	
2.13	स्थल सुविधाओं पर संग्रहण, उपचार और जल निकासी के सुरक्षित व्ययन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? (पुनः चक्रण और व्ययन के लिए प्रौद्योगिकी और सुविधाओं सहित जनन, उपचार क्षमताओं की, चाहे जैसी हों मात्राओं के ब्यौरे दें)	
2.14	दोहरी नलसाजी प्रणाली के ब्यौरे दें यदि उपयोग किए गए उपचारित अपशिष्ट का प्रसाधनों को बहाने या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है।	
3.	वनस्पति	
3.1	क्या जैव विविधता पर परियोजना का कोई खतरा है? (स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणाली का उसकी विशिष्ट बातों सहित यदि कोई हो वर्णन करें)	
3.2	क्या निर्माण में वनस्पति की विस्तृत निकासी या उपांतरण अंतर्वलित है? (परियोजना द्वारा प्रभावित वृक्षों और वनस्पति का विस्तृत लेखा जोखा दें)	
3.3	महत्वपूर्ण स्थल की बातों पर प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या है? (किसी समुचित मापमान की किसी अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकायों आदि के सृजन के प्रस्ताव के ब्यौरे दें)	
4	जीव जन्तु	
4.1	क्या जीव जन्तुओ, स्थलीय और जलीय रूप से किसी प्रकार हटाने या उनके चलने फिरने के लिए रुकावटें होने की संभावना है? ब्यौरे दें।	

4.2	क्षेत्र के जीव जन्तुओं पर क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है? ब्यौरे दें।	
4.3	जीव-जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारीडोर, मछली लेडर्स आदि जैसे उपाय विहित करें।	
5	वायु पर्यावरण	
5.1	क्या परियोजना से द्वीपों में गैसों के वायुमंडलीय सांद्रण में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप उष्मा बढ़ेगी? (प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण आदर्शों पर आधारित अनुमानित मूल्यों सहित पृष्ठभूमि वायु गुणवत्ता स्तरों के ब्यौरे दें)	
5.2	धूल, जहरीली वाष्पों या अन्य परिसंकटमय गैसों के बनने पर क्या प्रभाव है? सभी मौसम विज्ञान परिमाणों के संबंध में ब्यौरे दें।	
5.3	क्या प्रस्ताव से यानों को पार्क करने के स्थल में कमी आएगी? परिवहन अवसंरचना और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल के प्रवेश और निर्गम पर यातायात व्यवस्था भी है, विद्यमान स्तर के ब्यौरे दें।	
5.4	प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने के पैटर्न के ब्यौरे दें।	
5.5	क्या यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी? ऊपर वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दें।	
5.6	परियोजना स्थल के आसपास शोर स्तरों और कंपन तथा परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर डीजी सेटों और अन्य उपस्करों पर क्या प्रभाव होगा? ब्यौरे दें।	
6	सौंदर्यबौद्धि	
6.1	क्या प्रस्तावित परिनिर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भुदृश्य में रूकावट होगी? क्या प्रस्तावकों ने इन बातों पर विचार कर लिया है?	
6.2	क्या विद्यमान परिनिर्माणों पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा? किन बातों को ध्यान में रखा गया है?	
6.3	क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूप या शहर डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन है? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है।	
6.4	क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या वाह्य चीजें आसपास में है? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिस पर प्रस्तावित स्थल के परिक्षेत्र में होने पर विचार किया गया है।	
7	सामाजिक – आर्थिक पहलू	
7.1	क्या प्रस्ताव के परिणामस्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा? ब्यौरे दें।	
7.2	प्रस्तावित परियोजना के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना के ब्यौरे दें।	
7.3	क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विघ्न पड़ेगा? प्रस्तावित सुरक्षा उपाय क्या है?	
8	निर्माण सामग्री	
8.1	अधिक ऊर्जा सहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा। क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं सहित	

	निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता या चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यौरे दें)	
8.2	निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उठाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है। इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं?	
8.3	क्या सड़कों और ढांचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है? की गई बचतों की सीमा का कथन करें?	
8.4	परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और व्ययन की पद्धति के ब्यौरे दें।	
9	ऊर्जा संरक्षण	
9.1	विद्युत अपेक्षा, प्रदाय के स्रोत, बैक अप के स्रोत आदि की पृष्ठभूमि आदि के ब्यौरे दें। निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट ऊर्जा खपत कितनी है? ऊर्जा खपत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?	
9.2	विद्युत की बैक - अप की किस्म और क्षमता, जिसको देने की आपकी योजना है, क्या है?	
9.3	उपयोग किए जाने वाले काँच के अभिलक्षण क्या हैं? शार्ट वेव और लांग वेव विकिरण दोनों से संबंधित उसके अभिलक्षणों के विनिर्देश दें।	
9.4	भवन में कौन से अप्रत्यक्ष और वास्तविक कारक उपयोग किए जा रहे हैं? प्रस्तावित परियोजना में किए गए उपयोग को स्पष्ट करें।	
9.5	क्या गलियों और भवनों के अभिन्यास सौर उर्जा युक्तियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं? क्या आपने भवन परिसर में उपयोग के लिए सड़क प्रकाशन, आपात प्रकाशन और सौर तप्त जल प्रणालियों का उपयोग किया जाता है? ब्यौरों का सार दें।	
9.6	क्या प्रशीतन / तापन भार को कम करने के लिए शेडिंग का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है? पूर्व और पश्चिम दीवारों और छत पर शेडिंग को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने के सिद्धांत क्या हैं?	
9.7	क्या परिनिर्माणों में ऊर्जा का स्थल शीतन, प्रकाशन और यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है? तकनीकी ब्यौरे दें। ट्रांसफार्मरों और मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता और वायु प्रशीतन भार धारणाओं के ब्यौरे दें? क्या आप सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलरों का उपयोग कर रहे हैं? विनिर्देश दें।	
9.8	सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन में भवन क्रियाकलापों के संभावित प्रभाव क्या हैं? तप्त द्वीप और प्रतीपन प्रभावों के सृजन पर प्रस्तावित निर्माण में संभावित प्रभावों पर स्वतः निर्धारण का उल्लेख करें।	
9.9	भवन अहाते के तापीय अभिलक्षण क्या हैं? (क) छत; (ख) बाह्य दीवारें; और (ग) झरोखे? उपयोग की गई सामग्री और व्यष्टिक संघटकों के यू - मूल्यों पर आर - मूल्यों के ब्यौरे दें।	
9.10	अग्नि संकट के लिए प्रस्तावित सावधानियां और सुरक्षा उपाय क्या हैं? आपात योजनाओं के ब्यौरे दें।	
9.11	दिवाल सामग्री के रूप में यदि काँच का उपयोग किया जाता है तो ब्यौरे और विनिर्देश जिसके अंतर्गत उत्सर्जनता और तापीय अभिलक्षण भी हैं दें।	
9.12	भवन में वायु प्रवेशन की दर क्या है? प्रवेशन के प्रभावों को कैसे कम कर रहे हैं, उसके ब्यौरे दें।	
9.13	समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का किस सीमा तक उपयोग किया जाता है?	

	उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के ब्यौरे दें।	
10	<p>पर्यावरण प्रबंध योजना</p> <p>पर्यावरण प्रबंध योजना में निर्माण, प्रचालन और परियोजना के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए समस्त जीवन चक्र के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रत्येक मदवार के लिए सभी न्यूनतम करने वाले उपाय अंतर्विष्ट होंगे। इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मानिटरी योजना का आलेखन भी होगा। आपात की स्थिति में, जैसे स्थल पर दुर्घटना जिसके अंतर्गत आग लगना भी है, उठाए जाने वाले कदमों का कथन भी होगा।</p>	
11	संलग्नक :	
क	परियोजना स्थल और आस-पास का परिदृश्य	
ख	स्थल अवस्थिति	
ग	प्रस्तावित स्थल की परिवर्ती विशेषताएं	
घ	समुचित मापमान में स्थल (लेवल और समोच्च उपदर्शित करते हुए) (यदि उपलब्ध न हो तो केवल अवधारणात्मक योजना ही संलग्न करें)	

परिशिष्ट - IV

(खंड 11 देखें)

प्ररूप - 1ख2

प्रवर्ग ख2 परियोजनाओं / कार्यकलापों के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु आवेदन

1	परियोजना लागत : वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत (लाख में); पर्यावरण प्रबंधन हेतु आवंटित निधियों (पूजी); सीईआर के लिए आवंटित निधियों; ईएमपी के लिए आवंटित निधियां (वार्षिक आवर्ती)					
2	जल आवश्यकता के ब्यौरे (संनिर्माण, प्रचालन और समापन चरणों के दौरान)					
	क.	स्रोत	मात्रा केएलडी में	जल निकासी की पद्धति	स्रोत से दूरी	परिवहन का तरीका
स्रोत: सतह / भूजल /समुद्र /अन्य; परिवहन का तरीका : पाइपलाइन /नहर /						

		अन्य ; जल निकासी की पद्धति : बैराज / मेड / ग्रहण कुआँ / जैक कुआँ / नलकूप / खुला कुआँ / अन्य					
ख.	पत्र संख्या; जारी करने की तारीख; अनुमत मात्रा; सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रति						
ग.	क्या विलवणीकरण का प्रस्ताव किया गया है (हाँ / नहीं)						
	यदि हाँ, (i) विलवणीकरण क्षमता (केएलडी); (ii) लवण जल की मात्रा (केएलडी); लवण जल के निपटान की पद्धति						
3 अपशिष्ट जल प्रबंधन (निर्माण, प्रचालन और समापन के दौरान)							
	किस्म / स्रोत	उत्पादित अपशिष्ट जल की मात्रा (किलोलीटर प्रति दिवस)	शोधन क्षमता (किलोलीटर प्रति दिवस)	शोधन पद्धति	निपटान पद्धति	पुनः चक्रण / पुनः उपयोग में प्रयुक्त उपचारित जल की मात्रा (किलोलीटर प्रति दिवस)	निस्सारित जल की मात्रा (किलोलीटर प्रति दिवस)
4 ठोस अपशिष्ट जनन प्रबंधन (बहु प्रविष्टि अनुज्ञात)							
	मद	मात्रा प्रतिवर्ष	इकाई	स्थल से दूरी	परिवहन की पद्धति	निपटान का तरीका	
	<ul style="list-style-type: none"> - मद :- (औद्योगिक अपशिष्ट, नगीय ठोस अपशिष्ट, फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार), ई अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, अन्य) - इकाई :- (टन, किलोलिटर) - निपटान का तरीका :- (उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ), अधिकृत पुनः चक्रक, भूमि भरण, सेनेटरी भूमिभरण, अन्य) 						
5 विभिन्न कार्यकलापों के लिए भूमि आवश्यकता (एकाधिक प्रविष्टियां अनुज्ञात) हैक्टेयर में							
	कार्यकलाप / सुविधा / संयंत्र / अन्य का विवरण		भूमि आवश्यकता		अभ्युक्तियां		
	हरित पट्टी						
	कुल						
	<ul style="list-style-type: none"> - कार्यकलाप / सुविधा / संयंत्र / अन्य में शामिल हैं : मुख्य संयंत्र, उपनगरी, हरितपट्टी, भस्म तालाब, खदान क्षेत्र, ओबी डंप क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, नौकायन तालाब, भूमिभरण, जलाशय, विलवणीकरण संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षेत्र, निर्मित -क्षेत्र, अन्य 						

6	<p>यदि वन भूमि अंतर्ग्रस्त है :</p> <p>यदि सैद्धांतिक (चरण - I) अनुमोदन अभिप्राप्त किया गया है : मंत्रालय मिसिल संख्या; सैद्धांतिक (चरण - I) अनुमोदन की तिथि; अपयोजित क्षेत्र;</p> <p>यदि सैद्धांतिक (चरण - II) अनुमोदन अभिप्राप्त किया गया है: मंत्रालय मिसिल संख्या; सैद्धांतिक (चरण - II) अनुमोदन की तिथि; अपयोजित क्षेत्र;</p>
7	पेड़ कटाई, यदि कोई हो : परियोजना के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या (यदि वनभूमि शामिल नहीं है); और पेड़ों को काटने और पेड़ लगाने का विवरण
8	भूमि अधिग्रहण स्थिति : भूमि अधिग्रहित; भूमि अभी अधिग्रहित किया जाना है; यदि अधिग्रहित नहीं है तो भूमि अधिग्रहण की स्थिति

9	यदि अध्ययन क्षेत्र में अनुसूची - I प्रजातियों की उपस्थिति है			
	क	अनुसूची - I प्रजातियों का विवरण; संरक्षण योजना की प्रति सहित अनुसूची - I प्रजातियों के लिए संरक्षण योजना का विवरण; किए गए निधि प्रावधान; क्रियान्वयन की कालावधि; इत्यादि		
	ख	अनुमोदन की प्रति सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूची - I प्रजातियों के लिए संरक्षण योजना के अनुमोदन का विवरण; पत्र संख्या; निर्गम की तिथि ; सिफारिश यदि कोई हो; इत्यादि।		
10	यदि मूल क्षेत्र में जल स्रोत की मौजूदगी हो :			
	क.	मूल क्षेत्र में जल स्रोतों के विवरण :		
	ख.	यदि अपयोजन अपेक्षित है : अपेक्षित अपयोजन का ब्यौरा; आयोजित अध्ययन का ब्यौरा		
	ग.	सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमति का विवरण: पत्र संख्या; जारी करने की तारीख; सिफारिशें यदि कोई हो; और अनुमति की प्रति।		
11	जनबल आवश्यकता : निर्माण / प्रचालन के दौरान स्थायी / अस्थायी नियोजन; कुल जनबल			
12	हरित पट्टी हैक्टेयर में			
	क.	नई परियोजनाओं के मामले में: हरित पट्टी का कुल क्षेत्र; कुल परियोजना क्षेत्र का प्रतिशत; लगाए जाने वाले पौधों की संख्या; वृक्षारोपण के लिए आवंटित धन; हरित पट्टी योजना:		
	ख.	विस्तार / आधुनिकीकरण / उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन आदि के मामले में		
	i.	विवरण	मौजूदा	प्रस्तावित
		हरित पट्टी का कुल क्षेत्र		
		कुल परियोजना क्षेत्र का प्रतिशत		कुल

		पौधों की संख्या			
		आवंटित निधियां			
	ii.	हरित पट्टी योजना की प्रति			
13	परियोजना लाभ				
		परियोजना लाभ का प्रकार	परियोजना लाभ का विवरण		
	(परियोजना लाभ में पर्यावरणीय, सामाजिक और अन्य लाभ शामिल होंगे)				
14	परियोजना के सीआरजेड या आईसीआरजेड में अवस्थित होने की दशा में राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश : लगायी गयी शर्तों का उल्लेख करें; सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे जिनकी सलाह दी गयी है, जिसमें आर एंड आर, जल, वायु, परिसंकटमय अपशिष्ट, पारिस्थितिकी पहलू, इत्यादि शामिल है, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं (संक्षिप्त विवरण प्रदान किया जाना है); सीजेडएमए या आईसीजेडएमए की प्रति				
15	गौण खनिजों के खनन की दशा में				
	क.	खनित किए जाने वाले खनिजों की संख्या और विवरण			
	ख.	खान क्षमता आरओएम (रन ऑफ माइन)			
	ग.	खनन योजना : अनुमोदन पत्र संख्या; अनुमोदन की तिथि; अनुमोदित पत्र; अनुमोदित खनन पट्टा क्षेत्रफल; अनुमोदित क्षमता			
	घ.	तकनीकी विवरण : कुल भूवैज्ञानिक भंडार (मिलियन टन); न्यूनतम आरक्षित (मिलियन टन); निष्कर्षण योग्य भंडार (मिलियन टन); निष्कर्षण का प्रतिशत (%); अयस्क / खनिज की कोटि; स्ट्रिपिंग अनुपात; औसत प्रावण्य (डिग्री); खनन विधि (खुली खुदाई / भूमिगत / मिश्रित (खुली खुदाई + भूमिगत) / आदित; खान का जीवन (वर्ष)			
	ड.	सज्जीकरण का ब्यौरा (कुचलना / ढूँकना / अन्य सहित): यदि दलित्र को खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर संस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है: दलित्र की संख्या और दलित्र का विवरण (एक से अधिक प्रविष्टि अनुज्ञात है)			
		दलित्र पहचान सं.	क्षमता (टीपीएच में)	अभ्युक्तियां	
	च	खनन पट्टे का ब्यौरा : आशय पत्र अपलोड करें (केवल पीडीएफ अपलोड करें); संदर्भ संख्या के साथ खनन पट्टे निष्पादन की तिथि; खनन पट्टे की विधिमान्यता; आदिनांक विधिमान्य निष्पादित खनन प्रपत्र की प्रति; इत्यादि			
	छ	ओबी (अति भार) प्रबंधन (केवल जब खनन पद्धति : खुली खुदाई है)			
	i	वाह्य डंपों के ब्यौरे : ओबी डंपों की संख्या; कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में); ऊँचाई (मीटर में); परिमाण (मिलियन घन मीटर में); पृष्ठ भरण वर्षों की संख्या			
	ii	आंतरिक डंप का ब्यौरा : ओबी डंपों की संख्या; कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में); ऊँचाई (मीटर में); परिमाण (मिलियन घन मीटर में)			

ज	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन का विवरण : खदान के पूरे जीवन के दौरान उत्खनन की गयी ऊपरी मिट्टी की मात्रा (मिलियन घन मीटर में); खदान के पूरे जीवन के दौरान उपयोग के लिए प्रस्तावित ऊपरी मिट्टी की मात्रा (मिलियन क्यूबिक मीटर में); खान के पूरे जीवन के दौरान अन्य कार्यकलापों में उपयोग के लिए प्रस्तावित ऊपरी मिट्टी की मात्रा (मिलियन घन मीटर में)				
झ	अंतिम खान रिक्ति का ब्यौरा (केवल तभी जब खनन पद्धति : खुली खुदाई हो) : क्षेत्र (हैक्टेयर में); गहराई (मीटर में); मात्रा (मिलियन घन मीटर में)				
ञ	खदान का विवरण (केवल तभी जब खनन पद्धति : खुली खुदाई हो) : अंतिम रिक्ति (हैक्टेयर); की गहराई में (मीटर जिसे एक जल निकाय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है); कुल खदान क्षेत्र (हैक्टेयर)				
ट	परिवहन का विवरण : खंदक / भूमिगत से सतह; सतह से साइडिंग / लदाई; परिवहन / वाहक विवरण				
ठ.	भूमि उपयोग का विवरण (खनन पूर्व)				
	भूमि उपयोग	एमएल क्षेत्र के अंदर (है.)	एमएल क्षेत्र के बाहर(है.)		
	कृषि भूमि				
	वन भूमि				
	बंजर भूमि				
	चारागाह भूमि				
	सतह जल निकाय				
	आबादी				
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
ड	भूमि उपयोग	बागान	जल निकाय	सार्वजनिक उपयोग	अन्य
	उत्खनन / खदान				
	ऊपरी मिट्टी				
	वाह्य ओबी डंप				
	आंतरिक ओबी डंप				
	सड़कें				
	निर्मित क्षेत्र (कॉलोनी / कार्यालय)				
	हरित पट्टी				
	अक्षत क्षेत्र				
	अन्य				
	कुल				
ढ	भू-सुधार विवरण (केवल जब खनन पद्धति खुली खुदाई): खान को आच्छादित करते हुए कुल वनीकरण योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसमें शामिल होगा : वाह्य ओबी डंप (हैक्टेयर में); आंतरिक ओबी डंप (हैक्टेयर में); खदान (हैक्टेयर में); सुरक्षा जोन (हैक्टेयर में); अंतिम रिक्ति (हैक्टेयर में); की गहराई (मीटर जिसे जल निकाय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है); प्रति हैक्टेयर रोपण का घनत्व (सं. में), अन्य हैक्टेयर में (जैसे एमएल परिसीमा, सड़कों और अवसंरचना, बांध				

		क्षेत्र के साथ उत्खनन क्षेत्र और पट्टा क्षेत्र के बाहर उप-नगर में, इत्यादि) और कुल बनीकरण वृक्ष (हैक्टेयर में)		
	ण	प्रगामी खनन समापन योजना की स्थिति (केवल विस्तार परियोजनाओं के लिए): अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना (बार चार्ट में) के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों का क्रियान्वयन; अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना से कोई विचलन; कुल उत्खनित क्षेत्र (हैक्टेयर में); उत्खनन के पश्चात् कुल पृष्ठभरण किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में); और कुल पुननिर्मित क्षेत्र (हैक्टेयर में)		
16	क्षेत्र विशिष्ट ब्यौरे, यदि कोई हो			
17	ईआईए परामर्शदाता का विवरण : प्रत्यायन सं.; इआईए परामर्शदाता का नाम; पता; दूरभाष सं.; ई-मेल का पता; प्रत्यायन की कोटि (कोटि क के लिए पात्र / कोटि ख के लिए पात्र); प्रत्यायन का क्षेत्र; प्रत्यायन की विधिमान्यता; क्यूसीआई / एनएबीईटी द्वारा जारी किए गए प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति			
18	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज			
	क.	ईएमपी रिपोर्ट की प्रति		
	ख.	जोखिम आंकलन रिपोर्ट की प्रति		
	ग.	अनुमोदित खनन योजना की प्रति		
	घ.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति (केवल गौण खनिजों के खनन के लिए)		
	ङ.	प्रतिकृति अध्ययन रिपोर्ट और आधारभूत सर्वेक्षण डेटा की प्रति (केवल नदी के रेत खनन प्रस्तावों के लिए)		
	च.	खान और भूविज्ञान विभाग या राजस्व विभाग, जो भी प्रयोज्य हो, द्वारा जारी समूह प्रमाणपत्र,		
	छ.	अतिरिक्त मिसिल, यदि कोई हो		
19	परिवचन			
	मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गयी अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी। उपर्युक्त के अलावा, मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि उसके बाद से कोई कार्यकलाप / संनिर्माण / विस्तार शुरू नहीं किए गए हैं।			
	नाम; पदनाम; कंपनी; पता			

परिशिष्ट - V

(खंड 11 देखें)

प्ररूप - 2**पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन**

1	विचारार्थ विषयों (टीओआर) का विवरण : टीओआर / मानक टीओआर जारी करने की तिथि; मंत्रालय / एसईएलआईए मिसिल सं. नं; टीओआर पत्र की कॉपी
2	लोक परामर्श का विवरण : यदि परियोजना को लोक सुनवाई से छूट दी गई है, तो इसके कारण बताएं; लोक सुनवाई के विज्ञापन की तारीख; विज्ञापन की प्रति अंग्रेजी में; क्या लोक सुनवाई की अध्यक्षता उस कोटि के

	किसी अधिकारी द्वारा की गई थी जैसा कि परिशिष्ट - I (हां / नहीं) में विहित है; पीठासीन अधिकारी का पदनाम; लोक सुनवाई की विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवाही की प्रति; लोक सुनवाई की तारीख; लोक सुनवाई का स्थान (गाँव, तहसील, जिला, राज्य); प्रस्तावित परियोजना से लोक सुनवाई स्थल की दूरी (किमी); उपस्थित लोगों की संख्या; यदि कई लोक सुनवाई आयोजित की जाती हैं, तो कृपया प्रत्येक लोक सुनवाई का विवरण प्रदान करें।																						
3	पहले के पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना स्थिति से संबंधित प्रमाणित रिपोर्ट के विवरण, विस्तार परियोजनाओं की दशा में; एमओईएफसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय / सीपीसीबी / एसपीसीबी / यूटीपीसीसी के जोन कार्यालय का विवरण, जहाँ से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना स्थिति से संबंधित प्रमाणित रिपोर्ट अभिप्राप्त की गयी है एवं पत्र संख्या; स्थल दौरे की तिथि एवं अनुपालना की स्थिति; पहले की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना संबंधी प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति;																						
4	परियोजना की लागत: वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत (लाख में); पर्यावरण प्रबंधन (पूँजी) के लिए आवंटित निधि (लाख में); सीईआर (कॉरपोरेट पर्यावरणीय जवाबदेही) के मद में आवंटित निधि (लाख में); पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के लिए आवंटित निधि (प्रति वर्ष आवर्ती) (लाख में)																						
5	आधारभूत डेटा (वायु / जल / शोर / मिट्टी / भूजल तालिका / अन्य)																						
क.	आधारभूत डेटा संग्रह की कालावधि [तिथि (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई) से : तिथि (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई) तक																						
ख.	मौसम (ग्रीष्मकालीन / मानसून पूर्व / मानसून पश्च / शीतकालीन)				:																		
ग.	परिवेशी वायु गुणवत्ता (एएक्यू) निगरानी स्थानों की संख्या				:																		
घ.	एएक्यू मॉनीटरिंग (एकाधिक प्रविष्टियों की अनुमति है) का विवरण																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>मानदंड प्रदूषक</th> <th>इकाई</th> <th>अधिकतम मान</th> <th>न्यूनतम मान</th> <th>98 प्रतिशतक मान</th> <th>विहित मानक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>- मानदंड प्रदूषक : - (पीएम 10, पीएम 2.5, सल्फर डाइ ऑक्साइड, एनओएक्स, क्षेत्र विशिष्ट अन्य मानदंड)</p> <p>- इकाई: - (माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर, नैनो ग्राम प्रति घन मीटर, मिली ग्राम प्रति घन मीटर, प्रयोज्य नहीं)</p>					मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक												
मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक																		
ड.	भूजल निगरानी अवस्थानों की संख्या				:																		
च.	भूजल निगरानी का विवरण (एकाधिक प्रविष्टियाँ स्वीकृत)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>मानदंड प्रदूषक</th> <th>इकाई</th> <th>अधिकतम मान</th> <th>न्यूनतम मान</th> <th>98 प्रतिशतक मान</th> <th>विहित मानक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>मानदंड प्रदूषक :- (पीएच, टीएसएस, टीडीएस, कुल कठोरता, क्लोराइड, फ्लोराइड, भारी धातु, क्षेत्र के लिए विशिष्ट अन्य मापदंड); इकाई :- (मिग्रा / ली. / प्रयोज्य नहीं)</p>					मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक												
मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक																		
छ.	सतही जल निगरानी स्थानों की संख्या				:																		
ज.	भूजल निगरानी का विवरण (एकाधिक प्रविष्टियाँ स्वीकृत)																						

मानदंड प्रदूषक	इकाई	अधिकतम मान	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतांक मान	विहित मानक

मापदंड :- (पीएच, डीओ, बीओडी, सीओडी, क्षेत्र विशिष्ट अन्य मापदंड); इकाई: - (मिग्रा /ली, प्रयोज्य नहीं)

झ. परिवेश शोर निगरानी स्थानों की संख्या :

ज. शोर निगरानी का विवरण (एकाधिक प्रविष्टियाँ अनुज्ञात)

मापदंड	इकाई	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मान	98 प्रतिशतक मान	विहित मानक

मापदंड :- [एलईक्यू (दिन), एलईक्यू (रात)]; इकाई: - [ए-वेटेड डेसिबल (डीबी) (ए)]

क.	मृदा निगरानी स्थानों की संख्या (एकाधिक प्रविष्टियाँ स्वीकृत)	:

मापदंड: - [पीएच, एन (नाइट्रोजन), पी (फास्फोरस), के (पोटेशियम), विद्युत चालकता]

इकाई: - (मिली सेंटीमेंस प्रति सेंटीमीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर, प्रतिशत, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मिलि समकक्ष प्रति 100 ग्राम, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, भाग प्रति मिलियन, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अन्य)

1. भूजल तालिका

i. जल तालिका की सीमा मानसून पूर्व मौसम (भूजल जमीन से मीटर नीचे (घंटा)) : से: --- तक : ----

ii. जल तालिका की सीमा मानसून पश्च मौसम (भूजल जमीन से मीटर नीचे (एमजीएल)) : से: --- तक : ----

iii. यदि भूजल इंटरसेक्शन शामिल है, तो पत्र संख्या; जारी करने की तारीख; और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पत्र की प्रति

6 पानी की आवश्यकता का विवरण (निर्माण, प्रचालन और समापन के दौरान)

क.	स्रोत	केएलडी में मात्रा	पानी निकासी की विधि	स्रोत से दूरी	परिवहन के साधन

स्रोत: भूतल / भूजल / सागर / अन्य; परिवहन का माध्यम : पाइपलाइन / नहर / अन्य; पानी

		निकासी की विधि: बैराज / मेढे / कुआँ / ग्रहण कुआँ / जैकवेल / नलकूप / खुला कुआँ / अन्य				
ख.		पत्र संख्या; जारी करने की तारीख; अनुमत मात्रा; सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रतिलिपि				
ग.		यदि विलवणीकरण प्रस्तावित है, (i) विलवणीकरण क्षमता (केएलडी); (ii) खारेपन की गुणवत्ता (केएलडी); खारे पानी के निपटान का तरीका)				
7	अपशिष्ट जल प्रबंधन (निर्माण, प्रचालन और समापन के दौरान)					
	किस्म / स्रोत	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (किलो लीटर प्रति दिन)	उपचार क्षमता (किलो लीटर प्रति दिन)	उपचार विधि	निपटान का तरीका	पुनर्चक्रण / पुनः उपयोग में प्रयुक्त उपचारित पानी की मात्रा (किलो लीटर प्रति दिन)
8	उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन (निर्माण, प्रचालन और समापन के दौरान)					
	मद	मात्रा प्रति वर्ष	इकाई	स्थल से दूरी	परिवहन के साधन	निपटान का तरीका
	मद :- (औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार), ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, अन्य) - इकाई: - (टन, किलो लीटर) - निपटान का तरीका: - (शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ), अधिकृत पुनः चक्रक, भूमिभरण, सेनेटरी लैंडफिल, अन्य)					
9	वायु गुणवत्ता समाघात पूर्वानुमान (निर्माण, प्रचालन और समापन के दौरान)					
	मानदंड प्रदूषक	इकाई	आधारभूत सान्द्रण	न्यूनतम मान	वृद्धिशील सान्द्रण	कुल जीएलसी
	मापदंड :- (पीएम ₁₀ , पीएम, सल्फर डाइ-ऑक्साइड, एनओएक्स, क्षेत्र विशिष्ट अन्य मापदंड; इकाई :- (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर, प्रयोज्य नहीं)					
10	विभिन्न कार्यकलापों के लिए भूमि की आवश्यकता (एकाधिक प्रविष्टि अनुज्ञात)					:
	कार्यकलाप / सुविधा / संयंत्र / अन्य का विवरण		भूमि की आवश्यकता		अभ्युक्तियां	
	हरित पट्टी					

	कुल		
	- कार्यकलाप / सुविधा / संयंत्र / अन्य में शामिल हैं : मुख्य संयंत्र, उप-नगर, हरित पट्टी, ऐश तालाब, खदान क्षेत्र, ओबी डंप क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, नौकायन तालाब, भूमिभरण, जलाशय, विलवणीकरण संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, अन्य		
11	यदि वन भूमि अंतर्ग्रस्त है : यदि सैद्धांतिक (चरण - I) अनुमोदन अभिप्राप्त किया गया है : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिसिल संख्या; सैद्धांतिक (चरण - I) अनुमोदन की तिथि; अपयोजित क्षेत्र; यदि सैद्धांतिक (चरण - II) अनुमोदन अभिप्राप्त किया गया है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिसिल संख्या; सैद्धांतिक (चरण - II) अनुमोदन की तिथि; अपयोजित क्षेत्र;		
12	पेड़ कटाई, यदि कोई हो : परियोजना के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या (यदि वनभूमि शामिल नहीं है); और पेड़ों को काटने और पेड़ लगाने का विवरण (केवल पीडीएफ अपलोड करें)		
13	भूमि अधिग्रहण स्थिति : भूमि अधिग्रहित; भूमि अभी अधिग्रहित की जानी है; यदि अधिग्रहित नहीं है तो भूमि अधिग्रहण की स्थिति		
14	पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आर एंड आर), यदि कोई हो [गांवों की संख्या; परिवारों की संख्या; पीडीएफ (परियोजना विस्थापित परिवार) की संख्या; पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवार) की संख्या; आर एंड आर के लिए आवंटित निधि; आर एंड आर की स्थिति (पूर्ण / प्रगतिधीन / अभी शुरू किया जाना है)]		
15	यदि अनुसूची- I प्रजाति की उपस्थिति है		
	क	अनुसूची- I प्रजातियों का विवरण ; संरक्षण योजना की प्रति सहित अनुसूची- I प्रजातियों के लिए संरक्षण योजना का विवरण ; निधि का प्रावधान; कार्यान्वयन की कालावधि; आदि।	
	ख.	अनुमोदन की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूची- I प्रजातियों के संरक्षण की योजना के अनुमोदन का विवरण; पत्र संख्या; जारी करने की तारीख; सिफारिशें, यदि कोई हो, आदि।	
16	यदि मूल क्षेत्र में जल निकाय की मौजूदगी हो :		
	क.	मूल क्षेत्र में जल निकायों के विवरण :	
	ख.	यदि अपयोजन अपेक्षित है : अपेक्षित अपयोजन का ब्यौरा; आयोजित अध्ययन का ब्यौरा	
	ग.	सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमति का विवरण: पत्र संख्या; जारी करने की तारीख; सिफारिशें यदि कोई हो; और अनुमति की प्रति।	
17	यदि आघात भंजक क्षेत्र में जल निकायों की मौजूदगी हो: आघात भंजक क्षेत्र में जल निकायों का विवरण; आघात भंजक क्षेत्र में जल निकायों की दिशा (उत्तर / दक्षिण / पूर्व / पश्चिम / उत्तर पूर्व / उत्तर पश्चिम / दक्षिण पूर्व / दक्षिण पश्चिम); आघात भंजक क्षेत्र में जल निकायों की दूरी (किलो मीटर)		
18	जनबल की आवश्यकता: निर्माण / प्रचालन के दौरान स्थायी / अस्थायी नियोजन; कुल जनबल		
19	हरित पट्टी हैक्टेयर में		
	क.	नई परियोजनाओं की दशा में: हरित पट्टी का कुल क्षेत्र; कुल परियोजना क्षेत्र का प्रतिशत; लगाए जाने वाले पौधों की संख्या; वृक्षारोपण के लिए आवंटित धन; हरित पट्टी योजना की प्रति	

ख.	विस्तार / आधुनिकीकरण / उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन आदि की दशा में			
i.	विवरण	मौजूदा	प्रस्तावित	कुल
	हरित पट्टी का कुल क्षेत्र			
	कुल परियोजना क्षेत्र का			

		प्रतिशत			
		पौधों की संख्या			
		आवंटित राशि			
	ii.	हरित पट्टी योजना की प्रति			
20	परियोजना लाभ				
		परियोजना के लाभ की किस्म	परियोजना लाभ का विवरण		
	(परियोजना लाभ में पर्यावरण, सामाजिक और अन्य लाभ शामिल होंगे)				

21	यदि परियोजना / कार्यकलाप पर सीआरजेड / आईसीआरजेड अधिसूचना के उपबंध लागू होते हैं :				
क	सीआरजेड वर्गीकरण [सीआरजेड I (क), सीआरजेड I (ख), सीआरजेड II, सीआरजेड III, सीआरजेड IV (क), सीआरजेड IV (ख)]; स्थान प्रकार गैर कटाव तट, निम्न और मध्यम कटाव तट, उच्च कटाव तट; अंतर्ग्रस्त मैनग्रोव भूमि का विवरण, यदि कोई हो; मैग्रोव भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)				
ख	यदि ईआईए (स्थलीय) अध्ययन किए गए थे: ईआईए (स्थलीय) अध्ययन का सारांश विवरण; ईआईए में की गई सिफारिश की प्रति; (ईआईए स्थलीय) अध्ययन की अवधि से; ईआईए (स्थलीय) अध्ययन की अवधि तक, यदि नहीं किए गए हैं तो उसके कारण				
ग	यदि ईआईए (समुद्री) अध्ययन किए गए थे: ईआईए (समुद्री) अध्ययन का सारांश विवरण; ईआईए में की गई सिफारिश की प्रति; (ईआईए समुद्री) अध्ययन की अवधि से; ईआईए (समुद्री) अध्ययन की अवधि तक, यदि नहीं किए गए हैं तो उसके कारण				
घ	आपदा प्रबंधन योजना / राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (यदि लागू हो)				
ङ	परियोजना का प्रकार : (रिज़ॉर्ट / इमारतें / नागरिक सुविधाएं, तटीय सड़क / स्टिल्ट पर सड़कें, तापीय विद्युत ब्लो डाउन से पाइपलाइनें, शोधित बहिःस्राव का समुद्री निपटान, माल / रसायनों के भंडारण की सुविधा, अपतटीय संरचनाएँ, विलवणीकरण संयंत्र, दुर्लभ मिट्टी / परमाणु खनिज का खनन), मल जल उपचार संयंत्र, लाइटहाउस, पवन चक्की, अन्य)				
च	यदि रिज़ॉर्ट / इमारतें / नागरिक सुविधाएं: सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; कुल क्षेत्र / निर्मित क्षेत्र (हेक्टेयर); संरचना की ऊंचाई; एफएसआई अनुपात; शासी नगर नियोजन नियम / विनियम; कार पार्किंग क्षेत्र के प्रावधान का विवरण				
छ	यदि तटीय सड़कें / स्टिल्ट पर सड़कें : सीआरजेड मानचित्र या सीआरजेड तैयार करने के लिए एजेंसी का नाम; भूमि पुनर्ग्रहण का क्षेत्र; भूमि सुधार के लिए गाद / मिट्टी की अनुमानित मात्रा; आवागमन की वहन क्षमता				
ज	यदि थर्मल पावर ब्लो डाउन से पाइपलाइन जाती है : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; पाइपलाइन की लंबाई; सीआरजेड या आईसीआरजेड क्षेत्र से गुजरने वाली पाइपलाइन की लंबाई; उत्खनन की गहराई; उत्खनन की चौड़ाई; समुद्र तट से गहन समुद्र तक पाइपलाइन की लंबाई; समुद्र के पानी की सतह से बहिर्वाह बिंदु की गहराई; निस्तारण बिंदु पर परिवेश के ऊपर बहिर्वाह का तापमान				
झ	यदि शोधित बहिर्वाह का समुद्र में निपटान किया जाता है : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; ग्रहण / निकासी का अवस्थान; निकासी बिन्दु की गहराई; पाइपलाइन की लंबाई; सीआरजेड या आईसीआरजेड क्षेत्र से गुजरने वाली लंबाई, उत्खनन की गहराई; उत्खनन की चौड़ाई; समुद्र तट से गहन समुद्र / क्रीक तक पाइपलाइन की				

	लंबाई; समुद्र के पानी की सतह से बहिर्वाह बिंदु की गहराई; निस्तारण बिन्दु पर समुद्र की गहराई; निपटान की किस्म
ज	यदि सामान / रसायन के भंडारण की सुविधा है : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; रसायन का नाम और किस्म; रासायनों का अंतिम उपयोग; भंडारण के लिए टैंकों की संख्या; टैंकों की क्षमता
ट	यदि अपतटीय संरचनाएं हैं : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; अन्वेषण या विकास; समुद्र तल की गहराई; रिग्स / प्लेटफॉर्म की संख्या; समूह संग्रहक स्टेशनों का विवरण
ठ	यदि विलवणीकरण संयंत्र है : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; विलवणीकरण की क्षमता; कुल खारा पानी उत्पादन; निपटान बिन्दु पर परिवेश तापमान अधिक बहिःस्राव का तापमान; परिवेश की लवणता; निपटान बिन्दु
ड	यदि दुर्लभ मिट्टी / परमाणु खनिजों का खनन है : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; खनन की क्षमता; खनन किए गए आयतन / क्षेत्र; उत्खनित खनिज का किस्म; खनिज का अंतिम उपयोग
ढ	यदि मलजल शोधन संयंत्र है : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; क्षमता; निर्माण का कुल क्षेत्र; सीपीसीबी / एसपीसीबी / अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा विहित प्रवाह मापदंडों का अनुपालन; यदि निःसरण समुद्री जल / क्रीक में है (समुद्र तट की दूरी, समुद्री तट से / ज्वारीय नदी तट से), समुद्र के पानी की सतह से बहिर्वाह बिंदु की गहराई; प्रपात बिंदु पर समुद्र की गहराई
ण	यदि लाइटहाउस है: सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; निर्माण का कुल क्षेत्र; संरचना की ऊँचाई
त	यदि पवन चक्की है : सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम; क्षमता (मेगावाट); पारेषण लाइनें: (भूमि के ऊपर, भूमिगत); पवन चक्की का व्यास; ब्लेड की लंबाई; घूर्णन की गति; संरचना की ऊँचाई
थ	यदि अन्य: सीआरजेड मानचित्र तैयार करने वाली एजेंसी का नाम;; कृपया मुख्य उसकी विशेषताओं के साथ निर्दिष्ट करें; प्रासंगिक दस्तावेज़ की प्रति।
द	एल टी एल / एचटीएल से परियोजना की दूरी (मीटर में) का उल्लेख किया जाना चाहिए
	i. सीआरजेड अधिसूचना का खंड जिसके तहत परियोजना एक अनुमेय / विनियमित कार्यकलाप है
	ii. यदि सीआरजेड मानचित्र एचटीएल उपदर्शित करता है, तो 1: 4000 मापमान में तैयार किया गया एलटीएल सीमांकन : एचटीएल से प्रोजेक्ट की दूरी (मीटरों में) कथन किया जाना चाहिए एवं मानचित्र अपलोड किया जाना चाहिए (केएमएल फ़ाइल) ; एलटीएल से परियोजना की दूरी (मीटर में) का उल्लेख किया जाना चाहिए और मानचित्र (केएमएल प्रारूप)
	iii. यदि सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र 1:4000 मापमान पर परियोजना लेआउट अधिरोपित है: केएमएल फ़ाइल अपलोड करें
	iv. अगर सीआरजेड मानचित्र 1: 25000 परियोजना स्थल के 7 किमी के अर्धव्यास में तैयार किया गया है : केएमएल फ़ाइल अपलोड करें
	v. यदि सीआरजेड या आईसीआरजेड मानचित्र अन्य अधिसूचित ईएसए सहित सीआरजेड I, II, III और IV उपदर्शित करते हुए तैयार किया गया : केएमएल फ़ाइल अपलोड करें
	vi. यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किया गया है : अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
ध	वर्षा जल संचयन प्रणाली का विवरण

	न	राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश : लगाई गयी शर्तों का कथन करें; सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे जिनकी सलाह दी गयी है, जिसमें आर एंड आर, जल, वायु, परिसंकटमय अपशिष्ट, पारिस्थितिकी पहलू, इत्यादि शामिल है, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं (संक्षिप्त विवरण प्रदान किया जाना है); सीजेडएमए या आईसीजेडएमए की प्रतिलिपि														
22	क्षेत्र विशिष्ट विवरण :															
I	खनन प्रस्तावों की दशा में :															
	क	उत्खनित किए जाने वाले खनिज की संख्या (एकाधिक प्रविष्टियां अनुज्ञात)		:												
		<table border="1"> <tr> <td>उत्खनित किए जाने वाले खनिज</td> <td colspan="3">प्रमुख या गौण खनिज</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			उत्खनित किए जाने वाले खनिज	प्रमुख या गौण खनिज										
उत्खनित किए जाने वाले खनिज	प्रमुख या गौण खनिज															
	ख	आरओएम (रन ऑफ माइन) में खदान क्षमता														
	ग	गौण खनिजों के मामले में समूह प्रमाणपत्र की प्रति														
	घ	खनन योजना : अनुमोदन पत्र संख्या ; अनुमोदन की तारीख ; अनुमोदित पत्र की प्रति; अनुमोदित खनन पट्टा क्षेत्र; अनुमोदित क्षमता														
	ङ	तकनीकी ब्यौरे : कुल भूवैज्ञानिक भंडार (मिलियन टन) ; खनन योग्य भंडार (मिलियन टन); निष्कर्षण योग्य भंडार (मिलियन टन), निष्कर्षण का प्रतिशत (%) ; कोयला / अयस्क / खनिज ग्रेड; स्ट्रिपिंग अनुपात; गैसीय अवस्था की श्रेणी (केवल कोयला खनन के लिए, अन्य लिख सकते हैं, प्रयोज्य नहीं); औसत प्रावण्य (डिग्री); परत की अधिकतम मोटाई (मीटर) (केवल कोयला खनन के लिए, अन्य लिख सकते हैं, लागू नहीं); खनन विधि (खुली खुदाई/ भूमिगत/ मिश्रित (खुली खुदाई + भूमिगत) / प्रवेश मार्ग; खान जीवन (वर्ष)														
	च	सज्जीकरण का ब्यौरा (कुचलना / ढ़कना / अन्य सहित): यदि दलित्र को खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर संस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है: दलित्र की संख्या और दलित्र का विवरण (एक से अधिक प्रविष्टि अनुज्ञात है)														
		दलित्र आईडी	क्षमता (टीपीएच में)	अभ्युक्तियां												
	छ	यदि खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर सज्जीकरण संयंत्र / कोयला धोवनशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है :सज्जीकरण / धोवन प्रौद्योगिकी; क्षमता														
	ज	यदि लागू हो तो परत का विवरण : परतों की संख्या; कार्य किए जाने वाले परतों की मोटाई; सीम की अधिकतम मोटाई (मीटर)														
	झ	खनन पट्टा का ब्यौरा : आशय पत्र अपलोड करें; संदर्भ संख्या के साथ खनन पट्टा निष्पादन की तिथि; खनन पट्टा की विधिमान्यता; आदिनांक विधिमान्य निष्पादित खनन प्रपत्र की प्रति।														
	ञ	ओबी (अति भार) प्रबंधन (केवल जब खानन पद्धति खुली खुदाई है)														
	i	वाह्य डंपों के ब्यौरे : ओबी डंपों की संख्या; कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में); ऊँचाई (मीटर में); परिमाण (मिलियन घन मीटर में); पृष्ठ भरण वर्षों की संख्या														
	ii	आंतरिक डंप का ब्यौरा : ओबी डंपों की संख्या; कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में); ऊँचाई (मीटर में); परिमाण (मिलियन घन मीटर में)														

ट	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन का विवरण : खदान के पूरे जीवन के दौरान उत्खनन की गयी ऊपरी मिट्टी की मात्रा (मिलियन घन मीटर में); खदान के पूरे जीवन के दौरान उपयोग के लिए प्रस्तावित ऊपरी मिट्टी की मात्रा (मिलियन क्यूबिक मीटर में); खान के पूरे जीवन के दौरान अन्य कार्यकलापों में उपयोग के लिए प्रस्तावित ऊपरी मिट्टी की मात्रा (मिलियन घन मीटर में)				
ठ	अंतिम खान रिक्ति का ब्यौरा (केवल तभी जब खनन पद्धति : खुली खुदाई हो) : क्षेत्रफल (हैक्टेयर में); गहराई (मीटर में); मात्रा (मिलियन घन मीटर में)				
ड	खदान का विवरण (केवल तभी जब खनन पद्धति : खुली खुदाई हो) : अंतिम रिक्ति (हैक्टेयर); की गहराई में (मीटर जिसे एक जल निकाय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है); कुल खदान क्षेत्र (हैक्टेयर)				
ढ	परिवहन का विवरण : खंदक / भूमिगत से सतह; सतह से साइडिंग / लदाई; परिवहन / वाहक विवरण				
ण	भूमि उपयोग का विवरण (खनन पूर्व)				
	भूमि उपयोग	एमएल क्षेत्र के अंदर (है.)	एमएल क्षेत्र के बाहर (है.)	कुल	
	कृषि भूमि				
	वन भूमि				
	बंजर भूमि				
	चारागाह भूमि				
	सतह जल निकाय				
	आबादी				
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
त	भूमि उपयोग का विवरण (खनन पश्च)				
	भूमि उपयोग	बागान	जल निकाय	सार्वजनिक उपयोग	अन्य
	उत्खनन / खदान				
	ऊपरी मिट्टी				
	बाह्य ओबी डंप				
	आंतरिक ओबी डंप				
	सड़कें				
	निर्मित क्षेत्र (कॉलोनी / कार्यालय)				
	हरित पट्टी				
	अक्षत क्षेत्रफल				
	अन्य				
	कुल				
थ	भू-सुधार विवरण (केवल जब खनन पद्धति खुली खुदाई): खान को आच्छादित करते हुए कुल वनीकरण योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसमें शामिल होगा : बाह्य ओबी डंप (हैक्टेयर में); आंतरिक ओबी डंप (हैक्टेयर में); खदान (हैक्टेयर में); सुरक्षा जोन (हैक्टेयर में); अंतिम रिक्ति (हैक्टेयर में); की गहराई (मीटर जिसे जल निकाय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है); प्रति हैक्टेयर वृक्ष सांद्रता (सं. में), अन्य हैक्टेयर में (जैसे एमएल परिसीमा, सड़कों और अवसंरचना, बांध क्षेत्र के साथ उत्खनन क्षेत्र और पट्टा क्षेत्र के बाहर उप-नगर में, इत्यादि) और कुल वनीकरण वृक्ष (हैक्टेयर में)				

	द	प्रगामी खनन समापन योजना की स्थिति (केवल विस्तार परियोजनाओं के लिए): अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना (बार चार्ट में) के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों का क्रियान्वयन; अनुमोदित प्रगामी खान समापन योजना से कोई विचलन; कुल उत्खनित क्षेत्र (हेक्टेयर में); उत्खनन के पश्चात् कुल पृष्ठभरण किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में); और कुल पुननिर्मित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)															
II	उष्मीय परियोजना के लिए प्रस्ताव की दशा में (जिसमें आबद्ध विद्युत संयंत्र और अपशिष्ट ताप प्रत्युद्धरण संयंत्र शामिल हैं)																
	क	संयंत्र के विनिर्देश: प्रस्तावित प्रौद्योगिकी (अति महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, सीएफबीसी, एएफबीसी, पीएफबीसी, आईजीसीसी, भष्मीकरण, ताप अपघटन, गैसीकरण, जैव मेथेनन, अन्य); संयंत्र भार कारक (%), वाष्प दर / प्रवाह दर; क्वथनित्र तापमान; क्वथनित्रदाब; स्टैक किस्म (एकल चिमनी / द्वि चिमनी / तीन चिमनी); स्टैकों की संख्या। <table border="1" data-bbox="336 640 1366 824"> <thead> <tr> <th>स्टैक आईडी</th> <th>स्टैक ऊंचाई (मी)</th> <th>निकास पर स्टैक व्यास (मी)</th> <th>स्टैक गैस का निकास वेग (मि/सेकेंड)</th> <th>स्टैक गैस का निकासी तापमान (°सें.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	स्टैक आईडी	स्टैक ऊंचाई (मी)	निकास पर स्टैक व्यास (मी)	स्टैक गैस का निकास वेग (मि/सेकेंड)	स्टैक गैस का निकासी तापमान (°सें.)										
स्टैक आईडी	स्टैक ऊंचाई (मी)	निकास पर स्टैक व्यास (मी)	स्टैक गैस का निकास वेग (मि/सेकेंड)	स्टैक गैस का निकासी तापमान (°सें.)													
	ख	ईंधन लक्षणों का विवरण: सकल उष्मीय मान (किलो कैलोरी / किग्रा); भस्म घटक (%), सल्फर संघटक (%); आर्दता (%); पारा (मिलीग्राम / किग्रा); विनिश्चित कार्बन (%); वाष्पशील पदार्थ (%)															
	ग	शीतलन प्रणाली का विवरण: शीतलन प्रणाली का प्रकार: वायु शीतक / जल शीतक; प्रारूपका प्रकार: प्राकृतिक प्रारूप / बलात प्रारूप; वायु परिसंचरण का प्रकार: समानांतर प्रवाह / प्रति प्रवाह; शीतन चक्र (सीओसी): शीतन के लिए पानी की आवश्यकता (घन मीटर / दिवस); क्वथनित्र तापमान गिरावट															
III	नदी घाटी और जल विद्युत परियोजना के प्रस्ताव की दशा में																
	क	उप क्षेत्र: (बहुउद्देशीय परियोजना / पनबिजली परियोजना / सिंचाई परियोजना)															
	ख	नदी का नाम:															
	ग	यदि नदी बेसिन के संचयी समाघात निर्धारण और वहन क्षमता का अध्ययन निष्पादित किया गया: नदी बेसिन के संचयी समाघात निर्धारण और वहन क्षमता का अध्ययन की स्थिति; यदि सिफारिश की गई है, नदी बेसिन के संचयी समाघात निर्धारण और वहन क्षमता का अध्ययन का विवरण और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें (केवल पीडीएफ अपलोड करें)															
	घ	परियोजना का प्रकार: (बांध बैराज का निर्माण / नदी की लंबाई / लिफ्ट सिंचाई योजना)															
	ङ	यदि लागू हो तो बांध की ऊंचाई (मीटर) और बांध की लंबाई															
	च	कुल जलमग्न क्षेत्र (हेक्टेयर); सकल प्रभावित क्षेत्र का विवरण (जीसीए) (हेक्टेयर); सिंचाई योग्य प्रभावित क्षेत्र का विवरण (आईसीए) (हेक्टेयर); कृषि योग्य प्रभावित क्षेत्र (सीसीए) का विवरण (हेक्टेयर); कुल प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)															
	छ	बिजली घर संस्थापित क्षमता: बिजलीघर का प्रकार: (भूमिगत / सतह); क्षमता (मेगावाट); सुरंगों की संख्या; इकाइयों की संख्या; नदी तट: (बाएं / दाएं / दोनों)															
	ज	वार्षिक विद्युत उत्पादन: वार्षिक रूप से उत्पादन विद्युत की मात्रा (गीगा वाट घंटे (जीडब्ल्यूएच)); मशीन की उपलब्धता (%); विद्युत उत्पादन की लागत (भारतीय रूपए में); आंतरिक प्रतिआय दर (%); आंतरिक प्रतिआय दर की प्राप्ति का वर्ष, विभिन्न प्रतिशतों पर जल उपलब्धता <table border="1" data-bbox="336 1955 1366 2058"> <thead> <tr> <th>प्रतिशत</th> <th>पानी की उपलब्धता (क्यूसेक)</th> <th>निर्भर योग्य वर्ष</th> <th>अभ्युक्तियां</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50% पर</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	प्रतिशत	पानी की उपलब्धता (क्यूसेक)	निर्भर योग्य वर्ष	अभ्युक्तियां	50% पर										
प्रतिशत	पानी की उपलब्धता (क्यूसेक)	निर्भर योग्य वर्ष	अभ्युक्तियां														
50% पर																	

		75% पर			
		90% पर			
झ	जल ग्रहण क्षेत्र शोधन संयंत्र (पीडीएफ अपलोड करें)				
ञ	गाद प्रबंधन योजना : गाद प्रबंधन योजना का पीडीएफ अपलोड करें; कुल उत्खनन गाद (घन मीटर); निर्माण के लिए प्रयुक्त (घन मीटर); गाद निपटान स्थलों की संख्या; कुल गाद निपटान क्षेत्र (है.)				
ट	मत्स्य विकास और प्रबंधन योजना : मत्स्य विकास और प्रबंधन योजना पीडीएफ में अपलोड करें; मछली बच्चों की संख्या; मछली की प्रजातियों की संख्या; समग्र मछली प्रजाति का नाम (वैज्ञानिक नाम)				
ठ	पर्यावरणीय प्रवाह की स्थिति				
		मौसम	औसत अंतर्प्रवाह (मिलियन घन मीटर में)	प्रवाह का प्रतिशत	
		मंदी			
		गैर-मंदी			
		मानसून			
		गैर मानसून			
ड	मुक्त खंड (किमी)				
ढ	केंद्रीय जल आयोग का अनुमोदन : अनुमोदन संदर्भ सं.; अनुमोदन की तारीख; अनुमोदन की प्रति				
ण	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन : अनुमोदन संदर्भ सं. ; अनुमोदन की तारीख; अनुमोदन की प्रति				
त	कॉफ़र डैम (अपस्ट्रीम) का विवरण, यदि लागू हो: सामग्री की मात्रा (घन मीटर); बांध की लंबाई (मी); उपयोग किए जाने वाले गाद की मात्रा (घन मीटर); उपयोग की जाने वाली उधार सामग्री की मात्रा (घन मीटर) ; डिकमिशनिंग योजना की प्रतिलिपि				
थ	कॉफ़र डैम (डाउनस्ट्रीम) का विवरण, यदि लागू हो: सामग्री की मात्रा (घन मीटर); बांध की लंबाई (मी); उपयोग किए जाने वाले गाद की मात्रा (घन मीटर); उपयोग की जाने वाली उधार सामग्री की मात्रा (घन मीटर) ; डिकमिशनिंग योजना की प्रतिलिपि				
IV	अवसंरचना परियोजना या कार्यकलाप के प्रस्ताव की दशा में				
क	भवन निर्माण का विवरण : भवन की अधिकतम ऊँचाई (मीटर); निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की कुल संख्या; भवनों की संख्या; कुल भूखंड क्षेत्र (वर्गमीटर); कुल निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर)				
ख	फ़ॉरशोर सुविधाएं और / या समुद्री निपटान, यदि प्रयोज्य है : तत्संबंधी विवरण।				
ग	यदि परियोजना में फ़ॉरशोर कार्यकलाप और / या समुद्री निपटान अंतर्गस्त है : स्थोरा का प्रकार; स्थोरा की मात्रा; स्थोरा के नियंत्रण के उपाय; धूल नियंत्रण के उपाय; परिमाण; तलकर्षण की मात्रा (घन मीटर प्रति दिन) ; तनकर्षण का प्रकार (पूँजी, रखरखाव); तलकर्षण सामग्री का निपटान; आउटफ्लो डिफ्यूज़र का विवरण; अपेक्षित विलयन की संख्या; जिस दूरी पर आउटलेट परिवेशी मापदंड तक पहुँचेगा; आउटफॉल पर मानीटरिंग का विवरण; समुद्रतट अध्ययन की प्रति; समुद्र में विसर्जन की दशा में एसपीसीबी से एनओसी की प्रतिलिपि				
घ	वर्षा जल संचयन : भण्डारण की संख्या; क्षमता; पुनर्भरण गड्डों की संख्या; क्षमता				
ङ	पार्किंग : 4-पहिया / 2-पहिया पार्किंग का विवरण				
च	ऊर्जा बचत उपाय : स्रोत / तरीका; प्रतिशत; परिमाण				
छ	अन्य विवरण: जल ग्रहण क्षेत्र के जल निकायों और जल निकासी पैटर्न, यदि कोई हो; यातायात घनत्व का विवरण; समाघात आंकलन और प्रतिमान अध्ययन; वन भूमि के नीचे भूमिगत सुरंग परियोजनाओं की दशा में : अवतलन समाघात अध्ययन रिपोर्ट की प्रति				
ज	औद्योगिक संपदाओं में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के प्रकार उनके प्रवर्ग क / ख के अनुसार				

	क्र. सं.	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	प्रवर्ग क / ख
झ	राजमार्ग परियोजनाओं के मामले में संरेखण की लंबाई			
ञ	पुलों / आरओबी / इंटरचेंजों, ऊपरी पुलों, वाहन अंडरपासों और पैदल चलने वाले अंडरपासों की संख्या (राजमार्ग परियोजनाओं की दशा में) : पुलों की कुल संख्या; आरओबी की कुल संख्या; इंटरचेंजों की कुल संख्या; ऊपरी पुलों की कुल संख्या; वाहन अंडरपासों की कुल संख्या; पैदल चलने के लिए अंडरपासों की कुल संख्या; अन्य सुविधाएं रेल और सड़क कॉरिडोरों के ब्यौरे।			
23	न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण यदि कोई हो (परियोजना और / या वह भूमि जिसमें परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है के विरुद्ध लंबित कोई भी न्यायिक मामले): न्यायालय का नाम; प्रकरण की संख्या; न्यायालय के आदेश / निर्देश, यदि कोई है और प्रस्तावित परियोजना के साथ इसकी प्रासंगिकता है; मामले का विवरण; कोर्ट के आदेश की प्रति यदि कोई हो			
24	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम / वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम / जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) के अंतर्गत कोई निदेश जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हो, का ब्यौरा हैं (हों / नहीं) : निदेशों की प्रति, निदेशों की अनुपालना स्थिति अपलोड करें।			
25	ईआईए परामर्शदाता का विवरण : प्रत्यायन सं.; ईआईए परामर्शदाता का नाम; पता; दूरभाष सं.; ई-मेल पता; प्रत्यायन की कोटि (कोटि क के लिए पात्र / कोटि ख के लिए पात्र); प्रत्यायन का क्षेत्र; प्रत्यायन की विधिमान्यता; क्यूसीआई / एनएबीईटी द्वारा जारी किए गए प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति			
26	संग्रह किए जाने वाले दस्तावेज			
	क.	ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट की प्रति		
	ख.	जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति		
	ग.	व्यवहार्यता रिपोर्ट / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट / विस्तृत संकल्पनात्मक योजना / अनुमोदित खनन योजना (खनन प्रस्तावों की दशा में) की प्रति		
	घ.	अंतिम अभिन्यास योजना की प्रति अपलोड करें		
	ङ.	परियोजना प्रस्तावक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र अपलोड करें		
	च.	प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र की एक प्रति अपलोड करें		
	छ.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति (केवल गौण खनिजों के खनन के लिए)		
	ज.	प्रतिकृति अध्ययन रिपोर्ट और आधारभूत सर्वेक्षण डेटा की प्रति (केवल नदी रेत खनन प्रस्तावों के लिए) अपलोड करें		
	झ.	पहले के ईसी के अनुपालन के प्रमाण पत्र की प्रति (विस्तार प्रस्तावों के मामले में)		
	ञ	मुख्य वन्यजीव वार्डन की सिफारिशों की प्रति (अनुसूची- I प्रजातियों की उपस्थिति के मामले में)		
	ट	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश की प्रति (यदि प्रस्ताव पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित है)		
	ठ	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश की प्रति (सीआरजेड या आईसीआरजेड में स्थित परियोजना के मामले में)		

	ड	अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो		
27	परिवचन			
	<p>मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गयी अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी। उपर्युक्त के अलावा, मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि उसके बाद से कोई कार्यकलाप / संनिर्माण / विस्तार शुरू नहीं किए गए हैं।</p>			
	नाम; पदनाम; कंपनी; पता			

परिशिष्ट -VI

(खंड 12 देखें)

प्ररूप -3

संदर्भ के नियमों में संशोधन के लिए आवेदन

1	विचारार्थ विषयों का ब्यौरा : टीओआर जारी करने की तारीख; एमओईएफएंडसीसी/एसईआईएए/फ़ाइल सं; टीओआर पत्र की प्रतिलिपि				
2	उत्पाद का विवरण				
	उत्पाद / कार्यकलाप (क्षमता / क्षेत्र)	अनुमोदित टीओआर के अनुसार मात्रा	प्रस्तावित मात्रा	इकाई	उत्पाद का परिवहन / पारेषण का तरीका
	<p>- इकाई - (टन प्रतिवर्ष (टीपीए), मेगा वाट (एमडब्ल्यू), किलो लीटर दैनिक (केएलडी), टन पेराई दैनिक (ट.पे.द.), घनमीटर दैनिक, किलोमीटर (केएम), मिलियन लीटर दैनिक (एमएलडी), अन्य)</p> <p>- उत्पाद के परिवहन / पारेषण का तरीका (सड़क, रेल, वाहक पट्टी, पाइप वहन, आकाशीय मार्ग रज्जु, दो या तीन तरीकों का संयोजन, अन्य)</p>				
2	आकृति के ब्यौरे				
	संयंत्र / उपस्कर / सुविधा	मौजूदा आकृति	प्रस्तावित आकृति	संशोधन के बाद अंतिम आकृति	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
3	टीओआर में संशोधन के कारण				
4	किसी अन्य संशोधन की आवश्यकता				
	अनुमोदित टीओआर का संदर्भ	अनुमोदित टीओआर के अनुसार विवरण	प्रस्ताव के अनुसार विवरण	अभ्युक्तियां	
5	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज				
क.	संशोधित प्ररूप - 1 की प्रतिलिपि अपलोड करें				
ख.	संशोधित पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट अपलोड करें				
ग.	परियोजना प्रस्तावक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र				
घ.	प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र की एक प्रति अपलोड करें				
ड.	अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो				

6	परिवचन
<p>मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गयी अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी। उपर्युक्त के अलावा, मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि उसके बाद से कोई कार्यकलाप / संनिर्माण / विस्तार शुरू नहीं किए गए हैं।</p>	
नाम; पदनाम; कंपनी; पता	

परिशिष्ट - VII

(खंड 18 देखें)

प्ररूप - 4

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति या अवधि में संशोधन के लिए आवेदन

1	पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के ब्यौरे : पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के जारी करने की तारीख; एमओईएफएंडसीसी/एसईआईएए/फ़ाइल सं.; ईसी पत्र की प्रतिलिपि				
2	प्रचालन करने के लिए सहमति के ब्यौरे : क्या प्रचालन सहमति अभिप्रास की गयी है (हाँ/नहीं); यदि हाँ, तो प्रारंभ से अभिप्राप्त प्रचालन करने की सभी सहमति की प्रतिलिपियां जिसमें आदिनांक विधिमान्य शामिल हैं; निर्गम की तारीख; विधिमान्यता; मिसिल सं.; आवेदन संख्या।				
3	जिसके लिए संशोधन इच्छित था : आकृति में संशोधन / अनापत्ति की शर्तों में संशोधन / अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
4	उत्पाद का विवरण (अनुमोदित ईसी के अनुसार)				
	उत्पाद / कार्यकलाप (क्षमता / क्षेत्र)	मात्रा	इकाई	उत्पाद के परिवहन / पारेषण का तरीका	
	<p>- इकाई - (टन प्रतिवर्ष (टीपी), मेगा वाट (एमडब्ल्यू), किलो लीटर दैनिक (केएलडी), टन पेराई दैनिक (टीसीडी), घनमीटर दैनिक, किलोमीटर (किमी), मिलियन लीटर दैनिक (एमएलडी), अन्य)</p> <p>- उत्पाद के परिवहन / पारेषण का तरीका (सड़क, रेल, वाहक पट्टी, पाइप वहन, आकाशीय रज्जु मार्ग, दो या तीन तरीकों का संयोजन, अन्य)</p>				
5	आकृति का विवरण (एकाधिक प्रविष्टियां अनुज्ञात)				
	संयंत्र / उपस्कर / सुविधा	मौजूदा आकृति	प्रस्तावित आकृति	संशोधन के बाद अंतिम आकृति	अभ्युक्तियां यदि कोई हो
6	संशोधन के कारण				
7	किसी अन्य संशोधन की आवश्यकता				
	अनुमोदित ईसी	अनुमोदित ईसी के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार विवरण	अभ्युक्तियां	

	का संदर्भ	विवरण		
8	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज			
	क.	ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट की युक्तिका की प्रतिलिपि		
	ख.	संशोधित - व्यवहार्यता रिपोर्ट / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट / विस्तृत अवधारणात्मक योजना / अनुमोदित खनन योजना (खनन प्रस्तावों की दशा में)		
	ग.	अंतिम अभिन्यास योजना की प्रतिलिपि		
	घ.	परियोजना प्रस्तावक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र		
	ङ.	प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र की एक प्रति अपलोड करें		
	च.	अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो		
9	ईआईए परामर्शदाता का विवरण : प्रत्यायन सं.; इआईए परामर्शदाता का नाम; पता; दूरभाष सं.; ई-मेल पता; प्रत्यायन की कोटि (कोटि क के लिए पात्र / कोटि ख के लिए पात्र); प्रत्यायन का क्षेत्र; प्रत्यायन की विधिमान्यता; क्यूसीआई / एनएबीईटी द्वारा जारी किए गए प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति			
10	परिवचन			
	मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गयी अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी।			
	नाम; पदनाम; कंपनी; पता			

परिशिष्ट - VIII

(खंड 21 देखें)

प्ररूप - 5**पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के अंतरण के लिए आवेदन**

1	परियोजना का नाम
2	पूर्व के परियोजना प्रस्तावक के ब्यौरे (अंतर्ग्रस्त कार्यकलापों के समामेलन की दशा में एकाधिक प्रविष्टि अनुज्ञात) : कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम, यदि कोई हो, का विवरण; आदि।
3	नए परियोजना प्रस्तावक के ब्यौरे (अंतर्ग्रस्त कार्यकलापों के विभाजन की दशा में एकाधिक प्रविष्टि अनुज्ञात) : कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम, यदि कोई हो, का विवरण; आदि।
4	पत्राचार का पता (अंतर्ग्रस्त कार्यकलापों के विभाजन की दशा में एकाधिक प्रविष्टि अनुज्ञात) : आवेदक का

	नाम; पदनाम (स्वामी / साझेदार / सीईओ); पता; पिन कोड; ई-मेल; दूरभाष सं.; फैक्स सं.; इत्यादि।				
5	ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची के अनुसार परियोजना / कार्यकलाप का प्रवर्ग : अनुसूची के तहत मद; प्रवर्ग (क / ख ₁ / ख ₂)				
6	पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के ब्यौरे : पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति निर्गत करने की तारीख; एमओईएफएंडसीसी / एसईआईएफ फ़ाइल सं.; ईसी पत्र की प्रतिलिपि।				
7	स्थापना के लिए सहमति का ब्यौरा : क्या स्थापना के लिए सहमति अभिप्राप्त की गयी है (हाँ/नहीं); यदि हाँ तो अभिप्राप्त स्थापना के लिए सहमति जो आदिनांक विधिमान्य हो, की प्रतिलिपि; निर्गम की तिथि; विधिमान्यता; मिसिल सं.; आवेदन सं.; इत्यादि।				
8	परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति (ईसी की दशा में: परियोजना / सुविधाओं / कार्यकलापों से संबंधित भौतिक प्रगति, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति दी गई थी)				
9	पूर्व पर्यावरण अनापत्ति का विभाजन अंतर्ग्रस्त होने की दशा में				
	क	परियोजना संकायों / कार्यकलापों का प्रस्तावित विभाजन			
		पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप, आकृति और क्षमता के साथ	“एक्स” को प्रस्तावित अंतरण पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप, आकृति और क्षमता के साथ	“वाय” को प्रस्तावित अंतरण पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप, आकृति और क्षमता के साथ	“जेड” को प्रस्तावित अंतरण पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप, आकृति और क्षमता के साथ
	ख	पूर्व पर्यावरणीय निबंधनों और शर्तों का प्रस्तावित विभाजन			
		पर्यावरणीय निबंधन और शर्तें	अंतरिती एक्स	अंतरिती वाय	अंतरिती जेड
10	पूर्व पर्यावरण अनापत्ति का समामेलन अंतर्ग्रस्त होने की दशा में				
	क	संकायों / कार्यकलापों का प्रस्तावित समामेलन			
		परियोजना -1 को प्रदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप आकृति और क्षमता के साथ	परियोजना -2 को प्रदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप आकृति और क्षमता के साथ	परियोजना -3 को प्रदत्त पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में अनुदत्त सुविधा / कार्यकलाप आकृति और क्षमता के साथ	विलय पश्च सुविधाएं / कार्यकलाप
	ख	पर्यावरणीय निबंधनों और शर्तों का प्रस्तावित समामेलन			

	परियोजना -1 के लिए विहित पर्यावरणीय निबंधन एवं शर्तें	परियोजना -2 के लिए विहित पर्यावरणीय निबंधन एवं शर्तें	परियोजना -3 के लिए विहित पर्यावरणीय निबंधन एवं शर्तें	विलय के बाद प्रस्तावित पर्यावरणीय निबंधन और शर्तें	
10	संग्रह किए जाने वाले दस्तावेज				
	क.	अंतरक से प्राप्त अनापत्ति			
	ख.	उन निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति, जिसके तहत पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति दी गई थी, के बारे में बताते हुए अंतरिती द्वारा परिवचन।			
	ग.	सक्षम प्राधिकारी से फर्म के स्थानांतरण की प्रतिलिपि			
	घ.	परियोजना प्रस्तावक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र			
	ड.	प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र की एक प्रति			
	च.	अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो			
11	परिवचन				
	मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संग्रहकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गयी अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी।				
	नाम; पदनाम; कंपनी; पता				

परिशिष्ट - IX

(खंड 17 देखें)

प्ररूप - 6**पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की मंजूरी हेतु आवेदन**

(जहां किसी परियोजना या कार्यकलाप के संबंध में सरकार द्वारा दिया गया पट्टा या अनुज्ञप्ति या अधिकार या अनुज्ञा या प्राधिकार किसी भी कानूनी कार्यवाही में या सरकार द्वारा कानून के अनुसार निरस्त किया जाता है और उक्त पट्टा या अनुज्ञप्ति या अधिकार या अनुज्ञा या प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति या सफल बोलीदाता को अनुदत्त किया जाता है और तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत उपर्युक्त विषय पर कोई विशिष्ट अधिनियमन नहीं है)

1	परियोजना (ओं) का नाम
2	पूर्व परियोजना प्रस्तावक ब्यौरे: कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की कानूनी स्थिति; संयुक्त उद्यम का विवरण, यदि कोई हो; आदि।

3	नए परियोजना प्रस्तावक का विवरण: कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की कानूनी स्थिति; संयुक्त उद्यम का विवरण, यदि कोई हो; आदि।
4	पत्राचार का पता: आवेदक का नाम; पदनाम (स्वामी / साझीदार / सीईओ); पता; पिन कोड; ई-मेल; दूरभाष सं.; फैक्स सं.; आदि।
5	अनुसूची के अनुसार परियोजना / कार्यकलाप का प्रवर्ग: अनुसूची के तहत मद; प्रवर्ग (क / ख ₁ / ख ₂)
6	पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति का विवरण: पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति जारी करने की तारीख; एमओईएफएंडसीसी/ एसईआईएए मिसिल सं.; पूर्व-ईसी पत्र की प्रतिलिपि।
7	स्थापना के लिए सहमति के ब्यौरे: क्या स्थापना के लिए सहमति अभिप्राप्त की गयी है (हाँ/नहीं); यदि हाँ तो अभिप्राप्त स्थापना के लिए सहमति जो आदिनांक विधिमान्य हो, की प्रतिलिपि; निर्गम की तिथि; विधिमान्यता; मिसिल सं.; आवेदन सं.; इत्यादि।
8	परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति के मुकाबले अनुमोदित खनन योजना (प्ररूप खनन परियोजनाएँ) या व्यवहार्यता रिपोर्ट (अन्य परियोजनाएँ)
9	संशोधित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना
10	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज
	क. आवंटन पत्र की प्रतिलिपि
	ख. परियोजना प्रस्तावक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रावरण पत्र
	ग. प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त इस आवेदन को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के समर्थन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र की एक प्रति
	घ. पूर्व ईआईए रिपोर्ट की प्रतिलिपि, जिसके आधार पर पूर्व परियोजना प्रस्तावक को पूर्व-ईसी दी गई थी
	ङ. अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो
11	परिवचन
	मैं एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही हैं और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गयी अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहत की जाएगी।
	नाम; पदनाम; कंपनी; पता

(खंड 13 देखें)

पर्यावरणीय संघात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना

क.सं.	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	<ul style="list-style-type: none"> • रिपोर्ट का प्रयोजन • परियोजना प्रस्तावक के ब्यौरे : परियोजना का नाम; कंपनी / या इकाई या फर्म या संगठन या ट्रस्ट या संयुक्त उद्यम या विशेष प्रयोजन माध्यम का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम यदि कोई हो; आदि। • परियोजना का अवस्थान : भूखंड / सर्वेक्षण / खसरा संख्या; गाँव; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परियोजना / कार्यकलाप स्थल का अक्षांश और देशांतर; भारतीय सर्वेक्षण टोपो शीट सं.; टोपो शीट की प्रतिलिपि; एमएसएल से अधिकतम ऊँचाई; केएमल मिसिल; अध्ययन क्षेत्र के भीतर परियोजना सीमा से निकटतम उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) की दूरी; भूकंपीय जोन; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम रेलवे स्टेशन से दूरी (किमी में); निकटतम हवाई अड्डा; निकटतम हवाई अड्डे से दूरी (किमी में); निकटतम नगर / शहर / जिला मुख्यालय (विनिर्दिष्ट करें); निकटतम नगर / शहर / जिला मुख्यालय से दूरी (किमी में); ग्राम पंचायत, जिला परिषद्, नगर निगम, स्थानीय निकाय (पिन कोड और टेलीफोन नंबर के साथ पूरा डाक पता); आदि। • सीमा परियोजना के निर्देशांक (अधिमानत: प्रत्येक नोड) • सामान्य अवस्थान, विशिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास दर्शाने वाले नक्शे • परियोजना अवस्थान की पारिस्थितिक संवेदनशीलता : ब्यौरे और दूरी, यदि वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल रिजर्व या व्याघ्र रक्षित क्षेत्र या हाथी रक्षित क्षेत्र या गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र या अति प्रदूषित क्षेत्र या पारिस्थितिकी - संवेदनशील क्षेत्र या पारि - संवेदनशील क्षेत्र या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा या पहाड़ी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय / राष्ट्रीय विधान / स्थानीय कानून के तहत संरक्षित क्षेत्र या सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मान या नम भूमि या जल निकाय या तटीय जोन या तीर्थ क्षेत्रों या पर्यटक क्षेत्र या रक्षा प्रतिष्ठापन, आदि से 10 किमी के भीतर स्थित है। • परियोजना की प्रकृति, आकार, प्रवर्ग का संक्षिप्त विवरण : अनुसूची में मद सं.; प्रवर्ग (क / ख1 / ख2); प्रस्ताव का प्रकार (नया / विस्तार / आधुनिकीकरण); आदि। • पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से देश, क्षेत्र के लिए परियोजना का महत्व • विस्तार या आधुनिकीकरण की दशा में, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति(यां) और / या सहमति(यां), अन्य अनापत्ति(यां) जैसे भू-जल, सतह जल आवंटन, वन भूमि अपवर्तन, वन्य जीव अनापत्ति, खनन योजना अनुमोदन, भवन योजना अनुमोदन, आदि सहित परियोजना का संक्षिप्त इतिहास। • अध्ययन का दायरा: किए गए विनियामक स्कोपिंग का विवरण (विचारार्थ विषय के अनुसार); सारणी में परियोजना के लिए विहित विचारार्थ विषय की अनुपालना।

2.	परियोजना वर्णन	<ul style="list-style-type: none"> • उत्पाद, सह-उत्पाद, परियोजना आकृति (विस्तार या आधुनिकीकरण के मामले में मौजूदा या प्रस्तावित या विस्तार या आधुनिकीकरण के बाद संचयी, से संबंधित ब्यौरे); आदि। • प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन जिसमें एक योजनाबद्ध आरेख / प्रवाह चार्ट शामिल है जो परियोजना का अभिन्यास, परियोजना के संघटक आदि दर्शाता हो। • अनुमानित मात्रा, संभावना स्रोत, स्रोत से दूरी, परिवहन के प्रकार, लिंकेज के प्रकार के साथ आवश्यक कच्ची सामग्री (सामग्रियां) और ईंधन। • अंतिम उत्पाद (ओं) या सह-उत्पादों का विपणन क्षेत्र, परिवहन का तरीका, दूरी, लिंकेज यदि कोई हो, आदि का। • पानी की आवश्यकता का वर्णन (निर्माण / संस्थापना / प्रवर्तन / स्थापना चरण; प्रचालन चरण; अतिरेक / बंद / विघटन चरण के दौरान) : कुल पानी की आवश्यकता; स्रोत; स्रोत से दूरी; निकासी की विधि; परिवहन के साधन; अनुमति / एमओयू, आदि का विवरण। • विद्युत आवश्यकता का विवरण (निर्माण / संस्थापना / प्रवर्तन / स्थापना चरण; प्रचालन चरण; अतिरेक / बंद / विघटन चरण के दौरान) : कुल विद्युत आवश्यकता; स्रोत; स्रोत से दूरी; दोहन की विधि; अनुमति / एमओयू का विवरण ; आपात व्यवस्था), आदि। • परियोजना में परिकल्पित संसाधन अनुकूलन / पुनर्चक्रण और इनकार, यदि कोई हो, को संक्षिप्त रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। • विभिन्न कार्यकलापों के लिए भूमि की आवश्यकता, भूमि का स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, आदि। • यदि वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, तो वन अनापत्ति स्थिति (सैद्धांतिक (चरण - I) अनुमोदन प्राप्त / अंतिम (चरण - II) अनुमोदन अभिप्राप्त / वन अनापत्ति प्रक्रियाधीन (चरण - I) / वन अनापत्ति प्रक्रियाधीन (चरण - II) / वन अनापत्ति हेतु आवेदन अभी तक दाखिल नहीं किया गया है)। • पेड़ कटाई, यदि कोई हो [परियोजना के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या (यदि वनभूमि अंतर्ग्रस्त नहीं है); और पेड़ों की कटाई और वृक्षारोपण का वर्णन। • मौजूदा भूमि उपयोग पैटर्न [कृषि, गैर-कृषि, वन, जल निकाय (सीआरजेड या आईसीआरजेड के तहत क्षेत्र सहित)], परियोजना की परिधि से जंगलों की परिधि तक की न्यूनतम दूरी, पारि - संवेदनशील क्षेत्र, जल निकाय (नदी के एचएफएल से दूरी), सीआरजेड या आईसीआरजेड। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र की दशा में, राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति दी जानी चाहिए। • जनबल की आवश्यकता : निर्माण / स्थापना / प्रतिष्ठापन / स्थापना चरण; प्रचालन चरण; व्यतिरिक्त / समापन / विघटन चरण; के दौरान स्थायी / अस्थायी नियोजन कुल जनबल। • परियोजना लागत : वर्तमान मूल्य स्तर पर (लाख में) परियोजना की कुल लागत। • अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम। • व्यवहार्यता ड्राइंग की योजनाबद्ध अभ्यावेदन जो ईआईए प्रयोजन की जानकारी देते हैं। • प्ररूप - 2 के अनुसार क्षेत्र विशिष्ट विवरण
----	----------------	--

3.	पर्यावरण का वर्णन	<ul style="list-style-type: none"> • अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्धति सहित आधारभूत अध्ययन का दायरा। • पूर्व-परियोजना या पूर्व-विस्तार पर्यावरणीय परिदृश्य का वर्णन अर्थात् एकत्र किए गए आधारभूत डेटा का वर्णन। • बेसलाइन डेटा का सार। • सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार मानचित्र
4.	अनुमानित पर्यावरणीय संघात और न्यूनीकरण उपाय	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गयी परियोजनाओं को अंतिम रूप से बंद करना या पुनर्स्थापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय संघातों के ब्यौरे। • अपशिष्ट जल प्रबंधन (निर्माण /संस्थापना / प्रतिस्थापन / स्थापना चरण; संचालन चरण; व्यतिरिक्तता / बंद / विघटन चरण के दौरान) : किस्म या स्रोत; अपशिष्ट जल की मात्रा; शोधन क्षमता; शोधन विधि; पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग में प्रयुक्त शोधित पानी की मात्रा; विसर्जन किए गए पानी की मात्रा; निपटान का तरीका; यदि प्रस्तावित हो तो शून्य तरल विसर्जन की प्राप्ति के ब्यौरे; • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (निर्माण /संस्थापना / प्रतिस्थापन / स्थापना चरण; संचालन चरण; व्यतिरिक्तता / बंद / विघटन चरण के दौरान) : किस्म या स्रोत; ठोस अपशिष्ट की मात्रा; शोधन क्षमता; शोधन विधि; पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग में प्रयुक्त शोधित ठोस अपशिष्ट की मात्रा; विसर्जित किए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा; निपटान का तरीका; • पहचान किए गए प्रतिकूल संघातों को न्यूनिकृत और / या दूर करने के लिए उपाय। • हरित पट्टी विकास योजना।
5	अनुकल्पों का विश्लेषण (प्रौद्योगिकी एवं स्थल)	<ul style="list-style-type: none"> • प्रौद्योगिकी और स्थल के लिए अनुकल्पों। • नयी और अपरीक्षित प्रौद्योगिकी की प्रौद्योगिकीय विफलता का निर्धारण। • प्रत्येक अनुकल्पी का विवरण। • प्रत्येक अनुकल्प के प्रतिकूल प्रभावों का सारांश। • प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय। • औचित्य सहित अनुकल्प का चयन।
6.	पर्यावरण मानिटरि कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> • न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पद्धति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपापन अनुसूचियां भी हैं)
7.	अतिरिक्त अध्ययन	<ul style="list-style-type: none"> • लोक सुनवाई की सूचना सहित लोक परामर्श, पर्यवेक्षण, सुनवाई की अध्यक्षता, परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं में सारवान हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तियों से लिखित प्रतिक्रियाएँ, कार्यवाही, और सारणीबद्ध रूप में समयबद्ध कार्य योजना और बजटीय प्रावधान सहित इस दौरान उठाए गए मुद्दों पर परियोजना के प्रस्तावकों की की प्रतिबद्धताओं के ब्यौरे। • जोखिम और खतरों की पहचान, आपातकालीन तैयारी योजना और आपदा प्रबंधन योजना द्वारा समर्थित मूल्यांकन और प्रबंधन। • सामाजिक संघात निर्धारण, सामाजिक आवश्यकता निर्धारण और प्रबंधन। • पुनर्वासन और पुनर्स्थापन, यदि कोई हो: गांवों की संख्या; परिवारों की

		<p>संख्या; परियोजना विस्थापित परिवारों की संख्या; प्रभावित परिवारों की संख्या; पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए आवंटित निधि; पुनर्वासन और पुनर्स्थापन की स्थिति (पूर्ण / प्रगतिधीन / अभी तक शुरू नहीं); कार्य योजना, कार्यान्वयन कार्यक्रम, बजटीय प्रावधान इत्यादि।</p> <ul style="list-style-type: none"> सीआरजेड या आईसीआरजेड में स्थित परियोजना की दशा में, प्ररूप - 2 के तहत अपेक्षित व्योरे
8.	परियोजना के फायदे	<ul style="list-style-type: none"> भौतिक अवसंरचना में सुधार सामाजिक अवसंरचना में सुधार कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) - लोक सुनवाई या सामाजिक आवश्यकता निर्धारण के दौरान उभरने वाले मुद्दों के आधार पर सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्यकलाप, समयबद्ध कार्य योजना, बजटीय प्रावधान नियोजन क्षमता : अर्ध-कुशल और अकुशल अन्य मूर्त फायदे
9.	पर्यावरण लागत फायदा विश्लेषण	यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है।
10.	ईएमपी	<ul style="list-style-type: none"> यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के पश्चात् उनकी प्रभावी मानीटरी की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन। शीर्ष प्रबंधन द्वारा सम्यक अनुमोदित कंपनी 'पर्यावरण नीति' पर्यावरण प्रबंधन विभाग / प्रकोष्ठ की संगठनात्मक संरचना गैर-अनुपालन / उल्लंघन की निदेशक मंडल को रिपोर्टिंग के लिए तंत्र, यदि कोई हो, रिपोर्टिंग आवर्त, रिपोर्ट की गयी गैर-अनुपालन या आंशिक अनुपालन को बंद करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, यदि कोई हो।
11.	संक्षिप्त सार और निष्कर्ष (यह ईआईए रिपोर्ट का संक्षिप्त सार होगा और इसे कार्यकारी सारांश के लिए उपयोग किया जा सकता है)	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना वर्णन पूर्व-परियोजना या पूर्व-विस्तार परिदृश्य (आधारभूत परिदृश्य) अनुमानित पर्यावरणीय संघात न्यूनीकरण के उपाय पर्यावरणीय मानीटर कार्यक्रम अतिरिक्त अध्ययन परियोजना के फायदे पर्यावरण प्रबंधन योजना परियोजना के कार्यान्वयन का समग्र औचित्य कैसे, प्रतिकूल प्रभाव को कम किया गया है, की व्याख्या
12.	नियोजित परामर्शियों का प्रकटन	<ul style="list-style-type: none"> उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित किए गए प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन के नाम। प्रत्यायन का विवरण ईआईए की तैयारी में शामिल ईआईए समन्वयक और कार्यात्मक क्षेत्र

		<p>विशेषज्ञ (जों) के ब्यौरे।</p> <ul style="list-style-type: none"> परिशिष्ट-XIII के अनुसार ईआईए की तैयारी में शामिल ईआईए समन्वयक और कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञ (ओं) की घोषणा।
--	--	--

टिप्पण :

- 1) सभी दस्तावेजों को ठीक से अनुक्रमित किया जाना चाहिए, पृष्ठ क्रमांकित।
- 2) डेटा संग्रह की अवधि / तारीख स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जानी चाहिए।
- 3) क्षेत्रीय भाषाओं में सभी सामग्री का प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद प्रदान किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट - XI

(खंड 13 और 16 देखें)

पर्यावरणीय प्रबंधन रिपोर्ट की साधारण संरचना

क्र.सं.	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	<ul style="list-style-type: none"> रिपोर्ट का प्रयोजन परियोजना प्रस्तावक के ब्यौरे : परियोजना का नाम; कंपनी / संगठन का नाम; पंजीकृत पता; कंपनी की विधिक स्थिति; संयुक्त उद्यम यदि कोई हो; आदि। परियोजना का अवस्थान: भूखंड/ सर्वेक्षण/ खसरा संख्या; गाँव; तहसील; जिला; राज्य; पिन कोड; परिवद्ध अक्षांश - उत्तरी (से एवं तक); परिवद्ध देशांतर- पूर्व (से एवं तक); भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट पत्र सं.; टोपोशीट पत्र की प्रतिलिपि; एएमएसएल से अधिकतम ऊँचाई; केएमएल मिसिल की प्रति; अध्ययन क्षेत्र के भीतर परियोजना सीमा से निकटतम उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) की दूरी; भूकंपीय जोन; निकटतम रेलवे स्टेशन; निकटतम रेलवे स्टेशन से दूरी (किमी में); निकटतम हवाई अड्डा; निकटतम हवाई अड्डे से दूरी (किमी में); निकटतम नगर / शहर / जिला मुख्यालय (विनिर्दिष्ट करें); निकटतम नगर / शहर / जिला मुख्यालय से दूरी (किमी में); ग्राम पंचायत, जिला परिषद्, नगर निगम, स्थानीय निकाय (पिन कोड और टेलीफोन नंबर के साथ पूरा डाक पता); आदि। साधारण अवस्थान, विशिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास दर्शाने वाले नक्शे परियोजना की प्रकृति, आकार, प्रवर्ग का संक्षिप्त वर्णन : अनुसूची में मद सं. पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से देश, क्षेत्र के लिए परियोजना का महत्व परियोजना का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति / सहमति शामिल है
2.	परियोजना का वर्णन	<ul style="list-style-type: none"> परियोजना की किस्म परियोजना की आवश्यकता परियोजना द्वारा और / या के लिए अपेक्षित संबद्ध कार्यकलापों सहित प्रचालन का आकार या परिमाण। परियोजना का अभिन्यास दर्शाने वाले योजनाबद्ध आरेख / प्रवाह चार्ट सहित प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया विवरण, परियोजना के संघटकों आदि दिए जाने चाहिए।

		<ul style="list-style-type: none"> • अनुमानित मात्रा सहित आवश्यक कच्ची सामग्रियां, संभावित स्रोत, वित्तीय उत्पाद / उत्पादों के विपणन क्षेत्र, कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद के परिवहन के तरीके। • परियोजना में परिकल्पित संसाधन अनुकूलन / पुनर्चक्रण और इनकार, यदि कोई हो, को संक्षिप्त रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। • जल स्रोत की उपलब्धता, ऊर्जा / बिजली की आवश्यकता और स्रोत बताया जाना चाहिए। • विभिन्न कार्यकलापों के लिए भूमि की आवश्यकता, भूमि का स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण की स्थिति आदि। • उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा (द्रव और ठोस) और उनके प्रबंधन / निपटान की योजना। • व्यवहार्यता आरेख की योजनाबद्ध व्यपदेशन जो ईआईए प्रयोजन की जानकारी देते हों • अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम
3.	प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना के कारण अनुमानित पर्यावरणीय संघातों का विवरण • अन्य बातों के साथ, हरित पट्टी विकास योजना सहित न्यूनीकरण उपाय।
4.	पर्यावरणीय मानीटरी कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> • न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पद्धति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपापन अनुसूचियां भी हैं)
5.	परियोजना के फायदे	<ul style="list-style-type: none"> • कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व - सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्यकलाप • नियोजन क्षमता; कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल • अन्य मूर्त लाभ

परिशिष्ट - XII

(खंड 11 देखें)

पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट दस्तावेज की साधारण संरचना

क्र.सं.	पीएफआर संरचना	अंतर्वस्तु
1.	कार्यकारी सारांश	<ul style="list-style-type: none"> • विस्तार / आधुनिकीकरण / उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन / प्रक्रिया में परिवर्तन की दशा में परियोजना प्रस्तावक के ब्यौरों का संक्षिप्त सारांश, परियोजना का

		<p>अवस्थान, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति / सहमति सहित परियोजना का संक्षिप्त इतिहास; प्रचालन का आकार और परिमाण; प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया विवरण; कच्ची सामग्री की आवश्यकता; पानी और बिजली की आवश्यकता; परियोजना अवस्थान की पर्यावरण संवेदनशीलता; पर्यावरण संघात निर्धारण; न्यूनीकरण के उपाय; मानीटरी; आदि।</p>
2.	परियोजना का प्राक्कथन / पृष्ठभूमि जानकारी	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना और परियोजना प्रस्तावक का परिचय। खनन परियोजना की दशा में, खनन पट्टे / आशय पत्र की एक प्रतिलिपि दी जानी चाहिए। • परियोजना की प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन। • देश और या क्षेत्र के लिए परियोजना की आवश्यकता और इसका महत्व • मांग - आपूर्ति अंतराल। • आयात बनाम स्वदेशी उत्पादन। • निर्यात संभाव्यता। • घरेलू / निर्यात बाजार। • परियोजना के कारण रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)
3.	परियोजना का प्रकार	<ul style="list-style-type: none"> • अंतराबद्ध और अन्योन्याश्रित परियोजनाओं सहित परियोजना की किस्म, यदि कोई हो। • निर्देशांक के साथ अवस्थान (साधारण अवस्थान, विशिष्ट अवस्थान और परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शाने वाला मानचित्र)। • अनुकल्पिक स्थलों का वर्णन और प्रस्तावित स्थल के चयन का आधार, विशेष रूप से पर्यावरण संबंधी विचारन को रेखांकित किया जाना चाहिए। • प्रचालन का आकार या परिमाण। • प्रक्रिया ब्यौरे के साथ परियोजना वर्णन (परियोजना का अभिन्यास दर्शाने वाले योजनाबद्ध आरेख / प्रवाह चार्ट, परियोजना के संघटक आदि दिए जाने चाहिए)। • अनुमानित मात्रा सहित आवश्यक कच्ची सामग्रियां, संभावित स्रोत, वित्तीय उत्पाद / उत्पादों के विपणन क्षेत्र, कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद के परिवहन के तरीके। • परियोजना में परिकल्पित संसाधन अनुकूलन / पुनर्चक्रण और इनकार, यदि कोई हो, को संक्षिप्त रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। <ul style="list-style-type: none"> • जल स्रोत की उपलब्धता, ऊर्जा / बिजली की आवश्यकता और स्रोत बताया जाना चाहिए। • उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा (द्रव और ठोस) और उनके प्रबंधन / निपटान की योजना। • व्यवहार्यता आरेख की योजनाबद्ध व्यपदेशन जो ईआईए प्रयोजन की जानकारी देते हों

4.	स्थल विश्लेषण	<ul style="list-style-type: none"> • संयोजकता। • भूमि प्ररूप, भूमि उपयोग और भूमि स्वामित्व। • स्थलाकृति (मानचित्र के साथ)। • मौजूदा भूमि उपयोग पैटर्न (कृषि, गैर-कृषि, वन, जल निकाय (सीआरजेड या आईसीआरजेड के तहत क्षेत्र सहित), परियोजना की परिधि से जंगलों की परिधि तक की न्यूनतम दूरी, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र, जल निकाय (नदी के एचएफएल से दूरी), सीआरजेड या आईसीआरजेड। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र की दशा में, राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति दी जानी चाहिए। • मौजूदा अवसंरचना। • मृदा वर्गीकरण। • द्वितीयक स्रोतों से जलवायु डेटा। • सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध
5.	आयोजना संक्षिप्त विवरण	<ul style="list-style-type: none"> • आयोजना अवधारणा नगर और ग्राम (उद्योगों, सुविधाओं, परिवहन आदि की किस्म) टाउन एंड कंट्री। • जनसंख्या अनुमान। • भू-उपयोग आयोजना (हरित पट्टी के साथ अलग अलग)। • अवसंरचना मांग निर्धारण (भौतिक और सामाजिक)। • सुख-सुविधाएं / सुविधाएं
6.	प्रस्तावित बुनियादी ढाँचा	<ul style="list-style-type: none"> • औद्योगिक क्षेत्र (प्रसंस्करण क्षेत्र)। • आवासीय क्षेत्र (गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र)। • हरित पट्टी। • सामाजिक अवसंरचना। • संयोजकता (यातायात और परिवहन सड़क / रेल, मेट्रो, जलमार्ग, इत्यादि)। • पेयजल प्रबंधन। • औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। • बिजली की आवश्यकता और प्रदाय / स्रोत
7.	पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) योजना	<ul style="list-style-type: none"> • घर से बेदखल, भूमि से बेदखल और भूमिहीन श्रमिकों सहित इस परियोजना से प्रभावित होने वालों के लिए नीति अंगीकरण (केंद्र / राज्य) किया जाना चाहिए। (एक संक्षिप्त रूपरेखा दी जानी चाहिए)
8.	परियोजना कार्यक्रम और लागत अनुमान	<ul style="list-style-type: none"> • निर्माण की संभावित तारीख और शुरुआत और पूरा होने की संभावित तिथि (परियोजना के लिए समय अनुसूची दी जानी चाहिए)।

		<ul style="list-style-type: none"> परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के संदर्भ में विश्लेषण के साथ अनुमानित परियोजना लागत
10.	प्रस्ताव का विश्लेषण (अंतिम सिफारिशें)	<ul style="list-style-type: none"> क्षेत्र में आदिवासी आबादी, यदि कोई हो, सहित स्थानीय लोगों को फायदे पर विशेष जोर देने के साथ वित्तीय और सामाजिक फायदे

परिशिष्ट - XIII

प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन के प्रकटीकरण के लिए प्रारूप

- मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्शी संगठन का नाम:
- मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्शी संगठन का पता :
- प्रत्यायन संख्या:
- प्रत्यायन का क्षेत्र
- प्रत्यायन का प्रवर्ग (प्रवर्ग क के लिए पात्र / प्रवर्ग ख के लिए पात्र)
- प्रत्यायन की विधिमान्यता (जिस तिथि तक प्रत्यायन विधिमान्य है):
- ईआईए समन्वयक का नाम:
- ईआईए रिपोर्ट के लिए भागीदारी की अवधि:
- ईआईए समन्वयक का हस्ताक्षर और तिथि:
- ईआईए रिपोर्ट में शामिल कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञों का विवरण:

क्र. सं.	कार्य क्षेत्र	एफएई का नाम	एफएई के इनपुट्स / सहभागिता (ईआईए रिपोर्ट के साथ अंतर संदर्भ)	हस्ताक्षर और तारीख
1	वायु प्रदूषण मानीटरी, निवारण और नियंत्रण			
2	मौसम विज्ञान, वायु गुणवत्ता प्रतिरूपण और अनुमान			
3	जल प्रदूषण की मानीटरी, निवारण और नियंत्रण			
4	पारिस्थितिकी और जैव विविधता			
5	शोर और कंपन			
6	सामाजिक - अर्थशास्त्र			
7	जल विज्ञान, भूजल और जल संरक्षण			
8	भूगर्भशास्त्र			
9	मृदा संरक्षण			
10	भूमि उपयोग			
11	जोखिम मूल्यांकन और खतरों का प्रबंधन			

12	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
----	-------------------------	--	--	--

प्रत्यायित ईआईए परामर्शी संगठन के प्रमुख द्वारा घोषणा :

मैं, -----, एतद्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त विशेषज्ञों ने मैसर्स ----- की -
----- शीर्षक वाली परियोजना का ईआईए रिपोर्ट तैयार की है। ----- । मैं यह भी
पुष्टि करता हूँ कि मैं इस कथन में उल्लिखित किसी भी भ्रामक जानकारी के लिए पूरी तरह से जवाबदेह हूँ।

हस्ताक्षर और दिनांक:


नाम:

पदनाम:

मान्यता प्राप्त ईआईए परामर्शी संगठन का नाम


परिशिष्ट-XIV

पूर्व पर्यावरण अनापत्ति या पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण का आरेखीय व्यपदेशन



परिशिष्ट - XV

अतिक्रमण मामलों के व्यवहारचर्या का आरेखीय व्यपदेशन



MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2020

S.O. 1199(E).—Whereas, the Central Government proposes to issue following notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for imposing certain restrictions and prohibition on the undertaking some projects or expansion or modernization of such existing projects entailing capacity addition, in any part of India, in supersession of the Environment Impact Assessment notification vide S.O. 1533 dated the 14th September, 2006 and its subsequent amendments, is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at eia2020-moefcc@gov.in.

Draft Notification

WHEREAS by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E) dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as 'EIA Notification, 2006'), the Central Government imposed certain conditions and thresholds on the undertaking of some projects or expansion or modernization of such existing projects entailing capacity addition, in any part of India listed in Schedule to the EIA Notification, 2006 unless Prior Environment Clearance has been accorded by the Ministry or the State Level Environment Impact Assessment Authority or District Level Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, in accordance with the procedure specified in the EIA Notification, 2006 and subsequent amendments;

AND WHEREAS, there have been several amendments issued to the EIA Notification, 2006, from time to time, for streamlining the process, decentralization and implementation of the directions of Courts and National Green Tribunal. Though the EIA Notification, 2006 has helped in realizing necessary environmental safeguards by assessing environment impacts due to the proposed projects, that require Prior Environment Clearance at the planning stage itself, the Central Government seeks to make the process more transparent and expedient through implementation of online system, further delegations, rationalization, standardization of the process, etc.;

AND WHEREAS, the Ministry had issued the notification number S.O. 804 (E), dated the 14th March, 2017 laying down procedure for appraisal of the violation cases with a time window of six months. The said notification defined violation of projects which have started the construction work, or have undertaken expansion or modernization or change in product-mix without Prior Environment Clearance.

However, such violations being recurring in nature may come to the notice in future during the process of appraisal or monitoring or inspection by Regulatory Authorities. Therefore, the Ministry deems it necessary to lay down the procedure to bring such violation projects under the regulations in the interest of environment at the earliest point of time rather than leaving them unregulated and unchecked, which will be more damaging to the environment;

AND WHEREAS, the Hon'ble High Court of Jharkhand's order dated the 28th November, 2014 in W.P. (C) No. 2364 of 2014 in the matter of Hindustan Copper Limited *Versus* Union of India, *inter alia*, held that the consideration for the proposal for Environment Clearance must be examined on its merits, independent of any proposed action for alleged violation of the environmental laws;

AND WHEREAS, the Hon'ble National Green Tribunal in Original Application Number 837/2018 in the matter of Original Application Number 837/2018 Sandeep Mittal Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors., has held that Ministry shall strengthen the monitoring mechanism for compliance of conditions of Prior Environment Clearance;

AND WHEREAS, the Central Government hereby publishes this draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) or rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 1533 (E) dated the 14th September, 2006 read with subsequent amendments, notification numbers S.O. 190 (E) dated the 20th January, 2016, S.O. 4307(E) dated the 29th November, 2019, S.O. 750(E) dated the 17th February, 2020, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession.

1. Short title and commencement: -

- i. This notification may be called the Environment Impact Assessment Notification, 2020 (hereinafter referred to as 'EIA Notification, 2020').
- ii. This notification shall come into force on the date of publication of final notification in the Official Gazette.

2. Application of the notification: - This notification is applicable to whole of India including territorial waters.

3. Definitions: - In this notification, unless the context otherwise requires, the terms are defined as follows:

- (1) “**Accredited Environment Impact Assessment Consultant Organization** (hereinafter referred to as ‘ACO’)” is an organization that is accredited with the National Accreditation Board for Education and Training (NABET) of Quality Council of India (QCI) or any other agency, as may be notified by the Ministry from time to time;
- (2) “**Act**” means the Environment (Protection) Act, 1986 (Act number 29 of 1986);
- (3) “**Appraisal**” means detailed scrutiny of the application in prescribed form(s) and all documents including final EIA report, outcome of the public consultations by the Appraisal Committee for grant of Prior Environment Clearance;
- (4) “**Appraisal Committee**” means Central Level Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or Union Territory Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be.
- (5) “**Baseline data** (hereinafter referred to as ‘BLD’)” means data depicting the pre-project or pre-expansion environmental scenario including data related to air, water, land, flora, fauna, socio-economic, etc., of the proposed project at the site(s) and study area;
- (6) “**Border Area**” means area falling within 100 kilometers aerial distance from the Line of Actual Control with bordering countries of India;
- (7) “**Built-up area**” means the built up or covered area on all the floors put together including its basement and other service areas, that is proposed in the buildings or construction projects;
- (8) “**Capital dredging**” means one time process involving removal of virgin material from the sea bed to create, or deepen a shipping channel in order to serve larger ships. This includes dredging activity inside and outside the ports or harbors and channels;
- (9) **Category ‘A’** means projects or activities as listed in the column (3) of the Schedule to this notification;
- (10) **Category ‘B1’** means projects or activities as listed in the column (4) of the Schedule to this notification;
- (11) **Category ‘B2’** means projects or activities as listed in the column (5) of the Schedule to this notification;
- (12) “**Central Pollution Control Board** (hereinafter referred to as ‘CPCB’)” is a Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (13) “**Certificate of Green Building**” means certificate issued under the rating programmes of Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA); Indian Green Building Council (IGBC); Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) India, Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) or any other third-party green building rating system as issued by the Ministry, from time to time;

- (14) “**Cluster**” means an area formed by group of mines or leases as per the criteria given in subparagraph (3) of paragraph 24 of this notification;
- (15) “**Cluster certificate**” is the certificate for cluster of mines or leases issued by the Director of Mines and Geology or any other Competent Authority;
- (16) “**Corporate Environment Responsibility** (hereinafter referred to as ‘CER’)” is the part of EMP wherein the project proponent is mandated to carry out certain activities for environment safeguard in the immediate surroundings of the project based on the issues raised during the public consultation and / or social need based assessment carried during the EIA studies;
- (17) “**Coastal Regulatory Zone** (hereinafter referred to as ‘CRZ’)” is the zone as notified under the Coastal Regulatory Zone Notification, 2019 and subsequent amendments, from time to time.
- (18) “**Critically Polluted Area**” means industrial cluster or area as identified by the Central Pollution Control Board, from time to time;
- (19) “**District or Divisional Level Expert Appraisal Committee** (hereinafter referred to as ‘DEAC’)” is a committee of experts constituted for the purpose of this notification, at district level or at divisional level, by the SEIAA or UTIAA in exercise of powers conferred under the section 23 of the Act, on the recommendation of the State Government or Union Territory administration, for environment appraisal of projects referred to it, and for making appropriate recommendations;
- (20) “**District Survey Report**” means a report prepared by the Geology Department or Irrigation Department or Forest Department or Public Works Department or Ground Water Boards or Remote Sensing Department or Mining Department, etc. in the district for identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area;
- (21) “**Eco-sensitive areas** (hereinafter referred to as ‘ESA’)” are the areas as notified under subsection (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and subsequent amendments, from time to time;
- (22) “**Eco-sensitive zones** (hereinafter referred to as ‘ESZ’)” are the zones as notified under subsection (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and subsequent amendments, from time to time;
- (23) “**Environment Impact Assessment** (hereinafter referred to as ‘EIA’) **Report**” is the document prepared by the Project Proponent through an ACO for the proposed project based on the Terms of Reference prescribed by the Regulatory Authority and as per the generic structure given in the Appendix-X of this notification;
- a. “**Draft EIA Report**” is the EIA Report prepared for the purpose of Public Consultation or in accordance with the directions of the Regulatory Authority;
- b. “**Final EIA Report**” is the EIA Report prepared, after public consultation, including mitigation measures duly addressing the concerns raised by the public, time bound action plan, budgetary provision for the commitments made therein by the project proponent, for the purpose of appraisal;
- (24) “**EIA Coordinator**” is a sectoral expert and coordinator of Functional Area Experts and is accredited by the ACO;
- (25) “**Environment Management Plan** (hereinafter referred to as ‘EMP’) **Report**” is the document prepared by the project proponent through ACO for the proposed project as per the generic structure given in the Appendix-XI of this notification;
- (26) “**Expansion**” means any increase in mine lease area or project area or Culturable Command Area or built-up area or length or number or generation capacity or production capacity or throughput or handling capacity, etc., as applicable to the project, entailing the capacity addition beyond the limits specified for the concerned project, in the schedule or prior-EC or prior-EP, as the case may

- be, obtained. In case of mining projects or activity any increase in mine lease area and or production capacity shall be considered as expansion;
- (27) “**Expert Appraisal Committee** (hereinafter referred to as ‘EAC’)” is a committee of experts constituted at central level by the Ministry for appraisal of projects referred to it and for making appropriate recommendations;
- (28) “**Form**” means form(s) appended to this notification;
- (29) “**Functional Area Expert** (hereinafter referred to as ‘FAE’)” is an expert accredited by ACO, and working or empaneled with the ACO;
- (30) “**General Condition** (hereinafter referred to as ‘GC’)” means that any project or activity specified in Category ‘B1’ shall be appraised at the Central Level without change in the Category, if located in whole or in part, in areas mentioned in (a) or (b) below:-
- a. within 10 km in respect of items numbers 3, 5, 32, 33 of the schedule and within 5 km in respect of other items, from the boundary of-
- (i) Protected Areas; or
- (ii) Critically Polluted Area; or
- (iii) Eco-sensitive area; or
- (iv) Inter State or Union Territory.
- b. within the boundary of-
- (i) Severely Polluted Area; or
- (ii) Eco-sensitive Zone.
- (31) “**Island Coastal Regulatory Zone** (hereinafter referred to as ‘ICRZ’)” is the zone as notified under the Island Coastal Regulatory Zone Notification, 2019 and subsequent amendments, from time to time.
- (32) “**Maintenance dredging**” means the periodic removal of shoals or sediments from existing navigational channels, berths, swinging moorings etc. in order to maintain an appropriate safe depth of water for navigation, construction or operational purposes;
- (33) “**Micro, Small and Medium Enterprises**” means the project as defined under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Act number 27 of 2006) and its subsequent amendments;
- (34) “**Mineral Beneficiation**” means a process by which valuable constituents of ore are concentrated by means of physical or Physico-chemical separation process;
- (35) “**Ministry**” means Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the Government of India;
- (36) “**Modernization**” is any change in the process or technology or change in the raw material mix or product mix or de-bottlenecking or increase in the number of working days or increase in the capacity utilization of plant and machinery in the project including increase in the rate of excavation in the existing mine lease area, etc., for which prior-EC or prior-EP, as the case may be, granted by the Regulatory Authority;
- (37) “**Non-compliance**” means non-compliance of terms and conditions prescribed by the Regulatory Authority in the Prior Environment Clearance or Prior Environment Permission to the project.
- (38) “**Notified Industrial Estate**” means the Industrial Estate including parks; complexes; areas; Export Processing Zones (EPZs); Special Economic Zones (SEZs); Biotech Parks; Leather Complexes; Coastal Economic Zones (CEZs); Special Investment Region (SIR); National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs); Industrial Cluster; Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPIRs), that are notified by the Central Government or State Government or Union Territory administration prior to the 14th September, 2006 or that have obtained the Prior Environment Clearance as mandated under the EIA Notification, 2006 or under this notification;

- (39) “**Protected Areas**” means areas as notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and its subsequent amendments, from time to time;
- (40) “**Prior Environment Clearance** (hereinafter referred to as ‘**prior-EC**’)” means the clearance or consent of Regulatory Authority, on the recommendation of the Appraisal Committee for the Category ‘A’; Category ‘B1’ and Category ‘B2’ projects that are required to be placed before Appraisal Committee as specified in the Schedule;
- (41) “**Prior Environment Permission** (hereinafter referred to as ‘**prior-EP**’)” means the permission or consent of Regulatory Authority for carrying out the proposed project listed in the Schedule in respect of Category ‘B2’ that are not required to be placed before Appraisal Committee as specified in the Schedule;
- (42) “**Prior Environment Clearance Conditions**” means conditions prescribed by the Regulatory Authority, for the project, for which Prior Environment Clearance or Prior Environment Permission has been sought;
- a. “**Specific Conditions**” means project specific or location specific conditions, on case to case basis, if any, prescribed by the Appraisal Committee; and
 - b. “**Standard Conditions**” means conditions prescribed by the Ministry from time to time, for stipulating while granting prior-EC or prior-EP, as the case may be. However, such conditions may be modified, on due diligence, during the appraisal, on case to case basis, by the Appraisal Committee (in case of Prior-EC); and by the Regulatory Authority (in case of prior-EP).
- (43) “**Project**” means project or an activity;
- (44) “**Project Life**” means life of the project including phases of, (i) construction or installation or establishment or commissioning; (ii) operation; and (iii) redundancy or closure or dismantling;
- (45) “**Project Proponent**” means an individual or public or private entity or private entity, that has ultimate control over the affairs of the project and is duly authorized or appointed by the Board of Directors of the company or a competent authority of such entity or firm or trust or Limited Liability Partnership or Joint Venture or Special Purpose Vehicle or Central or State or Local Government to manage the affairs of the project and to correspond and execute documents before the Regulatory Authority for the purpose of this notification;
- (46) “**Public Consultation**” means the process by which the concerns of local affected persons and others, who have plausible stake in the environmental impact of the project, are ascertained with a view to appropriately take into account all such material concerns while designing the project;
- (47) “**Regulatory Authority**” means the Ministry or State Level Environment Impact Assessment Authority or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority;
- (48) “**Schedule**” means Schedule appended to this notification;
- (49) “**Scoping**” means the process of determining the Terms of Reference by the Regulatory Authority for the preparation of EIA Report, for the project, seeking prior-EC;
- (50) “**Secondary metallurgical processes**” means the production processes that starts with the output of the ore reduction process, scrap, salvage and ingots as input to the industry and its products are semi-finished products or finished products;
- (51) “**Severely Polluted Area**” means the industrial cluster or area as identified by the Central Pollution Control Board as Severely Polluted Area, from time to time;
- (52) “**State Level Expert Appraisal Committee** (hereinafter referred to as ‘**SEAC**’)” means a committee of experts constituted for the purpose of this notification, at state level, by the Ministry for environment appraisal of projects referred to it and for making appropriate recommendations;
- (53) “**State Pollution Control Board** (hereinafter referred to as ‘**SPCB**’)” is a board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (54) “**State Level Environment Impact Assessment Authority** (hereinafter referred to as ‘**SEIAA**’)” means an authority constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986;

- (55) “**Study area**” means the immediate surrounding area within an aerial distance of, 10 km around the boundary of the project falling under Category ‘A’ or 5 km around the boundary of the project falling under Category ‘B’, as the case may be;
- (56) “**Terms of Reference** (hereinafter referred to as ‘ToR’)” means detailed scope prescribed by the Regulatory Authority, for the project, for the purpose of preparation of EIA Report;
- a. “**Specific Terms of Reference**” means project specific or location specific Terms of Reference, prescribed by the Appraisal Committee, deemed necessary for the preparation of an EIA Report; and
- b. “**Standard Terms of Reference**” means standard Terms of Reference issued by the Ministry from time to time, for the preparation of EIA Report, in respect of the projects listed in the Schedule.
- (57) “**Union Territory Level Expert Appraisal Committee** (hereinafter referred to as ‘UTEAC’)” means a committee of experts constituted for the purpose of this notification at Union Territory Level by the Ministry for environmental appraisal of projects referred to it and for making appropriate recommendation;
- (58) “**Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority** (hereinafter referred to as ‘UTEIAA’)” means an authority constituted by the Ministry under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986;
- (59) “**Union Territory Pollution Control Committee** (hereinafter referred to as ‘UTPCC’)” is a Committee constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act number 6 of 1974); and
- (60) “**Violation**” means cases where projects have either started the construction work or installation or excavation, whichever is earlier, on site or expanded the production and / or project area beyond the limit specified in the prior-EC without obtaining prior-EC or prior-EP, as the case may be.

4. Requirement of Prior Environment Clearance or Prior Environment Permission:-

- (1) New projects or activities including expansion or modernization of project or activities listed in the schedule under Category ‘A’; Category ‘B1’; and Category ‘B2’ that are required to be placed before Appraisal Committee as specified in the Schedule, shall require Prior Environment Clearance from the concerned Regulatory Authority before start of any construction work or installation or establishment or excavation or modernization, whichever is earlier, on site or before expanding the production and / or project area beyond the limit specified in the prior-EC or prior-EP, as the case may be, granted earlier.
- (2) New projects or activities including expansion or modernization of project or activities listed in the schedule under Category ‘B2’ that are not required to be placed before Appraisal Committee as specified in the Schedule, shall require Prior Environment Permission from the concerned Regulatory Authority before start of any construction work or installation or establishment or excavation or modernization, whichever is earlier, on site or before expanding the production and / or project area beyond the limit specified in the prior-EC or prior-EP, as the case may be, granted earlier.
- (3) It is, however, clarified that ‘construction work’ for the purpose of this notification shall not include securing the land by fencing or compound wall; temporary shed for security guard(s); leveling of the land without any tree felling; geo-technical investigations if any required for the project.

5. Categorization of projects and activities: -

- (1) All the projects, listed in the schedule, are divided into three categories namely, Category ‘A’, Category ‘B1’, and Category ‘B2’ based on the potential social and environmental impacts and spatial extent of these impacts.
- (2) All projects under Category ‘A’ in the Schedule including expansion and modernization of existing projects shall require prior-EC from the Ministry.

- (3) All projects under Category 'B1' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects, but excluding those which fulfill the General Conditions defined under sub-clause (30) of clause 3 of this notification, shall require prior-EC from the SEIAA or UTEIAA, as the case may be.
- (4) All projects under Category 'B1' in the Schedule including expansion and modernization of existing projects, and those which fulfill the General Conditions defined under sub-clause (30) of clause 3 of this notification, shall require prior-EC from the Ministry without any change in the category of the project.
- (5) All projects under Category 'B2' that are required to be placed before Appraisal Committee as specified in the Schedule, shall require prior-EC from the SEIAA or UTEIAA, as the case may be.
- (6) All other projects under Category 'B2' (other than those projects specified under sub-clause (5) above), shall require prior-EP from the SEIAA or UTEIAA, as the case may be. These projects shall not be placed before Appraisal Committee.
- (7) All projects concerning national defence and security or involving other strategic considerations, as determined by the Central Government, shall require prior-EC or prior-EP, as the case may be, from the Ministry without any change in the category of the project. Further, no information relating to such projects shall be placed in public domain.

6. Expert Appraisal Committee (EAC):-

- (1) The EAC shall consist of only experts fulfilling the following eligibility criteria:-
 - (a) **Qualification:** The person should have at least Post Graduate Degree in Science or Commerce or Arts or Law or Business Administration or Agriculture or Horticulture or Economics; or Graduate Degree in Technology or Engineering or Architecture from any recognized University or professional certification (C.A, C.S., and CMA).
 - (b) **Age:** Below 70 years as on date of nomination for the Appraisal Committee.
 - (c) **Experience:** 15 years of experience in the relevant fields given below:
 - (i) **Environment Quality:** Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data with relation to environment quality;
 - (ii) **Sectoral Project Management:** Experts in project management or management of process or operations or facilities in the sectors namely mining, extraction of natural resources, irrigation, power generation, nuclear energy, primary processing, materials production, materials processing, manufacturing, fabrication, physical infrastructure including environment services;
 - (iii) **Environment Impact Assessment Process:** Experts in conducting and carrying out EIA and preparation of EMP and other management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process;
 - (iv) Risk Assessment or Occupational health;
 - (v) Life Science (Floral and Faunal Management) or Forestry or Wildlife or Marine Science;
 - (vi) Environment Economics with experience in project appraisal;
 - (vii) Pollution prevention and mitigation or environmental sciences;
 - (viii) Public administration or management covering various developmental sectors and environment issues;
 - (ix) Environment laws; and
 - (x) Social impact assessment or Rehabilitation and Resettlement.
- (2) The tenure of the EAC shall not be more than three years.
- (3) The strength of the EAC shall not exceed fifteen regular members including Chairman or Chairperson and Secretary. However, the Chairman or Chairperson may co-opt expert(s) as the member(s) in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

- (4) The Chairman or Chairperson shall be an eminent person having experience in environment policy related issues, in management or in public administration dealing with various developmental sectors.
- (5) The Chairman or Chairperson shall nominate one of the members as the Vice-Chairman or Chairperson who shall preside over the EAC, in the absence of the Chairman or Chairperson.
- (6) The maximum tenure of a member, including Chairman or Chairperson, shall be for two terms of three years each or part thereof either in any of the Appraisal Committee or Authority. Chairman or Chairperson and member shall not serve simultaneously in more than one Authority or Committee constituted under this notification.
- (7) The tenure of Chairman or Chairperson and members may not be curtailed arbitrarily prior to expiry of the tenure, without cause and proper enquiry conducted by the Ministry.
- (8) More than one Expert Appraisal Committees can be constituted, as deemed necessary, by the Ministry.
- (9) The authorised members of the EAC concerned may inspect any site connected with the project in respect of which the Prior Environment Clearance is sought for the purpose of scoping or appraisal with prior notice of at least seven days to the project proponent who shall provide necessary cooperation for the inspection.
- (10) The EAC shall function on the principle of collective responsibility. The Chairman or Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail. Provided that in case a decision is taken by majority the details of views, for and against, shall be recorded in the minutes.
- (11) A representative of the Ministry not below the rank of Director or Scientist 'E' or equivalent shall function as Member-Secretary of the Committee.
- (12) EAC shall meet at least once every month.
- (13) Ministry shall issue the procedure to be followed for constitution of the EAC, from time to time.

7. State Level Environment Impact Assessment Authority or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority: -

- (1) The SEIAA or UTEIAA shall comprise of three Members including a Chairman or Chairperson and a Member-Secretary. The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union Territory administration, not below the rank of Director or equivalent in the State Government or Union Territory. The Member-Secretary is expected to be, familiar with environment laws.
- (2) The tenure of the SEIAA or UTEIAA shall be three years. However and wherever considered necessary and expedient, Ministry may extend the tenure of existing authority for a period of not more than three months.
- (3) The Chairman or Chairperson shall be an eminent person having experience in environment policy related issues or in management or in public administration dealing with various developmental sectors. The qualification, age and experience shall be as per the criteria given in sub-clause (1) of clause 6 of this notification.
- (4) The maximum tenure of the non-official member including Chairman or Chairperson, shall be for two terms of three years each or part thereof either in any of Appraisal Committee or Authority. Chairman or Chairperson and member shall not serve simultaneously in more than one authority or committee constituted under this notification.
- (5) The tenure of Chairman or Chairperson and members may not be curtailed arbitrarily prior to expiry of the tenure, without cause and proper enquiry conducted by the concerned State or Union Territory.
- (6) The State Government or Union Territory administration shall forward the names of the Members and the Chairman to the Ministry, at least, forty-five days before expiry of the tenure of existing authority, and the Ministry shall constitute the SEIAA or UTEIAA, as an authority for the purposes of this notification, before expiry of the tenure of existing authority.
- (7) In case the State Government or Union Territory administration fails to forward the names of the Members and the Chairman to the Ministry forty-five days before expiry of the tenure of the existing

authority, the Ministry shall constitute the SEIAA or UTEIAA, as an authority, for the purposes of this notification, without referring to State Government or Union Territory Administration.

- (8) All decisions of the SEIAA or UTEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous. Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to Ministry.
- (9) SEIAA or UTEIAA shall meet at least once in every month.

8. State or Union Territory or District Level Expert Appraisal Committee:-

- (1) The qualification, age and experience of chairman or chairperson or members of the SEAC or UTEAC or DEAC shall as per the criteria given in sub-clause (1) of clause 6 of this notification.
- (2) The other criteria and functions of the SEAC or UTEAC or DEAC shall as per the criteria given in sub-clause (2) to sub-clause (10) of clause 6 of this notification.
- (3) A representative of the State Government or Union Territory administration, not below the rank of Director or equivalent in the State Government or Union Territory shall function as Secretary of the Committee, in case of the SEAC or UTEAC.
- (4) An officer of the State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee shall function as Secretary of the DEAC.
- (5) The DEAC shall be reconstituted after every three years by the SEIAA or UTEIAA based on the names forwarded by the District Administration or State Government or Union Territory Administration.
- (6) The SEAC or UTEAC shall be reconstituted after every three years through a gazette notification by the Central Government. Wherever considered necessary and expedient, Ministry may extend the tenure of existing committee for a period, not more than 3 months.
- (7) The State Government or Union Territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman to the Ministry, at least, 45 days before expiry of the tenure of existing SEAC or UTEAC and the Ministry shall constitute the SEAC or UTEAC for the purposes of this notification before expiry of the tenure of existing committee.
- (8) In case the State Government or Union Territory Administration fails to forward the names of the Members and the Chairman to the Ministry, before 45 days of expiry of the tenure of the existing SEAC or UTEAC, the Ministry shall constitute the SEAC or UTEAC as an Appraisal Committee for the purposes of this notification, without referring to State Government or Union Territory Administration.
- (9) In case the District Administration or State Government or Union Territory Administration fails to forward the names of the Members and the Chairman of DEAC to the SEIAA or UTEIAA, as the case may be, before 45 days of expiry of the tenure of the existing DEAC, the SEIAA or UTEIAA, as the case may be, shall constitute the DEAC as an Appraisal Committee for the purposes of this notification, without referring to District Administration or State Government or Union Territory Administration.
- (10) Further, in case the respective SEIAA or UTEIAA, as the case may be, fails to constitute DEAC within the time period notified by the ministry from time to time, the Ministry shall constitute the relevant DEAC, comprising of members as deemed appropriate, for such period (not less than 6 months) till the time the respective SEIAA or UTEIAA, as the case may be, does not constitute the respective SEAC.
- (11) The Ministry may constitute more than one SEAC or UTEAC for the State or Union Territory for reasons of administrative convenience and expeditious disposal of the proposals.
- (12) SEAC or UTEAC or DEAC shall meet at least once in every month.

9. Technical Expert Committee: -

- (1) A Technical Expert Committee shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising maximum of 10 members including chairman/chairperson and member-secretary.

- (2) The Technical Expert Committee shall undertake categorization or re-categorization of projects on scientific principles including any streamlining of procedures, other tasks assigned to the committee for the purpose this notification, by the Ministry from time to time.
- (3) The tenure of the committee shall be five years.
- (4) The authorized members of Technical Expert Committee may visit any site connected with any project or activity for the purpose of assessing the environment impact involved in the project, with prior notice of at least seven days to the project proponent by the Ministry.

10. Stages in the Prior Environment Clearance or Prior Environment Permission Process:-

- (1) The Prior Environment Clearance process for Category 'A' or Category 'B1' will comprise of a maximum of six stages. However, the applicability of such stages for particular case or class of cases is set forth in this notification. The six stages, in sequential order, are:

Stage (1): Scoping;

Stage (2): Preparation of Draft EIA Report;

Stage (3): Public Consultation;

Stage (4): Preparation of Final EIA;

Stage (5): Appraisal; and

Stage (6): Grant or Rejection of Prior Environment Clearance.

- (2) The Prior Environment Clearance process for Category 'B2' that are required to be placed before Appraisal Committee as specified in the Schedule, will comprise of a maximum of three stages. The three stages, in sequential order, are:

Stage (1): Preparation of EMP Report;

Stage (2): Appraisal;

Stage (3): Grant or Rejection of Prior Environment Clearance.

- (3) The Prior Environment Permission process for Category 'B2' that are not required to be placed before Appraisal Committee as specified in the Schedule, will comprise of a maximum of two stages. The two stages, in sequential order, are:

Stage (1): Preparation of EMP Report;

Stage (2): Verification of completeness of the application by the Regulatory Authority; and

Stage (3): Grant or Rejection of Prior Environment Permission.

Provided that the ACO preparing the EMP and the Project Proponent, shall be responsible for the adequacy of the EMP.

Provided further that the EMP Report is kept on record and the Regulatory Authority reserves the right to prescribe additional measures for the project.

11. Process of application for Prior Environment Clearance or Prior Environment Permission, as the case may be: -

- (1) The project proponent seeking prior-EC or prior-EP, as the case may be, for the project listed in the schedule, shall make an application, through notified online portal, in the respective form(s), mentioned against each stage. No off-line application shall be entertained.

Stage/ Purpose	Forms	Supplemented with	Applicability	Regulatory Authority
Scoping	Form-1	Prefeasibility report	All projects under Category 'A' and Category 'B1'.	Ministry: For the projects under Category 'A' and Category 'B1' (those which attracts the General Conditions); and SEIAA or UTEIAA, as the case may be: For the projects

				under Category 'B1' (those which do not attract the General Conditions) and Category 'B2'.
Public consultation	Simple letter addressed	(i) At least 10 hard copies and a soft (electronic) copy of the Draft EIA Report prepared in English; and (ii) At least 10 hard copies of summary of EIA Report in English and in the official language of the State or Union Territory or Regional language.	All projects as given in sub-clause (1) of clause 14 of this notification	Member Secretary of SPCB / UTPCC concerned.
Appraisal	Form-1	(i) Form-1A; and (ii) Conceptual plan	All projects mentioned at column (5) under item 42 and 43 of the schedule.	SEIAA or UTEIAA, as the case may be
	Form-1	(i) Form-1B2; (ii) EMP; (iii) Final Layout plan; (iv) Feasibility Report or Mining plan in case of mining projects; (v) District Survey Report in case of mining of minor minerals; and (vi) Cluster certificate in case of cluster situation.	All projects falling under Category 'B2'.	SEIAA or UTEIAA, as the case may be.
	Form-2	(i) Final EIA Report; (ii) Copy of Feasibility Report or Approved Mining Plan in case of mining projects; (iii) Copy of final layout plan; (iv) Public consultation proceedings; (v) District Survey Report in case of mining of minor minerals; and (vi) Cluster certificate in case of cluster situation; and (vii) Certificate of compliance of	All projects falling under Category 'A' or Category 'B1'.	Ministry: For the projects under Category 'A' and Category 'B1' (those which attracts the General Conditions); SEIAA or UTEIAA, as the case may be: For the projects under Category 'B1' (those which do not attract the General Conditions) and Category 'B2'

		<p>conditions earlier prior-EC or prior-EP, as the case may be, issued by the Component Authority in case of expansion or modernization proposals; and</p> <p>(vii) Other pre-requisites as specified at sub-paragraph (5) of paragraph 17 of this notification.</p>		
--	--	--	--	--

- (2) The schematic representation of process in respect of prior-EC or Prior-EP, as the case may be, is given at Appendix-XIV

12. Scoping:-

- (1) All projects listed under Category “B2” of the Schedule shall not require Scoping.
- (2) To facilitate due diligence by the Project Proponent including collection of primary or secondary data, as the case may be, even before filing of application for grant of ToR or prior-EC or prior-EP, sector wise Standard ToR developed by the Ministry, from time to time, shall be displayed on the website of the Ministry.
- (3) The Standard ToR shall be issued to the following projects through online mode, on acceptance of application within 7 working days, without referring to Appraisal Committee by the Regulatory Authority:
 - (a) All Highway projects in Border Areas covered under entry (i) and (ii) of columns (3) and (4) against item 38 of the Schedule;
 - (b) All projects, proposed to be located in notified industrial estates and which are not disallowed in such notification;
 - (c) All expansion proposals of existing projects having earlier Prior Environment Clearance;
 - (d) All Building construction and Area development projects covered under entries of column (4) against item 42 and 43 of the Schedule.

Provided that Appraisal Committee shall be informed regarding issuance of standard ToR for a project. The Appraisal Committee may recommend specific ToR in addition to the Standard ToR, if found necessary for that project, within 30 days from the issue of Standard ToR.

- (4) All new projects other than specified in sub-paragraph (3) above, shall be referred to the Appraisal Committee by the Regulatory Authority within 30 days from the date of application, for recommending the specific ToR in addition to the Standard ToR, if deemed necessary. In case, the Regulatory Authority does not refer the matter to the Appraisal Committee within 30 days of date of application in Form-I, sector specific Standard ToR shall be issued, online, on 30th day, by the Regulatory Authority.
- (5) Applications for ToR may be rejected by the Regulatory Authority concerned on the recommendation of the Appraisal Committee. In case of such rejection, the decision together with reasons for such rejection, shall be communicated to the Project Proponent in writing after due personal hearing within sixty days of the receipt of the application.
- (6) The project proponent shall prepare the EIA report based on the sector specific Standard ToR as well as specific ToR, if any, stipulated by the Appraisal Committee.
- (7) The Terms of Reference for the projects except for River valley projects, issued by the regulatory authority concerned, shall have the validity of four years from the date of issue. In case of the River valley projects, the validity will be for five years.
- (8) In case of any change in the scope of the project, for which the ToR was prescribed by the Regulatory Authority, an application shall be made by the project proponent, online, in Form-3, for amendment

in ToR within the validity of the ToR and before public consultation. All such proposals may be referred to the Appraisal Committee, if required, within 30 days from the date of application. However, the validity of the amended ToR will be counted from the date of issue of earlier ToR.

- (9) In case, more than one proposal is received for the same land or having land overlapping with the other project(s), in part or full for which, ToR or prior-EC or prior-EP, have already been granted to some other project, all such cases will be kept on hold. The Regulatory Authority will make written communication to the Chief Secretary of the Concerned State or Union Territory and the decision will be taken based on the advice of the State Government or Union Territory Administration.

13. Preparation of Environment Impact Assessment Report:-

- (1) Baseline data shall be collected as per the protocols specified in the sector specific EIA Guidance manuals issued by the Ministry or prescribed by CPCB from time to time.
- (2) Baseline data shall be collected for one season other than monsoon for EIA Report in respect of all projects other than River Valley projects. However, the baseline data of monsoon season shall also be required to be collected, in case of such requirement being prescribed by the Appraisal Committee while granting the ToR.
- (3) Baseline data shall be collected for one year including monsoon for EIA Report in respect of River Valley projects.
- (4) The collection and analysis of baseline data shall be carried through an environment laboratory duly notified under Environment (Protection) Act, 1986.
- (5) The secondary data available shall also be considered as baseline for the projects proposed beyond 12 Nautical Miles.
- (6) Baseline data, referred in sub-clause (1) to (5) above, can be collected at any stage, irrespective of the application for the scoping. However, such baseline data shall not be older than three years at the time of submission of draft EIA Report to the SPCB or UTPCC for Public Consultation.
- (7) The post-project monitoring data collected through an environment laboratory duly notified under Environment (Protection) Act, 1986 shall also considered for expansion or modernization of the projects.
- (8) The EIA Report shall be prepared as per the generic structure given at Appendix-X, by the project proponent through an ACO, which are accredited for a particular sector and the category of project for that sector.
- (9) Draft EIA report shall be prepared for the purpose of public consultation and Final EIA Report for the purpose of appraisal.
- (10) Disclosure of the accredited EIA Consultant Organization along with the EIA Coordinator and Functional Area Expert(s) involved in the environment impact assessment shall be included in the EIA Report in the format specified at Appendix-XIII and they are accountable for the contents or data provided therein in addition to the project proponent.
- (11) No EIA Report shall be required for the projects listed under Category 'B2'. However, EMP Report as per the generic structure given at Appendix-XI shall be prepared through ACO and submitted along with the application.

14. Public Consultation:

- (1) The public consultation shall ordinarily have two components comprising of:
 - a. A public hearing at the site or in its close proximity, district wise in case of the project area located in more than one district, to be carried out in the manner prescribed in the notification, for ascertaining concerns of local affected persons;
 - b. Inviting responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project;
 - c. In addition, if required, based on the nature of project, public consultation through any other appropriate mode may be recommended by the Appraisal Committee, or the Regulatory Authority, on case to case basis;

However, the Regulatory Authority may decide on the feasibility and requirement of Public Hearing and/or consultation in the case of defence projects being considered under sub-clause (7) of clause 5 of this notification.

- (2) All Category 'A' and Category "B1" projects of new or expansion proposals or modernization with capacity increase more than 50 percent shall undertake Public Consultation.

Provided, the public consultation is exempted for the following:-

- a. modernization of irrigation projects falling under the item 4 of the Schedule;
- b. all projects falling under items 10(f), 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 40 of the schedule located within Notified Industrial Estates;
- c. all projects falling under item 42 and 43 of the Schedule;
- d. all Category 'B2' projects and activities;
- e. all projects concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government;
- f. all linear projects under item 31 and 38, in Border Areas.
- g. All the off-shore projects located beyond the 12 Nautical Miles

Provided further, that in all the projects under item 31 of the schedule, the public consultation shall be limited to the district (s), where the National Park or Sanctuary or Coral Reef or Ecological Sensitive Area is located.

- (3) Where a public consultation through public hearing is required, the project proponent shall submit a request letter in the specified format as given at Appendix-I to the concerned Member Secretary of SPCB or UTPCC, as the case may be, in whose jurisdiction the project is located, along with at least 10 hard copies and a soft (electronic) copy of the Draft EIA Report prepared in English; and at least 10 hard copies of summary of EIA Report in English and in the official language of the State or Union Territory or Regional Language.
- (4) In case the project site is covering more than one District or State or Union Territory, the project proponent shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per the procedure.
- (5) The public consultation shall be undertake, specific to the project, as per the procedure given at Appendix-I.
- (6) The public hearing including submission of proceedings of public hearing to the concerned Regulatory Authority, shall be completed by the SPCB or UTPCC concerned within a period of forty working days from date of receipt of the request letter from the project proponent.
- (7) In case the SPCB or UTPCC concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, as above, the Regulatory Authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the Regulatory Authority, to complete the process within a further period of forty working days, as per procedure laid down in this Notification.
- (8) If the public agency or authority nominated under the sub-clause (7) above reports to the Regulatory Authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned Regulatory Authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.
- (9) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environment aspects of the project, the concerned SPCB or UTPCC shall invite responses from such concerned persons by placing the Summary EIA report prepared by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form, on their website, within ten days of the receipt of a written request for arranging the public hearing. Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The Regulatory Authority concerned may also use other appropriate media for ensuring wide publicity about the project. The Regulatory Authority

shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the project proponent through the quickest available means.

- (10) After completion of the public consultation, a copy of proceedings of public hearing will also be provided to the project proponent. The project proponent shall address all the material environment concerns expressed during this process, and make appropriate changes including mitigation plan in the draft EIA Report and the EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the project proponent to the concerned Regulatory Authority for appraisal.

15. Appraisal: -

- (1) The application, submitted by the project proponent, shall be scrutinized within fifteen working days from the date of its receipt, strictly with reference to the ToR prescribed for the project by the concerned Regulatory Authority. The inadequacies in the application shall be communicated online, or completed application shall be accepted online.
- (2) Every application, except for the matters falling under Category 'B2' unless specifically mentioned against the item in the schedule, accepted by the Regulatory Authority, shall be placed before the Appraisal Committee and its appraisal shall be completed within forty-five working days of the acceptance of the application. The recommendations of the Appraisal Committee, through the minutes of meeting, shall be displayed on the website of the concerned Regulatory Authority.
- (3) Every application for the matters falling under Category 'B2' unless specifically mentioned against the item in the schedule, on acceptance of application by the Regulatory Authority, shall be issued prior-EP through online system appending standard conditions applicable to those projects within fifteen working days from the date of application. In case of rejection of the application shall inform reasons for the same.
- (4) The appraisal in respect of cases, as per the sub-clause (2) of clause 15 of this notification, shall be made by Appraisal Committee in a transparent manner in a proceeding to which the project proponent shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative (not below the level of officer in Board of Directors) or through video conference. The project proponent may take assistance of the EIA Coordinator and Functional Area Expert(s) involved in the preparation of EIA report during appraisal, before the committee. On conclusion of this proceeding, the Appraisal Committee shall make categorical recommendations to the Regulatory Authority concerned either for grant of prior-EC on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior-EC, together with reasons for the same.
- (5) In case the project is recommended for grant of prior-EC, then the minutes shall clearly list out the specific environment safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.
- (6) The project proponent shall be informed at least ten days prior to the scheduled date of meeting of the Appraisal Committee, through online system regarding consideration of the proposal and agenda of the meeting.
- (7) No fresh studies shall be sought by the Appraisal Committee at the time of appraisal, unless new facts come to the notice of the Appraisal Committee and it becomes inevitable to seek additional studies from the project proponent and same shall be clearly reflected in the minutes of the meeting.
- (8) In case of the projects under column (4) of Item 42 of the Schedule having provisional certificate of Green Building, the proposals shall be considered on priority.
- (9) Ministry shall issue guidelines for the Corporate Environment Responsibility from time to time, envisaging slabs for new projects; expansion projects; modernization projects, proposed to be located in Critically Polluted Areas, Severely Polluted Areas, Other Areas, etc.
- (10) The proposal shall be placed before the Competent Authority within fifteen working days from the date of display of minute of the meeting of the Appraisal Committee for final decision.
- (11) The Competent Authority within another fifteen working days shall take final decision.

16. Procedure for grant of Prior Environment Clearance for modernization: -

- (1) All applications seeking prior-EC for modernization within the existing premises or mine lease area, as the case may be, in respect of projects listed in the schedule, shall be subjected to the requirements as per matrix given hereunder:-

Slabs	Intended increase in production capacity through modernization	Application in form through online portal	Requirement of Scoping	Requirement of revised EIA report	Requirement of revised EMP	Whether refer to Appraisal Committee	Requirement of Public Consultation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Modernization without increase in the production capacity	Form-2	No	No	No	No	No
II	Up to 10 percent	Form-2	No	No	Yes	No	No
III	More than 10 and up to 25 percent	Form-2	No	No	Yes	Yes	No
IV	More than 25 and up to 50 percent	Form-2	No	Yes	Yes	Yes	No
V	More than 50 percent	Form-I	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (as per clause 14)

- (2) The requirement, as per the matrix, shall apply to cumulative increase in production capacity taking reference to the latest prior-EC (including prior-EC under 'expansion' category) issued to the project without involving relaxation under this clause

E.g. if prior-EC has been issued for a production capacity of 'X' units, an application for grant of prior-EC for modernization can be considered under different slabs as per the following:-

Prior-EC (say, granted on 1/1/2016)

Production capacity : X

Sl	Cumulative production	Date	Applicable Slab	Stage	Reason
1	X		I	--	Modernization without increase in the production capacity
2	Up to 1.1 X	1/12/2020	II	1 st Modernization	New production is 1.1X (X: Production level for which Prior-EC has been granted)
3	Up to 1.2X	1/06/2021	III	2 nd Modernization	New production is 1.2 times the production for which Prior-EC was granted (X). This is notwithstanding the fact that the proposed production is less than 10% of 1.1X (which was approved previously at 1 st modernization stage)
4	Up to 1.4X	1/06/2022	IV	3 rd Modernization	New production is 1.4 times the production for which Prior-EC was granted (X). This is notwithstanding the fact that the proposed production is less than 25% of 1.2X (which was approved previously at 2 nd modernization stage)

- (3) However, the prior-EC issued in terms of Slab (V), shall be deemed to be granted under the 'expansion' category

- (4) Provisions of sub-clause (2) above, shall not be applicable for the projects -
 - (a) falling under Category 'B2' and converting to Category 'B1' or Category 'A' by virtue of modernization; and
 - (b) public hearing was not conducted during life time of the project for which public hearing was applicable as per the EIA Notification(s);
- (5) All applications for prior-EC, for the proposals intended for modernization without increase in the production capacity or increase in production capacity up to 10 percent with respect to prior-EC granted earlier shall be issued online, on acceptance of application by the Regulatory Authority.
- (6) All applications for prior-EC, for the proposals intended for increase in production capacity from 10 percent to 50 percent with respect to prior-EC granted earlier shall be considered by the Appraisal Committee within forty-five working days from the date of application and appraised accordingly for grant of prior-EC.
- (7) 'No increase in pollution load' certificate issued by the SPCB or UTPCC on recommendation of Technical Committee constituted under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 or Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, shall also be considered in place of EIA and EMP required under column (5) and column (6) of the table given at sub-clause (1) above.

17. Grant or Rejection of Prior Environment Clearance: -

- (1) The Regulatory Authority shall consider the recommendations of the Appraisal Committee and convey its decision to the project proponent within thirty working days of the minutes of meeting of the Appraisal Committee or within ninety working days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.
- (2) The Regulatory Authority shall normally accept the recommendations of the Appraisal Committee. In cases where it disagrees with the recommendations of the Appraisal Committee, the Regulatory Authority shall request reconsideration by the Appraisal Committee within forty-five working days of the minutes of meeting of Appraisal Committee while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant through online mode. The Appraisal Committee in turn, shall consider the observations of the Regulatory Authority and furnish its views on the same within a further period of forty-five working days. The decision of the Regulatory Authority after considering the views of the Appraisal Committee shall be final. The decision shall be conveyed to the project proponent by the Regulatory Authority concerned within the next thirty working days.
- (3) In the event that the decision of the Regulatory Authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-clause (2) above, the applicant may proceed as if the prior-EC sought for has been granted or denied by the Regulatory Authority in terms of the final recommendations of the Appraisal Committee.
- (4) On expiry of the period specified for decision by the Regulatory Authority under sub-clause (2) above, the decision of the Regulatory Authority, and the final recommendations of the Appraisal Committee shall be public documents.
- (5) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior-EC or prior-EP, as the case may be, or scoping, or appraisal, or decision by the Regulatory Authority Concerned, except:-
 - (a) Approval of mining plan from the Competent Authority, in case of mining projects;
 - (b) In-principle approval for diversion of Forestland under Forest (Conservation) Act, 1980 (Act number 6 of 1980) involved in the project;
 - (c) Recommendations of State or Union Territory Coastal Management Authority, in case of the project located in the CRZ or ICRZ area; and
 - (d) While full acquisition of land may not be pre-requisite for the consideration of proposal for prior-EC, in case of land with respect to project site(s) proposed to be acquired through Government intervention, a copy of preliminary notification issued by the concerned state government or union territory administration regarding acquisition of the land as per the

provisions of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, Act, 2013 (Act number 30 of 2013) as amended from time to time shall be required. In case of land is being acquired through private negotiations with the land owners, credible document showing the intent of the land owner to sell the land for the proposed project shall be required. In case of mining projects, 'Letter of Intent' shall be considered as a credible document.

- (6) Concealment and/or submission of false or incorrect or misleading information or data by the project proponent or ACO or EIA Coordinator or Functional Area Expert involved in the preparation of EIA Report, which is material to scoping or appraisal or decision on the application including EIA or EMP Report, shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior-EC or prior-EP, as the case may be, granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior-EC or prior-EP, as the case may be, already granted, on such ground, shall be decided by the Regulatory Authority, after giving a personal hearing to the project proponent, and following the principles of natural justice.
- (7) Cognizance of the false or incorrect or misleading information or data by the project proponent or ACO or EIA Coordinator or Functional Area Expert involved in the preparation of EIA Report, Ministry shall take appropriate action including black listing of organization or individual responsible.
- (8) Where any lease or license or right or permission or authorization granted by the Government in respect of a project or activity is cancelled either in any legal proceedings or by Government in accordance with law and the said lease or license or right or permission or authorization in respect of that project is granted to any other person or successful bidder then, in case of:-
 - (a) Specific enactment on the aforesaid subject under any law for the time being in force: The provisions of such law shall be applicable; and
 - (b) No specific enactment on the aforesaid subject under any law for the time being in force: Legal person entitled to undertake the project or successful bidder selected by the Government in accordance with law shall make an application in Form - 6 as given in Appendix-VI of this notification, for grant of prior-EC. All such applications shall be considered by the Appraisal Committee considering the existing EIA Report and the prior-EC granted earlier. The Appraisal Committee may recommend for grant of prior-EC subject to the same validity period, terms and conditions, as was initially granted. However, the Appraisal Committee may stipulate case specific additional conditions to such projects as deemed necessary.

18. Amendment in prior-EC or prior-EP: -

- (1) The project proponent shall make an online application in Form-4 to the Regulatory Authority concerned on the designated portal regarding any change in the terms and conditions of prior-EC or prior-EP, as the case may be.
- (2) All the applications for amendment in prior-EC shall be considered by the Appraisal Committee within forty-five working days from the date of application and appraised for recommendation of amendment in prior-EC.
- (3) All the applications for amendment in prior-EP shall be considered by the Regulatory Authority within twenty working days from the date of application and approved amendment in prior-EP shall be issued accordingly.
- (4) Any shift in the project site location after conduct of public consultation or grant of prior-EC will be deemed to be a new proposal and will be appraised *de-novo*, as per the procedure prescribed, unless the Appraisal Committee is satisfied that the shift is so minor as to have no change in the EIA Report. On recommendation of the Appraisal Committee, the Regulatory Authority shall issue an amendment in prior-EC.
- (5) As long as the peak production capacity, mining lease area, mine closure conditions remain unchanged and have been put in place by the project proponent, nature and extent of mitigation measures, as committed in the prior-EC granted, are in place corresponding to the quantum of excavation being made at that point in time the project proponent can produce up to a maximum of peak production capacity permitted in the prior-EC and change in the sequence of operations of mining is also allowed. However, the project proponent shall report such change in the Scheduled

production and or/ sequence of operations along with corresponding mitigation measures in the periodic compliance report. Further, failures on part of mitigation measure corresponding to the quantum of production or as required in view of change in sequence of operation, shall be considered as 'non-compliance' on part of the project proponent, who shall be liable for requisite action.

- (6) In case of other projects, no amendment in the prior-EC or prior-EP, as the case may be, is required for change in configuration of the units or equipment or machinery, without change in overall sanctioned capacity for which prior-EC or prior-EP, as the case may be, has been granted.
- (7) Change in irrigation technology that result in environmental benefits (e.g. flood irrigation to drip irrigation etc.), leading to increase in Culturable Command Area, but without increase in dam height and submergence, shall not require amendment in the prior-EC or prior-EP, as the case may be.

19. Validity of Prior Environment Clearance or Prior Environment Permission: -

- (1) The validity of period of the prior-EC or prior-EP, as the case may be, involves three phases of the project:
 - (a) Construction or Installation Phase;
 - (b) Operational Phase; and
 - (c) Redundancy or Closure or Dismantling Phase
- I. **Construction or Installation Phase:** The construction or installation phase means period from the date of grant of prior-EC or prior-EP, as the case may be, by the Regulatory Authority to:-
 - (a) Completion of all construction activities, in case of construction projects (item 42 and 43 of the Schedule), to which the application for prior-EC or prior-EP, as the case may be, refers; and / or
 - (b) Completion of installation of plant and machinery including commencement of production operations in all other cases (other than item 1, 42 and 43 of the Schedule), to which the application for prior-EC or prior-EP, as the case may be, refers;
 - (c) Project life as estimated by the Appraisal Committee subject to a maximum of fifty years or up to the period of validity of mining lease; whichever is earlier.

The period of validity of the prior-EC for construction and / or installation phase shall be:

- (d) **Mining projects:** Project life as estimated by the Appraisal Committee subject to a maximum of fifty years; or up to the period of validity of mining lease; whichever is earlier, subject to commencement of mining activities within ten years from the date of grant of prior-EC or prior-EP, as the case may be;
- (e) **River valley projects (item 3 of the Schedule) or Irrigation projects (item 4 of the Schedule) or Nuclear Power Projects and processing of nuclear fuel (item 6 of the Schedule):** Fifteen years;
- (f) **All other projects:** Ten years.

Provided that the period of insolvency resolution process of companies before the National Company Law Tribunal or period of prohibition or restriction on the construction and/or installation of the project, by any other tribunal or court or moratorium imposed under any authority shall be excluded for calculating the period of validity of the prior-EC or prior-EP, as the case may be, specified above, subject to maximum of three years

- II. **Operational Phase:-** The validity of the operational phase shall lapse if the construction and / or installation, as the case may be, is not completed within the corresponding validity period as per the sub-clause (2) and (3) of clause (19) of this notification. Subject to the provisions of sub-clause (2) of clause (19) of this notification, validity of the prior-EC or prior-EP, as the case may be, for the operational phase of projects, except mining, shall be:
 - (a) Perpetual for the remaining life of the project;
 - (b) Confined to the completed project, it is clarified that and only completed part of the project shall be considered as perpetual for the remaining life of the project where the project is implemented partially, within the period specified above.

- (2) Validity of the prior-EC, or prior-EP, as the case may be, in the case of Area Development projects, shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the project proponent as a developer.
- (3) In case of the mining projects that have operated below the capacity granted in the prior-EC or prior-EP, as the case may be, and reserves are not exhausted within the project life as estimated by the Appraisal Committee, the validity period of the prior-EC may be extended, on recommendation of the Appraisal Committee for the same production capacity and mining lease area for which prior-EC or prior-EP, as the case may be, was granted. However, the validity of the prior-EC or prior-EP, as the case may be, shall not be more than the period of mining lease.

20. Monitoring of post project prior-EC or prior-EP: -

- (1) The project proponent shall prominently advertise, at his own cost in at least two local newspapers, the fact that the project has been accorded prior-EC or prior-EP, as the case may be, along with the details of website of Regulatory Authority, where the copy of prior-EC or prior-EP, as the case may be, shall be displayed. Copy of the prior-EC or prior-EP, as the case may be, shall also be displayed permanently on the website of the company and relevant project.
- (2) The Regulatory Authority shall place the prior-EC or prior-EP, as the case may be, in the public domain on its designated portal.
- (3) The copies of the prior-EC shall be submitted by the project proponents to the following authorities within thirty days of grant of clearance, who in turn have to display the same for thirty days from the date of receipt:
 - (a) District Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner/s;
 - (b) Zila Parishad or Municipal Corporation or Panchayats Union;
 - (c) District Industries Office;
 - (d) Urban Local Bodies (ULBs) / Panchayati Raj Institutions concerned / Development Authorities;
 - (e) Concerned Regional Office of the Ministry; and
 - (f) Concerned Regional office of SPCB or UTPCC.
- (4) It shall be mandatory for the project proponent to submit compliance reports in respect of conditions stipulated in prior-EC or prior-EP, as the case may be, pertaining to previous financial year by 30th June, online through the designated portal. The yearly compliance report shall be submitted, each year, from the date of grant of prior-EC, till the project life, to the Regulatory Authority concerned. However, Regulatory Authority can seek such compliance reports at more frequent intervals, if deemed necessary.
- (5) In case of failure to submit yearly compliance reports in respect of the conditions stipulated in prior-EC or prior-EP, as the case may be, pertaining to previous financial year by 30th June, of the relevant financial year, a late fee of Rs. 500/- per day in case of Category 'B2' projects; Rs. 1000/- per day in case of Category 'B1' projects; and Rs. 2,500/- per day in case of Category 'A' projects shall be levied. If such non-submission of the compliance reports in respect of the stipulated conditions in prior-EC or prior-EP, as the case may be, conditions continue for a period of consecutive three years, the prior-EC or prior-EP, as the case may be, shall be deemed to have been revoked without any notice in this regard.
- (6) All the compliance reports submitted by the project proponent shall be available on the website of the concerned Regulatory Authority.
- (7) The latest compliance report shall also be displayed on the web site of the project proponent.
- (8) The compliance monitoring of conditions prescribed in respect of prior-EC, for Category 'A' projects shall be carried out by the Regional office of the Ministry or Regional Directorate of CPCB. The monitoring report shall be uploaded on the designated web portal within fifteen days from the date of inspection.

- (9) The compliance monitoring of conditions prescribed in respect of prior-EC, for Category 'B1' and prior-EP for Category 'B2' projects, shall be carried out by the SPCB or UTPCC. The monitoring report shall be uploaded on the designated web portal within fifteen days from the date of inspection.
- (10) Notwithstanding above provisions, to supplement the efforts of the Ministry for monitoring through Regional office of the Ministry, Regional Directorate of CPCB, SPCB or UTPCC, the Ministry may empanel government institutions of national repute for carrying out compliance monitoring of conditions of prior-EC or prior-EP, as the case may be, of projects in a random manner.
- (11) The compliance monitoring shall be done *inter-alia* against the baseline information available in the EIA Report as appraised by Appraisal Committee, terms and conditions of the prior-EC or prior-EP, as well as other provisions, as may be specified by the Ministry, from time to time.

21. Transferability of Prior-EC or Prior-EP: -

- (1) A prior-EC or prior-EP, as the case may be, granted for a specific project to a project proponent may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project on application by the transferor or by the transferee in Form-5 within one year of the date of transfer, with a written "no objection" by the transferor, to be filed before the Regulatory Authority. The Regulatory Authority shall transfer the prior-EC, or prior-EP, as the case may be, on the same terms and conditions, under which the prior-EC or prior-EP, as the case may be, was initially granted and for the same validity period. No reference to the Appraisal Committee shall be made in such cases.
- (2) A prior-EC granted for a specific project may be split among two or more legal persons, entitled to undertake the project and transferred during its validity to another legal person(s) on application by the transferor in Form-5 to be filed before the Regulatory Authority within one year of the date of transfer. The regulatory authority shall transfer the prior-EC, on recommendation of the Appraisal Committee, who shall prescribe the conditions for all the projects split among the two or more legal person(s).
- (3) The prior-EC, granted to two or more legal persons entitled to undertake the projects, and these projects being located in the contiguous land, may be amalgamated and transferred during their validity to another legal person entitled to undertake the projects. The application shall be filed by the transferee in Form-5 with a written "no objection" by the transferor, to be filed before the Regulatory Authority applicable for the amalgamated activity, within one year of the date of transfer. The Concerned Regulatory Authority shall transfer the prior-EC, on recommendation of the Appraisal Committee, who shall prescribe the conditions for the amalgamated prior-EC.

22. Dealing of Violation cases:

- (1) The cognizance of the violation shall be made on the:-
 - (a) *suo moto* application of the project proponent; or
 - (b) reporting by any Government Authority; or
 - (c) found during the appraisal by Appraisal Committee; or
 - (d) found during the processing of application, if any, by the Regulatory Authority.
- (2) The cases of violation will be appraised by Appraisal Committee with a view to assess that the project has been constructed or carried at a site, which under prevailing laws is permissible or expansion has been done which can be run sustainably under compliance of environmental norms with adequate environmental safeguards; In case, finding of the Appraisal Committee is negative, closure of the project shall be recommended along with other actions under the law including directions for remediation. Also refer Appendix-XV of this notification
- (3) In case, where the findings of the Appraisal Committee are positive, the project under this category will be prescribed with appropriate specific Terms of Reference on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan in addition to the standard ToR applicable to the project.
- (4) The CPCB shall issue guidelines for assessment of ecological damage from time to time.
- (5) The project proponent shall prepare the report of assessment of ecological damage as per the guidelines issued by the CPCB in this regard from time to time, along with remediation plan and

natural and community resource augmentation plan as an independent chapter in the EIA Report through an ACO.

- (6) The collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environment laboratory duly notified under Environment (Protection) Act, 1986, or an environment laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research institution working in the field of environment.
- (7) The Appraisal Committee shall stipulate the implementation of EMP, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to the 1.5 times the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation in case of the *suo moto* applications or two times the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation in cases reported by any Government Authority or found during the appraisal of Appraisal Committee or during the processing of application if any by the Regulatory Authority, as a condition of Environment Clearance:

Provided that the Ministry may prescribe suitable guidelines or mechanism through which the project proponent shall discharge the above obligation.

- (8) On cognizance of violation through *suo moto* application, a late fee of Rs. 1,000/- per day in case of Category 'B2' projects; Rs. 2,000/- per day in case of Category 'B1' projects; and Rs. 5,000/- per day in case of Category 'A' projects shall be paid by the Project Proponent, at the time of application, calculated for a period of date of violation to date of application.
- (9) On cognizance of violation reporting by any Government Authority or found during the appraisal by Appraisal Committee or processing of application, if any, by the Regulatory Authority, a late fee of Rs. 2,000/- per day in case of Category 'B2' projects; Rs. 4,000/- per day in case of Category 'B1' projects; and Rs. 10,000/- per day in case of Category 'A' projects shall be paid by the Project Proponent, at the time of application, calculated for a period of date of violation to date of application.

For the purpose of the sub-clause (8) and (9) above, the date of violation shall be deemed to be 14th April, 2018 (date of closure of the time window provided for violation cases vide notification number S.O. 804(E) dated the 14th March, 2017 and subsequent orders of Hon'ble High Court of judicature at Madras vide order dated 14th March, 2018 in WMP No. 3361 and 3362 of 2018 and WMP No. 3721 in WP No. 11189 of 2017) or 1st April of the year falling in which the violation occurred.

- (10) The project proponent will be required to submit a bank guarantee valid for five years equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan and with the SPCB or UTPCC, as the case may be, and the quantification will be recommended by Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority, with a condition to implement the same within a period of three years.
- (11) The project proponent shall prepare the EIA Report as per the provisions given in clause 13 of this notification and public consultation shall be carried as per the provisions given in clause 14 of this notification.
- (12) The appraisal of the proposals shall be carried as per the provisions given in clause 15 of this notification.
- (13) The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of Environment Clearance and will be released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation by Regional Office of the Ministry in case of category "A" project or activities or SPCB or UTPCC, as the case may be, and approval of the Regulatory Authority.
- (14) Further, the action will be taken against the project proponent by the respective State Government or Union Territory Administration or SPCB or UTPCC, as the case may be, under the provisions of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- (15) Further, no consent to operate or occupancy certificate for the violation component of the project will be issued till the project is granted the Environmental Clearance. If the project has been issued Consent to Operate or Occupancy Certificate without prior-EC or prior-EP, as the case may be, the

same shall be considered as provisional and shall expire within six months of reporting the violation for the projects do not required to undergo public consultation as per the sub-clause (2) of the clause 14 of this notification; and one year for the projects required to undergo public consultation, unless application for prior-EC has been filed along with the EIA Report or EMP, as the case may be, within such period.

23. Dealing of Non-compliances:-

- (1) The cognizance of the non-compliance of conditions of prior-EC or prior-EP, as the case may be, shall be made based on the *suo moto* reporting by the project proponent or reporting by any Government Authority or found during the appraisal of Appraisal Committee or during the processing of application if any by the Regulatory Authority.
- (2) The non-compliances of conditions of prior-EC in respect of Category “A” projects shall be referred to the Expert Committee constituted for the purpose by the Ministry, at central level.
- (3) The reported non-compliances of conditions of prior-EC in respect of Category “B” projects shall be referred to the Expert Committee constituted for the purpose by the Ministry, at state level.
- (4) In the absence of duly constituted Expert Committee, the respective Appraisal Committee shall function as Expert Committee.
- (5) The expert committee shall deliberate on the non-compliances reported in a transparent manner in a proceeding to which the project proponent shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative or through video conference, to be decided by the Regulatory Authority.
- (6) On conclusion of the proceeding, the Expert Committee shall make categorical recommendations to the project proponent for time bound action plan for compliance of the conditions of prior-EC conditions and the amount of the bank guarantee deposited as an assurance for the purpose of compliance with the SPCB or UTPCC, as the case may be.
- (7) The bank guarantee will be released after successful implementation of the action plan and on the recommendations of the Regional office of the Ministry or Regional Directorate of CPCB in case of Category “A” projects; SPCB or UTPCC in case of the Category “B” projects.

24. Preparation of District Survey Report and monitoring procedure for Sand Mining or River Bed Mining and Mining of other Minor Minerals, Cluster formation: -

- (1) Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall issue prescribed procedure for preparation of District Survey Report for mining of ‘minor minerals’ from time to time.
- (2) Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall issue the procedure for enforcement, monitoring of mining of ‘minor minerals’ including environmental audit, from time to time.
- (3) The procedure in respect of cluster situation shall be as follows:-
 - (a) A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area which shall be applicable to the mine leases or quarry licenses granted on and after 9th September, 2013. Provided that in contiguous area, the Mines and Geology Department of the State Government shall, -
 - (i) Define the size of cluster as per local situation for effective formulation and implementation of mine plan and EIA or EMP, as the case may be;
 - (ii) Prepare mine plan and an EIA or EMP, as the case may be, for the cluster;
 - (iii) Prepare a Regional Mine Plan and Regional EIA or EMP, as the case may be, including all the clusters in that contiguity; and
 - (iv) Provide for mobilisation of funds from the Project Proponents in predetermined proportion for implementation of cluster and Regional EIA or EMP, as the case may be:

Provided further that the leases not operative for three years or more and leases which have got environmental clearance as on 15th January, 2016, shall not be counted for calculating the area of cluster, but shall be included in the EIA or EMP, as the case may be.

- (b) The District Mineral Fund can also be used to augment the fund for implementation of EIA or EMP, as the case may be;
- (c) The 'Cluster EIA' or 'Cluster EMP', as the case may be is required to be prepared for the entire cluster in order to capture all the possible externalities. These reports shall capture carrying capacity of the cluster, transportation and related issues, replenishment and recharge issues, geo-hydrological study of the cluster area. The 'Cluster EIA' or 'Cluster EMP', as the case may be, shall be prepared by the State or State nominated agency or group of project proponents in the cluster or the project proponent in the cluster, as the case may be;
- (d) There shall be one public consultation for entire cluster after which the final 'Cluster EIA' or 'Cluster EMP', as the case may be, for the cluster shall be prepared;
- (e) Prior-EC or Prior-EP, as the case may be, shall be applied for and issued to the individual project proponent. The individual lease holders in cluster can use the same 'Cluster EIA' or 'Cluster EMP', as the case may be, for purpose of application for Prior Environmental Clearance. The 'Cluster EIA' or 'Cluster EMP', as the case may be, shall be updated keeping in view any significant change at the filed level;
- (f) The details of 'Cluster EIA' or 'Cluster EMP', as the case may be, shall be reflected in each Prior Environment Clearance in that cluster. The Appraisal Committee shall ensure that mitigative measures, emanating from the 'Cluster EIA' or 'Cluster EMP', as the case may be, study are fully reflected as conditions of prior-EC or prior-EP, as the case may be, to the individual project proponents in that cluster.

25. Appeal against the Prior Environment Clearance or Prior Environment Permission granted by the Regulatory Authority.

- (1) Any appeal against the prior-EC or prior-EP, as the case may be, granted by the Regulatory Authority, shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of thirty days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010 :

Provided that the National Green Tribunal may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within said period, allow it to be filed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010, within a further period not exceeding sixty days.

26. Exception of projects

The following cases shall not require prior-EC or prior-EP, namely:-

- (1) Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs;
- (2) Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles;
- (3) Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers;
- (4) Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village;
- (5) Community works like de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds, bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes, and community efforts;
- (6) Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
- (7) Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river, and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management;
- (8) Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat;
- (9) Manual extraction of Lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;
- (10) Digging of well for irrigation or drinking water purpose;

- (11) Digging of foundation for buildings, not requiring prior-EC or prior-EP, as the case may be;
- (12) Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority;
- (13) Activities declared by State Government under legislations or rules as non-mining activity;
- (14) Solar Photo Voltaic (PV) Power projects, Solar Thermal Power Plants and development of Solar Parks, etc.;
- (15) Research and Development activities for the projects listed in the schedule subject to laboratory scale operations where and no commercial production is involved;
- (16) The projects which are not covered in the schedule, proposed to carry out or establish in the premises of the projects for which prior-EC or prior-EP, as the case may be, was already granted;
- (17) Individual industries including proposed industrial housing within such notified Industrial Estate with homogeneous type of industries such as Items 16, 18, 24, 25 or those Industrial Estates with pre-defined set of activities (not necessarily homogeneous), so long as the Terms and Conditions for the industrial estate are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the terms and conditions of conditions of prior-EC and who may be held responsible for violation of such terms and conditions throughout the life of the Industrial Estate);
- (18) Industrial Estate with project area below 500 hectares and not housing any industry of category 'A' or 'B1' or 'B2' project listed in the Schedule;
- (19) Coal and non-coal mineral prospecting;
- (20) Seismic surveys which are part of exploration surveys for offshore and onshore oil and gas including coal bed methane and shale gas, provided the concession areas have got previous conditions of prior-EC or prior-EP for physical survey;
- (21) Minor Irrigation projects involving culturable command area up to 2000 hectare;
- (22) Thermal Power plants using Waste Heat Recovery Boilers (WHRB) without any auxiliary fuel;
- (23) Crushing and screening (sizing of ore) without up gradation process of ore;
- (24) Secondary metallurgical foundry units,-
 - (a) non-toxic, involving furnaces such as Induction Furnace or Electric Arc Furnace or Submerged Arc Furnace or other gas-based furnaces, with capacity up to 1,00,000 ton per annum;
 - (b) non-toxic, involving furnaces such as cupola and other furnaces using coal or briquettes with capacity up to 60,000 ton per annum;
 - (c) re-cycling units registered under Hazardous and Other Waste Rules, 2016.
- (25) Stand-alone re-rolling mills,-
 - (a) involving pickling operation with a capacity up to 1, 00, 000 ton per annum;
 - (b) not involving pickling operation with a capacity up to 2, 00, 000 ton per annum;
 - (c) not involving pickling and no requirement of fuel for re-heating;
- (26) Change in product mix for Ordinary Portland Cement (OPC), Portland Pozzolana Cement (PPC), Portland Slag Cement (PSC), Masonary cement or any other type of cement within the sanctioned capacity of conditions of prior-EC.
- (27) Stand-alone projects for melting of 'coal tar pitch';
- (28) Stand-alone Granulation of single super phosphate powder;
- (29) Neem coating of fertilizers or fortification of fertilizers, provided that the total production does not exceed the sanctioned capacity of prior-EC plus the weight of the coating or fortification material used;
- (30) Processing of paraffin wax;

- (31) Extraction of Alkaloid from Opium;
- (32) Manufacturing of products from polymer granules or manmade fibers from granules or flakes or chips;
- (33) Manufacturing of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA) from LAB;
- (34) Country Liquor (e.g. based on Mahuwa flower, Cashew, etc.) units up to capacity of 10 kilo liter per day;
- (35) Paper or paper board manufacturing from waste paper or ready pulp without deinking or bleaching or decolorizing;
- (36) Manufacturing unit under the Ministry of Defence or strategic units for explosives, detonators, fuses including management and handling units or depots under the Ministry of Defence;
- (37) Air strips that do not involve bunkering or refueling facility and / or Air Traffic Control including non-commercial airstrips;
- (38) Common Effluent Treatment Plant (CETP) proposed for projects which by themselves do not require prior-EC. If any of the existing or proposed member units of the said CETP produces or proposes to produce any product requiring conditions of prior-EC, then the CETP shall need prior-EC;
- (39) Maintenance dredging;
- (40) Micro enterprises in respect of project against item numbers 8(a), 8(b), 9, 10(f), 11(a), 11(b), 20, 24, 25(d) and 27 and small enterprises in respect of project against item numbers 10(f), 24 and 27.

27. Operation of EIA Notification, 2006, till disposal of pending cases: -

- (1) From the date of final publication of this notification the EIA Notification, 2006 and subsequent amendments are hereby superseded, except for the things done or omitted to be done before such supersession to the extent in case of all applications made for prior-EC and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification, or continue operation of some or all provisions of the 2006 notification, for a period not exceeding twenty four months from the date of issue of this notification.
- (2) It is hereby clarified that all prior-EC issued after the final publication of this notification shall be considered to be issued under this notification even in respect of application received and processed or partially processed under any of earlier EIA Notifications.
- (3) Regulatory Authority may, based on the information available or environmental issues brought out subsequent to the issuance of prior-EC, impose additional conditions, as deemed fit.

[F. No. 22-50/2018-IA-III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS REQUIRING PRIOR ENVIRONMENT CLEARANCE OR PRIOR ENVIRONMENT PERMISSION, AS THE CASE MAY BE

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(a) Mining of Minor Minerals	>100 hectare of mining lease area	> 5 hectares and ≤ 100 hectares of mining lease area	≤5 hectares of mining lease area	Note: (1) Mining of minor mineral projects with mine lease area more than 2 hectare and up to 5 Ha shall be referred to Distract Level Expert Appraisal
	(b) Mining of Major Minerals including Coal	>100 hectare of mining lease area	≤ 100 hectares of mining lease area	Dump mining (excavation or handling of dump or overburden or	

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				waste material)	Committee (2) Mining lease area includes cluster situation
2	Offshore and Onshore Oil & Gas including CBM and Shale Gas				
	a) Exploration	--	--	All projects	
	b) Development and Production (including infrastructure facilities e.g. Gas Collecting or Gathering Station, Early production Systems, pipelines, etc.).	All projects	--	--	
3	River Valley	> 75 megawatts hydroelectric power generation;	≤ 75 megawatts >25 megawatts hydroelectric power generation;	Up to 25 megawatts hydroelectric power generation	Note: Category 'B1' river valley projects falling in more than one State or Union Territory shall be appraised at the Central Government Level.
4	Irrigation	≥ 50,000 hectares of culturable command area	≥10,000 hectares and <50,000 hectares of culturable command area.	> 2000 hectare and < 10,000 hectares of culturable command area.	
5	Thermal Power	≥ 500 megawatts (coal/lignite/naphtha & gas based); ≥100 megawatts (all other fuels).	≥ 5 megawatts and < 500 megawatts (coal / lignite / naphtha & gas based); ≥ 5 megawatts and <100 megawatts (all other fuels except biomass and municipal solid non-hazardous waste); >15 megawatts and <100 megawatts (using municipal solid non-hazardous waste / biomass as fuel).	≥ 5 megawatts and ≤ 15 megawatts, based on biomass or non-hazardous municipal solid waste using auxiliary fuel such as coal, lignite / petroleum products up to 15%.	

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Nuclear Power or processing of nuclear fuel	All projects	--	--	
7	Coal washeries	≥ 1 million ton per annum throughput of coal	<1million ton per annum throughput of coal	--	Note: If Coal washery is located within mining lease area, the proposal shall be appraised together with the mining proposal.
8	(a) Mineral Beneficiation involving physical process and physico-chemical processes	--	All projects	Small and Medium enterprises	Note: If Mineral Beneficiation plant located within mining lease area the proposal shall be appraised together with the mining proposal.
	(b) Chemical processing of ores/concentrate	≥1.0 million ton per annum throughput	<1.0 million ton per annum throughput		
9	Pellet plants or agglomeration plants	--	All Projects	Small and Medium enterprises	
10	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)				
	(a) Integrated Steel Plants	> 1 million ton per annum of crude steel	≤ 1 million ton per annum of crude steel	--	
	(b) Sponge Iron Plants	>0.5million ton per annum	≤0.5million ton per annum	--	
	(c) Non-ferrous smelting and refining	All projects	--	--	
	(d) Ferro Alloy Plants	>1.5 Lakh ton per annum	≤1.5 Lakh ton per annum	--	
	(e) Secondary metallurgical industry (Toxic metals)	≥20,000 ton per annum	<20,000 ton per annum	--	
	(f) Secondary metallurgical industry (Non-toxic metals)	--	(i) Foundries involving furnaces such as Induction Furnace or Electric Arc Furnace or submerged arc furnace or other gas-based furnaces with capacity more than 1,50,000 ton per annum	(i) Foundries involving furnaces such as Induction Furnace or Electric Arc Furnace or Submerged arc furnace or other gas-based furnaces, with capacity more than 1,00,000 ton per annum to 1,50,000 ton per annum	

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(ii) Foundries involving furnaces such as cupola and other furnaces with capacity more than 1,00,000 ton per annum	(ii) Foundries involving furnaces such as cupola or other furnaces using coal with capacity more than 60, 000 ton per annum to 1,00,000 ton per annum. (iii) Standalone re-rolling mills involving pickling with a capacity more than 1, 00, 000 ton per annum. (iv) Standalone re-rolling mills not involving pickling with a capacity more than 2, 00, 000 ton per annum. (v) Medium enterprises	
11	(a) Cement Plants	≥ 1.0 million ton per annum production capacity except plants with vertical shaft kiln.	(i) <1.0 million ton per annum production capacity. (ii) All cement plants with vertical shaft kiln.	Small and Medium enterprises.	Note: Fuel for cement industry may be coal, petcoke, mixture of coal and petcoke and co-processing of waste provided it meets the emission standards.
	(b) Standalone clinker grinding units	--	≥ 1.0 million ton per annum production capacity	(i) Stand-alone grinding units up to 1 million ton per annum. (ii) All standalone grinding units in case of transportation of clinker and finished product proposed through rail / sea mode. (iii) Small and Medium enterprises.	
12	Lead acid battery manufacturing (excluding assembling and charging of lead acid battery)	--	All projects	--	

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Petroleum refining industry	All projects	--	--	
14	(a) Coke oven plants	≥ 0.8 million ton per annum	< 0.8 million ton per annum	--	
	(b) Coal Tar processing units or Calcination plants	--	All projects	--	
15	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	--	--	
16	Chlor-alkali industry or Production of Halogens	≥300 ton per day production capacity if a unit located outside the notified industrial estates.	(i) ≥300 ton per day production capacity if a unit located within the notified industrial estates. (ii) <300 ton per day and located outside the notified industrial estates.	<300 ton per day production capacity if a unit located within the notified industrial estates.	Note: No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from the Notification if provided there is no increase in the production capacity.
17	Soda ash Industry	All projects	--	--	--
18	Skin/hide processing including tanning industry	All projects located outside the notified industrial estates.	All projects located within notified industrial estates.	All projects of leather production without tanning and located within the notified industrial estates.	
19	Chemical fertilizers and standalone ammonia plants.	(i) All projects except Single Super Phosphate including Sulphuric acid. (ii) Standalone ammonia plants	Single Super Phosphate including sulphuric acid production.	--	
20	Manufacturing of Acids	Stand-alone phosphoric acid or ammonia.	Stand-alone sulphuric acid	All other acids	
21	Pesticides including insecticides; herbicides; weedicides; pestcontrol; etc., and their specific intermediates (excluding formulations)	All projects located outside the notified industrial estates.	All projects located within the notified industrial estates.	--	
22	Petro-chemical complexes (industries based on processing of	All projects	--	--	

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	petroleum fractions, natural gas, production of carbon black)				
23	Manmade fibers manufacturing	Viscose Staple Fiber (VSF); Viscose Filament Yarn (VFY); and Rayon.	Nylon and Others	--	
24	Petroleum products and petrochemical based processing including production of carbon black and electrode grade graphite(processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	All projects located outside the notified industrial estates.	All projects located within the notified industrial estates.	Medium enterprises	
25	Synthetic Organic Chemicals				
	a) Dyes & dye intermediates	--	All projects except column (5)	(i) Projects proposed with zero liquid discharge and located within the notified industrial estates. (ii) All micro, small and medium enterprises.	
	b) Bulk drugs and intermediates excluding drug formulations	--	All projects except column (5)	(i) Projects proposed with zero liquid discharge and located within the notified industrial estates. (ii) All micro, small and medium enterprises.	
	c) Synthetic rubbers	All projects located outside the notified industrial estates.	All projects located within the notified industrial estates.	All micro, small and medium enterprises.	
	d) Basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals, chemical intermediates, synthetic resins and	All projects located outside the notified industrial estates.	All projects located within the notified industrial estates.	(i) All small and medium enterprises. (ii) Manufacturing of synthetic resins /	

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	synthetic adhesives			adhesives up to 1000 ton per annum.	
26	Distilleries and molasses-based manufacturing units (e.g. Yeast)	(i) Molasses based distilleries \geq 100 kilo liter per day; (ii) Molasses based manufacturing units (e.g. Yeast) \geq 100 ton per day; (iii) Non-molasses based distilleries \geq 200 kilo liter per day.	(i) Molasses based distilleries <100 kilo liter per day. (ii) Molasses based Yeast manufacturing units <100 ton per day (iii) Non-molasses based distilleries < 200 kilo liter per day	(i) Country Liquor (e.g. based on Mahuwa flower, Cashew, etc.) units more than capacity of 10 kilo liter per day. (ii) Expansion of distilleries within the premises, having earlier Prior Environment Clearance and for production of ethanol to be used as fuel for blending only.	
27	Manufacturing of paints, varnishes, pigments, intermediates (excluding blending / mixing)	All projects located outside the notified industrial estates.	All projects located within the notified industrial estates.	Medium enterprises	
28	Pulp & Paper Industry	Pulp manufacturing and Pulp & Paper manufacturing industry except from waste paper	--	Paper manufacturing from waste paper or ready pulp involving deinking or bleaching or de-coloring.	
29	Sugar Industry	--	\geq 5000 ton of cane per day crushing capacity	--	
30	Manufacturing of explosives, detonators, fuses including management and handling activities		All projects		
31	Pipelines				
	(a) Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery or petrochemical products), passing through national	All Projects	--	--	

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	parks or sanctuaries or coral reefs or Ecologically Sensitive Areas.				
	(b) Slurry pipelines (coal, lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, Ecologically Sensitive Areas.	All the projects	--	--	--
32	Air Ports and Heliports including terrestrial and water ports	All projects including terrestrial airstrips, which are for commercial use.	--	(i) Water - aerodromes which are for commercial use. (ii) Heliports which are for commercial use.	
33	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	--	--	
34	Industrial Estate including parks; complexes; areas; export processing Zones (EPZs); Special Economic Zones (SEZs); Biotech Parks; Leather Complexes; Coastal Economic Zones (CEZs); Special Investment Region (SIR); National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs); Industrial Cluster; Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPIRs)	(i) If the area of proposed project is more than 500 hectares and houses at least one Category 'A' or Category 'B1' project listed in the Schedule. (ii) If area of the proposed project is less than 500 hectares and houses at least one category 'A' project listed in the Schedule.	If the area of the project is less than 500 hectares and houses at least one category 'B1' project listed in the Schedule.	(i) If the area of the proposed project is more than 500 hectares and does not house category 'A' or 'B1' project listed in the Schedule. (ii) Irrespective of the area of the proposed project and houses at least one Category 'B2' project listed in the Schedule	
35	Common hazardous waste, Treatment, Storage and Disposal Facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone.	All facilities having land fill only.	--	
36	Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities	--	All projects		

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	Ports, harbors, breakwaters and capital dredging (inside and outside the ports or harbors and channels)	≥ 5 million ton per annum of cargo handling capacity (excluding fishing harbors).	(i) < 5 million ton per annum of cargo handling capacity (excluding fishing harbors). (ii) ≥ 30000 ton per annum of fish handling capacity.	All projects in respect of Inland water ways	
38	Highways or Expressways or Multi-modal corridors or Ring Roads	i) New National Highways or Expressways or Multi-modal corridors or Ring Roads ii) Expansion or widening of existing National Highways or Expressways or Multi-modal corridors or Ring Roads by length more than 100 km involving widening or right of way more than 70 m on existing alignments or re-alignments or by-passes.	(i) All new State Highway projects (ii) State Highway expansion projects in hilly terrain (above 1,000 meter above mean sea level).	(i) Expansion or widening of existing National Highways or Expressways or Multi-modal corridors or Ring Roads by length between 25 km and 100 km involving widening or right of way more than 70 m on existing alignments or re-alignments or by-passes. (ii) Expansion or widening of existing State Highways (500 m to 1000 m above mean sea level)	Note: Width at toll plaza and junction improvement at intersection of other roads excluded from right of way.
39	Aerial ropeways	--	--	All projects located in notified ecologically sensitive areas.	--
40	Common Effluent Treatment Plants (CETP)	--	All projects	--	
41	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) involving land filling and / or incineration	--	All projects	--	
42	Building Construction and Area Development projects	--	>1,50,000 sq. mtrs. of built-up area and or total land area of ≥ 50 hectare	(i) ≥20,000 sq. mtrs. and ≤50,000 sq. mtrs. of built-up area (ii) > 50,000 sq. mtrs. and ≤ 1, 50,000 sq. mtrs. of built-up area projects having provisional	Note 1. Projects under (i) and (ii) of Column (5) shall not be referred to Appraisal Committee. 2. Any change in the intended use, prior-permission from the Regulatory Authority for amendment in the prior-

Item	Project	Category with threshold limit			Conditions if any
		A	B1	B2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				'certificate of green building' or relating to industrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions	EP shall be obtained. All such cases shall be referred to Appraisal Committee.
				> 50,000 sq. mtrs. and \leq 1, 50,000 sq. mtrs. of built-up area	Note: Projects under Column (5) shall be referred to Appraisal Committee
43	Elevated roads or standalone flyovers or bridges	--	--	>1,50,000 sq. mtrs. of built-up area	

Note:

1. General Conditions shall not apply for:-
 - i. Items 9, 10(f), 11(b), 25, 38, 40, 41, 42, and 43
 - ii. River bed mining projects on account of inter-state boundary; and
 - iii. All Category 'B2' projects.
2. Category 'B2' projects shall not be placed before Appraisal Committee except for those projects mentioned against the item

APPENDIX-I

(Refer clause 14)

Procedure of Public Consultation

(1) Public Hearing:

1.1 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC)

(2) Process

2.1 The project proponent shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the draft EIA Report along with the Summary EIA, simultaneously with application for conduct of public hearing, to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

- (a) District Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner/s;
- (b) Zila Parishad or Municipal Corporation or Panchayats Union;
- (c) District Industries Office;
- (d) Urban Local Bodies (ULBs) / PRIs concerned / Development authorities;
- (e) Concerned Regional Office of the Ministry;
- (f) Concerned Regional office of SPCB or UTPCC.

Provided that the period within which public hearing ought to be conducted as per the sub-clause (5) of clause 14 of this notification shall commence from the latest date when the project proponent submits copies of requisite documents to all the above authorities.

2.2 On receiving the draft EIA report, the above-mentioned authorities, shall make the same available for inspection, electronically or otherwise, to the public during normal office hours till the Public Hearing is over.

2.3 SPCB or UTPCC shall ensure that the draft EIA Report has been prepared in accordance with the ToR, prescribed by the Regulatory Authority. No additional studies shall be sought by the SPCB or UTPCC beyond the ToR prescribed by the Regulatory Authority.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State or Union Territory and make available the Summary of the draft EIA Report for inspection in select offices or public libraries or any other suitable locations etc. They shall also additionally make available a copy of the draft EIA Report to the above five authorities or offices as given in sub-clause 2.2 above.

2.5 The SPCB or UTPCC concerned shall decide, from the documents or otherwise whether the public hearing is required to be conducted at any additional or alternative places. The project proponent shall be informed about the decision within fifteen days of receipt of the request from the project proponent.

2.6 Consequent to decision as per sub-clause 2.5 above, the period of forty days shall be reckoned from the date, when the project proponent submits the documents, as per sub-clause 2.2 above, to the relevant authorities of additional or alternative sites.

(3) Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within ten days of the date of receipt of application with the consent of officer presiding over the public hearing. He shall advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily or Official State Language in another five days from the date of consent of presiding officer. A minimum notice period of twenty days shall be provided to the public for furnishing their responses.

3.2 The advertisement shall also inform the public about places or offices where public could access the draft EIA Report and the summary EIA Report before the public hearing. In places where the newspapers are inaccessible, the Competent Authority should arrange to inform the local public about public hearing by other means such as by way of beating of drums as well as advertisement or announcement on radio or television.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner. The postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at the identified offices by the concerned SPCB or UTPCC.

3.5 In such exceptional circumstances (as in sub-clause 3.3 above), fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner and notified afresh, as per procedure under sub-clause 3.1 above.

(4) Supervision and Presiding over the Hearing:

4.1 The District Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate in case of Category "A" projects and Sub-Divisional Magistrate in case of Category "B" projects assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

(5) Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange videography of the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD or DVD or USB or other storage device shall be enclosed along with public hearing proceedings while forwarding the records to the Regulatory Authority concerned.

(6) Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue of the final proceedings shall be noted and annexed.

6.2.1 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Persons present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the applicant. The summary of public hearing proceedings, reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the local or vernacular language. The agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner or Sub-divisional Magistrate not below the rank of an Additional District Magistrate in case of Category "A" projects and Sub-Divisional Magistrate in case of Category "B" projects, as the case may be, who has chaired the proceedings, on the same day and forwarded to the SPCB or UTPCC concerned.

6.5 A Statement of issues raised by the public and comments of project proponent shall also be prepared in the local language or the Official State Language, as the case may be, and in English and annexed to the proceedings.

6.6 The proceedings of public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner, and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the project proponent concerned.

(7) Time period for completion of public hearing

7.1 The time period for different activities relating to conduct of public hearing shall be as follows:

- (i) Finalization of the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within ten days of the date of receipt of application;
- (ii) Advertise the details of public hearing in one major National Daily and one Regional vernacular Daily or Official State Language in another five days from the date of consent of presiding officer.
- (iii) Notice period of twenty days shall be provided to the public for furnishing their responses;
- (iv) The SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned Regulatory Authority within five days of the completion of the public hearing.

(8) Format for Application for Public Hearing

To

The Member Secretary,

State Pollution Control Board / Union Territory Pollution Control Committee,

----- State / Union Territory

Subject: Request for public consultation under the provisions of EIA Notification for the proposed project -
----- of M/s-----located at -----.-Regarding

In pursuant to the provisions of EIA Notification, 2020, hereby submitting the details of proposed project and requisite documents for conduct of public consultation:

1. Details of Project: Name of the project; Name of the Company / Organisation; Registered Address; Legal Status of the Company; Joint Venture if any; etc.
2. Address for the correspondence: Name of the project proponent; Designation (Owner / Partner / CEO); Address; Postal Index Code; e-mail ID; Contact No.; Fax No., etc.
3. Category of the Project: Item number in the schedule; Category (A or B1).

4. Location of the Project: Plot / Survey / Khasra No.; Village; Tehsil; District; State; PIN Code; Bounded Latitudes; Bounded Longitudes; Survey of India Topo Sheet No.; Nearest railway station; Nearest Airport; Nearest Town/City/District Head Quarter (Specify); Village Panchayats, Zila Parishad, Municipal Corporation, Local Body (Complete postal Address with PIN code and Telephone Number).
5. If project is executed in multiple States, details thereof: Number of States in which project will be executed; Main State of the Project; details of all the states where the project is located.
6. Details of Terms of Reference (ToR): Date of issue of ToR / Standard ToR; MoEF&CC / SEIAA File No.; copy of ToR letter.
7. Details of configuration of project and products.
8. Project Cost (in Lakhs): Total cost of the project at current price level; Funds allocated for EMP (Capital); Funds allocated for CER; Funds allocated for EMP (Recurring per Annum).
9. Land requirement for various activities in Ha.
10. Land Acquisition Status: Acquired Land; Land yet to be acquired; Status of Land acquisition if not acquired.
11. Rehabilitation and Resettlement (R&R), if any: No. of Villages; No. of Households; No. of PDFs (Project Displaced Families); No. of PAFs (Project Affected Families); Funds Allocated for R&R; Status of R&R (Completed / In-progress / Yet to start).
12. Manpower Requirement: Permanent/Temporary employment during construction / Operation; Total Manpower.
13. Details of Court Cases direction issued under Environment (Protection) Act / Air (Prevention & Control of Pollution) Act / Water (Prevention & Control of Pollution) Act, if any.
14. Details of EIA Consultant: Accreditation No.; Name of the EIA Consultant; Address; Contact No.; E-mail Id; Category of Accreditation (Eligible for Category A / Eligible for Category B); Sector of Accreditation; Validity of Accreditation.
15. Documents to be attached: At least 10 hard copies and a soft (electronic) copy of the Draft EIA Report prepared in English; and at least 10 hard copies of summary of EIA Report in English and in the official language of the State/UT or Regional Language.

Signature and Date

Name; Designation; Company; Address

(9) **Format for notice of the Public Hearing**

The Public hearing notice shall inter alia include:-

1. Details of Project: Name of the project; Name of the Company / Organisation; Registered Address.
2. Location of the Project: Plot / Survey / Khasra No.; Village; Tehsil; District; State; PIN Code; Bounded Latitudes; Bounded Longitudes; Survey of India Topo Sheet No.; Nearest railway station; Nearest Airport; Nearest Town/City/District Head Quarter (Specify).
3. If project is executed in multiple States, details thereof.
4. Details of configuration of project and products.
5. Project Cost (in Lakhs): Total cost of the project at current price level; Funds allocated for EMP (Capital); Funds allocated for CER; Funds allocated for EMP (Recurring per Annum).
6. Land requirement: Total land required in Ha; Land Acquisition Status [Acquired Land; Land yet to be acquired]
7. Rehabilitation and Resettlement (R&R), if any: No. of Villages; No. of Households; No. of PDFs (Project Displaced Families); No. of PAFs (Project Affected Families); Funds Allocated for R&R; Status of R&R (Completed / In-progress / Yet to start).
8. Manpower Requirement: Permanent/Temporary employment during construction / Operation; Total Manpower.
9. Complete postal address, where the copies of Draft EIA Reports kept available.

Appendix-II

(Refer clause 11)

FORM-1

1	Details of project: Name of the project; Name of the Company / Organization; Registered Address; Legal Status of the Company; Joint Venture if any; etc.								
2	Address for the correspondence: Name of the project proponent; Designation; Address; Postal Index Code; e-mail ID; Mobile No.; Fax No., etc.								
3	Category of the project as per schedule: Item number in the schedule; Category (A/B ₁ /B ₂); Type of the proposal (New/Expansion/Modernization); etc.								
4	Location of the project: Plot / Survey / Khasra number; Village; Tehsil; District; State; Pin Code; Latitudes and Longitudes of the project/activity site; Survey of India Topo Sheet number; Copy of Topo Sheet; Maximum elevation above MSL; kml file; Distance of nearest Highest Flood Level (HFL) from the project boundary within the study area; Seismic Zone; Nearest railway station; Distance from nearest railway station (in Km); Nearest Airport; Distance from nearest Airport (in Km); Nearest Town/City/District head quarter (Specify); Distance from nearest Town/City/District head quarter (in Km); Village Panchayats, Zila Parishad, Municipal Corporation, Local Body (Complete postal Address with pin code and Telephone Number); etc.								
5	Whether the project proposed to be located in the notified industrial area (Yes/No)								
6	Whether the project proposed to be located in border states (Yes/No)								
7	If project is executed in multiple States/UTs, details thereof: Number of States/UTs in which project will be executed; Main State/UT of the Project; details of all the States/UTs where the project is located								
8	Details of alternative sites								
	A	Details of alternative sites examined							
		Alternative site	Village	District	State	Bounded Latitudes (North)		Bounded Longitudes (East)	
						From	To	From	To
	B	Copy of Topo Sheet showing alternative locations							
9	Details of products & by-products; and project configuration								
	A	In case of new projects							
	a.	Details of products and by-products							
		Product / Activity (Capacity / Area)	Quantity	Unit	Mode of Transport / Transmission of Product / by-product				
		<ul style="list-style-type: none"> - Unit:- (Tons per Annum(TPA), Numbers; Mega Watt(MW), Hectares(ha), Kilo Liters per Day(KLD), Tons Crushed per Day(TCD), Cubic Meter per Day, Kilometers(Km), Million Liters per Day(MLD), Hides per month, Square meter, Others) - Mode of Transport/Transmission of Product (Road, Rail, Conveyor Belt, Pipe Conveyor, Aerial Ropeway, Inland water ways, Sea, combination of two or three modes, Others) 							

b.	Details of project configuration						
	Description of Plant / Equipment / Facility	Configuration		Remarks if any			
B	In case of Expansion or Modernization						
a.	Details of products and by-products						
	Product/Activity (Capacity/Area)	Quantity From	Quantity To	Unit	Mode of Transport / Transmission of Product / by-product		
	<ul style="list-style-type: none"> - Unit:- (Tons per Annum(TPA), Numbers; Mega Watt(MW), Hectares(ha), Kilo Liters per Day(KLD), Tons Crushed per Day(TCD), Cubic Meter per Day, Kilometers(Km), Million Liters per Day(MLD), Hides per month, Square meter, Others) - Mode of Transport/Transmission of Product (Road, Rail, Conveyor Belt, Pipe Conveyor, Aerial Ropeway, Inland water ways, Sea, combination of two or three modes, Others) 						
b.	Details of project configuration						
	Description of Plant / Equipment / Facility	Existing Configuration	Proposed Configuration	Final configuration after expansion	Remarks if any		
c.	Details of earlier Prior Environmental Clearance: Date of issue of Prior Environmental Clearance; Ministry/ SEIAA/DEIAA File Number; Copy of earlier Prior EC(s), amendments, if any; etc. [Details of all the prior-ECs in case of multiple prior EC have obtained; details of amendments in prior EC, if any]						
10	Raw Material / Fuel Requirement:						
	Raw Material / Fuel	Quantity per Annum	Unit	Source (incase of Import, please specify country and Name of the port from which Raw Material / Fuel is received)	Mode of Transport	Distance of Source from Project Site (in Kilo meters) (In case of import, distance from the port from which the raw material / fuel is received	Type of Linkage (Linkage / Fuel Supply Agreement / e-auction / MoU / LOA / Captive / Open market / Others)
	In case of expansion proposals, total requirement of raw material / fuel shall be given						
	<ul style="list-style-type: none"> - Unit:- (Tons per Annum(TPA), Mega Watt(MW), Hectares(ha), Kilo Liters per Day(KLD), Tons Crushed per Day(TCD), Cubic Meter per Day, Kilometers(Km), Million Liters per Day(MLD), Others) - Mode of Transport/Transmission of Product (Road, Rail, Conveyor Belt, Pipe Conveyor, Aerial Ropeway, combination of two or three modes, Others) 						

11	Power Requirement: Quantity (Kilo Volt Amps (KVA)); Source; Standby Arrangement (Details of DG Sets); Stack Height (in m); ETC.				
12	Land requirement for the project				
	a.	Land Ownership Pattern (Prior to the project proposal) in Ha[Forest land; Private land; Government Land; Revenue land; Other Land; Total Land]			
	b.	Present Land Use breakup in Ha [Agriculture Area; Waste/Barren Area; Grazing/ Community Area; Surface Water bodies; Settlements; Industrial; Forest; Mangroves; Marine area; Others (Specify); and Total]			
13	Total cost of the project at current price level (in Lakhs)				
14	Whether project attracts the General Condition specified in the Schedule of EIA Notification (Yes/No)? If yes, provide details (name and distance from the project) :				
	a.	Protected Area			:
	b.	Critically Polluted Area			:
	c.	Eco-Sensitive Area			:
	d.	Inter-State/UT Boundaries and International Boundaries			:
	e.	Severely Polluted Area			:
	f.	Eco-sensitive Zone			:
15	Whether the proposal involves approval/ clearance under any of the following: If yes, provide the details and their status				
	a.	The Forest (Conservation) Act, 1980? (Yes/No)			
	b.	The Wildlife (Protection) Act, 1972? (Yes/No)			
	c.	The CRZ. Notification 2019? (Yes/No) If yes, along with CRZ Classification: [CRZ I (A), CRZ I(B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV(B)]			
	d.	The ICRZ. Notification 2019? (Yes/No) If yes, along with ICRZ Classification			
16	Whether Rehabilitation and Resettlement (R&R) is involved (Yes/No)?				
17	Ecological and Environmental Sensitivity (Within 10 Km):				
	a.	Details of Ecological Sensitivity			
		Details of Ecological Sensitivity	Name	Distance from the Project (Km)	Remarks
		- Details of Ecological Sensitivity: - (Critically Polluted Area, Severely Polluted Area, Protected area, Eco Sensitive Zones, Wildlife corridors, etc.)			
	b.	Whether National Board for Wildlife recommendation is required (Yes/No)?			
	c.	Details of Environmental Sensitivity			
	i.	Details of Environmental Sensitivity	Name / identity	Aerial Distance from the Project (Km)	Remarks

ii	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value			
iii	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests			
iv	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration			
v	Inland, coastal, marine or underground waters State, National boundaries			
vi	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas			
vii	Defence installations			
viii	Densely populated or built-up area			
ix	Areas occupied by sensitive man-made land uses(hospitals, schools, places of worship, community facilities)			
x	Areas containing important, high quality or scarce resources(ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)			
xi	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)			
xii	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)			
d.	Whether NoC / Permission from the competent authority in respect of above are required (Yes/No)?			
18	Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)			
	Information/Checklist confirmation	Yes / No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data	
i.	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)?			
ii.	Clearance of existing land, vegetation and buildings?			
iii.	Creation of new land uses?			
iv.	Pre-construction investigations e.g. bore holes, soil testing?			
v.	Construction works?			
vi.	Demolition works?			

vii.	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
viii.	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
ix.	Underground works including mining or tunneling?		
x.	Reclamation works?		
xi.	Dredging?		
xii.	Offshore structures?		
xiii.	Production and manufacturing processes?		
xiv.	Facilities for storage of goods or materials?		
xv.	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
xvi.	Facilities for long term housing of operational workers?		
xvii.	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
xviii.	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc.?		
xix.	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
xx.	New or diverted transmission lines or pipelines?		
xxi.	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
xxii.	Stream crossings?		
xxiii.	Abstraction or transfers of water from ground or surface waters?		
xxiv.	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		
xxv.	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
xxvi.	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
xxvii.	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
xxviii.	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
xxix.	Introduction of alien species?		
xxx.	Loss of native species or genetic diversity?		
xxxi.	Any other actions?		

19	Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health			
		Information/Checklist confirmation	Yes/ No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
	i.	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)?		
	ii.	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)?		
	iii.	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
	iv.	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.?		
	v.	Any other causes?		
20	Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)			
		Information/Checklist confirmation	Yes / No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
	i.	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources?		
	ii.	Emissions from production processes?		
	iii.	Emissions from materials handling including storage or transport?		
	iv.	Emissions from construction activities including plant and equipment?		
	v.	Dust or odors from handling of materials including construction materials, sewage and waste?		
	vi.	Emissions from incineration of waste?		
	vii.	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)?		
	viii.	Emissions from any other sources?		
21	Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat			
		Information/Checklist confirmation	Yes / No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data

	i.	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers?		
	ii.	From industrial or similar processes?		
	iii.	From construction or demolition?		
	iv.	From blasting or piling?		
	v.	From construction or operational traffic?		
	vi.	From lighting or cooling systems?		
	vii.	From any other sources?		
22	Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea			
		Information/Checklist confirmation	Yes / No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
	i.	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials?		
	ii.	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)?		
	iii.	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water?		
	iv.	From any other sources?		
	v.	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		
23	Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment			
		Information/Checklist confirmation	Yes/ No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
	i.	From explosions, spillages, fires etc. from storage, handling, use or production of hazardous substances?		
	ii.	From any other causes?		
	iii.	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		
24	Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality			
		Information/Checklist confirmation	Yes / No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
	i.	Lead to development of supportive facilities, ancillary development or development stimulated by the project		

		which could have impact on the environment e.g.: Supportive infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.); housing development; industries in supply chain and downstream; any other?		
	ii.	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment?		
	iii.	Set a precedent for later developments?		
	iv.	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects?		
25	Whether any Court Cases pending on the project (Yes/No); If yes, provide details			
26	Whether direction issued under Environment (Protection) Act / Air (Prevention & Control of Pollution) Act / Water (Prevention & Control of Pollution) Act (Yes/No; If yes, provide details			
27	Documents to be attached			
	a	Upload Copy of Pre-Feasibility Report (<i>Upload pdf only</i>)		
	b	Upload Copy of Layout Plan (<i>Upload pdf only</i>)		
	c.	Upload Cover Letter duly signed by the project proponent or authorized person (<i>Upload pdf only</i>)		
	d.	Upload a copy of authorization duly signed by the project proponent in support of the person making this application on behalf of the User Agency (<i>Upload pdf only</i>)		
28	Undertaking			
	I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given,if any to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to above,I hereby give undertaking that no activity / construction / expansion has since been taken up.			
	Name; Designation; Company; Address			
NOTE:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. The project involving clearances under Coastal Regulation Zone Notification, 2019 shall submit with the application a CRZ map duly demarcated by one of the authorized agencies, showing the project activities, w.r.t. C.R.Z (at the stage of ToR) and the recommendations of the State Coastal Zone Management Authority (at the stage of EC). Simultaneous action shall also be taken to obtain the requisite clearance under the provisions of the C.R.Z. Notification, 2019 for the activities to be located in the CRZ. 2. The project to be located within 10 km of the National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Migratory Corridors of Wild Animals, the project proponent shall submit the map duly authenticated by Chief Wildlife Warden showing these features vis-à-vis the project location and the recommendation or comments of the Chief Wildlife Warden thereon (at the stage of prior EC). 3. All correspondence with the Ministry including submission of application for scoping / prior environmental clearance, subsequent clarification, as may be required from time to time, participation in the EAC Meeting on behalf of the project proponent shall be made by the authorized signatory only. The authorized signatory should also submit a document in support of his claim of being an authorized signatory for the specific project. 				

APPENDIX – III

(Refer clause 11)

FORM-1A

(Only for building or construction projects listed under category 'B2' in item 42 and 43 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

Sl.	Item	Details
1	LAND ENVIRONMENT	
1.1	Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted)	
1.2	List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.	
1.3	What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).	
1.4	Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc. may be given).	
1.5	Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)	
1.6	What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)	
1.7	Give details regarding water supply, waste handling etc. during the construction period	
1.8	Will the lowlying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)	
1.9	Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)	
2	WATER ENVIRONMENT	
2.1	Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement meet? State the sources & quantities and furnish a water balance statement	
2.2	What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?	
2.3	What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)	
2.4	How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)	
2.5	Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)	

2.6	What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)	
2.7	Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created	
2.8	What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?	
2.9	What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)	
2.10	What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)	
2.11	How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)	
2.12	Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)	
2.13	What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)	
2.14	Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.	
3	VEGETATION	
3.1	Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)	
3.2	Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)	
3.3	What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)	
4	FAUNA	
4.1	Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details	
4.2	Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details	
4.3	Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna.	
5	AIR ENVIRONMENT	
5.1	Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)	
5.2	What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? (Give details in relation to all the meteorological parameters)	

5.3	Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.	
5.4	Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.	
5.5	Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? (Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.)	
5.6	What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.	
6	AESTHETICS	
6.1	Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?	
6.2	Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?	
6.3	Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.	
6.4	Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.	
7	SOCIO-ECONOMIC ASPECTS	
7.1	Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.	
7.2	Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.	
7.3	Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?	
8	BUILDING MATERIALS	
8.1	May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)	
8.2	Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?	
8.3	Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?	
8.4	Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.	
9	ENERGY CONSERVATION	
9.1	Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?	
9.2	What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?	
9.3	What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?	
9.4	What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.	

9.5	Does the layout of streets & buildings maximize the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.	
9.6	Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been affected?	
9.7	Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.	
9.8	What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self-assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?	
9.9	What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.	
9.10	What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.	
9.11	If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.	
9.12	What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.	
9.13	To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.	
10	Environment Management Plan	
	The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.	
11	Attachments:	
A	Panoramic view of the project site and the vicinity	
B	Site location	
C	surrounding features of the proposed site (within 500 meters)	
D	Site (indicating levels & contours) to appropriate scales. (If not available attach only conceptual plans)	

APPENDIX-IV

(Refer clause 11)

FORM-1B2**APPLICATION FOR PRIOR ENVIRONMENT CLEARANCE FOR CATEGORY B2 PROJECTS / ACTIVITIES**

1	Project cost: Total cost of the project at current price level (in Lakhs); Funds allocated for environment management (capital); Funds allocated towards CER; Funds allocated for EMP (Recurring per Annum)							
2	Details of water requirement (during construction, operation and closure phases)							
	a	Source	Quantity in KLD	Method of water withdrawal	Distance from Source	Mode of Transport		
		Source: Surface /Ground Water /Sea /Others; Mode of Transportation: Pipeline /Canal /Others; Method of water withdrawal: Barrage / Weir / Intake well / Jackwell / Tube well / Open well / Others						
	b.	Letter number; date of issue; permitted quantity; copy of Permission from Competent Authority						
	c.	Whether desalination is proposed (Yes/ No)				:		
		If Yes,(i) Desalination capacity (KLD); (ii) Quality of Brine (KLD); Mode of Disposal of brine						
3	Waste Water Management (During construction, operation and closure)							
	Type / Source	Quantity of Waste Water Generated (Kilo Liter per Day)	Treatment Capacity (Kilo Liter per Day)	Treatment Method	Mode of Disposal	Quantity of Treated Water Used in Recycling / Reuse (Kilo Liter per Day)	Quantity of Discharged Water (Kilo Liter per day)	
4	Solid Waste Generation Management (Multiple Entries Allowed)							
	Item	Quantity per Annum	Unit	Distance from Site	Mode of Transport	Mode of Disposal		
	<ul style="list-style-type: none"> - Item:- (Industrial waste, Municipal Solid waste, Fly ash, Bottom Ash, Hazardous Waste (as per Hazardous and Other Waste Management Rules 2016),E Waste, Bio-Medical waste, Construction & Demolition waste, Plastic Waste, Others) - Unit:- (Tons, Kiloliter) - Mode of Disposal:- (Treatment, Storage and Disposal Facility(TSDF), Authorized Re-cyclers, Landfills, Sanitary Landfills, Others) 							

5	Land requirement for various activities (Multiple entries allowed) in Ha			:	
	Description of Activity / Facility / Plant / Others	Land requirement	Remarks		
	Green belt				
	Total				
	- Activity / Facility / Plant / Others include: Main Plant, Township, Greenbelt, Ash pond, Quarry area, OB dump Area, Safety zone, Tailing pond, Landfill, Water reservoir, De-salination plant, Area for solid waste management, Built-up area, others				
6	If Forest Land involved: If In-Principle (Stage-I) Approval Obtained: Ministry file number; Date of In-Principle (Stage-I) approval; Area diverted; If Final (Stage-II) Approval Obtained: Ministry file number; date of final approval; area diverted				
7	Tree cutting, if any: No. of trees cut for the project (if Forestland not involved); and details of tree cutting and planting of trees				
8	Land Acquisition Status: Land acquired; Land yet to be acquired; Status of Land acquisition if not acquired				
9	If Presence of Schedule-I Species in study area				
	a	Details of Schedule-I Species; Details of conservation plan for Schedule-I Species including copy of conservation plan; Fund Provision made; Period of Implementation; etc.			
	b.	Details of approval of conservation plan for Schedule-I Species by competent authority including copy of approval; Letter Number; Date of issue; Recommendations if any; etc.			
10	If Presence of Water Bodies in Core Area:				
	a.	Details of Water Bodies in Core Area:			
	b.	If diversion is required: Details of diversion required; Details of study conducted			
	c.	Details of permission obtained from competent authority: Letter No.; Date of issue; Recommendations if any; and copy of permission.			
11	Manpower Requirement: Permanent/Temporary employment during construction / Operation; Total Manpower				
12	Green Belt in Ha				
	a.	In case of new projects: Total Area of Green Belt; Percentage of Total Project Area; No. of Plants to be Planted; Funds Allocated for Plantation; Green Belt Plan:			
	b.	In case of expansion / modernization / change in product mix etc.			
	i.	Description	Existing	Proposed	Total
		Total Area of Green Belt			
		Percentage of Total Project Area			

		No. of Plants			
		Funds Allocated			
	ii.	Copy of Green Belt Plan			
13	Project Benefit				
	Type of Project Benefits		Details of Project Benefit		
	(Project benefits shall include environmental, social and others)				
14	In case of project located in CRZ or ICRZ, Recommendation of State Coastal Zone Management Authority: State the Conditions Imposed; Social and Environmental Issues and Mitigations Measures Suggested Including but not Limited to R&R, Water, Air, Hazardous Wastes, Ecological aspects, etc. (Brief Details to be Provided); Copy of CZMA or ICZMA				
15	In case of mining of minor minerals				
	a.	No. of mineral to be mined and details			
	b.	Mine capacity in ROM (Run of Mine)			
	c.	Mining Plan: Approval Letter No.; Date of Approval; Approved Letter; Approved Mining Lease Area; Approved Capacity			
	d.	Technical Details: Total Geological Reserves (Million Ton); Mineable Reserves (Million Ton); Extractable Reserves(Million Ton); Percent of Extraction(%); Grade of Ore /Mineral; Stripping Ratio; Average Gradient(Degree); Mining Method (Opencast / Underground /Mixed(Opencast + Underground) /Adit; Life of Mine (Years)			
	e.	Details of beneficiation (including crushing / screening/others): If proposed to install crusher within the mining lease area: No. of crushers and Details of crusher (Multiple entries allowed)			
		Crusher ID	Capacity (in TPH)	Remarks	
	f	Details of Mining Lease: Upload Letter of Intent (Upload pdf only); Date of Execution of Mining Lease with Reference Number; Validity of Mining Lease; Copy of Executed Lease deed valid as on Date; etc.			
	g	OB (Over Burden) Management (Only if Mining Method: Opencast)			
		i	Details of External Dumps: No. of OB Dumps; Total Area (in Hectare); Height (in meter); Quantity (in Million Cubic meter); No. of year back fill up		
		ii	Details of Internal Dump: No. of OB Dumps; Total Area (in Hectare); Height (in meter); Quantity (in Million Cubic meter)		
	h	Details of Topsoil Management: Quantity of Topsoil excavated during the entire life of the mine (in Million Cubic meter); Quantity of Topsoil proposed for utilization for reclamation during the entire life of the mine (in Million Cubic meter); Quantity of Topsoil proposed for utilization for other activities during the entire life of the mine (in Million Cubic meter)			

i	Detail of Final Mine Void(Only if Mining Method: Opencast): Area (in Hectare); Depth (in meter); Volume (in Million Cubic meter)				
j	Details of Quarry(Only if Mining Method: Opencast): Final Void of (hectare); At a Depth of (meter which is proposed to be converted into a Water Body.); Total Quarry Area (ha)				
k	Details of Transportation: In Pit/Underground to Surface; Surface to Siding/Loading; Transportation / Conveyor Details				
l	Details of Land Usage (Pre-Mining)				
	Land Use	Within ML Area (ha)	Outside ML Area (ha)	Total	
	Agriculture Land				
	Forest Land				
	Waste Land				
	Grazing Land				
	Surface Water Bodies				
	Settlements				
	Others(Specify)				
m	Land Use	Plantation	Water Body	Public Use	Others
	Excavation / quarry				
	Top Soil Storage				
	External OB dumps				
	Internal OB dumps				
	Roads				
	Built Up Area(Colony/Office)				
	Green Belt				
	Virgin Area				
	Other				
	Total				
n	Details of Reclamation (Only if Mining Method is Opencast): Total Afforestation Plan shall be Implemented Covering of Mining. This will include: External OB Dump(in hectare); Internal Dump(in hectare); Quarry(in hectare); Safety Zone(in hectare); Final Void of (hectare); At a Depth of (<i>meter which is proposed to be converted into a Water Body.</i>); Density of Tree Plantation per ha (in no.); Others in ha (such as Excavation Area along ML Boundary, along Roads and Infrastructure, Embankment Area and in Township Located outside the Lease etc.); and Total afforestation plant (in hectare)				
o	Status of Progressive Mining Closure Plan (For Expansion Projects only): Implementation of Various Activities as per Approved Progressive Mine Closure Plan(in Bar Chart); Any Deviation from the Approved Progressive Mine Closure Plan; Total Area Excavated (in hectare); Total Area Backfilled after Excavation(in hectare); Total Area Reclaimed (in hectare)				

16	Sector Specific Details, if any		
17	Details of EIA Consultant: Accreditation No.; Name of the EIA Consultant; Address; Contact No.; E-mail Id; Category of Accreditation (Eligible for Category A / Eligible for Category B); Sector of Accreditation; Validity of Accreditation; copy of certificate of accreditation issued by QCI/NABET		
18	Documents to be attached		
	a.	Copy of EMP Report	
	b.	Copy of Risk Assessment Report	
	c.	Copy of approved mining plan	
	d.	Copy of District Survey Report (for mining of minor minerals only)	
	e.	Copy of Replenishment Study Report & Baseline Survey data (for river sand mining proposals only)	
	f.	Cluster certificate issued by the Depart of Mines and Geology or Revenue Department, as applicable	
	g.	Additional File, if any	
19	Undertaking		
	I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to above, I hereby give undertaking that no activity / construction / expansion has since been taken up.		
	Name; Designation; Company; Address		

APPENDIX-V

(Refer clause 11)

FORM-2**APPLICATION FOR PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE**

1	Details of Terms of Reference (ToR): Date of issue of ToR / Standard ToR; Ministry / SEIAA File No.; copy of ToR letter
2	Details of Public Consultation: If the Project Exempted from Public Hearing, provide reasons; Date of Advertisement of Public Hearing; Copy of advertisement in English; Whether Public hearing was presided over by an officer of the rank as stipulated in the Appendix-I (Yes/No); Designation of Presiding Officer; Copy of duly signed Proceedings of Public Hearing; Date of Public Hearing; Venue of Public Hearing (Village, Tehsil, District, State); Distance of Public Hearing Venue from the Proposed Project (km); No. of people attended; If the multiple public hearings conducted, please provide details of each public hearing.
3	Details of certified report on compliance of earlier Prior Environment Clearance conditions, in case of expansion projects: Details of Regional Office of MoEFCC / Zonal Office of CPCB / SPCB / UTPCC from which certified report on compliance of earlier Prior Environment Clearance conditions obtained & Letter No; Date of site visit & Status of Compliance; copy of Certified report on compliance of earlier Prior Environment Clearance conditions;
4	Project Cost: Total Cost of the Project at current price level (in Lakhs); Funds Allocated for Environment Management (Capital) (in Lakhs); Funds Allocated Towards CER (Corporate Environment Responsibility) (in Lakhs); Funds Allocated for Environment Management Plan (EMP) (Recurring per Annum) (in Lakhs)

5	Baseline Data (Air / Water / Noise / Soil / Ground water table/ Others)					
a.	Period of Base Line Data Collection [From (DD/MM/YYYY): To (DD/MM/YYYY)]					
b.	Season (Summer / Pre-monsoon / Post-monsoon / Winter)					:
c.	No. of Ambient Air Quality (AAQ) Monitoring Locations					:
d.	Details of AAQ Monitoring (<i>Multiple Entries Allowed</i>)					
	Criteria Pollutants	Unit	Maximum Value	Minimum Value	98 Percentile Value	Prescribed Standard
	<ul style="list-style-type: none"> - Criteria Pollutants: - (PM10, PM2.5, SO2, NOx, Others parameters specific to sector) - Unit: - (Micro Gram per Meter Cube, Nano Gram per Meter Cube, Milli Gram per Meter Cube, NA) 					
e.	No. of Ground Water Monitoring Locations					:
f.	Details of Ground Water Monitoring (<i>Multiple Entries Allowed</i>)					
	Criteria Pollutants	Unit	Maximum Value	Minimum Value	98 Percentile Value	Prescribed Standard
	Criteria Pollutants: - (pH, TSS, TDS, Total Hardness, Chlorides, Fluoride, Heavy Metals, other parameters specific to the sector); Unit:- (mg/l, NA)					
g.	No. of Surface Water Monitoring Locations					:
h.	Details of Ground Water Monitoring (<i>Multiple Entries Allowed</i>)					
	Criteria Pollutants	Unit	Maximum Value	Minimum Value	98 Percentile Value	Prescribed Standard
	Parameter:- (pH, DO, BOD, COD, Others parameters specific to the sector) ; Unit :- (mg/l, NA)					
i.	No. of Ambient Noise Monitoring Locations					:
j.	Details of Noise Monitoring (<i>Multiple Entries Allowed</i>)					
	Parameter	Unit	Maximum Value	Minimum Value	98 Percentile Value	Prescribed Standard
	Parameter:- [Leq(Day), Leq(Night)];Unit:- [A-weighted decibels(dB(A))]					
k.	No. of Soil Monitoring Locations (<i>Multiple Entries Allowed</i>)					:
	Parameter	Unit	Maximum Value	Minimum Value	98 Percentile Value	

Parameter:- (pH, N(Nitrogen), P(Phosphorus), K(Potassium), Electric Conductivity) Unit:- (Milli siemens per Centimeter, Milligram per Liter, Percent, Centimeter per Second, Milli equivalents per 100 Gram, Milligram per Kilogram, Parts per Million, Kilogram per hectare, Others)							
l.	Ground Water Table						
i	Range of Water Table Pre-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)): From:--- To:-- --						
ii	Range of Water Table Post-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)):From:--- To:-- --						
iii	If Ground Water Intersection is involved, Letter No; Date of issue; and Copy of Central Ground Water Authority Letter						
6 Details of Water Requirement (During construction, operation and closure)							
a	Source	Quantity in KLD	Method of water withdrawal	Distance from Source	Mode of Transport		
Source: Surface /Ground Water /Sea /Others; Mode of Transportation: Pipeline /Canal /Others; Method of water withdrawal: Barrage / Weir / Intake well / Jackwell / Tube well / Open well / Others							
b.	Letter No.; date of issue; permitted quantity; copy of permission from Competent Authority						
c.	If Desalination is proposed, (i) Desalination capacity (KLD); (ii) Quality of Brine (KLD; Mode of Disposal of brine						
7 Waste Water Management (During construction, operation and closure)							
	Type / Source	Quantity of Waste Water Generated (Kilo Liter per Day)	Treatment Capacity (Kilo Liter per Day)	Treatment Method	Mode of Disposal	Quantity of Treated Water Used in Recycling / Reuse (Kilo Liter per Day)	Quantity of Discharged Water (Kilo Liter per day)
8 Solid Waste Generation Management (During construction, operation and closure)							
	Item	Quantity per Annum	Unit	Distance from Site	Mode of Transport	Mode of Disposal	
<ul style="list-style-type: none"> - Item:- (Industrial waste, Municipal Solid waste, Fly ash, Bottom Ash, Hazardous Waste (as per Hazardous and Other Waste Management Rules 2016),E Waste, Bio-Medical waste, Construction & Demolition waste, Plastic Waste, Others) - Unit:- (Tons, Kiloliter) - Mode of Disposal:- (Treatment, Storage and Disposal Facility(TSDF),Authorized Re-cyclers, Landfills, Sanitary Landfills, Others) 							

9	Air Quality Impact Prediction (During construction, operation and closure)							
	Criteria Pollutants	Unit	Baseline Concentration	Minimum Value	Incremental Concentration	Total GLC	Prescribed Standard	
	Parameter:- (PM ₁₀ , PM, SO ₂ , NO _x , Others parameters specific to the sector; Unit:- (microgram per m ³ , NA)							
10	Land requirement for various activities (Multiple entries allowed) in Ha						:	
	Description of Activity / Facility / Plant / Others			Land requirement		Remarks		
	Green belt							
	Total							
	- Activity / Facility / Plant / Others include: Main Plant, Township, Greenbelt, Ash pond, Quarry area, OB dump Area, Safety zone, Tailing pond, Landfill, Water reservoir, De-salination plant, Area for solid waste management, Built-up area, others							
11	If Forest Land involved:							
	If In-Principle (Stage-I) Approval Obtained: MoEFCC file number; Date of In-Principle (Stage-I) approval; Area diverted;							
	If Final (Stage-II) Approval Obtained: MoEFCC file number; Date of Final Approval; Area diverted							
12	Tree Cutting, if any [No. of Trees Cut for the Project (if Forestland not involved); and Details of Tree Cutting and Planting of Trees (<i>Upload pdf Only</i>)							
13	Land Acquisition Status [Acquired Land; Land yet to be acquired; Status of Land acquisition if not acquired]							
14	Rehabilitation and Resettlement (R&R), if any [No. of Villages; No. of Households; No. of PDFs (Project Displaced Families); No. of PAFs (Project Affected Families); Funds Allocated for R&R; Status of R&R (Completed / In-progress / Yet to start)]							
15	If Presence of Schedule-I Species							
	a	Details of Schedule-I Species; Details of conservation plan for Schedule-I Species including copy of conservation plan; Fund Provision made; Period of Implementation; etc.						
	b.	Details of approval of conservation plan for Schedule-I Species by competent authority including copy of approval; Letter Number; Date of issue; Recommendations if any: etc.						
16	If Presence of Water Bodies in Core Area:							
	a.	Details of Water Bodies in Core Area:						
	b.	If diversion is required: Details of diversion required; Details of study conducted						
	c.	Details of permission obtained from competent authority: Letter No.; Date of issue; Recommendations if any; and copy of permission.						
17	If the Presence of Water Bodies in Buffer Area: Details of Water Bodies in Buffer Area; Direction of Water Bodies in Buffer Area (North / South / East / West / North East / North West / South East / South West); Distance of Water Bodies in Buffer Area (kilo meters):							
18	Manpower Requirement: Permanent/Temporary employment during construction / Operation; Total Manpower							

19	Green Belt in Ha				
	a.	In case of new projects: Total Area of Green Belt; Percentage of Total Project Area; No. of Plants to be Planted; Funds Allocated for Plantation; Copy of Green Belt Plan			
	b.	In case of expansion / modernization / change in product mix etc.			
	i.	Description	Existing	Proposed	Total
		Total Area of Green Belt			
		Percentage of Total Project Area			
		No. of Plants			
		Funds Allocated			
	ii.	Copy of Green Belt Plan			
20	Project Benefit				
	Type of Project Benefits		Details of Project Benefit		
	(Project benefits shall include environmental, social and others)				
21	If the Project / Activity attracts the provisions of CRZ /ICRZ Notification:				
	a.	CRZ Classification (CRZ I (A), CRZ I(B), CRZ II, CRZ III, CRZ IV (A), CRZ IV(B)); Location type(Non-Eroding Coast, Low and Medium Eroding Coast, High Eroding Coast); Details of Mangroves Land Involved, if any; Area of Mangroves Land (hectare)			
	b.	If EIA (Terrestrial) Studies were carried out: Summary Details of EIA (Terrestrial) Studies; copy of recommendation made in EIAs; Period of Study from (EIA Terrestrial); Period of Study to EIA (Terrestrial) including reasons if not carried			
	c.	If EIA (Marine) Studies were carried out: Summary Details of EIA (Marine) Studies; copy of recommendation made in EIAs; Period of Study from (EIA Marine); Period of Study to EIA (Marine) including reasons if not carried			
	d.	Disaster Management Plan/National Oil Spill Disaster Contingency Plan (if Applicable)			
	e.	Type of Project: (Resort/Buildings/civic amenities, Coastal Roads/Roads on Stilt, Pipelines from Thermal power Blow Down, Marine Disposal of Treated Effluent, Facility for Storage of Goods/Chemicals, Offshore structures, Desalination Plant, Mining of Rare Earth/Atomic Minerals, Sewage Treatment Plants, Lighthouse, Wind Mills, Others)			
	f.	If Resort/Buildings/civic amenities: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Total Area/Built-up Area (hectare); Height of Structure; FSI Ratio; The governing Town Planning Rules/Regulations; Details of Provision of Car Parking Area			
	g.	If Coastal Roads/Roads on stilt: Agency Name for Preparing CRZ Maps or ICRZ; Area of Land Reclamation; Estimated Quantity of Muck/Earth for Reclamation; Carrying Capacity of Traffic			
	h.	If Pipelines from Thermal Power Blow Down: Agency Name for Preparing CRZ Maps; Length of Pipeline; Length Traversing CRZ or ICRZ Area; Depth of Excavation; Width of Excavation; Length of Pipeline from Seashore to Deep Sea; Depth of Outfall Point from Surface of Sea Water; Temperature of effluent above Ambient at Disposal Point			
	i.	If Marine Disposal of Treated Effluent: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Location of Intake/Outfall; Depth of Outfall Point; Length of Pipeline; Length Traversing CRZ or ICRZ Area; Depth of Excavation; Width of Excavation; Length of Pipeline from Seashore to Deep			

		Sea/Creek; Depth of Outfall Point from Surface of Sea Water; Depth of Water at Disposal Point; Type of Disposal
	j	If Facility for Storage of Goods/Chemicals: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Name and Type of Chemical; End use of the Chemical; No. of Tanks for Storage; Capacity of tanks
	k	If offshore structures: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Exploration or Development; Depth of Sea Bed; No. of Rigs/Platform; Details of Group Gathering Stations
	l	If Desalination Plant: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Capacity of Desalination; Total Brine Generation; Temperature of Effluent above Ambient at Disposal Point; Ambient Salinity; Disposal Point
	m	If Mining of Rare Earth/Atomic Minerals: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Capacity of Mining; Volume/Area to be mined; Type of Mineral to be Extracted; End use of the Mineral
	n	If Sewage Treatment Plants: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Capacity; Total Area of Construction; Compliance of effluent parameters as laid down by CPCB/SPCB/other authorized agency; If discharge is in sea water/creek (Distance of Marine Outfall Point from Shore/from the tidal river bank; Depth of Outfall Point from Sea Water Surface; Depth of Sea at Outfall Point)
	o	If Lighthouse: Agency Name for Preparing CRZ Maps; Total Area of Construction; Height of the Structure
	p	If Wind Mill: Agency Name for Preparing CRZ or ICRZ Maps; Capacity (MW); Transmission Lines: (Overhead, Underground); Diameter of Windmill; Length of Blade; Speed of Rotation; Height of the Structure
	q	If others: Agency Name for Preparing CRZ Maps; Please Specify with salient features; copy of relevant Document.
	r	Distance of Project (In Meters) from LTL/HTL to be stated
	i	Clause of CRZ Notification Under which the Project is a Permissible/Regulated Activity
	ii	If CRZ Map Indicating HTL, LTL Demarcation in 1:4000 Scales Prepared: Distance of Project (in meters) from HTL to be Stated & Upload Maps(<i>kml File</i>); Distance of Project (in meters) from LTL to be Stated & Maps (<i>kml format</i>)
	iii	If Project Layout Superimposed on CRZ or ICRZ Map 1:4000 Scales: upload kml file
	iv	If CRZ Map 1:25000 Covering 7 km Radius Around Project Site Prepared: upload kml file
	v	If CRZ or ICRZ Map Indicating CRZ-I,II,III and IV including other notified ESAs has been prepared: upload kml file
	vi	If NOC from State Pollution Control Boards Obtained: Copy of NOC
	s	Details of Rain Water Harvesting System
	t	Recommendation of State Coastal Zone Management Authority: State the Conditions Imposed; Social and Environmental Issues and Mitigations Measures Suggested Including but not Limited to R&R, Water, Air, Hazardous Wastes, Ecological aspects, etc. (Brief Details to be Provided); Copy of CZMA or ICZMA recommendations

22	Sector Specific Details:		
I	In case of mining proposals:		
a	No. of Mineral to be Mined (Multiple Entries Allowed)		:
	Minerals To be Mined	Major or Minor Mineral	
b	Mine Capacity in ROM (Run of Mine)		
c	Copy of Cluster Certificate in case of minor minerals		
d	Mining Plan: Approval Letter No.; Date of Approval; Copy of Approved Letter; Approved Mining Lease Area; Approved Capacity		
e	Technical Details: Total Geological Reserves (Million Ton); Mineable Reserves (Million Ton); Extractable Reserves(Million Ton); Percent of Extraction(%);Grade of Coal /Ore /Mineral; Stripping Ratio; Category of Gaseousness (Only for Coal Mining, Others may write Not applicable); Average Gradient(Degree); Maximum Thickness of Seams(meters) (Only for Coal Mining, Others may write Not applicable); Mining Method (Opencast / Underground /Mixed(Opencast + Underground) /Adit; Life of Mine (Years)		
f	Details of beneficiation (including crushing / screening/others): If proposed to install crusher within the mining lease area: No. of crushers and Details of crusher (Multiple entries allowed)		
	Crusher ID	Capacity (in TPH)	Remarks
g	If proposed to install beneficiation plant / Coal washery within the mining lease area: Beneficiation / washing Technology; Capacity		
h	Details of Seams if applicable: No. of seams; Thickness of seams to be worked on; Maximum Thickness of Seams(meters)		
i	Details of Mining Lease: copy of Letter of Intent; Date of execution of mining lease with reference number; Validity of Mining Lease; Copy of executed lease deed valid as on date		
j	OB (Over Burden) Management (Only if Mining Method: Opencast)		
	i	Details of External Dumps: No. of OB Dumps; Total Area (in Hectare); Height (in meter); Quantity (in Million Cubic meter); No. of year back fill up	
	ii	Details of Internal Dump: No. of OB Dumps; Total Area (in Hectare); Height (in meter); Quantity (in Million Cubic meter)	
k	Details of Topsoil Management: Quantity of Topsoil excavated during the entire life of the mine (in Million Cubic meter); Quantity of Topsoil proposed for utilization for reclamation during the entire life of the mine (in Million Cubic meter); Quantity of Topsoil proposed for utilization for other activities during the entire life of the mine (in Million Cubic meter)		
l	Detail of Final Mine Void(Only if Mining Method: Opencast): Area (in Hectare); Depth (in meter); Volume (in Million Cubic meter)		
m	Details of Quarry(Only if Mining Method: Opencast): Final Void of (hectare); At a Depth of (meter which is proposed to be converted into a Water Body); Total Quarry Area (ha)		
n	Details of Transportation: In Pit/Underground to Surface; Surface to Siding/Loading; Transportation / Conveyor Details		

o	Details of Land Usage (Pre-Mining)				
	Land Use	Within ML Area (ha)	Outside ML Area (ha)	Total	
	Agriculture Land				
	Forest Land				
	Waste Land				
	Grazing Land				
	Surface Water Bodies				
	Settlements				
	Others(Specify)				
p	Details of Land Usage (Post-Mining)				
	Land Use	Plantation	Water Body	Public Use	Others
	Excavation / quarry				
	Top Soil Storage				
	External OB dumps				
	Internal OB dumps				
	Roads				
	Built Up Area(Colony/Office)				
	Green Belt				
	Virgin Area				
	Other				
	Total				
q	Details of Reclamation (Only if Mining Method: Opencast); Total afforestation plan (This will include: External OB Dump(in hectare); Internal Dump(in hectare); Quarry(in hectare); Safety Zone(in hectare); Final Void of (hectare); At a Depth of (<i>meter which is proposed to be converted into a Water Body.</i>); Density of Tree Plantation per ha (in no.); Others in ha (such as Excavation Area along ML Boundary, along Roads and Infrastructure, Embankment Area and in Township Located outside the Lease etc.); and Total afforestation plan in hectare)				
r	Status of Progressive Mining Closure Plan (for expansion proposals only): Implementation of various activities as per approved progressive mine closure plan(in Bar Chart); Any deviation from the approved progressive mine closure plan; Total Area Excavated (in hectare); Total area backfilled after excavation (in hectare); Total area reclaimed (in hectare)				
II	In case of proposal is for Thermal Project (including Captive Power Plant and Waste Heat Recovery Plant)				
a	Specifications of the Plant: Technology proposed (Supercritical, Sub-Critical, CFBC, AFBC, PFBC, IGCC, Incineration, Pyrolysis, Gasification, Bio-methanation, Others); Plant Load Factor (%); Steam Rate/Flow Rate; Boiler Temperature; Boiler Pressure; Type of Stack (Single flue / Bi-flue / Tri-Flue); No. of Stacks				
	Stack ID	Stack height (m)	Stack Diameter at exit (m)	Exit velocity of stack gas (m/s)	Exit temperature of stack gas (°C)
b	Details of Fuel Characteristics: Gross Calorific Value (Kcal/Kg); Ash content (%); Sulphur Content (%); Moisture (%);Mercury (mg/kg); Fixed Carbon (%);Volatile Matter (%)				

c	Details of Cooling system: Type of cooling system: Air cooled/Water cooled; Type of draft: Natural draft/Forced draft; Type of air circulation: Parallel flow/ Counter flow; Cycles of Cooling (COC):Water requirement for cooling (m ³ /day); Boiler blow down temperature			
III In case of proposal is for River Valley & Hydroelectric Project				
a	Sub-Sector: (Multipurpose Project / Hydroelectric Project / Irrigation project)			
b	Name of the River:			
c	If Cumulative Impact Assessment and Carrying Capacity Study of River Basin Carried Out: Status of Cumulative Impact Assessment and Carrying Capacity Study of River Basin; If Recommended, Details of Cumulative Impact Assessment and Carrying Capacity Study of River Basin and Upload Relevant Document (<i>Upload pdf only</i>)			
d	Type of Project: (Construction of Dam Barrage / Run of the River / Lift Irrigation Scheme)			
e	Dam Height (meter) and Dam Length if applicable			
f	Total Submergence Area (hectare); Details of Gross Command Area (GCA) (hectare); Details of Irrigable Command Area (ICA) (hectare); Details of Culturable Command Area (CCA) (hectare); Total Command Area (hectare)			
g	Powerhouse Installed Capacity: Type of Powerhouse: (Underground / Surface); Capacity (megawatts); No. of Tunnels; No. of Units; Bank of River: (Left /Right / Both)			
h	Generation of Electricity Annually: Quantity of Generation of Electricity Annually (in Giga Watt Hours(GWh)); Machine Availability (%);Cost of Electricity Generation (in INR); Internal Rate of Return (%);Year of achievement of Internal Rate of Return; Water availability at various percentages			
	Percentage	Water availability (Cusecs)	Dependable year	Remarks
	At 50%			
	At 75%			
	At 90%			
i	Catchment Area Treatment Plan (Upload PDF)			
j	Muck Management Plan: Upload Muck Management Plan in PDF; Total Excavation Muck (Cubic Meter); Utilized for Construction (Cubic Meter); No. of Muck Disposal sites; Total Muck Disposal Area (Ha)			
k	Fishery Development and Management Plan: Upload Fishery Development and Management Plan in PDF; No. of Fingerlings; No. of Fish Species; Name of the umbrella Fish Species (Scientific Name)			
l	Status of Environmental Flow			
	Season	Average Inflow (in Million Cubic Meter)	Percent of Flow	
	Lean			
	Non-Lean			
	Monsoon			
	Non-Monsoon			
m	Free Flow Stretch(km)			
n	Approval of Central Water Commission: Approval Reference No.; Date of Approval; Copy of Approval			
o	Approval of Central Electricity Authority: Approval Reference No.; Date of Approval; Copy of Approval			

	p	Details of Cofferdam (upstream) if applicable: Quantity of the material (m ³); Length of the dam (m); Quantity of muck to be used (m ³); Quantity of borrow material to be used (m ³); copy of decommissioning plan		
	q	Details of Cofferdam (downstream) if applicable: Quantity of the material (m ³); Length of the dam (m); Quantity of muck to be used (m ³); Quantity of borrow material to be used (m ³); copy of decommissioning plan		
I	In case of the proposal is Infrastructure projects or activity			
V				
	a	Details of Building Construction: Maximum Height of the Building (Meters); Total No. of Flats to be Build; No. of Buildings; Total plot area (sqm); Total built up area (sqm)		
	b	Foreshore Facilities and/or Marine Disposal, if applicable: Details thereof.		
	c	If project involves foreshore activities and/or marine disposal: type of cargo; quantity of cargo; control measures of cargo; dust control measures; quantum; quantity of dredging (cubic meter per day); type of dredging (capital, maintenance); disposal of dredge material; details of outfall diffusers; no. of dilution expected; distance at which the outlet will reach ambient parameters; details of monitoring at outfall; copy of shoreline study; Copy of NoC from SPCB in case of marine disposal		
	d	Rain water harvesting: No. of storage; capacity; No. of recharge pits; capacity		
	e	Parking: Details of 4-Wheeler/ 2-Wheeler Parking		
	f	Energy saving measures: source/mode; percentage; quantity		
	g	Other details: Details of impact on water bodies and drainage patterns of catchment area, if any; Details of traffic density; impact assessment and modelling study; In case of underground tunnel projects below the Forest Land: Copy of subsidence impact study report		
	h	Type of Industries to be established with Industrial Estate as per their category A/B		
		Sl. No.	Type of Industry	No. of Units
	i	Length of the alignment in case of highway projects		
	j	Details Bridges/ROB/Interchanges, flyovers, vehicle underpass and pedestrian underpass (in case of Highway Projects): Total No. of bridges; Total No. of ROB; Total No. of interchanges; Total No. of flyovers; Total No. of vehicle underpass; Total no of pedestrian underpass; Details of other utilities rail and road corridors		
23	Details of Court Cases if any (any Court Cases pending against the project and/or land in which the project is proposed to be set up): Name of the Court; Case No.; Orders/Directions of the court, if any and its relevance with the proposed project; Case Details; copy of Court Order if any			
24	Details of direction issued under Environment (Protection) Act / Air (Prevention & Control of Pollution) Act / Water (Prevention & Control of Pollution) Act, if any: Details of directions issued: Upload copy of directions; Compliance status of the directions			
25	Details of EIA Consultant: Accreditation No.; Name of the EIA Consultant; Address; Contact No.; E-mail Id; Category of Accreditation (Eligible for Category A / Eligible for Category B); Sector of Accreditation; Validity of Accreditation; copy of certificate of accreditation issued by QCI/NABET.			
26	Documents to be attached			
	a.	Copy of EIA/EMP Report		

	b.	Copy of Risk Assessment Report		
	c.	Copy of Feasibility Report/ Detailed Project Report(DPR) /Detailed Engineering Report /Detailed Conceptual Plan / Approved Mining Plan (in case of Mining proposals)		
	d.	Upload Copy of Final Layout Plan		
	e.	Upload Cover Letter duly signed by the project proponent or authorized person		
	f.	Upload a copy of authorization duly signed by the project proponent in support of the person making this application on behalf of the User Agency		
	g.	Upload copy of District Survey Report (for mining of minor minerals only)		
	h.	Upload copy of Replenishment Study Report & Baseline Survey data (for river sand mining proposals only)		
	i.	Copy of Certificate of compliance of earlier EC (in case of Expansion proposals)		
	j.	Copy of recommendations of Chief wildlife warden (in case of presence of Schedule-I species)		
	k.	Copy of recommendation of National Board for Wildlife (in case of the project is located in eco-sensitive zone)		
	l.	Copy of recommendation of State / Union Territory Coastal Zone Management Authority (In case of the project located in CRZ or ICRZ)		
	m.	Additional documents, if any		
27	Undertaking			
	I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to above, I hereby give undertaking that no activity / construction / expansion has since been taken up.			
	Name; Designation; Company; Address			

APPENDIX-VI

(Refer clause 12)

FORM-3**APPLICATION FOR AMENDMENT IN TERMS OF REFERENCE**

1	Details of Terms of Reference: Date of issue of ToR; MoEF&CC / SEIAA File No.; copy of ToR letter				
2	Details of Product				
	Product / Activity (Capacity/Area)	Quantity As per approved ToR	Quantity proposed	Unit	Mode of Transport / Transmission of Product
	- Unit:- (Tons per Annum(TPA), Mega Watt(MW), Hectares(ha), Kilo Liters per Day(KLD), Tons Crushed per Day(TCD), Cubic Meter per Day, Kilometers(Km), Million Liters per Day(MLD),				

	Others) - Mode of Transport/Transmission of Product (Road, Rail, Conveyor Belt, Pipe Conveyor, Aerial Ropeway, combination of two or three modes, Others)				
2	Details of Configuration				
	Plant / Equipment / Facility	Existing Configuration	Proposed Configuration	Final configuration after amendment	Remarks if any
3	Reasons for the amendment in ToRs				
4	Any Other Amendment required				
	Reference of approved ToR	Description as per approved ToR	Description as per proposal	Remarks	
5	Documents to be attached				
	a.	Upload Copy of revised Form-1			
	b.	Upload revised pre-feasibility report			
	c.	Upload Cover Letter duly signed by the project proponent or authorized person			
	d.	Upload a copy of authorization duly signed by the project proponent in support of the person making this application on behalf of the User Agency			
	e.	Upload Additional File, if any			
6	Undertaking				
	I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost. In addition to above, I hereby give undertaking that no activity / construction / expansion has since been taken up.				
	Name; Designation; Company; Address				

APPENDIX-VII

(Refer clause 18)

FORM-4**APPLICATION FOR AMENDMENT IN PRIOR ENVIRONMENT CLEARANCE OR PERMISSION**

1	Details of Prior environmental clearance: Date of issue of Prior environmental clearance; MoEF&CC / SEIAA File No.; copy of EC letter			
2	Details of Consent to Operate: Whether Consent to operate obtained (Yes/No); If yes, Copies of all Consent to operate obtained since inception including valid as on date; Date of issue; Validity; File No.; Application No.			
3	Amendment sought for: amendment in configuration / Amendments in clearance condition/ other (Specify)			
4	Details of Product (as per the approved EC)			
	Product/Activity (Capacity/Area)	Quantity	Unit	Mode of Transport / Transmission of Product
	<ul style="list-style-type: none"> - Unit:- (Tons per Annum(TPA), Mega Watt(MW), Hectares(ha), Kilo Liters per Day(KLD), Tons Crushed per Day(TCD), Cubic Meter per Day, Kilometers(Km), Million Liters per Day(MLD), Others) - Mode of Transport/Transmission of Product (Road, Rail, Conveyor Belt, Pipe Conveyor, Arial Ropeway,combination of two or three modes, Others) 			
5	Details of Configuration (Multiple Entries Allowed)			
	Plant / Equipment / Facility	Existing Configuration	Proposed Configuration	Final configuration after amendment
				Remarks if any
6	Reasons for amendment			
7	Any other amendment required			
	Reference of approved EC	Description as per approved EC	Description as per proposal	Remarks
8	Documents to be attached			
a.	Copy of addendum to EIA/EMP Report			
b.	Copy of revised - Feasibility Report/ Detailed Project Report(DPR) /Detailed Engineering Report /Detailed Conceptual Plan / Approved Mining Plan (in case of Mining proposals)			
c.	Copy of Final Layout Plan			
d.	Cover Letter duly signed by the project proponent or authorized person			
e.	Copy of authorization duly signed by the project proponent in support of the person making this application on behalf of the User Agency			

f.	Additional File, if any		
9	Details of EIA Consultant: Accreditation No.; Name of the EIA Consultant; Address; Contact No.; E-mail Id; Category of Accreditation (Eligible for Category A / Eligible for Category B); Sector of Accreditation; Validity of Accreditation; Copy of certificate of accreditation issued by QCI/NABET		
10	Undertaking		
	I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost.		
	Name; Designation; Company; Address		

APPENDIX-VIII

(Refer clause 21)

FORM-5**APPLICATION FOR TRANSFER OF PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE**

1	Name of the Project (s)			
2	Details of Earlier Project Proponent (Multiple entries allowed in case of amalgamation of activities involved): Name of the Company / Organisation; Registered Address; Legal Status of the Company; details of Joint Venture if any; etc.			
3	Details of New Project Proponent (Multiple entries allowed in case of splitting of activities involved): Name of the Company / Organisation; Registered Address; Legal Status of the Company; details of Joint Venture if any; etc.			
4	Address for the correspondence (Multiple entries allowed in case of splitting of activities involved): Name of the applicant; Designation (Owner / Partner / CEO); Address; Pin code; e-mail; Telephone No.; Fax No.; etc.			
5	Category of the Project/Activity as per Schedule of EIA Notification,2006: Item under schedule; Category (A/B ₁ /B ₂)			
6	Details of Prior environmental clearance: Date of issue of Prior environmental clearance; MoEF&CC / SEIAA File No.; copy of EC letter			
7	Details of Consent to Establishment: Whether Consent to Establishment obtained (Yes/No); If yes, copy of Consent to Establishment obtained including that valid till date; Date of issue; Validity; File No.; Application No.; etc.			
8	Status of Implementation of the project (In case of EC: physical progress made on the project/facilities/activities for which Prior Environment Clearance was granted)			
9	In case of the splitting of Prior Environment Clearance involved			
a	Proposed splitting of the project faculties/activities			
	Facility / activity granted Prior Environment Clearance along with configuration and capacity	Facility / activity granted Prior Environment Clearance proposed to transfer to "X" along with configuration and capacity	Facility / activity granted Prior Environment Clearance proposed to transfer to "Y" along with configuration and capacity	Facility / activity granted Prior Environment Clearance proposed to transfer to "Z" along with configuration and capacity

	b	Proposed splitting of the prior environmental terms and conditions						
		Environmental terms and conditions	Transferee X	Transferee Y	Transferee Z			
9	In case of amalgamation of prior environmental clearances involved							
	a	Proposed amalgamation of the faculties/activities						
		Facility / activity granted Prior Environment Clearance along with configuration and capacity to project-1	Facility / activity granted Prior Environment Clearance along with configuration and capacity to project-2	Facility / activity granted Prior Environment Clearance along with configuration and capacity to project-3	Facilities / activities after merger			
	b	Proposed amalgamation of the environmental terms and conditions						
		Environmental terms and conditions prescribed for project-1	Environmental terms and conditions prescribed for project-2	Environmental terms and conditions prescribed for project-3	Proposed Environmental terms and conditions after merger			
10	Documents to be attached							
	a.	No Objection from the transferor						
	b.	Undertaking by transferee stating regarding acceptance of the terms and conditions under which the Prior Environment Clearance was granted.						
	c.	Copy of Transfer of the firm from competent authority						
	d.	Cover Letter duly signed by the project proponent or authorized person						
	e.	Copy of authorization duly signed by the project proponent in support of the person making this application on behalf of the User Agency						
	f.	Additional documents, if any						
11	Undertaking							
	I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost.							
	Name; Designation; Company; Address							

APPENDIX-IX

(Refer clause 17)

FORM-6**APPLICATION FOR GRANT OF PRIOR ENVIRONMENT CLEARANCE**

(Where any lease or license or right or permission or authorization granted by the Government in respect of a project or activity is cancelled in any legal proceedings or by Government in accordance with law and the said lease or license or right or permission or authorization in respect of that project is granted to any other person or successful bidder and there is no specific enactment on the aforesaid subject under any law for the time being in force)

1	Name of the Project (s)
2	Details of Earlier Project Proponent: Name of the Company / Organisation; Registered Address; Legal Status of the Company; details of Joint Venture if any; etc.
3	Details of New Project Proponent: Name of the Company / Organisation; Registered Address; Legal Status of the Company; details of Joint Venture if any; etc.
4	Address for the correspondence: Name of the applicant; Designation (Owner / Partner / CEO); Address; Pin code; e-mail; Telephone No.; Fax No.; etc.
5	Category of the Project/Activity as per Schedule: Item under Schedule; Category (A/B ₁ /B ₂)
6	Details of Prior Environmental Clearance: Date of issue of Prior environmental clearance; MoEF&CC / SEIAA File No.; copy of prior-EC letter
7	Details of Consent to Establishment: Whether Consent to Establishment obtained (Yes/No); If yes, copy of Consent to Establishment obtained including that valid till date; Date of issue; Validity; File No.; Application No.; etc.
8	Status of Implementation of the project vis-à-vis approved mining plan (form mining projects) or feasibility report (other projects)
9	Revised Environmental Management Plan
10	Documents to be attached
	a. Copy of letter of allocation
	b. Covering letter duly signed by the project proponent or authorized person
	c. Copy of authorization duly signed by the project proponent in support of the person making this application on behalf of the User Agency
	d. Copy of earlier EIA Report based on which Prior-EC was granted to earlier project proponent
	e. Additional documents, if any
11	Undertaking
	I hereby give undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to be best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance given, if any to the project will be revoked at our risk and cost.
	Name; Designation; Company; Address

APPENDIX-X

(Refer clause 13)

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACTASSESSMENT REPORT

S.No.	EIA Structure	Contents
1.	Introduction	<ul style="list-style-type: none"> • Purpose of the report • Details of project proponent: Name of the project; Name of the Company /or entity or firm or organization or trust or Joint Venture or Special Purpose Vehicle; Registered Address; Legal Status of the Company; Joint Venture if any; etc. • Location of the project: Plot / Survey / Khasra number; Village; Tehsil; District; State; Pin Code; Latitudes and Longitudes of the project/activity site; Survey of India Topo Sheet number; Copy of Topo Sheet; Maximum elevation above MSL; kml file; Distance of nearest Highest Flood Level (HFL) from the project boundary within the study area; Seismic Zone; Nearest railway station; Distance from nearest railway station (in Km); Nearest Airport; Distance from nearest Airport (in Km); Nearest Town/City/District head quarter (Specify); Distance from nearest Town/City/District head quarter (in Km); Village Panchayats, Zila Parishad, Municipal Corporation, Local Body (Complete postal Address with pin code and Telephone Number); etc. • Coordinates of the boundary project (preferable at each node) • Maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout • Ecological sensitivity of the location of project: details and distance, if located within 10 km from the Wildlife sanctuary or National Park or Protected Area or Biosphere reserve or Tiger reserve or Elephant reserves or Critically Polluted Area or Severely Polluted Area or Eco-sensitive area or Eco-sensitive Zone or State/UT Boundary or International Boundary or Hilly area or areas protected under international convention / national legislation / local legislation or cultural or other related value or wetlands or water bodies or coastal zone or pilgrim areas or tourist areas or defence installations, etc. • Brief description of nature, size, category of the project: Item number in the schedule; Category (A/B₁/B₂); Type of the proposal (new/expansion/modernization); etc. • Importance of project to the country, region in terms of environmental, social and financial • Brief history of the project including earlier prior environmental clearance(s) and or consent(s), other clearances such as groundwater, surface water allotment, forestland diversion, wildlife clearance, mining plan approval, building plan approval, etc, in case of the expansion or modernization • Scope of the study: details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference); compliance of the Terms of References prescribed for the project in tabular form.
2.	Project Description	<ul style="list-style-type: none"> • Products, By-products, Project configuration (in case of the expansion or modernization the details pertaining to existing, proposed and cumulative after expansion or modernization); etc. • Technology and process description including a schematic diagram/ flow chart showing the project layout, components of the project etc. • Raw material(s) and Fuel(s) required along with estimated quantity, likely source, distance from the source, mode of transport, type of linkage.

		<ul style="list-style-type: none"> • Marketing area of final product (s) or by-products, mode of transport, distance, linkage if any, etc. • Details of water requirement (during construction / installation / commissioning / establishment phase; Operation phase; redundancy / closure / dismantling phase): Total water requirement; source; distance from source; method of withdrawal; mode of transport; details of permission /MoU, etc. • Details of power requirement (during construction / installation / commissioning / establishment phase; Operation phase; redundancy / closure / dismantling phase): Total power requirement; source; distance from source; method of tapping; details of permission /MoU; Stand-by arrangement), etc. • Resourcing optimization/ recycling and refuse envisaged in the project, if any, should be briefly outlined. • Land requirement for the various activities, land ownership, status of land acquisition, etc. • If forestland is involved, the details of Forests Clearance Status (In-Principle (Stage-I) Approval Obtained / Final (Stage-II) Approval Obtained / Forest Clearance Under Process(Stage-I) / Forest Clearance Under Process(Stage-II) / Application for Forest Clearance yet to be Submitted). • Tree Cutting, if any [No. of Trees Cut for the Project (if Forestland not involved); and Details of Tree Cutting and Planting of Trees. • Existing land use pattern (agriculture, non-agriculture, forest, water bodies (including area under CRZ or ICRZ)), shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ or ICRZ. In case of notified Industrial area, a copy of the Gazette notification should be given. • Manpower Requirement: Permanent/Temporary employment during construction / installation / commissioning / establishment phase; operation phase; redundancy / closure / dismantling phase; Total Manpower. • Project Cost: Total Cost of the Project at current price level (in Lakhs). • Proposed schedule for approval and implementation. • Schematic representations of the feasibility drawing which give information of EIA purpose. • Sector specific details as per Form-2.
3	Description of the Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Study area, period, scope of baseline studies including components and methodology. • Description of the pre-project or pre-expansion environmental scenario i.e. description of baseline data collected. • Summary of the baseline data. • Base maps of all environmental components
4	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	<ul style="list-style-type: none"> • Details of investigated environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project. • Waste water management (during construction / installation / commissioning / establishment phase; operation phase; redundancy / closure / dismantling phase): Type or source; quantity of waste water generated; treatment capacity; treatment method; quantity of treated water used in recycling or reuse; quantity of the discharged water; mode of disposal; details for achievement Zero Liquid Discharge, in case of proposed;

		<ul style="list-style-type: none"> • Solid waste management (during construction / installation / commissioning / establishment phase; operation phase; redundancy / closure / dismantling phase): Type or source; quantity of solid waste generated; treatment capacity; treatment method; quantity of treated solid waste used in recycling or reuse; quantity of the solid waste disposed; mode of disposal; • Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified. • Greenbelt development plan.
5	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatives in terms of technology and site. • Assessment of new & untested technology for the risk of technological failure. • Description of each alternative. • Summary of adverse impacts of each alternative. • Mitigation measures proposed for each alternative. • Selection of alternative including justification.
6.	Environmental Monitoring Program	<ul style="list-style-type: none"> • Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, monitoring frequency, monitoring locations, analysis of monitoring data, reporting schedules of monitoring data, emergency procedures, detailed budget, procurement schedules, etc.)
7.	Additional Studies	<ul style="list-style-type: none"> • Details of Public Consultation including notice of public hearing, supervision, presiding over of the hearing, responses received in writing from persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project, proceedings, and commitments of the project proponents on the issues raised during the public consultation along with time bound action plan and budgetary provision in the tabular form. • Risk and Hazards identification, assessment and management supported by emergency preparedness plan and disaster management plan. • Social impact assessment, social need assessment and management. • Rehabilitation and Resettlement, if any: No. of Villages; No. of Households; No. of Project Displaced Families; No. of Project Affected Families; Funds Allocated for Rehabilitation and Resettlement; Status of Rehabilitation and Resettlement (Completed / In-progress / Yet to start); Action Plans, implementation schedules, budgetary provisions, etc. • In case of project located in CRZ or ICRZ, the details as required under Form-2
8.	Project Benefits	<ul style="list-style-type: none"> • Improvements in the physical infrastructure • Improvements in the social infrastructure • Corporate Environment Responsibility (CER) – activities proposed under the CER based on the issues emerged during the public hearing or social need assessment, time bound action plan, budgetary provision. • Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled • Other tangible benefits
9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	EMP	<ul style="list-style-type: none"> • Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA report/EMP

		<ul style="list-style-type: none"> • Company 'Environmental Policy' duly approved by the Top Management • Organization structure of environment management department / cell • Mechanism of reporting of non-compliances/infringements, if any, to the board of directors, periodicity of the reporting, standard operating procedure for closure of non-compliances or partial compliances reported, if any.
11	<p>Summary & Conclusion</p> <p>(This will constitute the summary of the EIA Report and same can be used for Executive Summary)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Project Description • Pre-project or pre-expansion scenario (Baseline scenario) • Anticipated environmental impacts • Mitigation measures • Environmental Monitoring Programme • Additional Studies • Project Benefits • Environment Management Plan • Overall justification for implementation of the project • Explanation of how, adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	<ul style="list-style-type: none"> • Name of the Accredited EIA Consultant Organization engaged with their brief resume and nature of consultancy rendered. • Details of Accreditation • Details of EIA Coordinator and Functional Area Expert(s) involved in preparation of EIA. • Declaration of the EIA Coordinator and Functional Area Expert(s) involved in preparation of EIA as per Appendix-XIII.

Note:

- 1) All documents should be properly indexed, page numbered.
- 2) Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 3) Authenticated English translation of all material in Regional languages should be provided.

APPENDIX-XI

(Refer clause 13 and 16)

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REPORT

S.No.	EIA Structure	Contents
1.	Introduction	<ul style="list-style-type: none"> • Purpose of the report • Details of project proponent: Name of the project; Name of the Company / Organisation; Registered Address; Legal Status of the Company; Joint Venture if any; etc. • Location of the project: Plot / Survey / Khasra No.; Village; Tehsil; District; State; Pin Code; Bounded Latitudes-North(From & To); Bounded Longitudes-East(From & To); Survey of India Topo Sheet No.; copy of Topo Sheet; Maximum Elevation Above Means Sea Level(AMSL); copy of kml file; Distance of nearest Highest Flood Level (HFL) from the project boundary within the study area; Seismic Zone; Nearest railway station; Distance from nearest railway

		<p>station (in Km); Nearest Airport; Distance from nearest Airport; Nearest town/city/District head quarter (Specify); Distance from nearest town/city/District head quarter (in Km); Village Panchayats, Zila Parishad, Municipal Corporation, Local Body (Complete postal Address with pin code and Telephone Number.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout. • Brief description of nature, size, category of the project: Item number in the Schedule. • Importance of project to the country, region in terms of environmental, social and financial. • Brief history of the project including earlier Prior Environment Clearance / consent.
2.	Project Description	<ul style="list-style-type: none"> • Type of project. • Need for the project. • Size or magnitude of operation including associated activities required by or for the project. • Technology and process description including a schematic diagram/ flow chart showing the project layout, components of the project etc. should be given. • Raw materials required along with estimated quantity, likely source, marketing area of financial product/s, mode of transport of raw material and finished product. • Resourcing optimization/ recycling and refuse envisaged in the project, if any, should be briefly outlined. • Availability of water source, energy/ power requirement and source should be given. • Land requirement for the various activities, land ownership, status of land acquisition, etc. • Quantity of wastes should be generated(liquid and solid) and scheme for their management / disposal. • Schematic representations of the feasibility drawing which give information of EIA purpose • Proposed schedule for approval and implementation
3	Proposed Mitigation Measures	<ul style="list-style-type: none"> • Details of anticipated environmental impacts due to project • Mitigation measures <i>inter alia</i> including greenbelt development plan
4.	Environmental Monitoring Program	<ul style="list-style-type: none"> • Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement Schedules)
5.	Project Benefits	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Environment Responsibility – activities proposed under the CER • Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled • Other tangible benefits

APPENDIX-XII

(Refer clause 11)

GENERIC STRUCTURE OF PRE-FEASIBILITY REPORT DOCUMENT

S.No.	PFR Structure	Contents
1.	Executive summary	<ul style="list-style-type: none"> • Brief summary on the details of the project proponent, location of the project, Brief history of the project including earlier Prior Environment Clearance / consent, in case of the expansion / modernization / change in product mix / change in process; size and magnitude of the operation; technology and process description; raw material requirement; water and power requirement; environmental sensitivity of the project location; environmental impact assessment; mitigation measures; monitoring; etc.
2.	Introduction of the project/ Background information	<ul style="list-style-type: none"> • Identification of the project and project proponent. In case of mining project, a copy of mining lease/ letter of intent should be given. • Brief description of nature of the project. • Need for the project and its importance to the country and or region. • Demand-Supply Gap. • Imports vs. Indigenous production. • Export possibility. • Domestic/ export markets. • Employment Generation (Direct and Indirect) due to the project
3	Project Description	<ul style="list-style-type: none"> • Type of project including interlinked and interdependent projects, if any. • Location (map showing general location, specific location, and project boundary & project site layout) with coordinates. • Details of alternative sites and the basis of selecting the proposed site, particularly the environmental considerations gone into should be highlighted. • Size or magnitude of operation. • Project description with process details (a schematic diagram/ flow chart showing the project layout, components of the project etc. should be given). • Raw materials required along with estimated quantity, likely source, marketing area of financial product/s, Mode of transport of raw Material and Finished Product. • Resourcing optimization/ recycling and refuse envisaged in the project, if any, should be briefly outlined. • Availability of water source, Energy/ power requirement and source should be given. • Quantity of wastes should be generated (liquid and solid) and scheme for their Management / disposal. • Schematic representations of the feasibility drawing which give information of EIA purpose.

4	Site Analysis	<ul style="list-style-type: none"> • Connectivity. • Land Form, Land use and Land ownership. • Topography (along with map). • Existing land use pattern (agriculture, non-agriculture, forest, water bodies (including area under CRZ or ICRZ)), shortest distances from the periphery of the project to periphery of the forests, eco sensitive areas, water bodies (distance from the HFL of the river), CRZ or ICRZ. In case of notified Industrial area, a copy of the Gazette notification should be given. • Existing Infrastructure. • Soil classification. • Climatic data from secondary sources. • Social Infrastructure available
5	Planning Brief	<ul style="list-style-type: none"> • Planning concept (type of industries, facilities, transportation etc.) Town and Country. • Population Projection. • Land use planning (break up along green belt etc.) • Assessment of infrastructure Demand (physical & social). • Amenities/Facilities
6.	Proposed Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> • Industrial Area (Processing Area). • Residential Area (Non-Processing Area). • Green Belt. • Social Infrastructure. • Connectivity (Traffic and Transport Road/ Rail, metro, water ways, etc.). • Drinking Water Management. • Industrial Waste Management. • Solid Waste Management. • Power Requirement and Supply/ source
7.	Rehabilitation and Resettlement (R&R) Plan	<ul style="list-style-type: none"> • Policy to be adopted (Central/State) in respect of this project affected including home oustees, land oustees and landless labourers (a brief outline to be given)
8.	Project Schedule & Cost Estimates	<ul style="list-style-type: none"> • Likely date and start of construction and likely date of completion (Time schedule for the project should be given). • Estimated project cost along with analysis in terms of economic viability of the project.
10.	Analysis of proposal (Final Recommendations)	<ul style="list-style-type: none"> • Financial and social benefits with special emphasis on the benefit to the local people including tribal population, if any, in the area

APPENDIX-XIII

Format for Disclosure of Accredited EIA Consultant Organization

1. Name of the Accredited EIA Consultant Organization:
2. Address of the Accredited EIA Consultant Organization:
3. Accreditation number:
4. Sector of Accreditation
5. Category of Accreditation (Eligible for Category A / Eligible for Category B)
6. Validity of Accreditation (date up to which the accreditation is valid):
7. Name of the EIA Coordinator:
8. Period of involvement for the EIA Report:
9. Signature of EIA Coordinator and date:
10. Details of Functional Area Experts involved in the EIA Report:

Sl. No.	Functional Area	Name of the FAE	Inputs/ Involvement of FAE (cross reference with the EIA Report)	Signature and date
1	Air pollution monitoring, prevention and control			
2	Meteorology, air quality modeling and prediction			
3	Water pollution monitoring, prevention and control			
4	Ecology and biodiversity			
5	Noise and vibration			
6	Socio- economics			
7	Hydrology, ground water and water conservation			
8	Geology			
9	Soil conservation			
10	Land use			
11	Risk assessment and hazards management			
12	Other (Specify)			

Declaration by the head of the Accredited EIA Consultant Organization:

I,-----, hereby, confirms that the above mentioned experts prepared the EIA Report of project titled-----of M/s-----. I also confirm that I shall be fully accountable for any misleading information mentioned in this statement.

Signature and Date:


Name:

Designation:

Name of the Accredited EIA Consultant Organization

APPENDIX-XIV

Schematic representation of processing of applications for prior environment clearance or prior environment permission



APPENDIX-XV

Schematic representation of dealing of violation cases

